

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2024 सत्र

गुरुवार, दिनांक 15 फरवरी, 2024

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

पुलिसकर्मियों को देय वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं

[गृह]

1. (*क्र. 859) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश के पुलिसकर्मियों को किस किस प्रकार के वेतनभत्ते और अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं? संवर्गवार पृथक-पृथक जानकारी देवें ? (ख) क्या पुलिसकर्मियों के मूलवेतन, ग्रेड-पे एवं भत्तों में बढ़ोत्तरी का कोई प्रस्ताव लंबित है? यदि हाँ तो कब तक की जावेगी?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

पीएम आवास योजना की स्वीकृति हेतु लंबित आवेदन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

2. (*क्र. 1353) श्री बघेल लखेश्वर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) दिनांक 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति में बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास स्वीकृति हेतु शेष हितग्राहियों की जिलेवार संख्या बतावें ? (ख) बस्तर संभागान्तर्गत विकासखण्डों में ऐसे कितने मकान हैं, जो स्वीकृति उपरांत आबंटन के अभाव में अधूरे हैं ? इनको कब तक आबंटन जारी किया जावेगा ? कृपया बतावें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) योजनांतर्गत स्वीकृत आवासों के विरूद्ध पर्याप्त आबंटन प्राप्त है। अतः राशि के अभाव में अधूरे आवासों की संख्या निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

जिला जांजगीर चांपा में 15 वें वित्त आयोग के तहत आबंटित राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

3. (*क्र. 1046) श्री बालेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जांजगीर चांपा जिले को वर्ष 2021-22 व 2022-23 में 15 वें वित्त आयोग मद से कितना-कितना आबंटन, वर्षवार प्राप्त हुआ ? (ख) कंडिका "क" के वर्षवार आबंटित राशि से ग्राम पंचायतों में सामग्री क्रय हेतु फर्मों को कितना भुगतान किया गया ? (ग) कंडिका "ख" के अनुसार क्या क्रय किए गए फर्म /एजेंसियों, सीएसआईडीसी तथा जीडीएसएण्डडी संस्था से पंजीकृत थी ? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी संस्था?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जांजगीर चांपा जिले को वर्ष 2021-22 व 2022-23 में कुल राशि रू. 7235.06 लाख तथा वर्ष 2022-23 में कुल राशि रू. 7497.58 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। (ख) कंडिका 'क' के वर्षवार आबंटित राशि से वर्ष 2021-22 में कुल राशि रू. 76.56 लाख एवं 2022-23 में राशि रू. 11.22 लाख ग्राम पंचायतों ने सामाग्री क्रय हेतु फर्मों को भुगतान किया गया है। जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ग) कंडिका 'ख' अनुसार सामग्री क्रय किये गये 40 फर्म/एजेंसियां जो सीएसआईडीसी तथा जीडीएसएण्डडी से पंजीकृत नहीं है, जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

खैरागढ़ व राजनांदगांव जिलान्तर्गत प्रसूता महिलाओं के आवेदनों का निराकरण

[श्रम]

4. (*क्र. 1270) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खैरागढ़ व राजनांदगांव जिले में माह - जनवरी, वर्ष 2020 से प्रश्रावधि तक प्रसूता महिलाओं के लिये कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं? क्या संचालित योजनाओं के अंतर्गत अधिसूचना अनुरूप ऑनलाईन पोर्टल में आवेदिका द्वारा आवेदन करने एवं कार्यालय द्वारा आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया एक समान है? यदि हां, तो किये गये आवेदनों एवं निराकरण किये गये प्रकरणों की जानकारी देवें? (ख) क्या उपरोक्त योजना अंतर्गत श्रम निरीक्षकों द्वारा हितग्राहियों से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है?, यदि हां, तो प्रश्नांश 'क' अवधि में प्राप्त किये गये प्रतिवेदनों की जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश 'क' के जिलों में लाभांशित प्रसूता महिलाओं की जानकारी वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) श्रम विभाग के अधीन संचालित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत प्रसूता महिलाओं के लिए "मिनीमाता महतारी जतन योजना" तथा असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल अंतर्गत प्रसूता महिलाओं के लिए 03 योजनाएं क्रमशः "असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना", "सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना" एवं "महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना" संचालित है। उक्त योजनाएं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई व राजनांदगांव जिले में भी प्रभावशील है। जी हाँ, अधिसूचना अनुरूप श्रम विभागीय ऑनलाईन पोर्टल में आवेदिका द्वारा आवेदन करने पर आवेदन का निराकरण पोर्टल में ही सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है। उक्त योजना अंतर्गत किये गये आवेदन एवं निराकरण किये गये प्रकरणों की योजनावार मंडलवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) उक्त योजना अंतर्गत श्रम निरीक्षकों द्वारा हितग्राहियों से कोई जांच प्रतिवेदन नहीं लिया जाता है। अपितु हितग्राहियों से ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों की वैधता की जांच श्रम निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। (ग) प्रश्नांश 'क' के जिलों में लाभांशित प्रसूता महिलाओं की मंडलवार वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चार"]

राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज मद से प्राप्त राजस्व

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

5. (*क्र. 1142) श्री रोहित साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन खदानों से गौण खनिज मद में कितना राजस्व जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2023 तक प्राप्त हुआ? कृपया पंचायतवार जानकारी देवें? (ख) उक्त अवधि में जिन-जिन पंचायतों से गौण खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है, उन्हें गौण खनिज मद से कितनी-कितनी राशि निर्माण कार्यों के लिए आबंटित की गयी है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) हेतु बजट प्रावधान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. (*क्र. 1155) श्री धरमलाल कौशिक : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) प्रदेश में नवम्बर, 2023 तक कितने ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है तथा कुल कितने स्थापित हुये हैं व कितने पार्क स्थापित किया जाना शेष है? वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल कितना बजट का प्रावधान/स्वीकृत किया गया है? कितना भुगतान किया गया है व कितना भुगतान किया जाना शेष है? (ख) कंडिका "क" अनुसार अवधि में औद्योगिक पार्कों में क्या-क्या उपकरण, मशीन एवं अन्य सामग्री किन नियमों के तहत क्रय की गई है एवं कुल कितनी राशि की सामग्री क्रय की गई है एवं कितना-कितना अनुदान प्रदाय किया गया है? (ग) कंडिका "क" अनुसार अवधि में क्या-क्या उत्पादन, किन-किन पार्क में, कितना किया गया है तथा विपणन किस प्रकार से किया जा रहा है व कितनी मात्रा एवं राशि की उत्पादित सामग्री विक्रय की गई व कितनी राशि का शेष है? (घ) रीपा केन्द्रों हेतु विजन डायग्राम बनाने, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने व सर्वे इत्यादि के कार्य किन-किन संस्थाओं के द्वारा किए गए हैं और उनका चयन किस प्रकार किया गया है और कितना भुगतान किया गया है तथा कितना भुगतान किया जाना शेष है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रदेश में नवम्बर, 2023 तक कुल 300 रीपा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था और 300 रीपा स्थापित किये गये है। कोई पार्क स्थापित किया जाना शेष नहीं है। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में 44175.39 लाख रू. का बजट स्वीकृत किया गया है जिसमें राशि रू. 26001.70 लाख का भुगतान किया गया है। 13503.00 लाख रू. का भुगतान किया जाना शेष है। (ख) जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ग) जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब" अनुसार है। (घ) जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स" अनुसार है।

जांजगीर चांपा जिले में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन

[श्रम]

7. (*क्र. 1502) श्री ब्यास कश्यप : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर-चांपा जिले में दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसम्बर, 2023 तक असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के कितने श्रमिकों का पंजीयन किया गया है ? श्रमिकों का पंजीयन किन-किन माध्यमों से होता है? (ख) मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना अंतर्गत जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र के कितने श्रमिकों को लाभ मिला ? लाभान्वित श्रमिकों की वर्षवार संख्यात्मक जानकारी प्रदान करें ? (ग) मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना अंतर्गत जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र के लाभान्वित होने वाले श्रमिकों की वर्ष 2021 से 2023 तक की संख्यात्मक जानकारी वर्षवार प्रदान करें ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में 01 अप्रैल, 2021 से 31 दिसम्बर, 2023 तक छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत 4510 निर्माण श्रमिक, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत 23582 असंगठित कर्मकार तथा छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल द्वारा 4090 संगठित श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। श्रमिकों के पंजीयन के माध्यम की मंडलवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दिनांक 01.03.2023 से संचालित है। योजना संचालन तिथि से वर्ष 2023 तक जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र में 23 निर्माण श्रमिकों को लाभ मिला है। (ग) मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दिनांक 31.08.2023 से संचालित है। योजना संचालन तिथि से वर्ष 2023 तक जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र में लाभान्वितों की संख्या निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"]

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उद्योग स्थापना की प्रदत्त अनुमति

[वाणिज्य एवं उद्योग]

8. (*क्र. 1380) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) तखतपुर विधानसभा अंतर्गत जनवरी, 2020 से अगस्त, 2023 तक किन-किन उद्योगों को लगाने हेतु अनुमति प्रदान की गई है? विस्तृत विवरण देवें? (ख) कंडिका "क" के कौन-कौन से उद्योग प्रारंभ हो चुके हैं एवं कितने उद्योग अप्रारंभ हैं? विस्तृत विवरण देवें? (ग) कंडिका "ख" के अप्रारंभ उद्योग कब तक प्रारंभ हो जाएंगे? विस्तृत विवरण देवें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) विभाग द्वारा उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। उद्योग स्थापना पूर्व विभागीय वेबसाइट से ऑनलाईन स्वप्रमाणन के आधार पर उद्यम आकांक्षा पंजीकरण किये जाने का प्रावधान है। प्रश्नांश अवधि में 240 आवेदकों द्वारा उद्यम आकांक्षा पंजीकरण किये गये हैं। जिसकी सूची विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' में दर्शित है। (ख) उत्तरांश 'क' में से 8 उद्योगों द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर लिया गया है। इन इकाइयों का उत्पादन प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। जिसकी सूची विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'ब' में दर्शित है। शेष 232 उद्योगों द्वारा उत्पादन प्रमाण-पत्र हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। (ग) उद्यम आकांक्षा की वैद्यता अवधि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हेतु 2 वर्ष तथा मध्यम उद्योग हेतु 3 वर्ष की होती है। वैद्यता अवधि में उद्योग प्रारंभ नहीं होने पर उद्यम आकांक्षा की वैद्यता स्वयं समाप्त हो जाती है।

राजनांदगांव जिले अंतर्गत थानों में दर्ज प्रकरण

[गृह]

9. (*क्र. 1429) श्री भोलाराम साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला राजनांदगांव अंतर्गत थानों में वर्ष 2021-22 से 20 जनवरी, 2024 तक बलात्कार, छेड़छाड़, गुमशुदा, धोखाधड़ी, चोरी, मानव तस्करी एवं अनुजाति/ ज.जा अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत कितने प्रकरण दर्ज हैं ? वर्षवार, थानावार जानकारी देवें ? (ख) प्रकरण लंबित रखने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला राजनांदगाँव अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की वर्षवार, थानावार जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) पुलिस अधीक्षक जिला राजनांदगाँव को लंबित प्रकरणों की स्वयं समीक्षा कर प्रकरण अनावश्यक लंबित रखने वाले विवेचकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छः" \]](#)

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के लाभार्थी

[श्रम]

10. (*क्र. 874) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2021 से दिसंबर, 2023 के मध्य कुल कितने श्रमिकों को "मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना" के तहत लाभ प्रदान किया गया है ? (ख) उक्त योजना अंतर्गत पात्रता की क्या-क्या शर्तें हैं ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 01 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर, 2023 तक कुल 25 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रित पुत्र एवं पुत्रियों को छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत संचालित "मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता

योजना" के तहत लाभ प्रदाय किया गया है। (ख) उक्त योजना अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तें **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[[संलग्न "परिशिष्ट - सात"](#)]

पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला महासमुंद को प्राप्त आवेदन

[गृह]

11. (*क्र. 1404) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला महासमुंद में वर्ष 2020 से 15 जनवरी, 2024 तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय को प्राप्त आवेदन /शिकायत प्रकरणों की संख्या बतायें ? (ख) प्रश्नांश "क" में प्राप्त प्रकरणों में से कितने पर सम्बंधित थानों से कार्यवाही करने निर्देशित किया गया एवं कितने प्रकरण उपरोक्त तिथि तक लंबित हैं? जिलावार बताएं?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला महासमुंद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय को कुल-6704 आवेदन/शिकायत प्रकरण प्राप्त हुए।(ख) कुल-6704 आवेदन/शिकायत प्रकरणों पर कार्यवाही करने हेतु संबंधित थानों को निर्देशित किया गया है तथा उपरोक्त तिथि तक लंबित प्रकरणों की थानावार जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है।

[[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"](#)]

उद्योग स्थापना हेतु भूमि आबंटन के नियम-निर्देश

[वाणिज्य एवं उद्योग]

12. (*क्र. 1100) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021 से दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के कितने आवेदकों द्वारा किस-किस प्रकार के उद्योग स्थापना एवं जमीन आबंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) उपरोक्त प्रस्तुत आवेदनों में कितने आवेदनों का निराकरण किया गया है तथा कितने लम्बित हैं? उद्योग स्थापना हेतु औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आबंटन हेतु राज्य शासन के क्या नियम एवं निर्देश हैं? तत्संबंध में अधिकतम कितनी राशि लोन के रूप में प्रदान की जा सकती है तथा शासन द्वारा किस प्रकार की अतिरिक्त रियायतें प्रदान की जाती है बतावें ? (ग) यदि हां, तो कितने हितग्राहियों को किस-किस प्रकार के उद्योग स्थापना हेतु कितनी राशि आबंटित की गई तथा कितनी मात्रा में जमीन आबंटित की गई ? जिलेवार बतावें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) वर्ष 2021 से दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के कुल 124 आवेदकों द्वारा सूक्ष्म व लघु उद्योगों की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए जिसमें से कुल 107 आवेदकों द्वारा जमीन आबंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। जिलेवार विस्तृत विवरण जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-अ** पर दर्शित है। (ख) जमीन आबंटन हेतु प्राप्त कुल 107 आवेदनों में से 93 आवेदनों का निराकरण किया गया है तथा 14 आवेदन भूमि आबंटन हेतु प्रक्रियाधीन है। उद्योग स्थापना हेतु औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आबंटन हेतु राज्य शासन द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015 (यथा संशोधित) नियम एवं निर्देश लागू हैं जिसकी विस्तृत विवरण जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-ब** पर दर्शित है। आवेदकों को परियोजना अनुसार बैंकों द्वारा ऋण राशिप्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा उद्योग स्थापना हेतु लोन प्रदाय करने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है। विभाग द्वारा औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत प्रदान किए जाने वाले अनुदानों की विस्तृत विवरण जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-स** पर दर्शित है। (ग) सूक्ष्म व लघु उद्योगों की स्थापना हेतु 06 हितग्राहियों को मार्जिन मनी अनुदान की कुल राशि रू. 143.98 लाख आबंटित की गई है। कुल आवेदित भूमि रकबा 27.893 हेक्टे. में से रकबा 25.804 हेक्टेयर भूमि आबंटित की गई है तथा रकबा 2.088 हेक्टे.

भूमि आबंटन हेतु प्रक्रियाधीन है। जिलेवार विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ के कॉलम नं. 7 पर दर्शित है।

बीजापुर जिले के नक्सल पीडित परिवारों की जानकारी

[गृह]

13. (*क्र. 348) श्री विक्रम मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021 से 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में बीजापुर जिले में कुल कितने परिवार नक्सल पीडित हैं? (ख) नक्सल पीडित कितने परिवारों के परिवारजन को वर्ष 2019 से 31 दिसम्बर, 2023 की अवधि में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है ? यदि नहीं तो कब तक अनुकम्पा नौकरी प्रदान की जायेगी? (ग) वर्तमान में जनवरी, 2021 से 20/01/2024 तक कितने नक्सल पीडित परिवारों को पुर्नवास की सुविधा प्रदान की गई है ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) (ख) (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिला जांजगीर-चांपा में उद्योग स्थापना एवं निवेश

[वाणिज्य एवं उद्योग]

14. (*क्र. 1383) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर-चाम्पा जिला अंतर्गत 01 अप्रैल, 2021 से 31 दिसम्बर, 2023 तक कितने उद्योग स्थापित हुए? (ख) उन उद्योगों में कितना-कितना निवेश हुआ? (ग) उन उद्योगों द्वारा कितना रोजगार प्रदान किया गया? उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के कितने निवासी हैं? (घ) उसमें कितने पात्र उद्योगों को शासन द्वारा कितनी-कितनी अनुदान राशि दी गई?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) जांजगीर-चांपा (एवं सक्ती) जिला अंतर्गत 01 अप्रैल, 2021 से 31 दिसम्बर, 2023 तक 130 उद्योग स्थापित हुए हैं, जिसकी विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र पर दर्शित है। (ख) उपरोक्त उद्योगों में कुल 123.10 करोड़ रूपये का निवेश हुआ है, जिसकी विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 5 पर दर्शित है। (ग) उपरोक्त उद्योगों द्वारा 1013 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है, उनमें से समस्त (100 प्रतिशत) छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं, जिसकी विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम-6 पर दर्शित है। (घ) उपरोक्त उद्योगों में से 77 पात्र उद्योगों को शासन द्वारा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान- 29.18 करोड़, ब्याज अनुदान-12.39 करोड़ एवं मार्जिन मनी अनुदान-2.55 करोड़ रूपये अनुदान राशि दी गई जिसकी विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 8 से 10 पर दर्शित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

जशपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

15. (*क्र. 447) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 में जशपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य के लिये स्वीकृत कार्यों का कार्यवार, स्वीकृत राशिवार, भुगतानवार, एजेन्सीवार, ब्यौरा क्या है ? (ख) क्या दिनांक 14.01.2024 की स्थिति में उपरोक्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र" अनुसार है। (ख) जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र" अनुसार है।

पी.एम.जी.एस.वाय. सड़कों की गुणवत्ता का निरीक्षण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

16. (*क्र. 1405) श्री इंद्र साव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर, 2023 तक जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में पी.एम.जी.एस.वाय. योजनांतर्गत कितनी सड़कों की स्वीकृति, प्रदान की गई ? स्वीकृत सड़कों का निर्माण किन-किन फर्मों/एजेंसियों के माध्यम से कराया गया ? क्या निर्माणधीन सड़कों की गुणवत्ता, पर्यवेक्षण, निरीक्षण किया गया ? **(ख)** "क" अनुसार किए गए निरीक्षण की विकासखण्डवार जानकारी दें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत सड़कों की संख्या **निरंक** है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ में मुख्य बजट एवं अनुपूरक बजट में कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति

[गृह]

17. (*क्र. 1485) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ अंतर्गत पिछले 03 वर्षों में मुख्य बजट एवं अनुपूरक बजट में शामिल कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारंभ किया गया एवं कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति शेष है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ अंतर्गत पिछले 03 वर्षों में मुख्य बजट एवं अनुपूरक बजट में किसी भी कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

गरियाबंद जिले में उद्योगों की स्थापना

[वाणिज्य एवं उद्योग]

18. (*क्र. 301) श्री जनक ध्रुव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** गरियाबंद जिला अंतर्गत आने वाले मैनपुर एवं देवभोग क्षेत्र में उद्योग विकसित करने हेतु किस प्रकार की योजना प्रस्तावित है ? **(ख)** क्या इस क्षेत्रों हेतु पहले किसी भी कंपनी से राज्य सरकार ने एमओयू पर लिखित समझौता संपादित किया है ? **(ग)** यदि हाँ तो उस पर क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** गरियाबंद जिला अंतर्गत आने वाले मैनपुर एवं देवभोग क्षेत्र में उद्योग विकसित करने के लिए प्रचलित औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत इस क्षेत्र में स्थापित होने वाले पात्र नवीन/विस्तारीकरण/शवलीकरण उद्योगों को निम्नानुसार अनुदान, छूट एवं रियायत दिये जाने की योजना प्रावधानित है। नीति के अंतर्गत गरियाबंद जिले के मैनपुर एवं देवभोग क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से अति पिछड़े क्षेत्र (श्रेणी-द) में घोषित किया गया है। अति पिछड़े क्षेत्र (श्रेणी-द) में स्थापित होने वाले पात्र नवीन/ विस्तारीकरण/शवलीकरण उद्योगों को शेष क्षेत्रों (श्रेणी-अ, श्रेणी-ब एवं श्रेणी-स) की तुलना में अधिक अनुदान, छूट एवं रियायतें प्रदान की जाती हैं। उपरोक्त के साथ ही स्व-रोजगार योजनांतर्गत मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैण्ड अप इण्डिया योजना संचालित एवं क्रियान्वित हैं। **(ख)** उक्त क्षेत्रों हेतु पहले किसी भी कंपनी से राज्य सरकार ने एम.ओ.यू. पर लिखित समझौता निष्पादित नहीं किया है। **(ग)** उत्तरांश 'ख' अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में सड़क नवीनीकरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

19. (*क्र. 1423) श्री दलेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के वर्ष 2021-22 में समूह क्रमांक CG 15-M-23 सड़क का नवीनीकरण किया गया है? यदि हां तो क्या एन.एच.-06 से ग्राम सीतागोटा सड़क निर्माण कार्य में पूर्व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन को संशोधित कर पुनः नवीन तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निर्माण कराया गया है? यदि हां तो संशोधन करने का क्या कारण है व संशोधन उपरांत कितनी राशि का अंतर आया? (ख) क्या उक्त कार्य के ठेकेदार से अनुबंध की कंडिका 53 एवं 53 (ए) के तहत कोई पत्राचार या कार्यवाही की गयी है? यदि हां तो की गयी कार्यवाही सहित डब्लू.बी.एम/बी.एम.(बेस कोड)/पी.एम.सी.(प्राईमकोड) तथा एम.एस.एस. पुलिया रिपेयरिंग एवं पटरी की घन एवं स्व्वायर मीटर, कार्यवार व्यय, अंतिम मूल्यांकन सत्यापन की जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में समूह क्रमांक CG 15-M-23 की 19 सड़कों (13 नवीनीकरण 6 पेंच रिपेयर) में डामरीकरण कार्य किया गया है। उक्त पैकेज की सड़क एन.एच.-06 से सीतागोटा सड़क की स्वीकृति उपरांत नवीनकरण कार्य के पूर्व यातायात के अधिक दबाव एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन को संशोधित कर नवीन तकनीकी स्वीकृति के आधार पर नवीनीकरण कार्य कराया गया है। संशोधन उपरांत राशि रू. 14.64 लाख का अंतर आया है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत नवीनीकरण कार्य हेतु स्वीकृत पैकेज क्र.सी.जी.15-ड-23 की सड़क एन.एच. 06 से सीतागोटा लंबाई 11.30 किमी. के कार्य में ठेकेदार से अनुबंध की कंडिका 53 एवं 53 (ए) के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उक्त जानकारी निरंक है।

संजरी बालोद वि.स. क्षेत्र में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत सड़कें

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

20. (*क्र. 1457) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- वित्तीय वर्ष 2021 से दिनांक 20 जनवरी, 2024 तक संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने नवीन सड़कों की स्वीकृति दी गई है? सड़कों का निर्माण किन-किन एजेंसियों के माध्यम से कराया गया है? किन-किन सड़कों में गुणवत्ताविहीन निर्माण किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है? उक्त सभी सड़कों की अद्यतन स्थिति क्या है? गत 03 वर्षों से किन-किन सड़कों की मरम्मत/रखरखाव कार्य नहीं किया गया है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : प्रश्नांकित अवधि में नवीन सड़कों की जानकारी निरंक है, सड़कें निरंक होने से गुणवत्ता विहीन निर्माण किये जाने की शिकायत एवं प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। गत 03 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सभी सड़कों में संधारण/मरम्मत/ रखरखाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में अरमरीकला सड़क मार्ग से मोहरा पहुंच मार्ग, पलारी से देवकोट पहुंच मार्ग, बालोद से औराभाटा मार्ग, कोसागोंदी उमरपोटी मार्ग से खेरथा पहुंच मार्ग, परसुली से गंगोरीपार पहुंच मार्ग एवं अकलवारा से पेरपार मार्ग में मरम्मत/रखरखाव कार्य नहीं किया गया है।

धमतरी जिले में कार्यरत एन.जी.ओ. को किया गया भुगतान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

21. (*क्र. 1059) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में धमतरी जिले में कौन-कौन से एन.जी.ओं. कार्य कर रहे हैं तथा

शासन द्वारा कौन-कौन से कार्यों के लिये, कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? (ख) कार्यरत एन.जी.ओ. द्वारा कहां-कहां प्रशिक्षण का कार्य किया गया है? वर्षवार बताएं ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।

नगर पालिका निगम भिलाई अंतर्गत आवासीय क्षेत्र में फैक्ट्री लगाने हेतु भूमि का आबंटन

[वाणिज्य एवं उद्योग]

22. (*क्र. 950) श्री रिकेश सेन : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) नगर पालिका निगम भिलाई के अंतर्गत 32 एकड़ हाऊसिंग बोर्ड योजना के पास आवासीय क्षेत्र में क्या कोई फैक्ट्री लगाने हेतु भूमि का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो कब ? (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार इस आवासीय क्षेत्र में यदि फैक्ट्री लगाने हेतु भूमि का आबंटन किया गया है तो आवासीय क्षेत्र में फैक्ट्री लगाना क्या नियमानुसार है? जानकारी दें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) जी हां, नगर पालिका निगम भिलाई के अंतर्गत 32 एकड़ हाऊसिंग बोर्ड के पास उद्योग विभाग के आधिपत्य की भूमि में 06 इकाईयों को भूमि का आबंटन किया गया है। आबंटन की दिनांक सहित विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है। (ख) उत्तरांश (क) में संलग्न प्रपत्र में वर्णित भूमि आबंटन उद्योग विभाग के आधिपत्य की भूमि पर किया गया है। आबंटन की गई भूमि का अभिन्यास वर्ष 1986 में अनुमोदित हुआ था। प्रश्नाधीन भूमि की निकटवर्ती एवं सीमा से लगी हुई (नगर पालिका निगम, भिलाई क्षेत्र के अंतर्गत) 32.45 एकड़ उद्योग विभाग की भूमि पत्र क्रमांक 66/औ.नी./4/89/171-72 भोपाल दिनांक 22.01.1996 को आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल को हस्तांतरण की गयी थी। आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल को हस्तांतरित भूमि के सभी राजस्व खसरो के बाद से उद्योग विभाग की भूमि प्रारंभ होती है। अतः उद्योग विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से स्वयं की भूमि आबंटित की गई है एवं इस पर उद्योग की स्थापना किया जाना नियमानुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर में स्थापित एथेना पावर प्लांट हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

[वाणिज्य एवं उद्योग]

23. (*क्र. 1444) श्री रामकुमार यादव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर में एथेना पावर प्लांट का निर्माण कब और कहां पर हुआ है ? स्थापित कंपनी का अधिग्रहित क्षेत्र कितना है और कौन-कौन से ग्रामों की जमीन को अधिग्रहित किया गया है ? विस्तृत विवरण दें? (ख) क्या अधिग्रहीत क्षेत्र के ग्रामीणों को उचित मुआवजा प्रदान किया गया है ? ग्रामीणों की जमीन का अधिग्रहण क्या शासन के नियमानुसार हुआ है ? जानकारी दें? (ग) क्या कंपनी वर्तमान में बंद पड़ी है ? यदि हां तो कब से और क्यों ? कंपनी के स्थायी बंद होने की स्थिति में क्या प्रभावित ग्रामीणों की जमीन को वापस किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण दें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर में एथेना पावर प्लांट का निर्माण वर्ष 2011 से 2016 तक जारी रहा, किंतु संयंत्र में उत्पादन आरंभ नहीं हुआ। स्थापित कंपनी का कुल क्षेत्र 312.965 हेक्टेयर है। इस संयंत्र की स्थापना हेतु ग्राम निमोही, ओडेकेरा, बेनीपाली, सिंघीतराई एवं कुलबा जिला जांजगीर-चांपा की निजी भूमि रकबा 312.965 हेक्टेयर अधिग्रहित किया गया है। ग्रामवार भूमि की विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र पर दर्शित है। (ख) जी हां। अधिग्रहित समस्त निजी भूमि रकबा 312.965 हेक्टेयर का अधिग्रहण शासन के नियमानुसार किया गया है। इस हेतु ग्रामीणों को भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मुआवजा एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की गई है। निजी भूमि के अर्जन हेतु तत्कालीन भू-अर्जन अधिकारी, डभरा एवं सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा कुल मुआवजा राशि रू. 84,01,35,636- भुगतान कर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। (ग) जी हां। वर्तमान में कंपनी का निर्माण

कार्य बंद है। कंपनी द्वारा वर्ष 2011 में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया किंतु वित्तीय संकट होने के कारण जून 2016 से निर्माण कार्य अग्रसर नहीं हो पाया। कंपनी के ऋणदाताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 एनसीएलटी कोर्ट हैदराबाद में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया गया है। न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुक्रम में विघटन प्रक्रिया के अंतर्गत विघटनकर्ता प्राधिकारी द्वारा एथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड को विक्रय का आदेश जारी किया गया है वर्तमान में हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है। अतः कंपनी के स्थायी रूप से बंद होने की स्थिति नहीं है। अतः भूमि वापस करने की स्थिति नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

प्रदेश में मनरेगा अंतर्गत संपादित कार्य एवं मजदूरों के लम्बित भुगतान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

24. (*क्र. 1417) श्रीमती भावना बोहरा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** पण्डरिया विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा अंतर्गत कितने कार्य, कितनी राशि के स्वीकृत एवं पूर्ण किए गए ? जानकारी दीजिये ? **(ख)** पण्डरिया विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 दिसंबर, 2023 तक कितने मजदूरों को काम दिया गया एवं कितने परिवारों ने जॉब कार्ड में अपना पंजीयन कराया है ? **(ग)** प्रश्नांक "क" के स्वीकृत कार्यों में मजदूरी एवं सामग्री का कितना-कितना प्रतिशत है? **(घ)** वित्तीय वर्ष 2022-23 में मजदूरों एवं सामग्री की कितनी-कितनी राशि का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** पण्डरिया विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत राशि रू. 8290.67 लाख के 2,014 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 1,181 कार्य पूर्ण, 417 कार्य अपूर्ण एवं 416 कार्य अप्रारंभ है। **(ख)** पण्डरिया विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 दिसंबर, 2023 तक 1,14,627 मजदूरों को रोजगार प्रदाय किया गया है एवं 84,898 परिवारों का जॉबकार्ड पंजीयन है। **(ग)** प्रश्नांक 'क' के स्वीकृत कार्यों में मजदूरी पर 69 प्रतिशत एवं सामग्री पर 31 प्रतिशत है। **(घ)** पण्डरिया विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मजदूरी भुगतान लंबित नहीं है तथा सामग्री में राशि रू. 2.88 लाख का भुगतान लंबित है।

रायगढ़ जिले में बनाए गए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

25. (*क्र. 1451) श्री उमेश पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायगढ़ जिलांतर्गत कितने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गये हैं और वहां क्या-क्या उत्पादन किया जा रहा है ? **(ख)** भविष्य में संचालन कैसा होगा ? क्या यह योजना बंद कर दी जाएगी ? यदि हां तो क्या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना बनायी जाएगी ? यदि नहीं तो इस योजना के लिए गार्डलार्इन कब तक जारी की जाएगी ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** रायगढ़ जिले अंतर्गत 18 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गये हैं शेष जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। **(ख)** इस संबंध में नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है, अतएव शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

भाग-2

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला मोहला- मानपुर-अं. चौकी में घटित नक्सली घटनाएं

[गृह]

1. (क्र. 159) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिला बनने के बाद कितनी नक्सली घटनाएं कितनी हुईं ? (ख) निर्दोष ग्रामीणों को नक्सली के नाम पर पुलिस विभाग द्वारा उठा लिये जाने के कितने प्रकरण दर्ज हैं ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में कुल 04 नक्सली घटनाएं घटित हुई हैं। (ख) प्रश्नांश "क" की अवधि में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।

मोहला-मानपुर वि.स.क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों हेतु उपलब्ध सुविधाएं

[श्रम]

2. (क्र. 166) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर में श्रम विभाग की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? इनमें कितने पंजीकृत श्रमिकों को जिला निर्माण के उपरांत क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं ? (ख) कंडिका "क" की योजनाओं से कितने लोग, कौन-कौन सी योजना से लाभान्वित हुये हैं ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर में श्रम विभाग के अधीन संचालित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल तथा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं की मंडलवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार है। जिला निर्माण उपरांत (दिनांक 02.09.2022 से दिनांक 30.01.2024 तक) मंडलवार, योजनावार देय लाभ, लाभान्वित श्रमिकों की जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]

आरंग वि.स. क्षेत्र में सी.एस.आर मद से आबंटित राशि

[वाणिज्य एवं उद्योग]

3. (क्र. 409) श्री गुरू खुशवंत साहेब : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सीएसआर मद में विधान सभा क्षेत्र आरंग में वर्ष मार्च, 2021 से दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक किन-किन ग्रामों में किस-किस कार्या हेतु आबंटन जारी किया गया है? क्या आबंटित राशि के विरुद्ध स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि की गई है तो अद्यतन दिनांक तक कितने कार्य पूर्ण एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं ? (ख) यदि कार्य अपूर्ण हैं तो कौन दोषी है ? क्या इनके विरुद्ध जांच कराई गई है ? यदि कराई गई है तो क्या निष्कर्ष निकला तथा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों, ग्राम पंचायतवार बताएं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) सीएसआर मद के द्वारा कार्यों हेतु कोई आबंटन/स्वीकृति जारी नहीं की जाती है, अपितु क्षेत्र में स्थापित एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 135 की परिधि में आने वाले उद्योगों द्वारा सीएसआर के अंतर्गत अपने लाभांश में से जनहित हेतु विभिन्न कार्यों में सहयोग किया जाता है। विधानसभा क्षेत्र आरंग में मार्च, 2021 से दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक विभिन्न ग्रामों में विभिन्न इकाईयों द्वारा सीएसआर अंतर्गत हुए कार्यों का विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र पर दर्शित

है। ग्रामों की विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र के कालम नं. 4, कार्यों की जानकारी कालम नं. 5 एवं किये गये व्यय की जानकारी कालम नं. 6 पर दर्शित है। (ख) इकाईयों द्वारा सीएसआर संबंधी समस्त कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]

जिला-जशपुर अंतर्गत बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं थानावार दर्ज प्रकरण

[गृह]

4. (क्र. 412) श्रीमती गोमती साय : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जशपुर में वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक थानावार कितने अपराध दर्ज हुए? बालिका तस्करी/गुमशुदा के अपराध किन-किन थानों में दर्ज हैं? (ख) बालिका तस्करी/गुमशुदा के कितने प्रकरणों में पुलिस की कार्यवाही से सफलता प्राप्त हुई? (ग) बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला जशपुर में भादवि के कुल 5780 अपराध दर्ज किये गये हैं। बालिका तस्करी/गुमशुदा के अपराध की थानावार जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) बालिका तस्करी/गुमशुदा के प्रकरणों में पुलिस द्वारा कुल 312 प्रकरणों में सफलता प्राप्त किया गया है। (ग) बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा सभी थाना/चौकी क्षेत्रों में लगातार सघन गश्त, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल/ कॉलेज एवं ऐसे स्थान जहाँ पर बालिकाओं एवं युवतियों की उपस्थिति प्रमुखता से होती है, उन जगहों पर जाकर उन्हें गुड टच, बैड टच, सायबर अपराध, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग, आत्मरक्षा कानूनी अधिकार, महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन आदि के बारे में विशेषज्ञ अथवा प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "]

प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति के निर्धारित मापदंड

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

5. (क्र. 480) श्री कवासी लखमा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दिसम्बर, 2023 से 15 जनवरी, 2024 तक कितने प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिलेवार जानकारी देवें? (ख) आवास स्वीकृति हेतु शासन द्वारा क्या मापदंड निर्धारित किये गये हैं?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नांकित अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत स्वीकृति नहीं दी गयी है। परन्तु पी.एम. जनमन के तहत 14,818 आवासों की स्वीकृति की गई है। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में आवास स्वीकृति हेतु निर्धारित मापदंड की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" में एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास स्वीकृति हेतु निर्धारित मापदंड की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

कांकेर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रतियोगी परीक्षा हेतु पुस्तक सप्लाई

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. (क्र. 595) श्री आशा राम नेताम : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- पंचायतों में डी.एम.एफ एवं 15 वें वित्त से प्रतियोगिता परीक्षा हेतु कहां-कहां कितनी राशि की पुस्तक सप्लाई की गई है ? सप्लाई हेतु किन-किन समितियों से अनुमोदन लिया गया है ? पुस्तक विक्रेता एजेंसियों एवं मूल्य(

एम आर पी) का निर्धारण किस आधार पर किया गया है? क्या पुस्तक विक्रेता एजेंसियों से भुगतान के समय जी.एस.टी काटा गया है? अगर नहीं तो क्यों ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र" अनुसार है।

शासकीय कार्यालय/स्कूल में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

7. (क्र. 651) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या विकसित भारत संकल्प यात्रा किसी शासकीय कार्यालय/स्कूल में आयोजन करने संबंधित शासन से आदेश जारी हुआ है ? (ख) यदि नहीं तो दिनांक 15-01-2024 को मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत "विकसित भारत संकल्प यात्रा" शासकीय कार्यालय स्कूल ग्राम ख्वासफड़की, विकास खण्ड मानपुर में जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मानपुर के निर्देश पर कैसे आयोजन किया गया है ? (ग) यदि शासन का आदेश नहीं होने पर शासकीय कार्यालय में "विकसित भारत संकल्प यात्रा" का आयोजन किया गया है, तो दोषियों के ऊपर कार्यवाही कब तक की जावेगी ? जानकारी दें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जी नहीं। (ख) दिनांक 15.01.2024 को मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत "विकसित भारत संकल्प यात्रा" शासकीय कार्यालय स्कूल ग्राम ख्वासफड़की, विकासखण्ड मानपुर में जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मानपुर के निर्देश पर नहीं किया गया है। विशेष ग्राम सभा बैठक दिनांक 03.01.2024 में अन्य विषय पर चर्चा के प्रस्ताव क्र. 03 में उपस्थित 99 सदस्यों के निर्णय के आधार पर शाला भवन प्रांगण, ख्वासफड़की में बिना किसी शालेय व्यवधान के "विकसित भारत संकल्प यात्रा" कार्यक्रम कराये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। (ग) विशेष ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव क्र. 03 के आधार पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम कराये जाने का प्रस्ताव पारित होने के कारण कार्यवाही नहीं की गई है।

छत्तीसगढ़ शासन में पंजीकृत स्टार्ट-अप

[वाणिज्य एवं उद्योग]

8. (क्र. 802) श्री अजय चंद्राकर : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) छत्तीसगढ़ सरकार की "स्टार्ट-अप" नीति क्या है? छत्तीसगढ़ शासन में कितने स्टार्ट अप पंजीकृत हैं? (ख) 1 दिसंबर, 2020 से 30 अक्टूबर, 2023 तक कितने स्टार्ट अप को कितनी राशि का वित्त पोषण किया गया है? नाम, पता और राशि तथा स्टार्ट अप के प्रकार/क्षेत्र को बताने का कष्ट करें? (ग) यदि किसी का वित्त पोषण नहीं किया गया है तो उसके कारण क्या है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) छत्तीसगढ़ में उद्योगो/उद्योगों को औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की नीति है। औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत स्टार्ट-अप इकाइयों हेतु पृथक से स्टार्ट-अप पैकेज का प्रावधान है, जो विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -"अ" में दर्शित है। भारत सरकार के निर्धारित परिभाषा अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल स्टार्ट अप इकाइयों की संख्या 1203 है। इनमें से 256 इकाइयों द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को आवेदन प्रस्तुत कर आर्थिकनिवेश प्रोत्साहन हेतु पंजीकृत स्टार्ट-अप की सूची विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"ब" पर दर्शित है। (ख) विभाग द्वारा स्टार्ट-अप इकाइयों को वित्त पोषण नहीं किया जाता है अपितु प्रचलित औद्योगिक नीति के अंतर्गत छूट/अनुदान/रियायतें प्रदान की जाती है। 01 दिसम्बर, 2020 से 30 अक्टूबर, 2023 तक 64 स्टार्ट-अप इकाइयों को प्रदाय छूट/अनुदान/रियायतों की जानकारी विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"स" पर दर्शित है। (ग) चूंकि विभाग द्वारा वित्त पोषण का कार्य नहीं किया जाता है। अतः प्रश्न 'ग' उपस्थित नहीं होता है।

छ. ग. शासन द्वारा किए गए एमओयू की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

[वाणिज्य एवं उद्योग]

9. (क्र. 803) श्री अजय चंद्राकर : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 (30 नवंबर, 2023 की स्थिति) में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किन-किन उद्योग कंपनियों के साथ, कितनी राशि का एम.ओ.यू. किया गया है? उसमें कितने राज्य/राष्ट्रीय/विदेश की कंपनियां हैं तथा कितने एमओयू, किन-किन कंपनियों के साथ, किन-किन कारणों से निरस्त कर दिये गये हैं? एवं इससे कितने रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है और कितने सृजित किए जा चुके हैं? वर्षवार बताएं ? (ख) 30 नवंबर, 2023 की स्थिति में उक्त कंपनियों को उद्योग लगाने हेतु कहां-कहां, किस जिले में कितनी शासकीय/निजी भूमि आबंटित की गई? कौन-कौन सी कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं और उत्पादन प्रारंभ कर दिया है तथा कितने स्थापित है, परंतु कार्य प्रारंभ नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं? इसके अंतर्गत कितने रोजगार के पद सृजित किया जाना था एवं कितने लोगों को रोजगार प्रदाय किया गयी है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 (30 नवंबर, 2023 की स्थिति) में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न 216 उद्योग कंपनियों के साथ राशि रूपये 1,27,329.93 करोड़ के लिए एमओयू किये गये है। एमओयू निष्पादित इकाइयों का नाम विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ पर दर्शित है। निष्पादित एमओयू में से 160 इकाइयां राज्य की, 54 इकाइयां राष्ट्रीय स्तर की तथा 2 इकाइयां विदेश की कंपनियां हैं। एमओयू निष्पादित इकाइयों में से निवेशकों के अनुरोध पर 9 एमओयू निरस्त किये गये हैं, जिसकी सूचीविस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब पर दर्शित है। निष्पादित 216 एमओयू में 1,38,199 रोजगार प्रस्तावित है, जिसके विरुद्ध प्रश्नांश अवधि तक निवेशकों से प्राप्त जानकारी अनुसार कुल 10,180 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। (ख) दिनांक 30 नवंबर, 2023 की स्थिति में एमओयू निष्पादित इकाइयों को आबंटित शासकीय/निजी भूमि की विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स पर दर्शित है। निवेशकों से प्राप्त जानकारी अनुसार 25 इकाइयों के द्वारा उद्योग स्थापित कर उत्पादन प्रारंभ किया गया है, जिसकी सूची विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द पर दर्शित है। उत्पादनरत इकाइयों में कुल रोजगार 10,665 प्रस्तावित था एवं 8,454 लोगों को रोजगार प्रदाय किया गया है। जिन उद्योगों के द्वारा उत्पादन प्रारंभ नहीं किया गया है, उनकी अद्यतन स्थितिविस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ के कालम नं.-8 पर दर्शित है।

जिला जेल महासमुंद की क्षमता

[जेल]

10. (क्र. 860) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला जेल महासमुंद में कितने बंदियों को रखने की क्षमता है ? क्षमता के विरुद्ध कितने बंदी वर्तमान में जेल में बंद हैं? (ख) क्या क्षमता से अधिक बंदी होने के कारण बंदियों के बीच वर्ष 2023 में मारपीट की घटना घटित हुई है? यदि हाँ तो कब-कब हुई है? क्या जिले में उप जेल खोलने का कोई प्रस्ताव लंबित है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जिला जेल महासमुंद में कुल 170 बंदी रखने की क्षमता है, दिनांक 31.01.2024 की स्थिति में क्षमता के विरुद्ध 459 बंदी विरुद्ध रहे है। (ख) जिला जेल महासमुंद में वर्ष 2023 में बंदियों के बीच मारपीट की कोई घटना घटित नहीं हुई है। वर्तमान में महासमुंद जिले में उप जेल खोलने का प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत सड़क

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

11. (क्र. 876) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2021 से दिसंबर, 2023 के मध्य मुख्यमंत्री ग्राम सड़क

योजना के तहत कितने स्थानों पर कितनी-कितनी राशि के सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गयी है ? (ख) स्वीकृत सड़कों में से कितने निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा कौन-कौन से निर्माण कार्य अपूर्ण हैं? (ग) अपूर्ण कार्यों में से कितने कार्यों की निविदा अवधि समाप्त हो चुकी है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2021 से दिसंबर, 2023 के मध्य मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य **निरंक** है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जगदलपुर सेंट्रल जेल की क्षमता

[जेल]

12. (क्र. 1047) श्री बालेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला-जगदलपुर सेंट्रल जेल में कितने कैदी रखने की क्षमता है, और वर्तमान में कितने कैदी रखे गए हैं ? (ख) उक्त जेल में कितने पद की स्वीकृति है कृपया स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी दें ? रिक्त होने की स्थिति में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जिला जगदलपुर सेंट्रल जेल में कैदी रखने की कुल क्षमता 1451 है। दिनांक 31.01.2024 की स्थिति में 1462 बंदी परिरूद्ध रहे हैं । (ख) उक्त जेल में 174 पद की स्वीकृति है। दिनांक 31.01.2024 की स्थिति में स्वीकृत पद-174, कार्यरत पद-120, रिक्त पद-54 है। रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला धमतरी को मनरेगा योजना के तहत आबंटित राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

13. (क्र. 1061) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत धमतरी जिले को वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कितनी राशि आबंटित की गई है ? (ख) क्या मनरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि भुगतान बाकी है तो कब तक कर दिया जाएगा ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत आबंटन जारी नहीं किया जाता है अपितु योजनान्तर्गत पंजीकृत परिवार द्वारा रोजगार की मांग किये जाने पर कार्य संपादित किया जाता है, तदनुसार भारत सरकार के पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से सीधे मजदूरों एवं सामग्री प्रदायकर्ता के खातों में राशि हस्तांतरित होती है। जिला धमतरी में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रू. 16286.90 लाख एवं 2022-23 में राशि रू. 13263.89 लाख का व्यय किया गया है। (ख) जी नहीं। तकनीकी समस्याओं का निराकरण कर एवं राशि की उपलब्धता के अनुसार शीघ्र भुगतान करने की कार्यवाही की जावेगी।

जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पीएमजीएसवाई/एमएमजीएसवाई योजना अंतर्गत स्वीकृत सड़कें

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

14. (क्र. 1090) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पीएमजीएसवाई/एमएमजीएसवाई योजना अंतर्गत विगत 03 वर्षों में कितनी सड़कें स्वीकृत की गईं एवं कितनी प्रस्तावित हैं? (ख) जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पीएमजीएसवाई/एमएमजीएसवाई योजना अंतर्गत कितने सड़क मार्ग हैं? उक्त मार्ग में कितने जर्जर अवस्था में हैं? विकासखण्डवार जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

अंतर्गत विगत 03 वर्षों में 01 सड़क की स्वीकृति दी गई हैं एवं प्रस्तावित सड़कें **निरंक** है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत स्वीकृति **निरंक** हैं एवं प्रस्तावित सड़कें 99 है। **(ख)** जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 178 सड़क मार्ग है। जिसमें से विकासखण्ड बिलाईगढ़ में 48, सारंगढ़ में 77 एवं विकासखण्ड बरमकेला 53 सड़क मार्ग है एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत विकासखण्ड बिलाईगढ़ में 16, सारंगढ़ में 13 एवं विकासखण्ड बरमकेला 22 सड़क मार्ग है। दोनो योजना के तहत जर्जर सड़कें **निरंक** है।

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा योजना के लंबित भुगतान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

15. (क्र. 1101) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मनरेगा योजना के अंतर्गत किन-किन प्रकार के निर्माण कार्य हेतु राशि स्वीकृत की जाती है ? कार्यों के नामवार बतावें ? क्या सी.सी. गली निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की जाती है ? यदि हां, तो वर्ष 2021-22 से दिसंबर, 2023 तक मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्रामों में स्वीकृति प्रदान की गई है ? **(ख)** मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से 2023- 24 में अक्टूबर, 2023 तक मनरेगा के अंतर्गत कितने कार्य स्वीकृत किये गए हैं ? व्यय की गई राशि की जानकारी दें ? क्या वर्तमान दिनांक तक मनरेगा में किये गये कार्यों का भुगतान शेष है ? यदि हां, तो कितनी राशि का ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत स्वीकृत किये जाने वाले निर्माण कार्यों की सूची **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है। जी हां, वर्ष 2021-22 से दिसम्बर, 2023 तक मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के 19 ग्रामों में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत अभिसरण के तहत सी.सी. गली निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। **(ख)** मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से 2023-24 में अक्टूबर, 2023 तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 3,870 कार्य स्वीकृत किये गये हैं तथा राशि रू. 5436.88 लाख व्यय किया गया है। जी हां, राशि रू. 352.50 लाख का भुगतान शेष है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निर्मित सड़कों के मरम्मत की अद्यतन स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

16. (क्र. 1126) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 20 जनवरी, 2024 की स्थिति में कितनी सड़कों में मरम्मत की आवश्यकता है ? उक्त मरम्मत के कार्य हेतु कितनी राशि का प्रस्ताव विभागीय अधिकारियों को भेजा गया है? **(ख)** कब तक राशि स्वीकृत की जाएगी ? कितनी प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क एवं विकास योजना की जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है। **(ख)** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क एवं विकास योजना की जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अठारह"]

जिला रायगढ़ अंतर्गत मनरेगा के तहत स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

17. (क्र. 1127) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष, 2022-23 एवं 2023-24 तक मनरेगा के तहत विकास कार्य हेतु कितने

आवेदन प्राप्त हुए ? इनमें से कितने कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? (ख) कितने आवेदन लंबित हैं? लंबित होने के क्या कारण हैं ? (ग) कब तक स्वीकृत किए जाएंगे?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जिला रायगढ़ में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 तक महात्मा गांधी नरेगा के तहत विकास कार्य हेतु 94 आवेदन प्राप्त हुए। उक्त आवेदनों में उल्लेखित कार्यों में से 66 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। (ख) महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधान/मापदण्ड के अनुरूप कार्यवाही पूर्ण नहीं होने के कारण 60 आवेदन लंबित है। (ग) महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधान/मापदण्ड के प्रक्रियाओं को पूर्ण होने पर नियमानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक

[श्रम]

18. (क्र. 1145) श्री रोहित साहू : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति में राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने श्रमिक पंजीकृत हैं? पंजीकृत श्रमिकों में कितने कुशल एवं कितने अकुशल श्रेणी के हैं? (ख) श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में श्रमिकों के कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? (ग) श्रमिकों के पंजीयन के लिए क्या-क्या अर्हता एवं शर्तें तय की गई है? राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन स्थानों पर श्रमिकों के पंजीयन की व्यवस्था है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति में श्रम विभाग के अधीन संचालित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में 35,488 निर्माण श्रमिक, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल में 31,943 असंगठित कर्मकार तथा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल में 233 संगठित श्रमिक पंजीकृत है। इस प्रकार मंडलों के अंतर्गत कुल 67,664 श्रमिक पंजीकृत है। मंडलों के अंतर्गत श्रमिकों का पंजीयन कुशल एवं अकुशल श्रमिक के रूप में किये जाने का प्रावधान नहीं है। (ख) श्रम विभाग के अधीन मंडलों के अंतर्गत संचालित योजनाओं की मंडलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-‘अ’** अनुसार है। (ग) श्रमिकों के पंजीयन हेतु अर्हता एवं शर्तें तथा राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन व्यवस्था की मंडलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-‘ब’** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस" \]](#)

मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराये जाने वाली योजना भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण

[श्रम]

19. (क्र. 1156) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विभाग द्वारा मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने की कौन-सी योजना कब से प्रारंभ की गई है? योजना क्या है? जनवरी, 2021 से नवम्बर, 2023 तक कुल कितने मजदूरों को, किस दर पर भोजन कराया गया है तथा इस पर कुल कितना भुगतान किसको किया गया है? योजना में प्रदाय किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता व मात्रा के परीक्षण हेतु कौन उत्तरदायी है तथा इनके द्वारा गुणवत्ता संबंधित क्या-क्या कमियां पाई गई? भोजन वितरण का कार्य किसे व किस आधार पर प्रदाय किया गया है? (ख) इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) श्रम विभाग के अधीन संचालित मंडलों अंतर्गत श्रमिकों को भोजन वितरण हेतु संचालित योजना का नाम, योजना प्रारंभ तिथि एवं योजना का विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। जनवरी, 2021 से 30 नवम्बर, 2023 तक योजनांतर्गत श्रमिकों को प्रदान भोजन यूनिट (मील), दर, योजनांतर्गत भोजन प्रदाता संस्थान का नाम एवं भोजन हेतु भुगतान संबंधी मंडलवार

जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। योजनांतर्गत प्रदाय किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता व मात्रा के परीक्षण हेतु जिला श्रम अधिकारी उत्तरदायी है। जिला श्रम अधिकारी द्वारा अधिकृत निरीक्षक/ कर्मचारी द्वारा भोजन केन्द्र की जांच के दौरान पायी गयी कमियों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है। भोजन वितरण का कार्य मेसर्स टच स्टोन फाउण्डेशन संस्थान, दुर्ग (छ0ग0) को मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आधार पर राज्य शासन के अनुमोदन से प्रदाय किया गया। मेसर्स आर. के. एसोसियेट दुर्ग का चयन भण्डार क्रय नियम 2002 का पालन करते हुए खुली निविदा आमंत्रित कर सफल निविदाकार एल-1 होने के कारण छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के अनुमोदन उपरांत किया गया है। **(ख)** योजनांतर्गत प्राप्त शिकायतों व उन पर की गयी कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-द** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बीस" \]](#)

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवम ग्रामीण के तय मापदंड

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

20. (क्र. 1168) श्री ओंकार साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी/ग्रामीण के आवास के लिए क्या मापदंड तय किये गये हैं एवं किस सर्वे के आधार पर हितग्राही चयन किया गया है ? कृपया स्पष्ट करें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' में पात्र हितग्राहियों की जिलेवार जानकारी प्रदाय करें एवं हितग्राहियों की अपात्रता के कारण बताएं?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ" में एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब" अनुसार है। **(ख)** प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की पात्र हितग्राहियों की जिलेवार जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स" में एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्र हितग्राहियों की जिलेवार जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द" अनुसार है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी से अपात्रता के संबंध में जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ" में तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से अपात्रता के संबंध में जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ई" अनुसार है।

पुलिस परिवारों हेतु की गई घोषणाओं पर कार्यवाही

[गृह]

21. (क्र. 1213) श्री गुरू खुशवंत साहेब : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पुलिस तथा पुलिस परिवारों हेतु आत्मसात किये गए घोषणा पत्र में क्या क्या घोषणा की गयी थी? कौन-कौन सी घोषणाएं पूर्ण की गयी? कौन-कौन सी घोषणाएं अधूरी हैं? उक्त घोषणाओं पर शासन द्वारा किये गये कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रदान करें? **(ख)** वर्तमान सरकार द्वारा पुलिस तथा पुलिस परिवारों हेतु की गई घोषणाओं के अनुसरण में दिनांक 10 जनवरी, 2024 तक क्या कार्यवाही की गयी है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"अ"** अनुसार हैं। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"ब"** अनुसार हैं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस" \]](#)

प्रदेश में एथेनॉल प्लांट की स्थापना

[वाणिज्य एवं उद्योग]

22. (क्र. 1214) श्री गुरू खुशवंत साहेब (श्री किरण देव) : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में वर्ष 2019 से 2023 तक कुल कितने एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की योजना थी ? दिनांक 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति में प्लांट स्थापित हो गये हैं, कितने स्थापित होना शेष

हैं? उक्त एथेनॉल प्लांट हेतु किन-किन संस्थाओं के साथ, किन-किन नियम/शर्तों के आधार पर एमओयू किया गया है? (ख) उक्त प्लांटों की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण या खरीदी या भुगतान संबंधित कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई है तथा विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है? (ग) कितने ऐसे स्थान हैं, जहां स्थल चयन की प्रक्रिया चल रही है ? एथेनॉल या उससे उत्पादित सामग्रियों की बिक्री, निर्माण आदि हेतु शासन द्वारा क्या नियम/प्रावधान किया गया है, इससे शासन को अनुमानित प्रतिवर्ष कितना लाभ होगा?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) प्रदेश में वर्ष 2019 से 2023 तक कुल 34 इकाइयों के द्वारा एथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु शासन के साथ एमओयू का निष्पादन किया गया है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में 01 प्लांट स्थापित होकर उत्पादन प्रारंभ हो गया है तथा 33 प्लांट स्थापित होना शेष है। उक्त एथेनॉल प्लांट हेतु किन-किन संस्थाओं के साथ एम.ओ.यू. किया गया है विस्तृत विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** के कालम-2 तथा किन-किन नियम/शर्तों के आधार पर एमओयू किया गया है के संबंध में एमओयू का आदर्श प्रारूप विस्तृत विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** पर दर्शित है। (ख) उत्तरांश 'क' में उल्लेखित इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण या खरीदी या भुगतान के संबंध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) एथेनाल प्लांट हेतु निष्पादित इकाइयों में से 11 इकाइयों के द्वारा उद्योग स्थापना हेतु स्थल चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विस्तृत विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** के कालम-8 पर दर्शित है। प्रश्नांश की शेष जानकारी विभाग से संबंधित नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]

जशपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित पुलिस थाना/पुलिस चौकी में स्वीकृत एवं रिक्त पद

[गृह]

23. (क्र. 1232) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जशपुर विधानसभा क्षेत्र में कहां-कहां पुलिस चौकी स्थापित है एवं इनमें सेटअप के अनुसार किस-किस पद के कितने पद स्वीकृत हैं? (ख) क्या स्वीकृत पद के विरुद्ध पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब तक भरे जायेंगे?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जशपुर विधानसभा क्षेत्र में आरा, मनोरा, सोनक्यारी एवं पाण्डुपाठ में पुलिस चौकी स्थापित है । सेटअप की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है । (ख) जी हां, रिक्त पदों को शीघ्र उपलब्धता के आधार पर भरे जायेंगे, समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"]

नगरनार स्टील प्लांट के अपशिष्ट के डिस्पोजल के प्रावधान

[वाणिज्य एवं उद्योग]

24. (क्र. 1258) श्री किरण देव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बस्तर के नगरनार में एनएमडीसी स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई तथा निर्माण/उत्पादन कब प्रारंभ हुआ ? शासन के प्रावधान अनुसार स्टील प्लांट को अपने अपशिष्ट आयरन ओर युक्त पानी (दूषित काला पानी) तथा अन्य केमिकल युक्त अयोग्य अपशिष्टों को डिस्पोजल करने के क्या प्रावधान हैं ? (ख) नगरनार स्थित स्टील प्लांट द्वारा आयरन ओर युक्त दूषित जल की निकासी हेतु क्या व्यवस्था की गई है ? दूषित जल निकासी की जांच, उद्योग विभाग द्वारा किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गई है ? जांच में क्या पाया गया ? यदि जांच नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ? (ग) क्या आयरन ओर युक्त दूषित जल को कृषि भूमि में छोड़ने की शिकायतें, प्राप्त हुई या विभाग के संज्ञान में आया ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो क्यों ? (घ) प्रश्नांश 'ग' अनुसार किसानों को मुआवजा/क्षतिपूर्ति देने के क्या प्रावधान हैं ? जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2023 की स्थिति में कितने किसानों को मुआवजा/क्षतिपूर्ति कितनी राशि का दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) मेसर्स एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, इंटीग्रेटेड आयरन एण्ड स्टील प्लांट, ग्राम - नगरनार, जिला- बस्तर (छ.ग.) की स्थापना हेतु निर्माण कार्य दिनांक 03.03.2011 को प्रारंभ हुआ तथा दिनांक 31.08.2023 को व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ हुआ। उद्योग को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के अनुसार उद्योग को स्थापित किए जाने से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 15.09.2009 एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी स्थापना सम्मति प्राप्त किया जाना है, जो कि दिनांक 28.08.2010 को उद्योग द्वारा प्राप्त की गयी है। इसकी निहित शर्तों के अनुसार समस्त औद्योगिक प्रक्रियाओं से जनित होने वाले दूषित जल के उपचार हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित किया जाकर उपचारित जल का स्लैग ग्रैन्यूलेशन एवं अन्य प्रक्रिया, एश हैंडलिंग, डस्ट सप्रेसन, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट आदि में पुनः उपयोग किया जाना है। उद्योग परिसर में सदैव शून्य निस्सारण की स्थिति सुनिश्चित की जानी है। कोक ओवन एवं बाय प्रोडक्ट रिकवरी प्लांट से जनित होने वाले दूषित जल के उपचार हेतु बी.ओ.डी. प्लांट स्थापित किया जाना एवं उपचारित जल का कोक केनचिंग में पुनः उपयोग किया जाना है। उद्योग से जनित होने वाले परिसंकटमय अपशिष्टों को परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत अपवहन किया जाना है। (ख) उद्योग द्वारा संयंत्रों से जनित होने वाले दूषित जल के उपचार एवं शून्य निस्सारण की स्थिति रखे जाने हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.), कोक ओवन एवं बाय प्रोडक्ट रिकवरी प्लांट से जनित होने वाले दूषित जल के उपचार हेतु बी.ओ.डी. प्लांट तथा शेष निस्साव के उपचार हेतु सेंट्रल जेड.एल.डी. (सेंट्रल मॉनिटरिंग बेसिन) स्थापित किये गये हैं। दूषित जल को उपचारित किया जाकर जल का पुनः उपयोग स्लैग ग्रैन्यूलेशन, पिग कास्टिंग मशीन, डस्ट सप्रेसन, एवं ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट आदि में किया जाता है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग में व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरांत, दिनांक 31.08.2023 को किये गये निरीक्षणों की जानकारी विस्तृत विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** में दर्शित है। (ग) जी हाँ, दिनांक 27.11.2023 को समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के माध्यम से उद्योग द्वारा दूषित जल परिसर के बाहर निस्सारित किए जाने संबंधी सूचना छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के संज्ञान में आयी थी, तत्परिप्रेक्ष्य में दिनांक 28.11.2023 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग के गेट नं. 3 के पास स्टॉर्म वाटर आउटलेट से औद्योगिक दूषित जल का निस्सारण परिसर के बाहर किया जाना पाया गया। तदानुक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रं. 1366 दिनांक 29.11.2023 के माध्यम से उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'क' के तहत नोटिस जारी किया जाकर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने तक रुपये 30,000/-प्रतिदिन की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी। जिसके परिपालन में उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 12.12.2023 के माध्यम से परिसर के बाहर दूषित जल के निस्सारण को रोकने हेतु समाधानकारक कार्यवाही किये जाने की जानकारी दी गई। दिनांक 13.12.2023 को उद्योग का पुनः निरीक्षण किये जाने पर परिसर के बाहर दूषित जल का निस्सारण नहीं किया जाना पाया गया एवं आस पास जमे काला गाद को हटा लिया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा दिनांक 26.12.2023 को रुपये 4,50,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है। (घ) न्यायालय तहसीलदार जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) का पत्र दिनांक 05.02.2024 से प्राप्त जानकारी अनुसार किसानों से शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व विभाग, कृषि विभाग एवं स्टील प्लांट के कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त दल गठित कर फसल क्षति होने का गणना पत्रक तैयार किया गया। तदानुसार कुल 88 किसानों का 33.44 हेक्टेयर रकबा का मुआवजा राशि रुपये 16,78,937/- का गणना पत्रक तैयार कर मेसर्स एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, को प्रेषित किया गया है, पत्र की प्रति विस्तृत विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र- ब** में दर्शित है। उद्योग प्रबंधन द्वारा मुआवजा वितरण हेतु प्रस्ताव अनुमोदन बाबत एनएमडीसी मुख्यालय हैदराबाद को प्रेषित किए जाने की जानकारी दी गई है, पत्र की प्रति विस्तृत विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** में दर्शित है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस" \]](#)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की गई खरीदी एवं निर्माण कार्यों की ऑडिट आपत्तियां

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

25. (क्र. 1259) श्री किरण देव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा की गई खरीदी एवं निर्माण कार्यों में कर अपवंचन (जीएसटी बिना

देयक) के विषय में राज्य संपरीक्षा (स्टेट ऑडिट) द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 में की गई ऑडिट में किस प्रकार की आपत्तियां ली गई हैं? ख) प्रश्नांश 'क' की आपत्तियों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 में की गई ऑडिट में निम्नानुसार आपत्ति की गई है:- 1. बिना जी.एस.टी. नं. के बिलों का भुगतान करने से अपवंचन संभावित। 2. टीडीएस कटौतीकर्ता (पंचायत) के रजिस्ट्रेशन का अभाव। 3. पंचायत द्वारा जीएसटी कटौती कर शासकीय कोष में जमा का अभाव। 4. पंचायतों का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, परंतु जीएसटी कटौती का अभाव। (ख) छत्तीसगढ़ पंचायत संपरीक्षा नियम 1997 के नियम-13 के प्रावधानुसार ऑडिट आपत्तियों के पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु संबंधित निकायों को लेख किया जा रहा है।

खैरागढ़ व राजनांदगांव जिलान्तर्गत प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की अद्यतन स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

26. (क्र. 1272) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- खैरागढ़ व राजनांदगांव जिले में वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कितने सड़कों की स्वीकृति प्रदान गई है? सड़कों का नाम, लंबाई, स्वीकृत राशि, निर्माणाधीन फर्म/एजेंसी का नाम, कार्य प्रारंभ एवं पूर्णता दिनांक, विकासखंडवार देवें। निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता, पर्यवेक्षण, निरीक्षण की जिम्मेदारी किसको दी गई एवं उनके द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण विकासखंडवार, देवें।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : खैरागढ़ एवं राजनांदगांव जिले में वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 13 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है। सड़कों का नाम, लंबाई, स्वीकृत राशि की विकासखण्डवार जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। उक्त सड़कों की निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण शेषांश की जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना की जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]

खैरागढ़ व राजनांदगांव जिलान्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

27. (क्र. 1276) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खैरागढ़ व राजनांदगांव जिले में दिवंगत शिक्षक(पं.) संवर्ग या शिक्षकर्म (वर्ग 01, 02, 03) के अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित हैं, जिनको इस कारण से अनुकंपा नहीं दी गई कि कार्यरत शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाता है? ऐसे सभी प्रकरणों में आवेदक का नाम , आवेदन की तिथि, अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने का कारण एवं निरस्त करने की तिथि आदि का पूर्ण विवरण देवे। (ख) क्या ऐसे सभी प्रकरणों में दिवंगत परिवार के प्रति सहानुभूति रखते हुये सभी नियमों को शिथिल करते हुये अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा सकती है? यदि हां तो, कब तक निराकरण कर लिया जायेगा? अवगत करायें।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) कार्यरत शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है इस कारण से खैरागढ़ व राजनांदगांव जिले में दिवंगत शिक्षक (पं.) संवर्ग या शिक्षाकर्म (वर्ग 01, 02, 03) के अनुकंपा नियुक्ति के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। प्रश्नांश के शेष भाग हेतु प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। (ख) दिवंगत परिवार के प्रति सहानुभूति रखते हुये सभी नियमों को शिथिल करते हुये अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। अतः प्रश्नांश के शेष भाग हेतु प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

बस्तर संभाग में साइबर फ्रॉड के द्वारा ठगी के पंजीकृत प्रकरण

[गृह]

28. (क्र. 1355) श्री बघेल लखेश्वर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बस्तर संभाग के जिलों में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में साइबर फ्रॉड/साइबर ठगी/ऑनलाईन ठगी के कितने प्रकरण पंजीकृत किये गये ? (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में पंजीकृत प्रकरणों में से कितने प्रकरण की जांच पूरी होने पर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? (ग) साइबर क्राइम को रोकने गृह विभाग के स्तर से क्या-क्या योजनायें अथवा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं तथा भविष्य के लिए क्या कोई विशेष कार्ययोजना बना रही है अथवा प्रस्तावित है? कृपया बतावें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में बस्तर संभाग के जिलों में साइबर फ्रॉड के 43 एवं साइबर ठगी के 25 कुल-68 प्रकरण पंजीकृत किये गये हैं।(ख) 24 प्रकरणों में विवेचना उपरान्त न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर 31 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।(ग) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"\]](#)

आई.टी.आई. प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती

[तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

29. (क्र. 1360) श्री रिकेश सेन : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या आई. टी.आई. प्रशिक्षणअधिकारी भर्ती, 2023 में कुल 920 पद पर विज्ञापन जारी किया गया था? विज्ञापन पश्चात् क्या संचालक तकनीकी शिक्षा व रोजगार को विज्ञापन की शर्तों के विपरीत संशोधन का अधिकार है ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार आई.टी.आई. प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर कितने लोगों की भर्ती की गई है ? (ग) प्रश्नांश "ख" अनुसार क्या यह भर्ती परीक्षा परिणाम के पश्चात् वरिष्ठता क्रम के हिसाब से की गई है ? (घ) प्रश्नांश "ग" अनुसार यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है? अवगत करावें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जी हां। जी नहीं। (ख) दिनांक 31.01.2024 तक कुल 248 प्रशिक्षण अधिकारियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं। (ग) जी हां।(घ) प्रश्नांश "ग" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

[गृह]

30. (क्र. 1372) डॉ. चरण दास महंत : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जनवरी, 2021 से दिनांक 20 जनवरी, 2024 की स्थिति में कितनी चिटफंड कंपनियों (अनियमित वित्तीय कंपनियों) के द्वारा, कितने निवेशकों की कितनी राशि आपराधिक कृत्यों द्वारा हड़पने के कितने प्रकरण प्रकाश में आए हैं? इनमें से एफ.आई.आर., गिरफ्तारियों, न्यायालय चालान, दोष सिद्ध एवं सजा, संदेह का लाभ देकर बरी करने, बाईज्जत बरी करने एवं अपील प्रकरणों की संख्या कितनी-कितनी है ? (ख) कितने प्रकरणों में, कितनी कंपनियों के, कितने मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए चिन्हित किया जाकर, कितने में अंतिम कुर्की तथा कितने में अंतरिम कुर्की की कार्यवाही की गई है ? जिन प्रकरणों में कुर्की की कार्यवाही नहीं की गई है, उनकी संख्या कितनी है तथा कारण क्या है ? (ग) कितने प्रकरणों में संपत्तियों की नीलामी/वसूली/राजीनामा करके कितनी राशि प्राप्त की गई है तथा कितनी राशि कितने निवेशकों को वापस की गई है? शेष राशि कब तक लौटा दी जाएगी?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नांश अवधि में चिटफंड कंपनियों(अनियमित वित्तीय

कंपनियों) के विरुद्ध दर्ज प्रकरण, निवेशको की संख्या, निवेशित राशि, दर्ज प्रकरणों में गिरफ्तारी, अभियोग पत्र, दोष सिद्धि, दोष मुक्ति तथा न्यायालयीन अपील प्रकरणों की जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है। **(ख)** अब तक कुल 286 प्रकरणों में 96 अनियमित वित्तीय कंपनियों की 677 करोड़, 05 लाख, 95 हजार, 766 रू० की संपत्ति कुर्की हेतु चिन्हित की गई है, जिसमें से 101 प्रकरणों में कुर्की हेतु अंतिम आदेश की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। 53 प्रकरणों में कुर्की का अंतरिम आदेश की कार्यवाही पूर्ण किया जाकर, अंतिम आदेश हेतु लंबित है। 132 प्रकरणों में अंतरिम कुर्की की कार्यवाही लंबित है। संपत्ति कुर्की की कार्यवाही न्यायालयीन प्रक्रिया होने से कारण बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** अब तक कुल 68 प्रकरणों में अनियमित वित्तीय कंपनियों की संपत्ति की नीलामी/वसूली/ राजीनामा से 98 करोड़ 01 लाख 05 हजार 391 रू० प्राप्त किया जा चुका है। प्राप्त राशि में से 73 हजार 608 निवेशकों को 44 करोड़ 76 लाख 66 हजार रू० लौटाये गये हैं। धन वापसी की कार्यवाही न्यायालयीन प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

प्रदेश में पंचायत सचिवों का नियमितीकरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

31. (क्र. 1374) डॉ. चरण दास महंत : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में नियमित एवं अनियमित पंचायत सचिवों की संख्या, कितनी-कितनी है ? **(ख)** क्या पंचायत सचिवों का नियमितीकरण विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक नियमितीकरण कर दिया जाएगा?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** प्रदेश में नियमित पंचायत सचिवों की संख्या 10,462 है एवं अनियमित पंचायत सचिवों की संख्या **निरंक** है। **(ख)** पंचायत सचिव, विभाग में पंचायत सेवा के नियमित कर्मचारी होने के कारण शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में हुई गौ मृत्यु

[गृह]

32. (क्र. 1381) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत छः महीने में कितने गौ मृत्यु/हत्या के मामले पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आए? **(ख)** मृत्यु का कारण क्या था? क्या इन मामलों पर अपराध (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई एवं दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में अकलतरा विधान सभा क्षेत्र ग्राम चंगोरी के गौठान में दिनांक 10.12.2023 को 37 पशुओं की मौत होने की सूचना पर थाना-अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आया। **(ख)** अकलतरा पशु चिकित्सालय में मृत पशुओं का पोस्ट मार्टम कराया गया, जिसमें पशुओं की मृत्यु संभावित जहर देने एवं धारदार हथियार से चोट के कारण, अत्यधिक रक्त स्त्राव से होना पाया गया। घटना के संबंध में थाना-अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा में अपराध क्रमांक 624/2023 धारा 429, 4, 10, छ०ग० पशुपालन संरक्षण अधिनियम 2004 धारा 11(पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960) में अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की पता तलाश किया जा रहा है।

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा एवं समग्र विकास योजना के लंबित भुगतान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

33. (क्र. 1395) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 20 जनवरी, 2024 तक मनरेगा एवं समग्र विकास योजना के तहत कितनी राशि के, कितने कार्य, स्वीकृत किये गये ? स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य

पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं ? विकासखंडवार वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश 'क' के कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि का मजदूरी भुगतान एवं सामग्री क्रय का भुगतान किया गया ? कितने का भुगतान किन कारणों से लंबित है तथा लंबित भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ? विकासखंडवार जानकारी देवें? (ग) क्या प्रश्नांश 'क' के कार्यों में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा): (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-स" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टाईस"\]](#)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पामगढ़ में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पद तथा पाठ्यक्रम

[तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

34. (क्र. 1396) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पामगढ़ में पाठ्यक्रमवार स्वीकृत सीट की संख्या कितनी है तथा क्या-क्या पाठ्यक्रम संचालित हैं ? (ख) उपरोक्त संस्था में वर्तमान में अमले की स्थिति (स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पद) क्या-क्या हैं ? रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा तथा मेहमान प्रवक्ता कितने-कितने पदस्थ हैं ? (क) क्या रिक्त पदों को भरे जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो कब तक भरे जायेंगे? यदि नहीं तो क्यों ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पामगढ़ में पाठ्यक्रमवार, स्वीकृत सीट की संख्या तथा संचालित ट्रेड (व्यवसाय) की जानकारी निम्नानुसार है:- 1. इलेक्ट्रिशियन 40, 2. फिटर 40, 3. स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी) 48, 4. कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 48। (ख) उपरोक्त संस्था में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद तथा रिक्त पद के विरूद्ध संविदा तथा आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (क) जी हां। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"\]](#)

सी.एम.जी.एस.वाय. सड़कों की गुणवत्ता का निरीक्षण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

35. (क्र. 1406) श्री इंद्र साव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर, 2023 की अवधि में जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में सी.एम.जी.एस.वाय. योजनांतर्गत कितने सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई ? स्वीकृत सड़कों का निर्माण किन-किन फर्मों/एजेंसियों के माध्यम से कराया गया ? निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार किए गए निरीक्षण की जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर, 2023 की अवधि में जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत सड़कें निरंक है। स्वीकृत सड़कों का निर्माण किन-किन फर्मों/एजेंसियों के माध्यम से कराया गया, निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया, का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कबीरधाम जिले में उद्योगों को दिए जाने वाले अनुदान

[वाणिज्य एवं उद्योग]

36. (क्र. 1418) श्रीमती भावना बोहरा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कबीरधाम जिले में कुल कितने वृहद, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग संचालित हैं? संचालित उद्योगों में से

कितने उद्योगों को वर्ष 2021 से दिसंबर, 2023 तक कितना-कितना अनुदान किस-किस योजना के अंतर्गत दिया गया एवं किन-किन का अनुदान प्रकरण लम्बित है? विकासखण्डवार, उद्योगवार जानकारी दीजिये? (ख) प्रश्नांश "क" अवधि में जिला कबीरधाम अंतर्गत उद्योग स्थापना हेतु कहाँ-कहाँ पर, कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है एवं कितने नवीन उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है? प्राप्त प्रस्तावों में से कितने स्वीकृत हुए एवं कितने लम्बित हैं? विकासखण्डवार, जानकारी दीजिये।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) कबीरधाम जिले में कुल 136 लघु एवं सूक्ष्म उद्योग संचालित है जिन्हें वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जिले में संचालित सूक्ष्म उद्योगों की संख्या 67 तथा लघु उद्योगों की संख्या 69 है। जिले में कोई भी वृहद उद्योग पंजीकृत नहीं है। उक्त उद्योगों को जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2023 तक प्रदत्त अनुदान का विस्तृत विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** में तथा लंबित अनुदान का विस्तृत विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** पर विकासखण्डवार दर्शित है। (ख) प्रश्नांश "क" अवधि में जिला कबीरधाम अंतर्गत उद्योग स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है एवं नवीन उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव शासन को प्रेषित नहीं किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीस" \]](#)

डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क योजना की निर्माणाधीन सड़कें

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

37. (क्र. 1424) श्री दलेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में समूह क्रमांक MMGSY-RJN-M-06 अनुबंध क्रमांक 04/MMGSY/RW/2023 निर्माण प्रक्रियाधीन है? यदि हां, तो ग्राम खुबाटोला से पनियाजोब सड़क निर्माण कार्य में डब्ल्यू.बी.एम/बी.एम. (बेस कोड)/पी.एम.सी.(प्राईम कोड),एम.एस.एस. पुलिया रिपेयरिंग, पटरी की घन एवं स्वायर मीटर, कार्यवार व्यय तथा अनुबंध की कंडिका 53 एवं 53 (ए) के तहत ठेकेदार से किये गये पत्राचार या कृत कार्यवाही एवं अंतिम मूल्यांकन सत्यापन की जानकारी कार्यवार, देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जी हां। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में समूह क्रमांकMMGSY-RJN-M-06अनुबंध क्रमांक04/MMGSY/RW/2023निर्माण प्रक्रियाधीन है। ग्राम खुबाटोला से पनियाजोब में सड़क नवीनीकरण के तहत निर्माण कार्य में डब्ल्यू.बी.एम., बी.एम, बेस कोर्स, पी.एम.सी, प्राईम कोट, एम.एस.एस., पुलिया रिपेयरिंग, पटरी की घन एवं स्केयर मीटर में जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-अ"** अनुसार है। उक्त कार्यों में व्यय नहीं किया गया है, सड़क के अन्य कार्यों में रू. 4.05 लाख व्यय किया गया है, कार्यवार जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-ब"** अनुसार है। उक्त समूह के लिये किये गये अनुबंध में कंडिका 53 एवं 53 (ए) नहीं है। अतः ठेकेदार से तत्संबंध में किये गये पत्राचार या कृत कार्यवाही एवं कार्य प्रगतिरत होने के कारण अंतिम मूल्यांकन सत्यापन की कार्यवार जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस" \]](#)

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के उद्योगों में दुर्घटना से मृत एवं घायल श्रमिकों के परिजनों को मुआवजा

[श्रम]

38. (क्र. 1445) श्री रामकुमार यादव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से प्रश्नावधि तक उद्योगों में कितने श्रमिकों की मृत्यु एवं कितने घायल हुए हैं? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार कितने मामलों में मृत व घायल श्रमिकों या श्रमिकों के परिजनों को उचित मुआवजा, आर्थिक सहायता, पेंशन व अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है? तथा कितने प्रकरण लंबित है? (ग) उद्योगों में श्रमिकों की मृत्यु होने या घायल होने का कारण एवं सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर क्या कार्यवाही की गई है? बतावें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से प्रश्नावधि दिनांक 30.01.2024 तक कारखानों में किसी भी श्रमिक की मृत्यु नहीं हुई है एवं 02 कारखानों में घटित दुर्घटना में 04 श्रमिक घायल हुए हैं। (ख) प्रश्नांक 'क' के अनुसार कारखानों में घटित 02 दुर्घटनाओं में घायल हुए 04 श्रमिकों में से किसी भी श्रमिक को स्थायी अपंगता नहीं हुई है, जिसके कारण कोई भी मुआवजा देय नहीं है, किन्तु 01 घायल श्रमिक को कारखाना प्रबंधन द्वारा 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। मुआवजा हेतु कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। (ग) वर्ष 2021-22 से प्रश्नावधि तक कारखानों में किसी भी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई है। उक्त अवधि में कारखानों में घटित 02 दुर्घटनाओं में 01 श्रमिक की दुर्घटना ऊँचाई से गिरने के कारण एवं 03 श्रमिकों की दुर्घटना इलेक्ट्रीकल पैनल में कार्य करने के दौरान उत्पन्न भारी चिंगारी के संपर्क में आने से हुई। उक्त दोनों दुर्घटनाओं में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर दोनो कारखानों के अधिभोगी एवं प्रबंधक के विरुद्ध कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु माननीय श्रम न्यायालय जांजगीर में अभियोजन दायर किया गया है।

विधानसभा क्षेत्र अम्बिकापुर में खदान एवं तालाबों का गहरीकरण/सौन्दर्यीकरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

39. (क्र. 1464) श्री राजेश अग्रवाल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वि.स. क्षेत्र अम्बिकापुर में प्रधान मंत्री आवास एवं गृह निर्माण हेतु बालू/रेत लाने के लिए राज्य शासन द्वारा किन-किन खदानों की अनुमति प्रदान की गयी है ? (ख) प्रश्नांक 'क' क्षेत्रान्तर्गत तालाबों के गहरीकरण, विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य की वर्ष 2022-23 एवं 2023-2024 में दिनांक 31.12.2023 तक कहाँ-कहाँ स्वीकृति प्रदान की गयी है ? इनमें से कौन-कौन से कार्य पूर्ण,अपूर्ण हैं, जानकारी दें।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी निरंक है। (ख) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"]

प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में किये गए आंदोलन में पुलिस के द्वारा की गयी कार्यवाही

[गृह]

40. (क्र. 1477) श्री राजेश मूणत : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या यह सही है कि 15 मार्च, 2023 को प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में रायपुर छत्तीसगढ़ में किये गए आंदोलन में पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज व अश्रु गैस के गोले दागे गए थे? यदि हां, तो किस सक्षम अधिकारी के द्वारा इस हेतु निर्देश दिये गए थे? अधिकारी का पदनाम बतावें? (ख) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा अश्रु गैस के गोले जनता के बीच इस प्रकार फेंका गया था कि जिससे काफी लोग घायल हुए थे ? यदि हां, तो आदेश देने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम बतावें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) दिनांक 15 मार्च, 2023 को प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में रायपुर, छत्तीसगढ़ में किये गये आंदोलन में पुलिस अधिकारियों एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की उपस्थिति में अश्रु गैस एवं वार्निंग के रूप में वाटर केनन का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज नहीं किया गया था। अधिकारियों का ड्यूटी आदेश पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) पुलिस द्वारा उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में अश्रु गैस छोड़ा गया था, जिसमें किसी के घायल होने की कोई सूचना पुलिस थाना में दर्ज नहीं है। किसी भी प्रदर्शनकारी द्वारा पुलिस के समक्ष चोट आने की शिकायत नहीं की गई थी।

श्रम विभाग में प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु प्रदत्त लायसेंस

[श्रम]

41. (क्र. 1478) श्री राजेश मूणत : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) श्रम विभाग के अन्तर्गत जनवरी, 2021 से नवम्बर, 2023 तक कौन-कौन सी फर्म/ संस्थाओं को प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु लायसेंस कब, किसके द्वारा, कब तक का, कितने कर्मचारी हेतु दिया गया है? वर्षवार, फर्मवार, अवधिवार, संख्यावार जानकारी दें? (ख) उपरोक्त अनुसार फर्मों के संबंध में कब, किसको, क्या व किसने शिकायत की और उस पर क्या कार्यवाही की गई है? शिकायतवार जानकारी दें? (ग) मदिरा कार्य हेतु कंडिका 'क' अवधि में किन-किन फर्मों को प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु लायसेंस कब, किसके द्वारा, कब तक का, कितने कर्मचारी हेतु दिया गया है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) श्रम विभाग द्वारा प्रवर्तित श्रम कानूनों के अंतर्गत प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु लाईसेंस जारी नहीं किया जाता है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) श्रम विभाग द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु लायसेंस जारी नहीं किया जाता है, अपितु संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक द्वारा अनुबंधित संस्थान को संविदा श्रमिक नियोजन हेतु ठेकेदार के रूप में अनुज्ञप्ति जारी करने का प्रावधान है। संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत जनवरी, 2021 से नवम्बर, 2023 की अवधि में प्रमुख नियोजक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ठेकेदारों को जारी अनुज्ञप्ति की अवधि, जारी अनुज्ञप्ति में श्रमिक संख्या एवं जारीकर्ता अधिकारी के पदनाम की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस"]

रायपुर संभाग में कंपनियों/प्रतिष्ठानों में युवाओं का चयन

[तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

42. (क्र. 1486) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायपुर संभाग के जिला स्वरोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के द्वारा वर्ष 2021 से प्रश्नांकित तिथि तक प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से किन-किन कंपनियों/प्रतिष्ठानों में कुल कितने युवाओं का चयन किया गया ? वर्षवार जानकारी दें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : रायपुर संभाग के जिला स्वरोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के द्वारा वर्ष 2021 से 2023 तक प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से कंपनियों/प्रतिष्ठानों में चयनित युवाओं की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस"]

प्रदेश के जिला एवं केन्द्रीय जेल की क्षमता

[जेल]

43. (क्र. 1503) श्री मोतीलाल साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश की केन्द्रीय एवं जिला जेलों की कितनी क्षमता है? वर्तमान में जेलों में कितने कैदी हैं? जेलवार जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : छत्तीसगढ़ प्रदेश की केन्द्रीय एवं जिला जेलों की दिनांक 31.01.2024 की स्थिति में कुल 13495 क्षमता हैं । उक्त जेलों में परिरूद्ध कैदी की जेलवार विस्तृत जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस"]

जिला-रायपुर में रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों का पंजीयन

[तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

44. (क्र. 1504) श्री मोतीलाल साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला-रायपुर में पंजीकृत बेरोजगारों की वर्ष 2021 से 2023 तक जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश " क " अंतर्गत शासन द्वारा कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया ? जानकारी देवें? (ग) शासन द्वारा रोजगार सर्वे किन-किन एजेन्सियों के माध्यम से कराया गया ? इस हेतु कितनी राशि व्यय की गई है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) शासन द्वारा रोजगार सर्वे किसी भी एजेन्सियों के माध्यम से नहीं कराई जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

45. (क्र. 1771) श्री भोलाराम साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 25 जनवरी, 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने ग्राम पंचायतों में कितने हितग्राहियों को स्वीकृति दी गई है ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) कंडिका "क" के कितने हितग्राहियों द्वारा मकान पूर्ण किया गया है एवं कितने शेष हैं ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ग) कंडिका"ख" के कितने हितग्राहियों को राशि का भुगतान हो चुका है और कितने हितग्राहियों का भुगतान शेष है ? शेष राशि का भुगतान कब तक किया जावेगा ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 25 जनवरी, 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 130 ग्राम पंचायतों में 930 हितग्राहियों को स्वीकृति दी गई है। वर्षवार, विकासखण्डवार विस्तृत जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ख) कंडिका 'क' के 700 हितग्राहियों द्वारा मकान पूर्ण किया गया है एवं 230 आवास निर्माण शेष है। वर्षवार, विकासखण्डवार विस्तृत जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ग) विस्तृत जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"]

प्रदेश में संचालित रीपा केंद्र

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

46. (क्र. 1855) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश में 2 अक्टूबर, 2022 से 10 अक्टूबर, 2023 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) के कितने केंद्र खोले गए हैं ? उक्त रीपा केंद्रों में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने किस किस प्रकार की नई इकाइयां/उद्योग स्थापित की गई थी ? रीपा केंद्रों से कितनी महिलाओं को रोजगार मिल रहा था ? केंद्रवार जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) रीपा केंद्रों के संचालन और नई इकाइयां स्थापित करने के लिए कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिए जारी की गई थी ? केंद्रवार जानकारी उपलब्ध कराएं? (ग) क्या प्रश्न (क) में उल्लेखित रीपा केंद्रों का संचालन वर्तमान में बंद है ? यदि हां तो किस आदेश के तहत कब से बंद किए गए है ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रदेश में 2 अक्टूबर, 2022 से 10 अक्टूबर, 2023 महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) के 300 केन्द्र खोले गये है। शेष जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र" अनुसार है। (ख) जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र" अनुसार है। (ग) जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र" अनुसार है।

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अविभाजित जिला राजनांदगांव में चिटफंड कंपनियों के भूमि की कुर्की

[गृह]

1. (क्र. 135) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अविभाजित जिला राजनांदगांव में चिटफंड कंपनियों की कुल कितनी भूमि की शासन द्वारा कुर्की की गई है? कुर्की से प्राप्त राजस्व की जानकारी, कंपनी का नाम व ग्राम रकबा, खसरावार जानकारी दें ? (ख) शासन द्वारा कुर्क संपत्ति से प्राप्त राजस्व से कितने जमाकर्ता हितग्राहियों को राशि वापस की गई है? हितग्राही का नाम, कंपनी का नाम, एवं वितरित राशि की जानकारी दें ? । (ग) हितग्राहियों को राशि वापस करने हेतु क्या मापदंड तय किया गया था? हितग्राहियों के नाम पता सहित जानकारी दें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) अविभाजित जिला राजनांदगाँव में 02 कंपनियों क्रमशः याल्स्को रियल स्टेट एण्ड एग्री फार्मिंग लिमि. की 292.36 एकड़ तथा शुभ साईं देवकॉन इंडिया लिमिटेड की 9.72 एकड़ भूमि इस प्रकार कुल 302.08 एकड़ भूमि की कुर्की की गई है। कुर्की पश्चात् नीलामी से प्राप्त राजस्व की जानकारी कंपनी का नाम व ग्राम, रकबा, खसरावार जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र अ" अनुसार है। (ख) शासन द्वारा कुर्क संपत्ति से प्राप्त राजस्व से कुल 21332 जमाकर्ता हितग्राहियों को राशि वापस की गई है। हितग्राही का नाम, कंपनी का नाम, एवं वितरित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र ब" अनुसार है। (ग) हितग्राहियों द्वारा कुर्की से प्राप्त राशि को सभी निवेशकों को समान अनुपात में निवेशित राशि के आधार पर भुगतान किये जाने का मापदण्ड अपनाया गया। हितग्राहियों के नाम पता की जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र स" अनुसार है।

जिला-जशपुर अंतर्गत उद्योग स्थापना हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा भुगतान

[वाणिज्य एवं उद्योग]

2. (क्र. 416) श्रीमती गोमती साय : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जशपुर में वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक कितने उद्योगों को स्थापित करने हेतु शासन द्वारा एम.ओ.यू. किया गया है? (ख) उनमें से किन-किन उद्योगों द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है? विकासखण्डवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी दें? (ग) उद्योगों के द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि में से कितने लोगों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है तथा किन-किन लोगों का भुगतान लम्बित है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक जशपुर जिले में 01 इकाई के साथ उद्योग स्थापित करने हेतु शासन द्वारा एम.ओ.यू. किया गया है। (ख) जशपुर जिले में भूमि अधिग्रहण की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (ग) उत्तरांश 'ख' के अनुसार, प्रश्न 'ग' उपस्थित नहीं होता।

जिला- कांकेर अंतर्गत लौह अयस्क कम्पनियों से सी एस आर राशि की प्राप्ति व उपयोग

[वाणिज्य एवं उद्योग]

3. (क्र. 574) श्री आशा राम नेताम : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कांकेर जिले में संचालित लौह अयस्क कंपनियों के द्वारा विगत 3 वर्षों में सी.एस.आर. कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मद की राशि का किन किन कार्यों में कितनी लागत का खर्च किया गया और कंपनीवार, वर्षवार लागत के साथ व्यय राशि का विवरण दें ? (ख) प्रश्नांकित अवधि में कम्पनी वार प्राप्त सी.एस.आर.

राशि क्रियान्वयन एजेंसी कौन थी ? क्या अद्यतन स्थिति में सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि हां, तो इन सभी कार्यों का किसी प्रकार का ऑडिट कराया गया है ? अगर नहीं तो क्यों ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) कांकेर जिले में संचालित लौह अयस्क कंपनियों के द्वारा विगत 3 वर्षों में सी.एस.आर.कार्पोरेट सोशल रिसपोनसीबिलिटी मद में प्राप्त राशि विरूद्ध स्वीकृत कार्यों पर किये गये व्यय की जानाकारी कंपनीवार वर्षवार लागत के साथ संलग्न विस्तृत विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र** पर दर्शित है। (ख) कम्पनीवार प्राप्त सीएसआर राशि क्रियान्वयन एजेंसी की विस्तृत विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के कॉलम 03 में प्रदर्शित है। प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2020-21 में 01 कार्य, 2021-22 में 03 कार्य तथा 2022-23 में 05 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। विस्तृत विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के कॉलम 08 में दर्शित है। प्रश्नांकित अवधि में पूर्ण हो चुके कार्यों के संबंध में क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कराये गये ऑडिट संबंधी जानकारी कॉलम 09 में प्रदर्शित है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस" \]](#)

धरसीवा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सी.एस.आर. मद से कराए गए कार्य

[वाणिज्य एवं उद्योग]

4. (क्र. 649) श्री अनुज शर्मा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2020 से 2023 तक धरसीवा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने उद्योगों के द्वारा सी.एस.आर.मद से कितनी राशि से कार्य कराये गये हैं?वर्तमान में किस उद्योग द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया जाना शेष है ?कृपया उद्योग एवं वर्षवार जानकारी प्रदान करें? (ख)क्या सी.एस.आर. मद के उपयोग की मॉनिटरिंग करने हेतु शासन द्वारा तय कोई एजेंसी/संस्था निर्धारित है ? यदि है तो कौन सी? उक्त एजेंसी/संस्था द्वारा क्या किसी उद्योग के द्वारा सी.एस.आर.मद का प्रयोग न किये जाने हेतु संबंधित उद्योग को किसी प्रकार का नोटिस दिया गया या कार्यवाही की गई? यदि की गई है तो क्या?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) सी.एस.आर. मद अंतर्गत वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों द्वारा सी.एस.आर. मद अंतर्गत कराये गये कार्यों एवं शेष कार्यों की उद्योगवार,वर्षवार विस्तृत विवरण जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र** में **संलग्न** है। (ख) जी नहीं। सी.एस.आर. मद के उपयोग की मॉनिटरिंग करने हेतु राज्य शासन की ओर से कोई एजेंसी निर्धारित नहीं है, सी.एस.आर. मद के उपयोग की मॉनिटरिंग करने का कार्य भारत सरकार के द्वारा लागू कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कार्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के कार्यालयों द्वारा किया जाता है, तथा किसी उद्योग के द्वारा सी.एस.आर. मद का उपयोग न करने हेतु संबंधित उद्योग को नोटिस दिये जाने की कार्यवाही भी उपरोक्त संस्था द्वारा ही की जाती है।

जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में सी.एस.आर. मद से आबंटित व व्यय राशि

[वाणिज्य एवं उद्योग]

5. (क्र. 714) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-नवीन जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 1 अप्रैल, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक सी.एस.आर. मद से कितनी राशि आबंटित हुई तथा किस-किस कार्य के लिए उक्त राशि खर्च की गई है तथा पूर्ण-अपूर्ण कार्यों की जानकारी देवें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : नवीन जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 01 अप्रैल 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक सी0एस0आर0 मद में 02 करोड़ की राशि आबंटित हुई है, विस्तृत विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र** पर दर्शित है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस" \]](#)

जिला-रायपुर क्षेत्रान्तर्गत कारखानों के श्रमिकों की स्वास्थ्य एवम सुरक्षा संबंधी

[श्रम]

6. (क्र. 772) श्री अनुज शर्मा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायपुर जिले में वर्ष 2020-23 में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवम श्रम विभाग द्वारा सिलतरा फेस-1 एवम फेस-2 के कितने कारखानों का निरीक्षण किया गया? निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई? वर्ष 2022-23 में उक्त कार्यक्षेत्र में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा रैंडम निरीक्षण उपरांत कितने अभियोजन दायर किए गए? सिलतरा फेस-1 एवम फेस-2 के अंतर्गत संचालित कारखानों के श्रमिकों की स्वास्थ्य एवम सुरक्षा संबंधी कितने सेमिनार/व्याख्यान/कार्यशाला/ट्रेनिंग आयोजित किए गए?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : रायपुर जिले में वर्ष 2020-23 में सिलतरा फेस-1 एवम फेस-2 के कारखानों में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत 100 कारखानों का निरीक्षण किया गया एवं श्रम विभाग द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों (कारखाना अधिनियम, 1948 को छोड़कर) के अंतर्गत 71 कारखानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए कारखाना प्रबंधन को विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रेषित कर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए तथा उनमें से जिन कारखानों द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया गया ऐसे कारखानों के विरुद्ध कारखाना अधिनियम, 1948 के उल्लंघन हेतु 21 अभियोजन प्रकरण एवं विभिन्न श्रम अधिनियमों (कारखाना अधिनियम, 1948 को छोड़कर) के उल्लंघन हेतु 03 अभियोजन प्रकरण माननीय श्रम न्यायालय में दायर किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में उक्त कार्यक्षेत्र में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा रैंडम निरीक्षण उपरांत 04 कारखानों के विरुद्ध अभियोजन माननीय श्रम न्यायालय में दायर किया गया है। सिलतरा फेस-1 एवं फेस-2 के अंतर्गत संचालित कारखानों के श्रमिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कोई भी सेमिनार/व्याख्यान/ कार्यशाला/ ट्रेनिंग औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा आयोजित नहीं की गई।

जिला-रायपुर स्थित कारखानों में स्वास्थ्य जांच परीक्षण

[श्रम]

7. (क्र. 773) श्री अनुज शर्मा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायपुर जिले के सिलतरा फेस-1 एवम फेस-2 में कितने कारखाने हैं? नाम सहित जानकारी दें? इनमें से खतरनाक कारखानों की संख्या कितनी हैं? कितने कारखानों में वर्ष 2022-23 में कामगारों की स्वास्थ्य जांच कराई गई? जिन कारखानों में स्वास्थ्य जांच परीक्षण किया गया, उनमें क्या कमियां पाई गईं और उस संबंध में संचालनालय, (औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा) स्तर से क्या कार्यवाही की गई? जिन कारखानों ने स्वास्थ्य जांच नहीं कराई, उन कारखानों पर कब, क्या और किसके द्वारा कार्यवाही की गई?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : रायपुर जिले के सिलतरा फेस-1 एवं फेस-2 में 148 कारखाने स्थित हैं। नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘अ’ अनुसार हैं। इनमें से खतरनाक कारखानों की संख्या 109 है। कारखाने में नियोजित श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने का दायित्व नियोक्ता का है। कारखानों से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2022-23 में 89 कारखानों द्वारा श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘ब’ अनुसार हैं। श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात उसमें कमियां पाई जाने पर यदि किसी श्रमिक को अनफिट किया जाता है, तो उसकी सूचना कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए जाने का प्रावधान है, जिसके संबंध में कोई जानकारी इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है। विभागीय पोर्टल में जिन कारखानों से स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उनके संबंध में कार्यालय उप संचालक, इण्डस्ट्रियल हाईजिन लैब में पदस्थ सहायक संचालक (चिकित्सा) द्वारा कमियों के संबंध में टीप दर्ज की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘स’ अनुसार है। उन कमियों को दूर करने के संबंध में कारखाना प्रबंधन को निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अलावा कारखाने का निरीक्षण करने पर श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी जो कमियां पाई गई थी, उसके लिए 11 कारखाने के विरुद्ध अभियोजन

की कार्यवाही करते हुए प्रकरण श्रम न्यायालय में दायर किए गए हैं। जिन कारखानों ने स्वास्थ्य जांच नहीं कराई है उन कारखानों के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में एथेनॉल प्लांट की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

[वाणिज्य एवं उद्योग]

8. (क्र. 804) श्री अजय चंद्राकर : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश में एथेनॉल प्लांट कब-कब, कहां-कहां, कितनी-कितनी क्षमता के स्थापित किये गये हैं? तथा किन-किन एजेंसियों के साथ कितनी राशि का एमओयू किया गया था? किये गये एमओयू के विरुद्ध कितने एथेनॉल प्लांट चालू हैं और उत्पादन कब से चालू है? वर्षवार बताएं? (ख) उक्त चालू प्लांट से कितनी-कितनी मात्रा में एथेनॉल का उत्पादन किया गया? उसका उपयोग किन-किन कार्यों हेतु किया गया व उससे कितनी राशि का राजस्व प्राप्त किया गया? प्लांट से प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया जा रहा है? वर्षवार जिलेवार बतायें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) प्रदेश में 01 एथेनॉल प्लांट मेसर्स एनकेजे बायोफ्यूल प्रा.लि. स्थापित हुआ है। एथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु अब तक 34 इकाईयों द्वारा राज्य शासन के साथ एमओयू का निष्पादन किया गया है। एमओयू निष्पादित इकाईयों में राशि ₹. 6511.65 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। उपरोक्त 34 एम.ओ.यू. में से 01 एथेनॉल प्लांट वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 15.07.2023 से उत्पादनरत है। एमओयू निष्पादन करने वाले निवेशकों से संयंत्र स्थापना के संबंध में प्राप्त विस्तृत विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र** पर दर्शित है। (ख) प्लांट मेसर्स एनकेजे बायोफ्यूल प्रा.लि. जिला कबीरधाम में दिनांक 30.01.2024 तक 14056157 बीएल बायोफ्यूल का उत्पादन हुआ है। उत्पादक इकाई द्वारा उत्पादित एथेनॉल का प्रदाय भारत सरकार की ऑईल कंपनियों को किया गया है। उत्तरांश 'क' में उल्लेखित इकाई द्वारा भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना को रियायती शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष राशि 9 करोड़ दिया जाना है, जिसके विरुद्ध अब तक रूपये 2,63,50,000/-का भुगतान किया गया है, इस राशि का उपयोग शक्करकारखाने के संचालन हेतु किया जा रहा है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

9. (क्र. 805) श्री अजय चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में 30 नवंबर, 2023 की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा कितने-कितने मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था? उसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कितने आवेदन के विरुद्ध, कितने मकानों के लिये स्वीकृति दी गयी तथा किन-किन वर्षों में निर्धारित लक्ष्य को वापस लिया गया और वापस लेने का कारण क्या था? इससे प्रदेश के आवासहीनों को क्या प्रभाव पड़ा? (ख) उक्त वर्षों में स्वीकृत आवास में से कितने आवास पूर्ण व अपूर्ण हैं तथा कौन-कौन से किस्त की, कितनी राशि, कितने हितग्राहियों दी जा चुकी है और कितने शेष हैं? वर्षवार, जिलेवार बतायें? (ग) उक्त वर्षों में कितनी-कितनी राज्यांश व केन्द्रांश राशि की आवश्यकता थी और कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा कितनी व्यय की जा चुकी है एवं कितनी शेष हैं और शेष का कारण क्या है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क" अनुसार है। (ख) जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ख" अनुसार है। (ग) जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ग" अनुसार है।

सरायपाली विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत लाभान्वित श्रमिक

[श्रम]

10. (क्र. 861) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में पिछले 03 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 10-01-2024 तक श्रम विभाग की किन-किन योजनाओं के तहत कितने श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है ? वर्षवार जानकारी दें ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020-21 से 2023-24 (दिनांक 10.01.2024 की स्थिति में) तक श्रम विभाग के अधीन संचालित छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य समाजिक सुरक्षा मंडल तथा छ.ग. श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत लाभान्वित श्रमिकों की मंडलवार, योजनावार एवं वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत कुशल/अकुशल श्रमिक

[श्रम]

11. (क्र. 873) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15 जनवरी, 2024 की स्थिति में कुल कितने पंजीकृत श्रमिक हैं? इन श्रमिकों में कितने कुशल एवं कितने अकुशल श्रेणी के हैं? **(ख)** अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन स्थानों पर श्रमिक पंजीयन की व्यवस्था है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 15 जनवरी 2024 की स्थिति में श्रम विभाग के अधीन संचालित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में 73,171 निर्माण श्रमिक, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल में 10,638 असंगठित कर्मकार तथा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल में 1837 संगठित श्रमिक पंजीकृत है। इस प्रकार मंडलों अंतर्गत कुल 85,646 श्रमिक पंजीकृत है। मंडलों के अंतर्गत श्रमिकों का पंजीयन कुशल एवं अकुशल श्रमिक के रूप में किये जाने का प्रावधान नहीं है। **(ख)** निर्माण एवं असंगठित श्रमिक पंजीयन हेतु श्रम विभागीय वेब पोर्टल <https://cglabour.nic.in> में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था है। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत अभनपुर में संचालित श्रम संसाधन केन्द्र, लोक सेवा केन्द्र, मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन अथवा स्वयं श्रमेव जयते मोबाईल एप के माध्यम से श्रमिक पंजीयन हेतु आवेदन किया जा सकता है। श्रमिक द्वारा पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने पर श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक द्वारा पात्र श्रमिकों के ऑनलाईन पंजीयन की कार्यवाही की जाती है तथा श्रमिकों को ऑनलाईन पंजीयन कार्ड प्राप्त करने की सुविधा है। संगठित क्षेत्र के पंजीकृत स्थापना के नियोक्ता द्वारा श्रम विभागीय ऑनलाईन पोर्टल में नियोजित श्रमिकों के नाम एवं अन्य विवरण की प्रविष्टि की जाती है, जिससे श्रमिक स्वतः पंजीकृत हो जाते हैं।

दुर्ग जिले के थानों में दर्ज चोरी के प्रकरण

[गृह]

12. (क्र. 922) श्री गजेन्द्र यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दुर्ग जिले के अंतर्गत थानों में वर्ष 2021 से 2023 तक कितने चोरी के प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? (संख्या सहित) बतावें तथा चोरी के सामान कितनों को वापस किये गये हैं ? **(ख)** कुल प्रकरणों में कितनों का निदान किया गया है एवं कितनों प्रकरण लंबित हैं?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला दुर्ग अन्तर्गत थानों में चोरी के कुल-2523 प्रकरण दर्ज किये गये हैं तथा 626 प्रकरणों में चोरी के सामान प्रार्थी को वापस किये गये हैं।(ख) कुल प्रकरणों में से 737 प्रकरणों में चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 1704 प्रकरणों में खात्मा एवं 05 प्रकरणों में खारिजी भेजी गई है तथा 77 प्रकरण विवेचना में लंबित हैं।

जिला-बेमेतरा की ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव के स्वीकृत एवं रिक्त पद

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

13. (क्र. 969) श्री दीपेश साह : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला-बेमेतरा की ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव के कितने पद रिक्त हैं? कितने स्वीकृत हैं? रिक्त पदों पर भर्ती करने की क्या योजना है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जिला बेमेतरा की ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव के 14 पद रिक्त है। 387 पद स्वीकृत है। वित्त विभाग से रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत भर्ती की कार्यवाही की जावेगी।

प्रदेश में रोजगार आयोग की स्थापना तथा कार्य

[तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

14. (क्र. 1045) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या प्रदेश में रोजगार आयोग की स्थापना की गयी है? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ तो कब तथा आयोग के क्या-क्या कार्य हैं तथा आयोग के सहयोग से वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में 31 दिसम्बर, 2024 तक कितने बेरोजगारों को, किस-किस फर्म/उद्योग/संस्था में रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? (ख) क्या रोजगार आयोग में नियमित रूप से कार्यरत स्थानीय निवासियों की संख्या की बात 2018 में कही गयी थी ? यदि हाँ, तो कब-कब उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सक्ती जिले में भी आपराधिक घटनाओं के दर्ज प्रकरण

[गृह]

15. (क्र. 1048) श्री बालेश्वर साह : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सक्ती जिले के गठन से 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति में चोरी, डकैती, लूट, नकबजनी तथा बलात्कार के कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? (ख) दर्ज कितने प्रकरणों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है ? कितने प्रकरणों में माल बरामद किए गए हैं? (ग) कितने प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए तथा कितनों को सजा हुई है? (घ) कितने प्रकरण पुलिस विभाग के द्वारा खात्मा हेतु भेजे गए हैं?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।(ख) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।(ग) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।(घ) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"]

सक्ती जिले में गौरव पथ का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

16. (क्र. 1049) श्री बालेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) सक्ती जिले में वर्ष 2021-22 एवं 2022 23 में कितने गौरव पथ का निर्माण हुआ ? विधानसभा क्षेत्रवार बताएं ? (ख) इसमें से कितने गौरव पथ में नाली का निर्माण नहीं किया गया है ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना अंतर्गत सक्ती जिले में वर्ष 2021-22 एवं 2022 23 में निर्मित गौरवपथ **निरंक** है। विधानसभा क्षेत्रवार की जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कें

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

17. (क्र. 1060) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र के दोनों विकासखण्डों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से 31 दिसम्बर, 2023 तक कितनी सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अंतर्गत कितनी सड़कें पूर्ण हैं एवं कितनी अपूर्ण हैं ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र के दोनों विकासखण्डों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के तहत वर्ष 2021-22 से 31 दिसम्बर, 2023 तक 10 सड़कों का निर्माण किया गया एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत 03 सड़कों का निर्माण किया गया है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अंतर्गत सभी सड़कें पूर्ण है एवं अपूर्ण सड़कें **निरंक** है।

धमतरी जिले में हुई सड़क दुर्घटनाएं

[गृह]

18. (क्र. 1062) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** धमतरी जिले में माह जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2023 तक कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? थानेवार जानकारी दें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में धमतरी जिले में 703 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। **(ख)** 337 लोगों की मृत्यु हुई है। थानेवार जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"]

जेल विभाग अंतर्गत बंदी गृह की क्षमता बढ़ाने हेतु आबंटित राशि

[जेल]

19. (क्र. 1063) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत कुल कितने केन्द्रीय जेल ,जिला जेल एवं उप जेल हैं? नाम सहित विस्तृत जानकारी दें? उक्त जेलों में बंदी रखने की क्षमता कितनी है एवं वर्तमान में कितने बंदी रखे गये हैं? जिलेवार जानकारी दें ? **(ख)** क्या जेलों में बंदी रखने हेतु जेलों की क्षमता बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा वर्ष 2022 से 2023 राशि आबंटित की गयी है ? यदि हाँ ,तो कहाँ कहाँ और कितनी-कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं?जानकारी दें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत कुल 05 केन्द्रीय जेल, 20 जिला जेल एवं 08 उप जेल हैं। नाम सहित उक्त जेलों में बंदी रखने की क्षमता एवं दिनांक 31.01.2024 की स्थिति

में परिष्कृत बंदियों की संख्या की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"अ"** अनुसार है। **(ख)** जी हां। जेल का नाम एवं कार्य स्वीकृति की राशि संबंधी जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"ब"** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस" \]](#)

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

20. (क्र. 1086) श्री दिलीप लहरिया : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-2020 से 2022-2023 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं ? स्वीकृत किए गए आवासों में कितने पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं ? ग्रामपंचायतवार विवरण दें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 4983 आवास स्वीकृत किए गए हैं, स्वीकृत किए गए आवासों में 3213 आवास पूर्ण एवं 1770 आवास अपूर्ण हैं। ग्राम पंचायतवार विस्तृत जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस" \]](#)

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृति कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

21. (क्र. 1087) श्री दिलीप लहरिया : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने कार्यों की स्वीकृति दी गई है, उनमें से कितने कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है और कितने कार्य लंबित हैं? एवं उनकी समय अवधि क्या है ? जानकारी दें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-3 के अंतर्गत 02 कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। दोनो कार्य पूर्ण होने के कारण शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

निजी विश्वविद्यालय में तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रावधान

[तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

22. (क्र. 1157) श्री धरमलाल कौशिक : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या यह सही है कि निजी विश्वविद्यालय में तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ तो इस संबंध में क्या नियम हैं तथा वर्ष 2021 से नवम्बर, 2023 तक किन-किन निजी विश्वविद्यालय में किन-किन तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम में कितने बच्चों को बिना उक्तानुसार नियम पालन किये प्रवेश प्रदाय किया गया है व क्यों? विश्वविद्यालयवार जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जी हाँ। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस" \]](#)

जैम पोर्टल से खरीदी के नियम

[वाणिज्य एवं उद्योग]

23. (क्र. 1158) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सही है कि प्रदेश में जैम पोर्टल से खरीदी करने पर पूर्ण प्रतिबंध या आंशिक प्रतिबंध

लगाया गया है? यदि हाँ तो कब व क्या नियम है? क्या सरकार द्वारा जैम पोर्टल से खरीदी की पूर्णतः छूट जारी की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? **(ख)** क्या दिनांक 21 जुलाई, 2022 के तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्रमांक 339) पर दिनांक 25 जुलाई, 2022 को आधे घंटे की चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था की जिन अधिकारियों ने जैम पोर्टल से खरीदी की है, उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्यवाही की घोषणा के बाद भी किसी विभाग के द्वारा राज्य निधि से जैम पोर्टल के द्वारा खरीदी की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन विभागों के द्वारा की गई है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** राज्य शासन द्वारा प्रदेश में जैम पोर्टल से खरीदी करने पर पूर्ण प्रतिबंध या आंशिक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अपितु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 (यथासंशोधित 2023) के नियम-4 के उपनियम-4.3.3 में समस्त शासकीय विभागों एवं उनके निगम, मंडल आदि के लिए प्रावधान किया गया है कि अधीन केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत क्रय के मामलों में संबंधित योजना में भारत सरकार द्वारा निर्देशित क्रय की निर्धारित/उल्लेखित प्रक्रिया होने पर उसका पालन किया जा सकेगा। अन्य खरीदी के विषय में राज्य शासनके ई-मानक पोर्टल के माध्यम से शासकीय विभागों में आवश्यक सामग्री क्रय किये जाने की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में जैम पोर्टल से खरीदी की पूर्णतः छूट जारी करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है। **(ख)** जी हां, दिनांक 21 जुलाई, 2022 के तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्रमांक 339) पर दिनांक 25 जुलाई, 2022 को आधे घंटे की चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि, "आदेश होने के बाद भी जिन अधिकारियों ने यदि जैम पोर्टल से आदेश दिया है, यहां उत्पादन हो रहा है, सामग्री मिल सकती है, उसके बाद भी आदेश दिये हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।" माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्यवाही की घोषणा के पश्चात् वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जैम पोर्टल से आज दिनांक तक कोई खरीदी नहीं की गई है। उपरोक्त दिनांक से पूर्व तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्रमांक 339) पर दिनांक 25 जुलाई, 2022 के संदर्भ में समस्त शासकीय विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जनपद पंचायत के विभिन्न खातों में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

24. (क्र. 1208) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में 31 दिसंबर, 2024 तक जनपद पंचायतों के विभिन्न खातों में जमा राशि पर कितना-कितना ब्याज प्राप्त हुआ है? ब्याज से प्राप्त राशि काे व्यय करने के क्या नियम हैं? **(ख)** प्रश्न "क" की ब्याज राशि को किन-किन मदों पर, कौन-कौन से कार्यों पर दिनांक 01 जनवरी, 2024 तक व्यय किया गया है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। ब्याज में प्राप्त राशि योजना का भाग होता है, एवं उसका व्यय योजना के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। **(ख)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस"]

जशपुर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस थाना/पुलिस चौकियों में दर्ज हत्या, लूटपाट, बलात्कार के प्रकरण

[गृह]

25. (क्र. 1233) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जशपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पुलिस थाना/पुलिस चौकी में वर्ष 1.01.2021 से 1.04.2023 तक कितने हत्या, लूटपाट, बलात्कार के प्रकरण दर्ज किये गये ? जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : प्रश्नाधीन अवधि में जशपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पुलिस थाना/चौकियों में हत्या के 65, लूट के 14 तथा बलात्कार के 150 प्रकरण दर्ज किये गये हैं।

जशपुर विधानसभा क्षेत्र में पुल एवं सड़कों की स्वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

26. (क्र. 1252) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जशपुर विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में प्रश्नांकित तिथि तक कितने पुल एवं सड़कों की स्वीकृति कहां-कहां एवं कितनी-कितनी राशि की मिली है? **(ख)** कितने कार्य पूर्ण हैं और कितने अपूर्ण? विकासखण्डवार सम्पूर्ण जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र" अनुसार है। **(ख)** जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र" अनुसार है।

जिला जगदलपुर में पंजीकृत बेरोजगार

[तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

27. (क्र. 1261) श्री किरण देव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जनवरी, 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक जिला रोजगार कार्यालय जगदलपुर (बस्तर) में कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** जिला रोजगार कार्यालय, जगदलपुर (बस्तर) के रोजगार कार्यालयों में पंजीयन तथा योग्यता के आधार पर कितने पंजीकृत बेरोजगारों को जनवरी से प्रश्नांकित अवधि तक शासकीय, अर्धशासकीय/प्राइवेट में रोजगार उपलब्ध कराया गया है एवं कितने किन कारणों से रोजगार से वंचित हैं ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** राज्य के रोजगार मिशन पोर्टल में जिला प्रशासन के माध्यम से दर्ज की गई जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। विभाग द्वारा रोजगार सहायता के इच्छुकों का पंजीयन किया जाता है। रोजगार से वंचितों की जानकारी को पृथक से संकलित करने का प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस" \]](#)

खैरागढ़ व राजनांदगांव जिलान्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना में पंजीकृत श्रमिक

[श्रम]

28. (क्र. 1271) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** खैरागढ़ व राजनांदगांव जिले में 1 अप्रैल, 2021 से प्रश्नावधि तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंतर्गत कितने श्रमिकों का बीमा/पंजीयन किया गया है? पंजीकृत/बीमित श्रमिकों को स्वास्थ्य लाभ दिलाने हेतु कौन-कौन से निजी स्वास्थ्य केन्द्रों को पंजीकृत किया गया है एवं किस-किस तरह की सुविधायें श्रमिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं? पूर्ण विवरण देवें? **(ख)** मृत्यु उपरांत पंजीकृत श्रमिकों के परिवार को कितनी बीमा राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है एवं उसके लिये किन-किन नियम व शर्तों का पालन किया जाना चाहिये? जानकारी देवें? प्रश्नांश "क" अवधि में जिले में कुल कितने प्रकरण पंजीबद्ध हुये एवं प्रश्नावधि तक कुल कितने प्रकरण लंबित हैं? प्रकरणों के लंबित होने के क्या कारण हैं? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर लिया जायेगा?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** छ.ग. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना अन्तर्गत श्रमिकों का बीमा पंजीयन नहीं किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना अन्तर्गत श्रमिकों का बीमा पंजीयन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भारत सरकार का उपक्रम) के द्वारा किया जाता है। पंजीकृत बीमितों को कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें द्वारा प्राथमिक उपचार सुविधा तथा द्वितीयक चिकित्सा सुविधाएं संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी द्वारा अधिकृत निजी चिकित्सालयों द्वारा प्रदाय किया जाता है। अधिकृत निजी चिकित्सालयों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार

है। (ख) छ.ग. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें द्वारा श्रमिकों को केवल चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जाती है। अन्य हितलाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा प्रदान की जाती है। अतः प्रश्नांश "ख" छ.ग. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें से संबंधित नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास"]

खैरागढ़ व राजनांदगांव जिलान्तर्गत ब्याज की राशि से कृत कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

29. (क्र. 1273) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खैरागढ़ व राजनांदगांव जिले में वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक कितनी ब्याज की राशि जमा हुई है? उक्त ब्याज की राशि से कौन-कौन से कार्य किन-किन फर्म/एजेंसियों के माध्यम से कराये गये? विकासखंडवार, जानकारी देवे? कौन से दिशा-निर्देश व मापदण्ड के अंतर्गत उक्त राशि का उपयोग किया गया है? (ख) यदि उक्त राशि का प्रयोग स्वेच्छा से किया गया है, तो इसके लिए दोषी कौन है? क्या दोषी के विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्यवाही की गई हो तो, की गई कार्यवाही का विवरण देवे?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। ब्याज की राशि कार्य स्वीकृत नहीं होने के कारण शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्न ही उदभूत नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

थानों में सदरी शिकायत के सम्बंध में

[गृह]

30. (क्र. 1281) श्री सुशांत शुक्ला : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला बिलासपुर तथा दुर्ग के थानों में सदरी शिकायत (जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से थानों को जांच/ एफ.आई.आर.) दिनांक 14/01/2024 की स्थिति में कितनी संख्या में लम्बित हैं ? ऐसी कितनी शिकायतें हैं जो एक वर्ष से अधिक कालावधि से लम्बित हैं तथा लम्बित होने के क्या कारण हैं ? (ख) क्या थानों में सदरी शिकायतों के निराकरण करने की कोई निश्चित समयसीमा है ? यदि है तो कितनी समयसीमा के अंदर इनका निराकरण किया जाता है ? (ग) बिलासपुर जिला अंतर्गत संचालित थानों एवं जिला दुर्ग के थाना कुम्हारी में दिसम्बर, 2022 से दिसम्बर, 2023 तक ऐसी कितनी शिकायतें दी गई है तथा प्रश्नांकित अवधि तक कितनी लम्बित हैं ? शिकायतों की अद्यतन स्थिति, जानकारी प्रदान करें ।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) दिनांक 14/01/2024 की स्थिति में जिला बिलासपुर से 1257 एवं जिला दुर्ग से 5287 सदरी शिकायतें जांच में प्रक्रियाधीन होने के कारण लंबित है तथा एक वर्ष से अधिक कालावधि में जिला बिलासपुर से कुल 84 तथा जिला दुर्ग से 2509 शिकायतें जांच में प्रक्रियाधीन होने के कारण लंबित है। (ख) पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत शिकायत पत्र/आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत 30 कार्य दिवस निर्धारित की गई है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में जिला बिलासपुर के विभिन्न थानों में 8597 शिकायतें तथा जिला दुर्ग के थाना कुम्हारी में कुल 27 शिकायतें दी गई हैं, जिनमें से जिला बिलासपुर में 626 तथा कुम्हारी में 08 शिकायतें लंबित हैं। लंबित शिकायतों की जांच जारी हैं।

श्रमिकों का पलायन एवं बंधुआ मजदूरी की रोकथाम

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

31. (क्र. 1282) श्री सुशांत शुक्ला : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021 से दिसम्बर, 2023 तक बिलासपुर सम्भाग से कितने श्रमिकों का पलायन हुआ है ? विधानसभावार जानकारी उपलब्ध करावे? क्या इसकी गणना हेतु कोई सर्वेक्षण भी किया जाता है ? यदि हाँ तो

कब-कब सर्वेक्षण कराया गया है ? (ख) क्या श्रमिकों के पलायन एवं बंधुआ मजदूरी अथवा अन्य शोषण की रोकथाम हेतु कोई कार्ययोजना है ? यदि हाँ तो अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ? इससे पलायन में कितनी कमी दर्ज की गई ? (ग) प्रश्नांश "क" की अवधि तक कितने पलायन हुए? कितने श्रमिकों को किन-किन राज्यों से वापस लाया गया है ? वर्षवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावे?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब, स एवं द" अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-इ" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दुर्ग में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की शिकायत की जांच

[गृह]

32. (क्र. 1347) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2023 तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दुर्ग में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर कार्यवाही हेतु कितने व्यक्तियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है? (ख) क्या उक्त आवेदनों की जांच कर शिकायतकर्ताओं से अन्य दस्तावेज सत्यापित कर मंगाये गये हैं? क्या उक्त प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है? क्या प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गयी है यदि नहीं तो क्यों?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में 02 व्यक्तियों द्वारा 03 आवेदन प्रस्तुत किया गया है।(ख) जी हाँ। उक्त आवेदनों की जाँच पर शिकायतकर्ताओं से अन्य दस्तावेज सत्यापित कर मंगाये जाने की कार्यवाही एवं जाँच प्रक्रियाधीन है। प्रकरणों की जाँच प्रक्रिया में रहने से एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई है।

श्रम विभाग में चल रही योजनाओं के संचालन में व्यय राशि

[श्रम]

33. (क्र. 1348) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) श्रम विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पुरुष, महिला, बच्चे एवं मजदूरों के कल्याण हेतु शहर/ग्रामीण में कौन-कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है? उक्त योजनाओं में वर्ष 2021-2022 से दिनांक 10 जनवरी, 2024 तक कितने आवेदकों द्वारा किस-किस योजना हेतु, कितने आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं? प्रस्तुत आवेदनों में कितने आवेदनों का निराकरण कर संबंधित हितग्राही को किस-किस योजना में कितनी राशि का भुगतान किया गया है? उक्त योजनाओं के संचालन में प्रश्नावधि में कुल कितनी राशि व्यय की गई है? जिलेवार बतावे? (ख) क्या उक्त योजनाओं के संचालन में किसी भी प्रकार के वित्तीय गड़बड़ियों शिकायत प्राप्त हुई है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है? जिलेवार बतावे?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पुरुष, महिला, बच्चे एवं मजदूरों के कल्याण हेतु श्रम विभाग में एवं श्रम विभाग की अधीन मंडलों में कोई भी योजना संचालित नहीं है। अतः जानकारी निरंक ग्राह्य करें। (ख) जानकारी निरंक ग्राह्य करें।

बस्तर संभाग में पंचायत विभाग के द्वारा बनाये गये शासकीय भवनों में मूलभूत सुविधाएं

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

34. (क्र. 1354) श्री बघेल लखेश्वर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के द्वारा कार्य एजेंसी के रूप में निर्मित किये गये ऐसे कितने भवन हैं, जिन्हें अब तक संबंधित विभागों को हेण्डओवर नहीं किया गया है? वर्ष 2022-23

एवं 2023-24 की स्थिति में स्पष्ट जानकारी बतावें? **(ख)** इन भवनों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सहित भवन की अद्यतन स्थिति बतावें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा वर्ष 2022-23 में पूर्ण 05 भवनों एवं 2023-24 में पूर्ण 08 भवनों, कुल 13 भवनों को संबंधित विभागों को हैण्डओवर नहीं किया गया है। **(ख)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]

श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक

[श्रम]

35. (क्र. 1368) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अप्रैल, 2021 से दिसंबर, 2023 तक विभिन्न वर्गों में, जिलेवार कुल कितने श्रमिकों का पंजीयन किया गया है? विभिन्न वर्गवार पूर्व में पंजीकृत एवं वर्तमान में पंजीकृत कुल श्रमिकों की जिलेवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** पंजीकृत श्रमिकों के लिए कौन-कौन सी योजना संचालित की जा रही है? इसके लिए क्या क्राईटेरिया है? कृपया योजनाओं की जानकारी उनकी पात्रता सहित प्रदान करें? **(ग)** प्रश्नांश "क" अनुसार उपरोक्त पंजीकृत श्रमिकों को अप्रैल, 2021 से दिसंबर, 2023 तक कुल कितनी और किस प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की गई? जिलेवार जानकारी प्रदान करें? क्या वर्तमान में उपरोक्तानुसार श्रमिकों को दी जा रही सुविधा जारी है? यदि नहीं, तो क्यों?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** प्रश्नांकित अवधि में श्रम विभाग के अधीन संचालित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल तथा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों, पूर्व में पंजीकृत तथा वर्तमान में कुल पंजीकृत श्रमिकों की मण्डलवार, जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- 'अ' अनुसार है। **(ख)** छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल तथा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं एवं पात्रता की मंडलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- 'ब' अनुसार है। **(ग)** छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल तथा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल अंतर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर, 2023 तक लाभान्वित श्रमिकों एवं व्यय राशि की मण्डलवार एवं जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- 'स', 'द' एवं 'य' अनुसार है। वर्तमान में मण्डलों द्वारा संचालित योजनांतर्गत श्रमिकों को देय हितलाभ पात्रतानुसार निरंतरित है।

प्रदेश में हुई नक्सली घटनाएं

[गृह]

36. (क्र. 1373) डॉ. चरण दास महंत : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिसंबर, 2023 एवं जनवरी, 2024 में प्रदेश में कितनी नक्सली घटनाएं एवं नक्सली-पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं किस-किस जिले के किस थाना क्षेत्र में हुई है? जानकारी घटनावार देवें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार नक्सली घटनाओं एवं मुठभेड़ में सुरक्षाबल के कितने जवान शहीद हुए? कितने घायल हुए तथा कितने नक्सली मारे गए? घटनावार बतावें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रश्नाधीन अवधि तक नक्सली घटनाएं एवं नक्सली-पुलिस मुठभेड़ की कुल 54 घटनाएं घटित हुई हैं। जिलावार एवं थानावार जानकारी प्रपत्र "अ" संलग्न है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार नक्सली घटनाओं एवं मुठभेड़ में पुलिस/केन्द्रीय सुरक्षाबल के 07 जवान एवं 01 गोपनीय सैनिक शहीद एवं 53 जवान घायल हुये हैं तथा 08 नक्सली मारे गये। घटनावार जानकारी प्रपत्र "ब" संलग्न है। [संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन"]

आऊटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों को उपादान राशि की पात्रता

[श्रम]

37. (क्र. 1375) डॉ. चरण दास महंत : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या आऊटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से शासकीय विभागों/ निगमों/ मंडलों/ आयोगों में नियोजित श्रमिकों एवं कर्मचारियों को उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत उपादान राशि प्राप्त करने की पात्रता है ? **(ख)** यदि हां, तो पात्रता की शर्तें क्या-क्या हैं ? 2020-21 से 2022-23 तक विभाग अंतर्गत कितने श्रमिकों तथा कर्मचारियों को कितनी उपादान राशि का भुगतान किया गया ? वर्षवार बताएं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** जी हाँ।**(ख)** उपादान भुगतान अधिनियम 1972, 10 या 10 से अधिक कर्मचारी /श्रमिक नियोजित करने वाले संस्थानों पर प्रभावशील है। उक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले संस्थानों में नियोजित ऐसे कर्मचारी /श्रमिक जिन्होंने उक्त संस्थान में 5 या 5 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, को 5 वर्ष की निरंतर सेवा कर लेने के पश्चात उसके नियोजन के पर्यवसान पर, उसकी अधिवाषिंता पर, उसकी निवृत्ति या पद त्याग पर अथवा किसी दुर्घटना या रोग के कारण उसकी मृत्यु अथवा निशक्ता पर उपादान पाने की पात्रता है। आऊटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से नियोजित श्रमिकों एवं कर्मचारियों को 2020-21 से 2022-23 तक किए गए उपादान भुगतान की जानकारी शासकीय विभागों /निगमों /मंडलों /आयोगों से संकलित की जा रही है।

आईटीआई कॉलेज से प्रशिक्षितों को रोजगार देने हेतु की जा रही पहल

[तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

38. (क्र. 1377) श्री ओंकार साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** शासकीय आईटीआई कॉलेज से वर्ष 2021 से 2023 तक पास हो चुके छात्र-छात्राओं को रोजगार देने के लिए शासन द्वारा क्या पहल की जा रही है? कृपया जानकारी दें ? **(ख)** धमतरी जिले के आईटीआई कॉलेज से प्रशिक्षित अवधि में हो चुके छात्र-छात्राओं को स्थानीय स्तर पर जैसे नगर निगम, नगर पंचायत, गंगरेल डैम में रोजगार मुहैया कराने हेतु क्या पहल की गयी है? कृपया जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** प्रदेश के जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक जिलों में नियमित रूप से रोजगार मेलों /प्लेसमेंट कैंपों का आयोजन किया जाता है। जिसमें आई.टी.आई. कॉलेज उत्तीर्ण छात्र छात्राएं शामिल होते हैं, जिन्हें प्लेसमेंट कैंपों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। **(ख)** धमतरी जिले में आयोजित किये जाने वाले प्लेसमेंट कैंपों में स्थानीय नियोजकों एवं जिले से बाहर के नियोजकों को आमंत्रित किया जाता है। स्थानीय नियोजकों के रूप में नगर निगम, नगर पंचायत एवं गंगरेल डैम भी शामिल है।

उद्योगों में श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदण्ड

[श्रम]

39. (क्र. 1382) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग का क्या-क्या मापदण्ड है? प्रति उपलब्ध कराएं? **(ख)** लेबर कानून के तहत कौन-कौन से श्रमिक आते हैं? **(ग)** जांजगीर-चाम्पा जिले में स्थापित उद्योगों का, श्रम कानून के पालन के संबंध में विगत दो वर्षों में कितने बार निरीक्षण किया गया? निरीक्षण के दौरान किन-किन बिन्दुओं पर कमी पाई गई? **(घ)** मापदण्ड का उल्लंघन पाए जाने पर किन-किन संयंत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? जानकारी उपलब्ध कराएं?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग का मापदण्ड

कारखाना अधिनियम, 1948 एवं इसके अंतर्गत बने छत्तीसगढ़ कारखाना नियम, 1962 के प्रावधानों के क्रियान्वयन कराने का है। कारखाना अधिनियम, 1948 एवं छत्तीसगढ़ कारखाना नियम, 1962 की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘अ’** अनुसार है। **(ख)** श्रम कानून के अंतर्गत संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में नियोजित समस्त श्रमिक आते हैं। **(ग)** जांजगीर-चाम्पा जिले में स्थापित उद्योगों का विगत दो वर्षों में कारखाना अधिनियम, 1948 अंतर्गत 79 निरीक्षण तथा अन्य विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत 40 निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिन बिन्दुओं पर कमी पाई गई उसकी जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘ब’** एवं **प्रपत्र-‘स’** अनुसार है। **(घ)** कारखानों के निरीक्षण के दौरान मापदण्ड का उल्लंघन पाए जाने पर विभिन्न संयंत्रों में की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘ब’** एवं **प्रपत्र-‘स’** अनुसार है।

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में गौण खनिज मद एवं ब्याज मद से प्राप्त राशि व प्रदत्त स्वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

40. (क्र. 1384) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में 31 दिसम्बर, 2023 तक गौण खनिज मद से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई एवं इस मद से प्राप्त राशि से कितना ब्याज अर्जित हुआ? **(ख)** प्राप्त ब्याज अनुदान राशि से किन-किन निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई एवं कितनी राशि शेष है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के प्राप्त एवं व्यय राशि

[श्रम]

41. (क्र. 1393) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को 1 अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2023 तक कितनी-कितनी राशि किस-किस मद से प्राप्त हुई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' की प्राप्त राशि में से, कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों में खर्च की गई ? इससे कितने लोग लाभान्वित हुए ? वर्षवार, जिलावार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** मण्डल के पास 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में कुल कितनी राशि जमा है ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को 01 अप्रैल, 2021 से 31 दिसम्बर, 2023 तक राशि 7,00,74,24,230/- रूपये प्राप्त हुई है। प्राप्त राशि की वर्षवार एवं मदवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘अ’** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश "क" की प्राप्त राशि में से वर्षवार, जिलेवार, योजनावार एवं मदवार खर्च की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘ब’** अनुसार है। प्राप्त राशि से 21,14,719 श्रमिकों को संचालित विभिन्न योजनांतर्गत लाभान्वित किया गया है। **(ग)** मण्डल में 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में कुल रूपये 627 करोड़ राशि जमा है।

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक

[श्रम]

42. (क्र. 1394) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने श्रमिक/श्रम कार्ड पंजीकृत हैं ? वर्ष 2021-22 से 23 जनवरी, 2024 तक पंजीयन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए ? प्राप्त आवेदनों में से कितने पंजीकृत एवं कितने निरस्त किए गए ? **(ख)** पंजीकृत कार्ड धारियों में से वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में दिसंबर तक कितने

श्रमिक परिवार के कितने सदस्यों को क्या-क्या सहायता प्रदान की गई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) संचालित योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधाएं एवं सहायताएं प्रदान की जाती हैं ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में (23 जनवरी 2024 की स्थिति में) 26825 श्रमिक/श्रम कार्ड पंजीकृत हैं। वर्ष 2021-22 से 23 जनवरी, 2024 तक पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन, पंजीकृत एवं निरस्त आवेदन की मंडलवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है।(ख) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 31 दिसंबर, 2023 तक श्रम विभाग के अधीन संचालित मंडलों की योजनाओं में पंजीकृत कार्ड धारियों को देय हितलाभ, लाभान्वित श्रमिक एवं व्यय राशि की मंडलवार, वर्षवार एवं योजनावार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है।(ग) छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत संचालित योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को देय हितलाभ/सहायता की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** अनुसार है।

प्रदेश में लूट तथा बलात्कार की घटित घटनाओं पर कार्यवाही

[गृह]

43. (क्र. 1397) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में हत्या व लूट तथा बलात्कार की कितनी घटनाएं वर्ष 2021 से 2023 तक घटित हुईं जिलावार बताएं? **(ख)** प्रश्नांश "क" में की गई कार्यवाही में अद्भुतपर्यंत अपराधियों के कानूनी कार्यवाही से (पकड़ से बाहर) वंचित प्रकरणों की संख्या जिलावार बताएं?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है।**(ख)** जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

जिला बलौदाबाजार भाटापारा में CSR मद में प्राप्त राशि

[वाणिज्य एवं उद्योग]

44. (क्र. 1407) श्री इंद्र साव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक CSR मद अंतर्गत कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ? प्राप्त राशि का उपयोग कितने कार्यों के लिए किया गया ? प्राप्त राशि की मदवार, विकासखण्डवार, वर्षवार जानकारी देवें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक CSR मद अंतर्गत राशि रू. 3856.29 लाख प्राप्त हुआ है। प्राप्त राशि के उपयोग की कार्यवार जानकारी विस्तृत विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के कालम नं. 6 पर दर्शित है। प्राप्त राशि की मदवार, विकासखण्डवार, वर्षवार जानकारी क्रमशः विस्तृत विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के कालम नं. 4, 7, 3 पर दर्शित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

बलौदाबाजार-भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में संचालित उद्योग

[वाणिज्य एवं उद्योग]

45. (क्र. 1408) श्री इंद्र साव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बलौदाबाजार-भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में छोटे-बड़े कितने उद्योग संचालित हैं ? क्या इनके द्वारा

पर्यावरण संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है ? (ख) पर्यावरण संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त होने के उपरांत कितने उद्योगों द्वारा नवीनीकरण किया गया ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) बलौदाबाजार-भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 419 छोटे-बड़े उद्योग संचालित हैं। संचालित उद्योगों में से नियमों की परिधि में आने वाले 322 उद्योगों द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत मंडल से सम्मति प्राप्त की गई है। (ख) पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त सम्मति की वैधता समाप्त होने के उपरांत बलौदाबाजार-भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 322 उद्योगों में से अब तक 242 उद्योगों द्वारा पर्यावरण सम्मति का नवीनीकरण कराया गया है।

जिला कबीरधाम अंतर्गत पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरण

[गृह]

46. (क्र. 1419) श्रीमती भावना बोहरा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला कबीरधाम अंतर्गत वर्ष जनवरी, 2021 से जनवरी, 2024 तक चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, हत्या के प्रयास, मानव तस्करी, जुआ, सट्टा, नशीली पदार्थ में कार्यवाही, तथा अवैध शराब के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये? वर्षवार/थानावार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रशंसा 'क' के दर्ज प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई? कितने प्रकरणों में अपराधी पकड़े जा चुके हैं एवं कितने पकड़ से बाहर हैं? कितने मामले में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है? कितने में जांच प्रक्रियाधीन है? वर्षवार/थानावार जानकारी उपलब्ध करावें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला कबीरधाम में दर्ज प्रकरणों की वर्षवार, थानावार जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) दर्ज प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है।

जिला कबीरधाम में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत पंचायतों में स्वीकृत कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

47. (क्र. 1420) श्रीमती भावना बोहरा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2022-23 में जिला कबीरधाम में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत कितनी पंचायतों में किन-किन कार्यों की एवं कितनी राशि की स्वीकृति दी गई? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रशंसा 'क' में स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? विकासखण्डवार/ पंचायतवार/ कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन"]

व्यापारिक एवं औद्योगिक कंपनियों से कार्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी के तहत किए गए कार्य

[वाणिज्य एवं उद्योग]

48. (क्र. 1421) श्री दलेश्वर साहू : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या व्यापारिक एवं औद्योगिक कंपनियों से कार्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत कार्य किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो दिसंबर, 2023 की स्थिति में राजनांदगांव जिले में कौन-कौन से व्यापारिक एवं औद्योगिक कंपनियां/उद्योग सीएसआर के दायरे में आते हैं? वर्ष 2021 से 15 जनवरी, 2024 तक किन-

किन कंपनियों/उद्योग ने किस कार्य एवं संरचना के लिये कितनी राशि कहां-कहां व्यय की है? व्यय की वर्षवार, कंपनी/उद्योगवार, कार्यवार, राशिवार, जानकारी देवें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : कंपनीज अधिनियम 2013 के सेक्शन 135 अनुसार औद्योगिक कंपनियों पर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) लागू है। दिसंबर, 2023 की स्थिति में राजनांदगांव जिले में सीएसआर के दायरे में आने वाले उद्योगों एवं उनके द्वारा वर्ष 2021 से 15 जनवरी, 2024 तक सीएसआर के तहत किये गये कार्यों में व्यय की वर्षवार, कंपनी/उद्योगवार, कार्यवार, राशिवार विस्तृत विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र** पर दर्शित है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन" \]](#)

जिला-राजनांदगांव में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना से लाभान्वितों की संख्या

[वाणिज्य एवं उद्योग]

49. (क्र. 1422) श्री दलेश्वर साह : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला - राजनांदगांव अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्नावधि तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने-कितने हितग्राहियों को, कौन-कौन सी योजनाओं के तहत उद्योग स्थापना हेतु लाभान्वित किया गया है? लाभान्वित हितग्राहियों को उद्योग स्थापना हेतु कितनी राशि अनुदान/सब्सिडी/ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है? वर्षवार, योजनावार, उद्योगवार, वर्गवार जानकारी देवें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : जिला- राजनांदगांव अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्नावधि तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु कुल 02 अनुसूचित जाति, 05 अनुसूचित जनजाति तथा 52 अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों/इकाईयों को विभाग में प्रचलित औद्योगिक नीति एवं संचालित स्व-रोजगार योजना यथा- मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना (एमएमवायएसवाय), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत लाभान्वित किया गया है। लाभान्वित हितग्राहियों/उद्योगों को वितरित की गई अनुदान की विस्तृत जानकारी वर्षवार, योजनावार, उद्योगवार एवं वर्गवारविस्तृत विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र** पर दर्शित है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ" \]](#)

राजनांदगांव जिले को अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण मद से प्राप्त राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

50. (क्र. 1430) श्री भोलाराम साह : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अविभाजित राजनांदगांव जिले को वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 तक अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण मद से कितनी प्रदान की गई? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका "क" के संदर्भ में उक्त राशि का उपयोग कितने कार्यों के लिए, किया गया? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ग)** कंडिका "क" व "ख" के संदर्भ में उक्त मद से प्राप्त राशि से किये गए निर्माण कार्यों में कितने कार्य पूर्ण व अपूर्ण हैं? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ, ब एवं स" अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ, ब एवं स" अनुसार है। **(ग)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ, ब एवं स" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - साठ" \]](#)

जिला जेल राजनांदगांव की कैदी क्षमता

[जेल]

51. (क्र. 1431) श्री भोलाराम साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जेल राजनांदगांव में कितने कैदी रखने की क्षमता है? वर्तमान में कितने कैदी हैं? **(ख)** जिला जेल राजनांदगांव में कैदियों के भोजन व्यवस्था हेतु मेंस संचालन किनके द्वारा किया जाता है? **(ग)** भोजन सामग्री (मेस संचालन) हेतु क्या टेंडर प्रक्रिया से सामग्री क्रय की जाती है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :**(क)** जिला जेल राजनांदगांव में 156 बंदियों को रखने की क्षमता है । दिनांक 31.01.2024 की स्थिति में 369 बंदी परिद्ध रहे । **(ख)** जिला जेल राजनांदगांव में कैदियों के भोजन व्यवस्था हेतु मेस संचालन जेल प्रशासन द्वारा किया जाता है । **(ग)** जी हां ।

राजनांदगांव जिले में विभाग के तहत संचालित योजनाओं के लाभार्थियों के चयन का मापदण्ड

[श्रम]

52. (क्र. 1432) श्री भोलाराम साहू : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राजनांदगांव जिला अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा असंगठित क्षेत्र श्रमिकों के लिए कौन- कौन सी कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं ? इन योजनाओं के तहत लाभार्थी के चयन का क्या मापदंड है ? कृपया बतायें ? **(ख)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 तक की अवधि में कितने श्रमिकों को उपरोक्त योजनांतर्गत लाभ प्राप्त हुआ है ? वर्षवार, विकास खंडवार जानकारी दें ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** श्रम विभाग के अधीन संचालित छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा निर्माण श्रमिक तथा छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा असंगठित कर्मकारों हेतु संचालित योजना एवं योजनांतर्गत लाभार्थी चयन के मापदंड/पात्रता की मंडलवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है । **(ख)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 तक की अवधि में मंडल में संचालित योजनाओं से लाभान्वितों की मंडलवार, वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है।

जेल में बंद सजायाफ्ता बंदियों को दी जा रही सुविधाएं

[जेल]

53. (क्र. 1439) श्री धर्मजीत सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जेल में बंद सजायाफ्ता बंदियों को शासन द्वारा क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है? विस्तृत विवरण दें? **(ख)** क्या कंडिका "क" के बंदियों के पौष्टिक आहार एवं शयन व्यवस्था में सुधार हेतु कृत कार्यवाही एवं योजना की जानकारी दें।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश की जेलों में बंद सजायाफ्ता बंदियों को शासन द्वारा चिकित्सा, शिक्षा, बंदी परिश्रमिक, लघु उद्योगों में प्रशिक्षण, मुलाकात, पत्राचार, प्रिजन काॅलिंग सिस्टम के माध्यम से बातचीत, लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से विधिक सहायता, पैरोल, परिहार, मनोरंजन , पत्र-पत्रिकाएं व **पुस्तकालय** की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है। **(ख)** छत्तीसगढ़ प्रदेश की जेलों में बंदियों को नियमानुसार पौष्टिक आहार प्रदान किए जाते है एवं चिकित्सक के परामर्श अनुसार चिकित्सकीय डाईट उपलब्ध कराई जाती है । छत्तीसगढ़ प्रदेश की जेलों में शयन व्यवस्था में सुधार हेतु जेलों में बंदी आवास क्षमता बढ़ाए जाने के लिए कुल 58 नग बंदी बैरक्स कुल 3050 बंदी आवास क्षमता का निर्माण कार्य कराए जाने की स्वीकृति है। उक्त अतिरिक्त बंदी बैरक्स निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर जेलों में निरूद्ध बंदियों के शयन व्यवस्था में सुधार होगा। वर्ष 2023-24 में 10 जेलों में बंदी बैरक्स निर्माण कार्य के लिए बजट प्रावधानित है जिनकी कुल बंदी आवास क्षमता 1000 है।

विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर में प्रधानमंत्री सड़क एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़को की मरम्मत

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

54. (क्र. 1446) श्री रामकुमार यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की कितने सड़के हैं? (ख) प्रश्नांक "क" में से कितनी सड़कें वर्तमान में अति जर्जर हैं? (ग) प्रश्नांक "क" के अनुसार वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक कितनी सड़कों का वार्षिक संधारण/नवीनीकरण कार्य कितनी राशि से स्वीकृत किया गया है? विवरण ग्राम सड़क वार देवें। (घ) वर्तमान में जर्जर सड़कों की किस प्रकार से मरम्मत की जा रही है ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में 63 सड़कें निर्मित है। चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना की 28 सड़कें निर्मित है, जिसमें से 02 सड़कों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा पुननिर्माण, चौड़ीकरण का कार्य कराया गया है। (ख) प्रश्नांक "क" के तहत दोनो योजना के अंतर्गत कोई भी सड़क अति जर्जर होने की जानकारी **निरंक** है। (ग) प्रश्नांक "क" के अनुसार वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक 39 सड़कें लंबाई 113.18 किमी. का वार्षिक संधारण/नवीनीकरण कार्य राशि रू. 2597.75 लाख का स्वीकृत किया गया है। ग्राम सड़कवार विवरण **संलग्न "प्रपत्र-अ"** अनुसार है। प्रश्नांक "क" के अनुसार वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक 05 सड़कों का संधारण सहित नवीनीकरण कार्य 195.81 लाख से स्वीकृत किया गया है। ग्राम, सड़कवार विवरण **संलग्न "प्रपत्र-ब"** अनुसार है। (घ) दोनो योजना के तहत वर्तमान में जर्जर सड़क नहीं होने के कारण उक्त जानकारी **निरंक** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ"]

विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत मनरेगा से स्वीकृत कार्यों की स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

55. (क्र. 1447) श्री रामकुमार यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर के अन्तर्गत वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक मनरेगा योजना से कितने ग्रामों में कितने कार्य, कितनी राशि से स्वीकृत किये गये हैं? विवरण देवें? (ख) उक्त स्वीकृत कार्यों में कितने पूर्ण-अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों का विवरण देवें तथा उनके भुगतान की स्थिति क्या है? (ग) क्या उक्त स्वीकृत कार्यों में शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर में वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक महात्मा गांधी नरेगा से 187 ग्रामों में 2802 कार्य, राशि रू. 15347.64 लाख से स्वीकृत किये गये है। (ख) उक्त स्वीकृत कार्यों में 1599 कार्य पूर्ण एवं 615 कार्य अपूर्ण है। अपूर्ण कार्यों का विवरण **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र"** अनुसार है। (ग) जी हां। जांच में अनियमितता होना नहीं पाया गया है।

रायगढ़ जिले में दर्ज धोखाधड़ी एवं साइबर क्राईम के दर्ज मामले

[गृह]

56. (क्र. 1452) श्री उमेश पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2023 तक रायगढ़ जिलांतर्गत धोखाधड़ी एवं साइबर क्राईम के कितने मामले दर्ज हैं ? कितने में कार्यवाही की गयी है ? कितने मामले लंबित हैं ? (ख) जिले में धोखाधड़ी एवं साइबर क्राईम मामले को रोकने के लिए क्या कार्य योजना बनायी गयी है ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :(क) प्रश्नाधीन अवधि में रायगढ़ जिलान्तर्गत धोखाधड़ी के 150 एवं साइबर क्राईम के 46 कुल-196 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। सभी प्रकरणों में विवेचना की गई है। वर्तमान में 78 प्रकरण विवेचनाधीन है।(ख) रायगढ़ जिले में धोखाधड़ी एवं साइबर क्राईम के मामले रोकने के लिए

निम्नानुसार कार्ययोजना है: -अधोसंरचना-आगामी वर्षों में जिला मुख्यालय में आधुनिक तकनीक एवं टूल्स से युक्त साइबर थाना की स्थापना एवं बल संवर्धन प्रस्तावित है।क्षमता विकास-साइबर अनुसंधान विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन तथा ऑनलाईन माध्यम से साइबर के क्षेत्र में कार्यरत समस्त अधिकारी /कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराये जाने की योजना है।जन-जागरूकता कार्यक्रम-सरपंच एवं महिला स्व-सहायता समूह को साइबर जागरूकता कार्यक्रम से जोड़कर गाँव-गाँव प्रचार-प्रसार तथा स्कूल, कालेज एवं हॉट-बाजारों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है।

रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

57. (क्र. 1453) श्री उमेश पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) रायगढ़ जिलांतर्गत 2020-2021 से प्रश्रोकित अवधि तक प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों की संख्या विकासखण्डवार बताएं ? (ख) क्या प्रश्नांश "क" अवधि में पात्र सूची से हितग्राहियों को अपात्र किया गया है ? यदि हां, तो क्यों? कारण बतावें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी अंतर्गत विकासखण्डवार जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत विकासखण्डवार जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में पात्र सूची से किसी भी हितग्राही को अपात्र नहीं किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बैसठ"]

संजरी बालोद विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम के सड़कों का संधारण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

58. (क्र. 1458) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 20 जनवरी, 2024 तक संजरी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़कों के संधारण अवधि में रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के लिए कितनी राशि दी गई है? वर्षवार, सड़कों के नाम व राशि सहित जानकारी दें? (ख) उपरोक्त रखरखाव व मरम्मत कार्य किन-किन एजेंसियों से कराया गया है? किन-किन सड़कों में गुणवत्ताहीन कार्य किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई एवं प्राप्त शिकायत के आधार पर संबंधित एजेंसियों पर क्या कार्रवाई की गई? जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत संजरी-बालोद विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 20 जनवरी, 2024 तक संधारण अवधि में रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के लिए दी गई राशि, सड़कों के नाम एवं वर्षवार जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ख) दोनों योजना के तहत उपरोक्त रखरखाव व मरम्मत कार्य कराये गये एजेंसियों की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ एवं ब" अनुसार है। शिकायत संबंधित जानकारी निरंक है। [संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ"]

जिला- बालोद में नौनिहाल छात्रवृत्ति, खेल प्रोत्साहन, प्रसूति योजनांतर्गत लंबित आवेदन

[श्रम]

59. (क्र. 1461) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-दिनांक 20 जनवरी, 2024 की स्थिति में नौनिहाल छात्रवृत्ति, खेल प्रोत्साहन तथा प्रसूति योजना के कितने आवेदन, किन कारणों से, कब से लंबित हैं ? जानकारी दें ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : जिला बालोद अंतर्गत दिनांक 20 जनवरी, 2024 की स्थिति में विभाग के अधीन गठित छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के 532, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना के 22 एवं मिनीमाता महतारी जतन योजना के 251 आवेदन लंबित हैं। लंबित आवेदन समय सीमा 1 माह के भीतर है। उक्त लंबित आवेदनों में से दिनांक 06.02.2024 की स्थिति में मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना तथा मिनीमाता महतारी जतन योजना के सभी लंबित आवेदनों का एवं उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना के 21 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना के लंबित 01 मात्र आवेदन में उत्कृष्टता प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु जिला खेल अधिकारी को प्रेषित किया गया है। छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित असंगठित कर्मकार प्रसुति सहायता योजना के 135 लंबित आवेदन समय सीमा 01 माह से अधिक के हैं जो बजट कमी होने के कारण लंबित है।

अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

60. (क्र. 1463) श्री राजेश अग्रवाल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2021-22 से 2023-24 में 31 दिसम्बर, 2023 तक अंबिकापुर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी ग्रामीण सड़कें स्वीकृत व कार्य पूर्ण हैं तथा कितनी सड़कें बनाई जाना शेष है ? **(ख)** शेष सड़कों का कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** वर्ष 2021-22 से 2023-24 में 31 दिसम्बर, 2023 तक अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी **निरंक** है, एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 09 ग्रामीण सड़कें स्वीकृत व **निरंक** कार्य पूर्ण है तथा सभी 09 सड़कों को बनाया जाना शेष है। **(ख)** शेष सड़कों का कार्य अक्टूबर 2024 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

रायपुर संभाग अंतर्गत प्रदाय किये गए शस्त्र लाईसेंस

[गृह]

61. (क्र. 1479) श्री राजेश मूणत : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2020 से नवम्बर, 2023 तक रायपुर संभाग अंतर्गत किनको, किसके द्वारा, किस शस्त्र का लाईसेंस प्रदाय किया गया है? वर्षवार व जिलेवार जानकारी देवे? जिन्हे लाईसेंस प्रदाय किया गया है, उनमें से किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या अपराध, कब से पंजीकृत हैं? प्रकरणवार जानकारी देवे?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : प्रश्नाधीन अवधि में शस्त्र लायसेंस प्रदाय की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ, ब, स, द एवं इ** में दर्शित है। शस्त्र लायसेंसियों को शस्त्र लायसेंस प्रदाय के पूर्व पुलिस अधीक्षकों से अभिमत प्राप्त किया गया। शस्त्र लायसेंसियों के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध पंजीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ"]

जिला रायपुर में सीएसआईडी द्वारा टेंट, पंडाल व उत्सव संबंधी कार्यों हेतु किया गया भुगतान

[वाणिज्य एवं उद्योग]

62. (क्र. 1480) श्री राजेश मूणत : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 01 अप्रैल, 2021 से नवंबर, 2023 तक सीएसआईडी द्वारा जिला रायपुर अंतर्गत किन-किन कार्यक्रमों के लिये टेंट, पंडाल व उत्सव संबंधी अन्य कार्यों के लिये किन-किन संस्थाओं को, कितनी राशि का भुगतान कब व किस हेतु किया गया है व कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? उक्तानुसार संस्थाओं के चयन का आधार क्या था? क्या सभी कार्यक्रमों में भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया

है? (ख) कंडिका 'क' अनुसार फर्मों के संबंध में किसके द्वारा, किसको व क्या शिकायत की गई तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतवार जानकारी दें ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) वर्ष 01 अप्रैल 2021 से नवम्बर 2023 तक सीएसआईडीसी द्वारा जिला रायपुर अंतर्गत कार्यक्रमों के लिए टेंट, पंडाल व उत्सव संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-एजेन्सी/संस्था का नाम, किये गये कार्यों/कार्यक्रमों तथा इनके लिये राशि के भुगतान की जानकारी:-(1) दिनांक 03 से 05 फरवरी 2022 तक साईस कालेज मैदान रायपुर में राज्य शासन के तीन वर्षीय उपलब्धियों के संबंध में शासकीय विभागों की प्रदर्शनी एवं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के शुभारंभ के आयोजन हेतु इवेंट मैनेजमेंट का कार्य। एजेंसी : मेसर्स साई इवेंट्स एण्ड प्रमोशंस प्रा.लि., रायपुर। भुगतान की गई कुल राशि: रू. 4,23,44,839.00 (भुगतान दिनांक 31/03/2023)-कोई भुगतान शेष नहीं। (2) छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक 2022-23 (दिनांक 08/01/2023 से 10/01/2023) के आयोजन हेतु बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में प्रतिभागियों, निर्णायकों, अधिकारियों एवं ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के लिये भोजन एवं इससे संबंधित अन्य व्यवस्थाओं का कार्य। एजेंसी : मेसर्स एक्सिस कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली। भुगतान की गई कुल राशि: रू. 98,96,075.00 (भुगतान दिनांक 30/05/2023)-कोई भुगतान शेष नहीं।(3) साईस कालेज ग्राऊण्ड, आमानाका, जी.ई. रोड, रायपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022-23 के आयोजन (दिनांक 28 से 30 जनवरी 2023) के दौरान भोजन एवं अन्य व्यवस्थाओं का कार्य। एजेंसी : मेसर्स एक्सिसकम्यूनिकेशननई दिल्ली। भुगतान की गई कुल राशि: रू. 4,69,15,191.00 (भुगतान दिनांक 30/05/2023)-कोई भुगतान शेष नहीं।(4) दिनांक 02 सितम्बर 2023 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं व्यापार परिसर, (छत्तीसगढ़ व्यापार केन्द्र) सेक्टर-23, नवा रायपुर, अटल नगर में आयोजित "राजीव युवा मितान क्लब के कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम" के आयोजन हेतु इवेंट मैनेजमेंट का कार्य। एजेंसी मेसर्स एक्सिस कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली। (भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन)।(5)छत्तीसगढ़ियाओलम्पिक 2023 (25 से 27 सितम्बर 2023) के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम परिसर, बुढ़ापारा रायपुर में आयोजन की व्यवस्थाओं के अंतर्गत भोजन व्यवस्था एवं इससे संबंधित अस्थायी अधोसंरचना के कार्य। एजेंसी मेसर्स अमर भारत किराया भंडार, रायपुर। कार्य की अनुबंधित लागत राशि रू. 76,07,268.00 (भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन)। उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 तक के कार्यों हेतु चयनित एजेंसी के चयन के आधार की जानकारी - (1) दिनांक 28/01/2022 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित विडियो कांफ्रेंसिंग मीटिंग में दिनांक 01 से 03 फरवरी 2022 तक "राज्य शासन के तीन वर्षीय उपलब्धियों के संबंध में शासकीयविभागों की प्रदर्शनीएवं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" आयोजित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये। आयोजन की तिथि अनुसार अल्प समयावधि को दृष्टिगत रखते हुये जनसंपर्क संचालनालय में सूचीबद्ध (इम्पैनल्ड) एजेंसियों से सहमति प्राप्त करते हुये पूर्व से जनसंपर्क संचालनालय में स्वीकृत दरों पर कार्य करवाने हेतु राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत सहमति देने वाली एजेंसी मेसर्स साई इवेंट्स एण्ड प्रमोशंस प्रा.लि., रायपुर को दिनांक 28/01/2022 को कार्यदिश जारी किया गया। (2) दिनांक 21/12/2022 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के संदर्भ में जारी कार्यवाही विवरण के निर्देशों के अनुसारछत्तीसगढ़ियाओलम्पिक 2022-23 के आयोजन हेतु दिनांक 06/01/2023 से 10/01/2023 तक भोजन की व्यवस्था सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा किया जाना था। आयोजन की तिथि अनुसार अल्प समयावधि कोदृष्टिगत रखते हुये "राज्य युवा महोत्सव 2022-23 (दिनांक 12 से 14 जनवरी 2023)" के आयोजन हेतु निविदा आमंत्रण के माध्यम से स्वीकृत दरों पर ही अनुबंधित एजेंसी "मेसर्स एक्सिसकम्यूनिकेशननई दिल्ली" से कार्य संपादित कराये जाने के संबंध मेंशासनस्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुये (अवर सचिव,छत्तीसगढ़शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पत्र क्रमांक 4741/3946/2019/11/(6) अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 30/12/2022) कार्य संपादित कराया गया। (3) साईस कालेज मैदान में दिनांक 12 से 14 जनवरी 2023 की अवधि (पश्चात् मे आयोजन की परिवर्तित दिनांक 28 से 30 जनवरी 2023) में राज्य युवा महोत्सव 2022-23 के आयोजन हेतु रा'ट्रीय स्तर पर आनलाईन निविदा आमंत्रण के माध्यम से "Event Management Agency" का चयन किया गया।(4) दिनांक 24/08/2023 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के संदर्भ में दिनांक 25/08/2023 को जारी कार्यवाही विवरण के दिशा-निर्देशोंके अनुसार दिनांक 02 सितम्बर 2023 को संपूर्ण राज्य से राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के लिये

राजगारोन्मुखी कार्यक्रम के आयोजन हेतु भोजन व्यवस्था के साथ-साथ कार्यक्रम हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिये सी.एस.आई.डी.सी. को निर्देशित किया गया था। आयोजन की तिथि अनुसार अल्प समयावधि को दृष्टिगत रखते हुये "साईस कालेज मैदान में दिनांक 12 से 14 जनवरी 2023 की अवधि (पश्चात् मे आयोजन की परिवर्तित दिनांक 28 से 30 जनवरी 2023) में राज्य युवा महोत्सव 2022-23" के आयोजन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निविदा आमंत्रण के माध्यम से चयनित "Event Management Agency" मेसर्स एक्सिस कम्प्यूनिकेशन, नई दिल्ली से उपरोक्त कार्य हेतु सहमति प्राप्त करते हुये राज्य शासन, से उपरोक्त अनुबंधित दरों पर ही कार्य संपादित करने की अनुमति (अवर सचिव, छत्तीसगढ़शासन,, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पत्र क्रमांक 2883/2171/2023/11/6 नवा रायपुर, दिनांक 25/08/2023) प्राप्त की गई। (5) छत्तीसगढ़ियाओलम्पिक 2023-24 (दिनांक 25/09/2023 से 27/09/2023) के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम परिसर, बुढ़ापारा रायपुर में आयोजन की व्यवस्थाओं के अंतर्गत भोजन व्यवस्था एवं इससे संबंधित अस्थायी अधोसंरचना के कार्य हेतु राष्ट्रीय स्तर पर आनलाईन निविदा आमंत्रण के माध्यम से एजेंसी 'मेसर्स अमर भारत किराया भंडार, रायपुर' का चयन किया गया। क्या सभी कार्यक्रमों में भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है? भण्डार क्रय नियम छत्तीसगढ़शासनके विभिन्न विभागों द्वारा सामाग्रियों के क्रय की प्रक्रिया हेतु लागू होते हैं, अपितु उल्लेखित 05 कार्यों में से क्रमांक (3) एवं (5) पर उल्लेखित दोनों कार्यों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर आनलाईन निविदा आमंत्रण के लिये समाचार पत्रों में निविदा सूचना का प्रकाशन भण्डार क्रय नियमों के संबंधित प्रावधान के अनुरूप किया गया है। (ख) कंडिका 'क' अनुसार फर्मों के संबंध में उल्लेखित कार्यों के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अतः जानकारी निरंक है।

श्रमिक कल्याण हेतु संचालित योजनायें

[श्रम]

63. (क्र. 1487) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** श्रमिक कल्याण हेतु कौन कौन सी योजनायें संचालित हैं ? **(ख)** जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 में दिसम्बर, 2023 तक श्रमिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त कितने आवेदन, किन-किन योजनाओं से संबंधित लंबित हैं? **(ग)** लंबित आवेदनों को कब तक स्वीकृत कर श्रमिकों को लाभ दिया जावेगा?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : **(क)** श्रमिक कल्याण हेतु श्रम विभाग के अधीन संचालित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल तथा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के अंतर्गत वर्तमान में संचालित योजनाओं की मंडलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'अ'** अनुसार है। **(ख)** जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 (31 दिसम्बर 2023 की स्थिति में) तक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल और छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल द्वारा संचालित योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन एवं लंबित आवेदन की मंडलवार एवं योजनावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'ब'** अनुसार है। छ0ग0 श्रम कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन एवं लंबित की जानकारी निरंक है। **(ग)** लंबित आवेदनों के दस्तावेजों/पात्रता की जांच कर पात्रतानुसार श्रमिकों को लाभान्वित किया जावेगा।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैसठ"]

विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ अंतर्गत भवन विहीन ग्राम पंचायतें

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

64. (क्र. 1488) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ अंतर्गत कितने ग्राम पंचायत भवन विहीन हैं ? **(ख)** कितने भवन जर्जर हो चुके हैं ? **(ग)** प्रश्नांक **(क)** एवं **(ख)** के पंचायत भवनों का निर्माण कब तक करा लिया जावेगा?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : **(क)** जानकारी निरंक है। **(ख)** विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़

अंतर्गत कुल 18 ग्राम पंचायत भवन जर्जर है। (ग) प्रश्नांक (क) के अनुक्रम में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। प्रश्नांश (ख) के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्यवाही

[गृह]

65. (क्र. 1495) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विधानसभा मोहला-मानपुर क्षेत्र अंतर्गत विगत 03 वर्षों में किस-किस प्रकार के मादक पदार्थों की तस्करी के प्रकरण में कितने को गिरफ्तार किया गया और कितनी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदगी की गयी ? वर्षवार जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें ? प्रशासन मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु क्या-क्या प्रयास कर रही है ? विस्तृत जानकारी देने का कष्ट करें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : विधान सभा मोहला-मानपुर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2021 में निरंक, वर्ष 2022 में 05 प्रकरणों में 07 आरोपियों से 37.758 कि.ग्रा. तथा वर्ष 2023 में 07 प्रकरणों में 09 आरोपियों से 28.758 कि.ग्रा. गांजा इस प्रकार कुल-12 प्रकरणों में 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 71.496 कि.ग्रा. गांजा जप्त किया गया है। 01 प्रकरण थाना मोहला का अप. क्र. 109/23 धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट में 4.980 कि.ग्रा. गांजा जप्त किया गया। प्रकरण में अज्ञात आरोपी होने से खात्मा चाक किया गया। सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी से परस्पर समन्वय तथा प्राप्त सूचना के आधार पर सघन जांच की जा रही है।

विधानसभा मोहला-मानपुर क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न थानों में दर्ज प्रकरण पर कृत कार्यवाही

[गृह]

66. (क्र. 1496) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021 से दिसम्बर, 2023 तक विभिन्न थानों में लिखित शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर कितने प्रकरण दर्ज किए गये हैं ? वर्षवार, थाना वार जानकारी दें ? प्राप्त शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ? वर्षवार, थानावार जानकारी प्रदाय करें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : प्रश्नाधीन अवधि में मोहला-मानपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत थानों में लिखित शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर कुल-20 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। वर्षवार, थानावार जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। शिकायत अभ्यावेदन के आधार पर की गई कार्यवाही की वर्षवार, थानावार जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छैसठ"]

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायतों को प्राप्त राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

67. (क्र. 1506) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत सरायपाली और जनपद पंचायत बसना को वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, और 2023-24 में दिनांक 15/01/2024 तक किन- किन मदों में कितनी- कितनी राशि प्राप्त हुई है ? उक्त राशि किन- किन कार्यों में खर्च की गई है ? वर्षवार, मदवार पृथक-पृथक जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं ब" अनुसार है।

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारिशेष्य - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 859) की जानकारी

प्रपत्र —“अ”

स० क्र०	भत्तों के प्रकार	राशि (रुपये में)	रिमार्क (संवर्ग)
1	पौष्टिक आहार भत्ता	रुपये 100 /— प्रतिमाह	आरक्षक से निरीक्षक संवर्ग तक
2	वर्दी धुलाई भत्ता	रुपये 60 /— प्रतिमाह	आरक्षक / प्रधान आरक्षक संवर्ग तक
		रुपये 80 /— प्रतिमाह	स.उ.नि. से निरीक्षक संवर्ग तक
		रुपये 100 /— प्रतिमाह	उ.पु.अ. से उ.म.नि. संवर्ग तक
	वर्दी नवीनीकरण अनुदान (तीन वर्ष में)	रुपये 800 /—	स.उ.नि. से निरीक्षक संवर्ग
		रुपये 1500 /—	उ.पु.अ. से उ.म.नि. तक
प्रारंभिक वर्दी अनुदान	रुपये 1000 /— रुपये 2000 /—	स.उ.नि. से निरीक्षक संवर्ग उ.पु.अ. से उ.म.नि. तक	
3	चिकित्सा भत्ता	रुपये 200 /— प्रतिमाह	निरीक्षक से आरक्षक संवर्ग तक के अधि./कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर चिकित्सा भत्ता प्रदाय किया जा रहा है। अन्य अधि0/कर्मचारी जिन्होंने विकल्प नहीं दिया है यथावत् चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अधीन है।
4	वाहन भत्ता	रुपये 100 /— प्रतिमाह	रायपुर के बी-1 एवं बी-2 श्रेणी के नगरों के लिये (रायपुर एवं दुर्ग-भिलाई)

5	नक्सल ड्यूटी भत्ता	संवेदनशील/अतिसंवेदनशील क्षेत्र के आधार पर मूलवेतन का 20 प्रतिषत एवं 15 प्रतिषत प्रतिमाह	पुलिस अधीक्षक से आरक्षक संवर्ग स्तर तक
		संवेदनशील/अतिसंवेदनशील एवं सामान्य क्षेत्र के आधार पर मूलवेतन का 50 प्रतिषत, 35 प्रतिषत एवं 15 प्रतिषत प्रतिमाह (बस्तर संभाग के 07 जिलों एवं जिला राजनांदगाँव के 09 थाना क्षेत्रों में)	पुलिस अधीक्षक से आरक्षक संवर्ग स्तर तक
		जिला नारायणपुर के थाना कुकराझोर में पदस्थ अधि०/कर्म० को मूल वेतन का 50 प्रतिषत	पुलिस अधीक्षक से आरक्षक संवर्ग स्तर तक
6	राशन भत्ता (नक्सल क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को)	रुपये 650/- प्रतिमाह	आरक्षक से निरीक्षक संवर्ग तक
		रुपये 2200/-प्रतिमाह	स्पेशल टॉस्क फोर्स के पुलिस जवानों को देय।
		रुपये 2000/-प्रतिमाह	जिला पुलिस बल, सहायक आरक्षक एवं गोपनीय सैनिकों को देय।
7	निष्चित यात्रा भत्ता	रुपये 1000/- प्रतिमाह	बस्तर संभाग के 07 जिलों एवं जिला राजनांदगाँव के 09 थाना क्षेत्रों में कार्यरत सहायक आरक्षकों हेतु स्वीकृत निष्चित यात्रा भत्ता।
8	विशेष भत्ता	मूल वेतन का 50 प्रतिषत	एस.टी.एफ. में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी (कार्यपालिक) बल को मूल वेतन का 50 प्रतिषत भत्ता।
		मूल वेतन का 50 प्रतिषत	विशेष आसूचना शाखा के अधि./कर्मचारियों को मूल वेतन का 50 प्रतिषत भत्ता।
9	विशेष जोखिम भत्ता	मूल वेतन का 50 प्रतिषत	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सुरक्षा में तैनात बल को 50 प्रतिषत विशेष भत्ता।
		मूल वेतन का 50 प्रतिषत	माननीय राज्यपाल महोदय की सुरक्षा में तैनात बल को 50 प्रतिषत विशेष भत्ता।
10	बस्तर भत्ता	चतुर्थ श्रेणी को रु. 350/-प्रतिमाह	बस्तर संभाग के शासकीय सेवकों हेतु बस्तर भत्ता प्रदान किया जा रहा है।
		तृतीय श्रेणी को रुपये 500/-प्रतिमाह	
		प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी को रुपये 600/-प्रतिमाह	

11	अनुसूचित क्षेत्र भत्ता	प्रथम श्रेणी को रू0 120 से 600 तक प्रतिमाह	अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्र भत्ता प्रदाय किया जा रहा है।
		द्वितीय श्रेणी को रू0 80 से 400 तक प्रतिमाह	
		तृतीय श्रेणी को रू0 40 से 200 तक प्रतिमाह	
12	नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	रू0 75 प्रतिमाह	जिला-दुर्ग-भिलाई
		रू0 50/- प्रतिमाह	जिला बिलासपुर एवं कोरबा
13	गृहभाड़ा भत्ता	बी-2, श्रेणी के नगरों को 10 प्रतिशत	प्रदेश के सभी जिला इकाईयों को नगरों का वर्गीकरण के आधार पर
		सी, श्रेणी के नगरों को 07 प्रतिशत	
		अन्य क्षेत्र, श्रेणी के नगरों को 07 प्रतिशत	
		दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालयों हेतु 30 प्रतिशत	
14	रायफल मेंटनेंस भत्ता	आरमोररी शाखा में पदस्थ आरक्षक को राशि रूपये 200/- एवं प्रधान आरक्षक को राशि रूपये 300/-	आरमोररी शाखा में पदस्थ आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक को
15	रिस्पॉस भत्ता ,त्मेचवदेम ।ससवूदबमद	जिला पुलिस बल के थानों में पदस्थ आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक को राशि रूपये 1000/- प्रतिमाह तथा सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं निरीक्षक को राशि रूपये 1200/- प्रतिमाह ।	जिला पुलिस बल के थानों में पदस्थ आरक्षक से निरीक्षक तक
16	किट भत्ता	राशि रूपये 8000/- (वर्ष में एक बार)	आरक्षक से प्रधान आरक्षक तक

अन्य सुविधाएँ (योजना एवं प्रबंध शाखा के विषयांतर्गत)

01	निःशुल्क भोजन की दर में वृद्धि	रूपये 70/- दैनिक व्यय सीमा	
----	--------------------------------	----------------------------	--


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 गृह विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र - "ब"

स.क.	संवर्ग	सातवे वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स एवं लेवल	
		मैट्रिक्स लेवल	प्रारंभिक मूल वेतन
1	आरक्षक	4	19500
2	प्रधान आरक्षक	5	22400
3	सहा.उप निरीक्षक	6	25300
4	उप निरीक्षक	8	35400
5	निरीक्षक	9	38100
6	उप पुलिस अधीक्षक	12	56100
7	अति.पुलिस अधीक्षक	13	67300


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 गृह विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

पॉरीशेष्ट - दो
तारॉकेत प्रश्न संख्या 2 (क. 1353) की जानकारी

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

प्रपत्र

क्रं.	संभाग	जिले का नाम	आवास स्वीकृति हेतु शेष हितग्राहियों की संख्या		
			स्थायी प्रतिक्षा सूची	आवास प्लस	कुल योग
1	बस्तर	कोण्डागांव	20817	10411	31228
2		नारायणपुर	7840	1372	9212
3		बीजापुर	10610	10188	20798
4		सुकमा	8500	24829	33329
5		दंतेवाड़ा	12234	5145	17379
6		कांकेर	32182	10947	43129
7		बस्तर	10009	47455	57464
कुल			102192	110347	212539

Rishi
(रूही टेम्पुरकर)

उपायुक्त

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
विकास भवन, नवा रायपुर अटल नगर

परोशिष्ट - तीन
तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 1046) की जानकारी

प्रपत्र (अ)

जिला जांजगीर चांपा में 15वे वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा सामग्री क्रय हेतु फर्मों को भुगतान की गयी राशि की जानकारी

क.	वर्ष	ग्राम पंचायत का नाम	फर्म का नाम	भुगतान की गयी राशि
1	2	3	4	5
1	2021-22	अफरीद	श्री राम कम्प्यूटर चाम्पा	0.500
2	2021-22	बम्हनीडीह	अजय इलेक्ट्रॉनिक्स बम्हनीडीह	0.760
3	2021-22	बिरा	छत्तीसगढ़ कम्प्यूटर जांजगीर	0.960
4	2021-22	हथनेवरा	ऑनलाईन कम्प्यूटर जांजगीर	0.200
5	2021-22	खपरीडीह	पूजा कम्प्यूटर शिवरीनारायण	0.760
6	2021-22	देवरहा	कुंजी मेटल देवरहा	0.490
7	2021-22	भागोडीह	छत्तीसगढ़ कम्प्यूटर जांजगीर	0.610
8	2021-22	लखाली	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	0.600
9	2021-22	भदरा	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	0.720
10	2021-22	बसंतपुर	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	0.600
11	2021-22	गतवा	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	1.700
12	2021-22	पूछेली	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	0.580
13	2021-22	सिलादेही	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	0.580
14	2021-22	गोविंदा	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	0.580
15	2021-22	बनडभरा	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	0.580
16	2021-22	परसापाली च.	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	0.580
17	2021-22	जुनाडीह	टोटल कम्प्यूटर साल्यूशन	0.072
18	2021-22	हेडसपुर	अजय इलेक्ट्रॉनिक	4.000
19	2021-22	महुदा-ब	टोटल कम्प्यूटर साल्यूशन	0.200
20	2021-22	चारपारा	देवांगन फर्निचर	0.294
21	2021-22	बसंतपुर	सागर इंटरस्टीज	0.990
22	योग	बसंतपुर	टोटल कम्प्यूटर साल्यूशन	0.990
23	2021-22	बिरगहनी-च	संदीप अग्रवाल	4.473
24	2021-22	सिवनी-च	श्री गणेश इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रीकल्स	0.806
25	2021-22	कोसमंदा	गणेश हार्डवेयर	0.690
26	2021-22	कुटराबोड़	राहुल आनलाईन जैजैपुर	0.420
27	2021-22	शिलमिल	गुडफिट इलेक्ट्रॉनिक राहौद	0.450
28	2021-22	मुडपार-चु	रोहित एजेंसी शिवरीनारायण	0.400
29	2021-22	पचरी	गुडफिट इलेक्ट्रॉनिक राहौद	0.400
30	2021-22	अर्जुनी	देवांगन इलेक्ट्रॉनिक्स	0.190
31	2021-22	खुटादहरा	खर कम्प्यूटर सेंटर	0.660
32	2021-22	पासीद	आर के ट्रेड्स	0.550
33	2021-22	सोनगुडा	खेतान सेल्स	0.350
34	2021-22	कंवली	अजनता फर्निचर रायगढ़	0.950
35	2021-22	छबारीपाली	ओम इटर प्राइजेज	0.250
36	2021-22	फरसवानी	खेतान सेल्स	3.360
37	2021-22	कटेकोनी छोटे	खेतान सेल्स	2.400
38	2021-22	खैरा	खेतान सेल्स	1.600
39	2021-22	सर्राईपाली	सोनी ट्रेडर्स, धुरकोट	2.000
40	2021-22	सर्राईपाली	सोनी ट्रेडर्स, धुरकोट	2.000
41	2021-22	कोमो	सोनी ट्रेडर्स, धुरकोट	2.881

अनुभाग
छत्तीसगढ़
पंचायत एवं ग्रामीण
- भवन, मं


1	2	3	4	5
वर्ष	ग्राम पंचायत का नाम	फर्म का नाम	भुगतान की गयी राशि	
42	2021-22	हरदी	सोनी ट्रेडर्स, धुरकोट	0.600
43	2021-22	चंदली	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	2.000
44	2021-22	कांशीडीह	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	2.000
45	2021-22	गोपालपुर	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	2.000
46	2021-22	ठनगन	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	0.250
47	2021-22	खैरा	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	3.000
48	2021-22	ठनगन	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	2.050
49	2021-22	ठनगन	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	3.000
50	2021-22	मलनी	राहुल आनलाईन जैजैपुर	0.490
51	2021-22	सिरली	राहुल आनलाईन जैजैपुर	0.180
52	2021-22	सेन्दरी	जीवन इलेक्ट्रॉनिक्स जैजैपुर	0.400
53	2021-22	सलनी	शेखर कम्प्यूटर सक्ती	1.000
54	2021-22	डोटमा	आयुष ट्रेडर्स करही	0.100
55	2021-22	चौरभट्टी	राहुल आनलाईन जैजैपुर	0.400
56	2021-22	गलगलाडीह	जय माता दी ट्रेडर्स जैजैपुर	0.430
57	2021-22	केरा	मै. बसंत इंजिनियरिंग निर्माता एवं विक्रेता बिरा रोड केरला आयर के सामने घटोली चौक चांपा	0.840
58	2021-22	बनारी	वंदना ट्रेडर्स सक्ती	1.620
59	2021-22	अमोदा	वंदना ट्रेडर्स सक्ती	1.620
60	2021-22	पेण्डी	वंदना ट्रेडर्स सक्ती	1.620
61	2021-22	सेमरा	वंदना ट्रेडर्स सक्ती	1.620
62	2021-22	पिपरसक्ती	अग्रवाल इंटरप्राइजेस	0.480
63	2021-22	खटोला	श्री राम कम्प्यूटर्स	0.246
64	2021-22	पोडीदल्हा	गुप्ता इंटरप्राइजेस	0.486
65	2021-22	नरियरा	अग्रवाल इंटरप्राइजेस	0.480
66	2021-22	अर्जुनी	श्री राम कम्प्यूटर्स	0.413
67	2021-22	सांकर	साहू इंटरप्राइजेस	0.200
68	2021-22	कटनई	महामाया एजेंसी	0.550
69	2021-22	खिसोरा	श्री राम कम्प्यूटर्स	0.423
70	2021-22	कल्याणपुर	अग्रवाल इंटरप्राइजेस	0.490
71	2021-22	परसदा रें	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	1.800
72	2021-22	सोनसरी	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	1.800
73	2021-22	नरियरा	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती तहसील सक्ती जिला सक्ती	1.800
महायोग				76.56

Rajna
संचालक

पंचायत संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

जिला जांजगीर चांपा में 15वे वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा सामग्री क्रय हेतु फर्मों को भुगतान की गयी राशि की जानकारी

क.	वर्ष	ग्राम पंचायत का नाम	फर्म का नाम	भुगतान की गयी राशि
1	2	3	4	5
1	2022-23	बम्हनीडीह	अजय इलेक्ट्रानिक्स बम्हनीडीह	1.93
3	2022-23	बोकरामुड़ा	दिलेश कुमार बंजारे	0.48
4	2022-23	जुनाडीह	टोटल कम्प्यूटर साल्यूशन	0.30
5	2022-23	पंतोरा	टोटल कम्प्यूटर साल्यूशन	0.48
6	2022-23	चारपारा	टोटल कम्प्यूटर साल्यूशन	0.20
7	2022-23	बैजलपुर	लखन सिंह	0.49
8	2022-23	बसंतपुर	पटेल फोटोकापी	0.50
9	2022-23	सिवनी-च	मॉ मड़वारानी फलाई एस ब्रिक्स	0.25
11	2022-23	बुंदेला	गुडफिट इलेक्ट्रानिक राहौद	0.22
12	2022-23	डोंगाकोहरौद	गुडफिट इलेक्ट्रानिक राहौद	0.20
13	2022-23	चण्डीपारा	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री बाराद्वार रोड सक्ती	1.80
15	2022-23	खुटादहरा	खेतान	0.37
17	2022-23	छबारीपाली	अनिल सायकल स्टोर	0.30
19	2022-23	हरदी	रोहित कुमार बंजारे हरदी	0.20
20	2022-23	डोमाडीह	कश्यप टैंडर्स धिवरा	0.50
21	2022-23	गुचकुलियां	हेमंत इलेक्ट्रानिकस जैजैपुर	0.50
23	2022-23	बुचीहरदी	अग्रवाल इंटरप्राईजेस	0.40
24	2022-23	कोटमीसोनार	श्री राम कम्प्यूटर्स	0.48
25	2022-23	अमरताल	अग्रवाल इंटरप्राईजेस	0.49
26	2022-23	अर्जुनी	अग्रवाल इंटरप्राईजेस	0.40
27	2022-23	आरसमेटा	अग्रवाल इंटरप्राईजेस	0.49
28	2022-23	बम्हनी	श्री राम कम्प्यूटर्स	0.25
महायोग				11.22


 संचालक
 पंचायत संचालनालय
 नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र (ब)

(प्रश्नांश ग) के संबंध में

क.	फर्म/एजेंसी का नाम जो सीएसआइडीसी/जीडीएसएण्डी में पंजीकृत ना हो
1	मॉ मड़वाराणी फ्लाई एस ब्रिक्स
2	मेसर्स दिलेश कुमार बंजारे
3	मेसर्स संदीप अग्रवाल
4	मेसर्स लखन सिंह
5	पटेल फोटोकापी
6	प्रीतम एग्रो इण्डस्ट्री सक्ती
7	श्री गणेश इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रीकल्स
8	सागर इंड्रस्टीज
9	देवांगन इलेक्ट्रॉनिक्स
10	देवांगन फर्निचर
11	वंदना ट्रेडर्स सक्ती
12	अनिल सायकल स्टोर
13	आर के ट्रेडर्स
14	ओम इंटर प्राईजेज
15	टोटल कम्प्यूटर साल्यूशन
16	अजन्ता फर्नीचर रायगढ़
17	गणेश हार्डवेयर
18	शेखर कम्प्यूटर सक्ती
19	खेतान सेल्स
20	कश्यप टेंडर्स धिवरा
21	कुंजी मेटल देवरहा
22	महामाया एजेंसी
23	मेसर्स बसंत इंजिनियरिंग चांपा
24	मेसर्स रोहित कुमार बंजारे हरदी
25	हेमंत इलेक्ट्रॉनिक्स जैजैपुर
26	पूजा कम्प्यूटर शिवरीनारायण
27	श्री राम कम्प्यूटर चाम्पा
28	राहूल आनलाईन जैजैपुर
29	रोहित एजेंसी शिवरीनारायण
30	साहू इंटरप्राईजेस
31	सोनी ट्रेडर्स, धुरकोट
32	छत्तीसगढ़ कम्प्यूटर जांजगीर
33	जय माता दी ट्रेडर्स जैजैपुर
34	जीवन इलेक्ट्रॉनिक्स जैजैपुर
35	आयुष ट्रेडर्स, करही
36	ऑनलाईन कम्प्यूटर जांजगीर
37	अजय इलेक्ट्रॉनिक्स बम्हनीडीह
38	अग्रवाल इंटरप्राईजेस
39	गुप्ता इंटरप्राईजेस
40	गुडफिट इलेक्ट्रॉनिक राहौद


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर


 संचालक
 पंचायत संचालनालय
 नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र-अ

खैरागढ़ एवं राजनांदगांव जिले में विभाग अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2020 से 30 जनवरी, 2024 तक प्रसूता योजनाओं में प्राप्त आवेदनों एवं निराकरण की मंडलवार एवं जिलेवार जानकारी

1. छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

क.	योजना का नाम	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई		राजनांदगांव		महायोग	
		प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन
1	मिनीमाता महतारी जतन योजना	1955	1890	14908	14642	16863	16532

2. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल

क.	योजना का नाम	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई		राजनांदगांव		महायोग	
		प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन
1	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	3325	1937	10059	8180	11030	10117
2	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	3	2	161	157	164	159
3	महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	136	130	637	624	773	754

टीप - खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले का निर्माण वर्ष 2022 में हुआ है इससे पूर्व के आकड़े राजनांदगांव जिले में सम्मिलित है।

[Signature]
अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंडालय
अटल नगर, नया रायपुर

प्रपत्र-ब

श्रम विभाग के अंतर्गत प्रसूता महिलाओं के लिए संचालित योजना में 01 जनवरी, 2020 से 30 जनवरी, 2024 तक लाभान्वित प्रसूता महिलाओं की मंडलवार, वर्षवार, जिलेवार जानकारी

1. छोगो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	लाभान्वित श्रमिक संख्या		
			राजनांदगांव	खैरागढ-छुईखदान-गंडई (03.09.2023 से)	महायोग
1	2020	मिनीमाता महतारी जतन योजना	1664	0	1664
2	2021	मिनीमाता महतारी जतन योजना	1841	0	1841
3	2022	मिनीमाता महतारी जतन योजना	2403	239	2642
4	2023	मिनीमाता महतारी जतन योजना	5253	1199	6452
5	2024 (30 जनवरी 2024 तक)	मिनीमाता महतारी जतन योजना	287	64	351
योग			11448	1502	12950

Pratig
अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नया रावपुर

2. छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल

क्र0	वर्ष	योजना का नाम	लाभान्वितों की संख्या		
			राजनांदागांव	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	महायोग
1	2020	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	851	0	851
2		सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	28	0	28
3		ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	76	0	76
4	2021	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	2073	0	2073
5		सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	26	0	26
6		ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	96	0	96
7	2022	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	1928	517	2445
8		सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	27	1	28
9		ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	124	12	136
10	2023	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	929	651	1580
11		सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	29	0	29
12		ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	115	74	189
13	2024 (30 जनवरी 2024 तक)	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	0	0	0
14		सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	2	0	2
15		ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	20	8	28
योग			6324	1263	7587

टीप - खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले का निर्माण वर्ष 2022 में हुआ है इससे पूर्व के आकड़े राजनांदागांव जिले में सम्मिलित है।

Reaching
जानुमांगी अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
नवल नगर, नवा रायपुर

परोशिष्ट - पाँच

तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 1502) की जानकारी

प्रपत्र

जांजगीर-चांपा जिले में दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसम्बर, 2023 तक असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मंडलवार पंजीयन संख्या एवं पंजीयन माध्यम की जानकारी

क्र.	मंडल का नाम	पंजीयन संख्या	पंजीयन करने का माध्यम
(क)	छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	4510	निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए प्रदेश के समस्त जिला श्रम कार्यालयों में एवं विकासखण्डों में संचालित मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र, लोक सेवा केन्द्रों, श्रमेव जयते मोबाईल एप, मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेब, जिला श्रम कार्यालय जांजगीर-चांपा, श्रम मित्र/श्रम संयोजक एवं श्रम विभागीय वेबपोर्टल https://cglabour.nic.in/ के माध्यम से पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर श्रम निरीक्षकों एवं श्रम उप निरीक्षकों के द्वारा पंजीयन किये जाने का प्रावधान है।
(ख)	छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	23582	कर्मकारों के पंजीयन की कार्यवाही श्रम संसाधन केंद्र (एल.आर.सी), कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी), श्रमेव जयते एप, श्रम विभागीय पोर्टल में ऑनलाईन द्वारा, मोबाइल कैंप, श्रम मित्र एवं जिला श्रम कार्यालयों के माध्यम से की जाती है।
(ग)	छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल	4090	छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल में संगठित क्षेत्र के स्थापना के नियोक्ता द्वारा श्रम विभागीय ऑनलाईन पोर्टल में नियोजित श्रमिकों के नामों की प्रविष्टि की जाती है, जिससे श्रमिक स्वतः पंजीकृत हो जाते हैं।
योग		32182	

Reethig
अनुभाब आयुक्त
श्रम विभाग, मंडल
कच्छा नगर, नवा रायपुर

परीशेष - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 1429) की जानकारी

प्रपत्र

दर्ज प्रकरणों की संख्यात्मक जानकारी

क्र०	अपराध शीर्ष	वर्ष	कोतवाली	बसंतपुर	लालबाग	सोमनी	डोंगरगढ़	छुरिया	बागवती	बोरतलाब	डोंगरगोव	मैदाटोला	धुमका	अजाक	कुल योग	
1	बलात्कार	01.04.21 से 31.03.22	21	6	16	1	19	4	1	0	9	8	4	4	93	
		01.04.22 से 31.03.23	9	8	9	3	10	8	0	0	10	1	5	0	63	
		01.04.23 से 20.01.24 तक	14	2	4	4	15	6	0	2	4	2	3	0	56	
2	छेड़छाड़	01.04.21 से 31.03.22	10	9	13	3	8	3	0	1	5	0	4	1	57	
		01.04.22 से 31.03.23	10	11	7	1	7	7	0	0	0	5	2	1	51	
		01.04.23 से 20.01.24 तक	4	5	10	0	6	0	0	0	1	1	1	2	0	30
3	गुमशुदा	01.04.21 से 31.03.22	103	82	65	33	101	50	0	6	3	3	24	0	470	
		01.04.22 से 31.03.23	110	103	90	40	139	50	1	8	14	6	26	0	587	
		01.04.23 से 20.01.24 तक	111	59	61	36	116	60	1	12	6	0	31	0	493	
4	धोखाधड़ी	01.04.21 से 31.03.22	19	12	5	1	4	3	1	0	2	0	1	0	48	
		01.04.22 से 31.03.23	16	6	4	2	1	0	0	0	0	2	0	1	0	32
		01.04.23 से 20.01.24 तक	18	7	4	4	4	2	1	1	0	2	2	3	0	47
5	चोरी	01.04.21 से 31.03.22	93	64	37	11	93	16	2	0	35	10	20	0	381	
		01.04.22 से 31.03.23	57	53	28	17	83	15	4	1	25	3	8	0	294	
		01.04.23 से 20.01.24 तक	55	30	23	5	57	14	3	2	2	9	2	12	0	212
6	मानव तस्करी	01.04.21 से 31.03.22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		01.04.22 से 31.03.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01.04.23 से 20.01.24 तक	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	अनु.जाति / अनु. जन जाति अत्याचार नि.अधि.	01.04.21 से 31.03.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01.04.22 से 31.03.23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		01.04.23 से 20.01.24 तक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग

परोशिष्ट - सात
तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 874) की जानकारी

प्रपत्र

मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तें

योजना का नाम	पात्रता की शर्तें एवं देय हितलाभ
मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● मंडल में 90 दिवस पूर्व निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो। ● पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 बच्चों हेतु प्रोत्साहन राशि देय होगा। ● योजना का लाभ शैक्षणिक वर्ष में केवल एक ही बार देय होगा। <p>उपरोक्त शर्तों के अध्याधीन -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के आश्रित पुत्र एवं पुत्रियों की शैक्षणिक पाठ्यक्रम में परीक्षा परिणाम 75 प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत से अधिक अंक होने पर प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार देय होगी - <ol style="list-style-type: none"> I. कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं हेतु - छात्र-5,000 रु, छात्रा-5,500 रु II. समस्त स्नातक कक्षा हेतु - छात्र-7,000 रु, छात्रा-7,500 रु III. समस्त स्नातकोत्तर कक्षा हेतु - छात्र-10,000 रु, छात्रा-10,500 रु IV. समस्त व्यवसायिक शिक्षा हेतु - छात्र-12,000 रु, छात्रा-12,500 रु 2. छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा दसवीं एवं बारहवीं में प्रावीण्य सूची के प्रथम 10 में आने पर रूपये 1 लाख एवं दोपहिया वाहन क्रय किए जाने हेतु अतिरिक्त अनुदान राशि रु 1 लाख। 3. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के आश्रित पुत्र एवं पुत्रियों को व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे - आईटीआई, आईआईटी, आई0आई0आई0टी0, इंजीनियरिंग, बी0टेक, एम0टेक, बी0आर्क0, एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0, बी0ए0एम0एस0, कृषि के समस्त कोर्स, बी0एड0, डी0एड0, एम0एड0, सी0पी0ई0डी0, बी0सी0ए0, एम0सी0ए0, बी0बी0ए, एम0बी0ए0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0 मेडीकल, डेन्टल एवं नर्सिंग कॉलेज, जीएनएम नर्सिंग, बी0एस0सी0 नर्सिंग, बी फार्मसी, डी-फार्मसी, पॉलिटेक्निक एवं डिप्लोमा कोर्स (यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से) में अध्ययन हेतु प्रवेश करने पर प्रत्येक शिक्षा सत्र की प्रवेश शुल्क/शैक्षणिक शुल्क/छात्रावास में रहने एवं भोजन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मंडल द्वारा शासकीय संस्था में लागू शुल्क के अनुरूप देय होगा साथ ही प्रतिवर्ष कॉपी किताब एवं स्टेशनरी हेतु राशि रु 2,000 मंडल द्वारा पृथक से देय होगा। इस हेतु प्रतिशत/ग्रेड की बाध्यता नहीं होगी। 4. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के आश्रित पुत्र एवं पुत्रियों को भारत के बाहर किसी भी देश में एक वर्षीय अधिसूचित व्यावसायिक पाठ्यक्रम किये जाने हेतु निम्नानुसार सहायता प्रदान की जावेगी - <ol style="list-style-type: none"> I. विदेश अध्ययन हेतु शिक्षा सहायता के लिये निर्धारित देश विशेष में प्रवेश संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं प्रवेश हेतु योग्यता प्रमाण पत्र, कॉलेज में नियमित कक्षा लिये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही सहायता राशि देय होगा। II. विदेश में अध्ययन के लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा उस देश में अध्ययन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क मंडल द्वारा वहन किया जावेगा। III. प्रत्येक शिक्षा-सत्र की वास्तविक प्रवेश शुल्क, अथवा अधिकतम राशि रु 50,00,000/- (उस देश के लिए निर्धारित करंसी की अद्यतन दर पर) सहायता राशि देय होगी।


अनुभाब अधिकारी
क्रम विभाग, मंत्रालय
कमल नगर, नया इलाहाबाद

योजना का नाम	पात्रता की शर्तें एवं देय हितलाभ
मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना	<p>IV. निर्वाह भत्ता – संबंधित संस्थान के छात्रावास का वार्षिक वास्तविक शुल्क, जो कि जिस शैक्षणिक संस्था में अध्ययन हेतु छात्र/छात्रा जा रहा है उस संस्था द्वारा प्रदर्शित देश विदेश में होने वाले मासिक व्यय पर आधारित होगा।</p> <p>V. श्रमिक का मंडल में 03 वर्ष पूर्व निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। विदेश में अध्ययन हेतु छात्र/छात्रा को किसी स्रोत (केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना) से लाभ प्राप्त होने की स्थिति में विदेश अध्ययन पर देय सहायता राशि के पात्र नहीं होगा।</p> <p>टीप:- हितग्राही प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में किसी एक कक्षा अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु सरल क्र. 01 से 04 में से किसी एक लाभकारी प्रावधान का चयन कर लाभ ले सकेगा।</p>

Deetling
 अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर

पॉरीशेड - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1404) की जानकारी

प्रपत्र

जिला महासमुंद में वर्ष 2020 से 15 जनवरी 2024 तक लंबित प्रकरणों की थानावार जानकारी

थाना	वर्ष	पुलिस अधीक्षक कार्यालय को प्राप्त आवेदन/शिकायत पत्रों की संख्यात्मक जानकारी	संबंधित थानों को प्रेषित आवेदन/ शिकायत पत्रों की संख्यात्मक जानकारी	लंबित आवेदन /शिकायत पत्रों की संख्यात्मक जानकारी
कोतवाली महासमुंद	2020	320	320	3
	2021	389	389	9
	2022	413	413	88
	2023	356	356	208
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	5	5	4
योग		1483	1483	312
तुमगांव	2020	72	72	0
	2021	73	73	0
	2022	105	105	1
	2023	64	64	21
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	4	4	4
योग		318	318	26
खल्लारी	2020	53	53	0
	2021	54	54	0
	2022	59	59	2
	2023	54	54	13
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	1	1	1
योग		221	221	16
बागबाहरा	2020	50	50	0
	2021	74	74	0
	2022	81	81	3
	2023	65	65	11
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	2	2	2
योग		753	753	39
कोमाखान	2020	33	33	0
	2021	48	48	0
	2022	47	47	0
	2023	50	50	13
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	0	0	0
योग		178	178	13
तेन्दूकोना	2020	25	25	0
	2021	33	33	0
	2022	45	45	0
	2023	29	29	5
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	1	1	1
योग		133	133	6

6
 अनुभाग अधिकारी
 गृह विभाग
 संकलन, रायपुर

पटेवा	2020	45	45	0
	2021	57	57	0
	2022	50	50	0
	2023	67	67	5
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	2	2	1
योग		221	221	6
पिथौरा	2020	78	78	0
	2021	118	118	0
	2022	85	85	2
	2023	87	87	7
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	5	5	3
योग		373	373	12
सांकरा	2020	70	70	0
	2021	65	65	0
	2022	80	80	0
	2023	102	102	6
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	2	2	2
योग		319	319	8
बसना	2020	182	182	0
	2021	159	159	0
	2022	209	209	4
	2023	197	197	30
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	6	6	5
योग		753	753	39
सरायपाली	2020	139	139	0
	2021	126	126	0
	2022	127	127	0
	2023	103	103	8
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	2	2	1
योग		497	497	9
बलौदा	2020	0	0	0
	2021	1	1	0
	2022	1	1	0
	2023	8	8	2
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	4	4	4
योग		14	14	6
सिधोड़ा	2020	9	9	0
	2021	11	11	0
	2022	9	9	0
	2023	19	19	4
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	0	0	0
योग		48	48	4

परिवार परामर्श केन्द्र	2020	31	31	0
	2021	49	49	0
	2022	43	43	0
	2023	39	39	2
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	0	0	0
योग		162	162	2
सायबर सेल महासमुंद	2020	22	22	0
	2021	20	20	0
	2022	10	10	0
	2023	15	15	4
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	1	1	1
योग		68	68	5
अति.पुलिस अधीक्षक	2020	32	32	0
	2021	56	56	0
	2022	31	31	0
	2023	63	63	1
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	0	0	0
योग		182	182	1
उप पुलिस अधीक्षक अजाक	2020	2	2	0
	2021	3	3	0
	2022	33	33	1
	2023	14	14	1
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	0	0	0
योग		45	45	0
अनु. अधिकारी पुलिस महासमुंद	2020	90	90	0
	2021	144	144	0
	2022	129	129	1
	2023	159	159	30
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	3	3	3
योग		525	525	34
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बागबाहरा	2020	30	30	0
	2021	50	50	0
	2022	40	40	3
	2023	58	58	37
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	4	4	4
योग		182	182	44
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पिथौरा	2020	68	68	0
	2021	88	88	0
	2022	52	52	0
	2023	81	81	4
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	3	3	3
योग		292	292	7

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सरायपाली	2020	81	81	0
	2021	91	91	0
	2022	103	103	1
	2023	131	131	48
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	5	5	4
योग		411	411	53
महायोग	2020	1432	1432	3
	2021	1709	1709	9
	2022	1752	1752	106
	2023	1761	1761	460
	2024 में 15 जनवरी 2024 तक	50	50	43
	महायोग	6704	6704	621


अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर



पारिशेष - नो

तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1383) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिला का नाम	इकाई का नाम एवं पता	उत्पाद का नाम	पूंजी निवेश (लाख रु. में)	रोजगार		इकाई को प्रदत्त अनुदान		
					छ0ग0 राज्य के	राज्य के बाहर	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान (लाख रु. में)	ब्याज अनुदान (लाख रु. में)	मार्जिन मनी अनुदान (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सक्ती	मेसर्स ओम राईस मिल, बोईरडीह तह.-सक्ती	राईस मिल	165.67	9	-	48.37	1.42	0
2	जांजगीर-चांपा	मेसर्स श्री कृष्णा सिरामिक्स, ग्राम-अफरीद तह.-चांपा	सिरामिक्स प्रोडक्ट	100.00	8	-	35.00	0	0
3	जांजगीर-चांपा	मेसर्स महावीर कोल वाशरीज प्रा.लिमि. , मिलाई तह.-बलौदा	कोल शिडिंग	345.32	9	-	0	0	0
4	जांजगीर-चांपा	मेसर्स श्रीवास फलाई एश ब्रिक्स, मेउ तह.-पामगाढ़	फलाई एश ब्रिक्स	70.73	8	-	25.43	3.23	0
5	जांजगीर-चांपा	मेसर्स श्री मारुति इण्डस्ट्रीज, सिवनी तह.-बलौदा	एच.डी.पी.पाईप	180.21	5	-	66.00	6.76	0
6	जांजगीर-चांपा	मेसर्स श्री बालाजी सप्लायर, मेन रोड नैला तह.-जांजगीर	फेब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट	1.12	3	-	0	0	0
7	सक्ती	मेसर्स मारुति उद्योग, कोरबा रोड, सक्ती	फेब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट	0.71	5	-	0	0	0
8	जांजगीर-चांपा	मेसर्स फोनिकस एडजारमेन्ट्स, औ.क्षेत्र कापन तह.-अकलतरा	कार्बन एक्टिवेटेड	161.24	17	-	0	0	0
9	जांजगीर-चांपा	मेसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज, पेण्डी तह.-जांजगीर	चेम लिंक,	44.97	6	-	0	0	0
10	जांजगीर-चांपा	मेसर्स कान्हा ब्रिक्स, मदनपुर तह.-बलौदा	फलाई एश ब्रिक्स	30.30	9	-	9.67	0	0
11	सक्ती	मेसर्स आर्यन फाईल एण्ड पेपर उद्योग, डभरा	फाईल कव्हर	34.45	5	-	12.19	0	0
12	जांजगीर-चांपा	मेसर्स तिरुपति राईस मिल, पुटपुरा तह.-जांजगीर	राईस मिल	216.28	9	-	16.00	29.39	50.00
13	जांजगीर-चांपा	मेसर्स मिथलेस कुमार अग्रवाल, मुनूद रोड, खोखरा	राईस मिल	22.54	6	-	0	0	0
14	जांजगीर-चांपा	मेसर्स श्री नरबंदी फूड कंपनी, पुटपुरा रोड खोखरा तह.-जांजगीर	राईस मिल	24.36	7	-	0	0	0
15	सक्ती	मेसर्स लावी फलाई एश ब्रिक्स, शिकारीनार तह.-जैजपुर	फलाई एश ब्रिक्स	32.01	8	-	4.47	1.18	0
16	जांजगीर-चांपा	मेसर्स पंचदेव मिलिंग इण्डस्ट्रीज, शिकरीनारायण रोड, अकलतरा	राईस मिल	115.58	8	-	0	0	0
17	जांजगीर-चांपा	मेसर्स जगमोहन फलाई एश ब्रिक्स, मुडपार तह.-नवागाढ़	फलाई एश ब्रिक्स	19.44	9	-	6.60	0	0
18	जांजगीर-चांपा	मेसर्स श्री महामाया राईस मिल, तिलाई तह.-अकलतरा	राईस मिल	83.00	9	-	21.17	0	0
19	जांजगीर-चांपा	मेसर्स सतोष टाईल्स, मुडपार तह.-नवागाढ़	पेवर ब्लॉक	23.99	9	-	7.37	0	0
20	जांजगीर-चांपा	मेसर्स जय श्री राईस मिल, अफरीद तह.-चांपा	राईस मिल	28.29	3	-	0	0	0

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
ए.पी.साहू, महालय रायपुर

क्र.	जिला का नाम	इकाई का नाम एवं पता	उत्पाद का नाम	पूजी निवेश (लाख रु. में)	रोजगार		इकाई को प्रदत्त अनुदान		माजिन मनी अनुदान (लाख रु. में)
					छठगठ राज्य के	राज्य के बाहर	स्थायी पूजी निवेश अनुदान (लाख रु. में)	ब्याज अनुदान (लाख रु. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	जांजगीर-चांपा	मेसर्स स्पेशलिटी सिरामिक्स, अफरीद तह.-चांपा	सिरामिक्स प्रोडक्ट	102.00	8	-	35.00	0	0
22	जांजगीर-चांपा	मेसर्स अरविंद सिरामिक्स, अफरीद तह.-चांपा	सिरामिक्स प्रोडक्ट	105.00	8	-	35.00	0	0
23	जांजगीर-चांपा	मेसर्स आर्या इण्डस्ट्रीज, अफरीद तह.-चांपा	सिरामिक्स प्रोडक्ट	122.00	8	-	38.50	0	0
24	जांजगीर-चांपा	मेसर्स शुभ सिरामिक्स, अफरीद तह.-चांपा	सिरामिक्स प्रोडक्ट	109.00	8	-	35.50	0	0
25	जांजगीर-चांपा	मेसर्स शिवा ब्रिक्स, करमदा तह.-बलौदा	फलाई एश ब्रिक्स	24.50	10	-	10.25	1.27	0
26	जांजगीर-चांपा	मेसर्स राज एग्रो इण्डस्ट्रीज, नेउरबंद तह.-पामगढ़	राईस मिल	233.01	9	-	38.00	10.58	22.00
27	जांजगीर-चांपा	मेसर्स मोनोफ्लक्स इण्डस्ट्रीज, अफरीद तह.-चांपा	सिरामिक्स प्रोडक्ट	103.00	8	-	35.00	0	0
28	जांजगीर-चांपा	मेसर्स सावित्री फलाई एश ब्रिक्स, नैला तह.-जांजगीर	फलाई एश ब्रिक्स	43.20	6	-	15.55	0	0
29	जांजगीर-चांपा	मेसर्स महादेवी सीमेंट वर्क्स, किरारी तह.-अकलतरा	फलाई एश ब्रिक्स	50.20	9	-	0	0.79	0
30	सक्ती	मेसर्स गुप्ता स्टोन माईस, डूमरपारा तह.-सक्ती	डोलोमाईट	519.00	13	-	60.00	0	0
31	सक्ती	मेसर्स मां अष्टमूजी फलाई एश ब्रिक्स, अड़मार तह.-मालखरौदा	फलाई एश ब्रिक्स	42.60	8	-	11.71	0	0
32	सक्ती	मेसर्स श्री मंगलम एग्रो प्रोडक्ट, खरसिया रोड, डभरा	राईस मिल	174.04	9	-	55.23	0	0
33	सक्ती	मेसर्स अनिल इंजीनियरिंग, पिहरीद तह.-मालखरौदा	एग्रीकल्चर एम्पलीमेंट	74.55	5	-	21.14	2.10	0
34	सक्ती	मेसर्स आनंदी राईस मिल, बाराद्वार बस्ती तह.-सक्ती	राईस मिल	172.00	9	-	59.87	5.25	0
35	जांजगीर-चांपा	मेसर्स रुद्रा इण्डस्ट्रीज, मदनपुर तह.-बलौदा	स्क्रॉन चिप्स	56.25	8	-	11.61	3.23	8.00
36	सक्ती	मेसर्स एल.एन. टेडर्स, फगुराम तह.-मालखरौदा	राईस मिल	191.53	9	-	60.00	1.30	0
37	सक्ती	मेसर्स सिंघल वेयर हाउस, नंदेरी तह.-सक्ती	वेयर हाउस	39.10	4	-	10.72	0.56	0
38	जांजगीर-चांपा	मेसर्स पटेल पेवर ब्लॉक, घटोली चौक, चांपा तह.-चांपा	पेवर ब्लॉक	16.49	9	-	0	0	0
39	सक्ती	मेसर्स श्री कामाक्षी राईस मिल, मालखरौदा तह.-मालखरौदा	राईस मिल	174.83	9	-	58.70	4.66	0
40	सक्ती	मेसर्स आर.के.डिजीटल, वार्ड नं.-8 राजापारा, सक्ती तह.-सक्ती	प्रिंटिंग वर्क्स	46.92	6	-	0	0	0
41	जांजगीर-चांपा	मेसर्स मां कृपा राईस मिल, मेन रोड मुनुद तह.-नवागढ़	राईस मिल	166.02	9	-	56.86	3.34	0
42	सक्ती	मेसर्स श्री कृष्णा फलाई एश ब्रिक्स, पिहरीद तह.-मालखरौदा	फलाई एश ब्रिक्स	41.93	7	-	12.63	0	0
43	सक्ती	मेसर्स शिव राईस मिल, नवापारा कला, सक्ती तह.-सक्ती	राईस मिल	84.37	6	-	0	0	0
44	जांजगीर-चांपा	मेसर्स रामा फूड्स, सिक्नी तह.-बलौदा	कार्न फ्लैक्स	286.60	9	-	38.00	14.92	50.00

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	जिला का नाम	इकाई का नाम एवं पता	उत्पाद का नाम	पूँजी निवेश (लाख रु. में)	रोजगार		इकाई को प्रदत्त अनुदान		
					छठगठ राज्य के	राज्य के बाहर	स्थायी पूँजी निवेश अनुदान (लाख रु. में)	व्याज अनुदान (लाख रु. में)	माजिन मनी अनुदान (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	सक्ती	मेसर्स श्री श्याम फ्लाई एश ब्रिक्स, जैजपुर रोड, नया बाराहार तह. -सक्ती	फ्लाई एश ब्रिक्स	71.65	8	-	40.70	0.21	0
46	जांजगीर-चांपा	मेसर्स मल्टीटेक सिरामिक्स, मंवरमाल तह.-चांपा	सिरामिक्स प्रोडक्ट	117.90	9	-	35.00	0	0
47	जांजगीर-चांपा	मेसर्स राधाशानी एग्रो मिल, सारागांव रोड कोसमंदा तह.-चांपा	राईस मिल	13.92	9	-	0	0	0
48	सक्ती	मेसर्स गंगा चावल उद्योग, जैजपुर रोड, बाराहार तह.-बाराहार	राईस मिल	171.71	9	-	54.69	6.23	0
49	सक्ती	मेसर्स अजनी एग्रो, फगुराम तह.-मालखरौदा	राईस मिल	177.17	9	-	16.73	0	0
50	जांजगीर-चांपा	मेसर्स पवनसुत एग्रो इण्डस्ट्रीज, किरारी तह.-अकलतरा	राईस मिल	520.24	17	-	0	0	0
51	जांजगीर-चांपा	मेसर्स श्री राईस इण्डस्ट्रीज, अकलतरा	राईस मिल	47.53	8	-	0	0	0
52	सक्ती	मेसर्स बाबा हरिदास राईस मिल, फगुराम तह.-मालखरौदा	राईस मिल	208.10	8	-	60.00	4.76	0
53	जांजगीर-चांपा	मेसर्स बगडिया राईस इण्डस्ट्रीज, खिसारा तह.-अकलतरा	राईस मिल	9.00	8	-	0	0	0
54	सक्ती	मेसर्स जिंदल इण्डस्ट्रीज, सक्ती	रिफाइन ऑयल	94.70	7	-	53.00	0.89	0
55	सक्ती	मेसर्स श्री राधाकृष्णा टेडर्स, बोडसागर तह.-मालखरौदा	राईस मिल	179.16	9	-	58.38	0	0
56	सक्ती	मेसर्स राधे कृष्णा फूड प्रोडक्ट, नवापाराकला सक्ती तह.-सक्ती	राईस मिल	287.43	7	-	60.00	0	0
57	सक्ती	मेसर्स मां शाम्बकी फूड्स, डिक्सी तह.-मालखरौदा	राईस मिल	225.59	7	-	41.00	1.01	25.00
58	जांजगीर-चांपा	मेसर्स नारायणी राईस मिल, वार्ड नं.-10 सूर्यवंशी मोहल्ला, सारागांव तह.-चांपा	राईस मिल	54.05	9	-	0	0	0
59	सक्ती	मेसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज, कोरबा रोड सक्ती तह.-सक्ती	फ्लाई एश ब्रिक्स	44.77	6	-	13.11	0	0
60	सक्ती	मेसर्स श्री बालाजी फ्लाई एश ब्रिक्स, जैजपुर रोड, नया बाराहार तह.-सक्ती	फ्लाई एश ब्रिक्स	95.68	8	-	29.70	2.02	0
61	जांजगीर-चांपा	मेसर्स लडु गोपाल राईस मिल, नरियरा तह.-अकलतरा	राईस मिल	134.73	9	-	0	0	0
62	जांजगीर-चांपा	मेसर्स लक्ष्मी राईस मिल, अकलतरा	राईस मिल	58.45	6	-	0	0	0
63	जांजगीर-चांपा	मेसर्स कान्हा फ्लाई एश ब्रिक्स, सिवनी तह.-चांपा	फ्लाई एश ब्रिक्स	45.84	9	-	30.78	0	0
64	सक्ती	मेसर्स श्री श्याम एग्रो, नदेलीभांठा तह.-सक्ती	राईस मिल	32.12	6	-	0	0	0
65	सक्ती	मेसर्स श्री मंगलम एग्रो प्रोडक्ट, यूनिट-2, उभरा	राईस मिल	175.46	8	-	60.00	0	0



अनुभाम अचिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	जिला का नाम	इकाई का नाम एवं पता	उत्पाद का नाम	पूजी निवेश (लाख रु. में)	रोजगार		इकाई को प्रदत्त अनुदान		
					छठगठ राज्य के	राज्य के बाहर	स्थायी पूजी निवेश (लाख रु. में)	ब्याज अनुदान (लाख रु. में)	मार्जिन मनी अनुदान (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	जांजगीर-चांपा	मेसर्स भुवनेश्वरी एग्रो इण्डस्ट्रीज, झलमला रोड, नरियरा तह. -अकलतरा	राईस मिल	21.27	6	-	0	0	0
67	सक्ती	मेसर्स ए.आर. एग्रो, बाराह्वार बस्ती तह.-बाराह्वार	राईस मिल	194.67	7	-	60.00	0.14	0
68	जांजगीर-चांपा	मेसर्स आयांश ग्राफिक्स, सदर बाजार,चांपा	प्रिंटेड पिकचर, फोटोग्राफ्स	26.93	3	-	0	0	0
69	सक्ती	मेसर्स श्री खेतान इण्डस्ट्रीज, असौदा, सक्ती	फर्नीचर निर्माण उद्योग	71.90	6	-	21.36	0	0
70	सक्ती	मेसर्स मां आनंदी राईस मिल, बाराह्वार बस्ती, सक्ती	राईस मिल	39.31	5	-	0	0	0
71	सक्ती	मेसर्स श्री अग्रसेन राईस मिल, फगुराम, मालखरौदा	राईस मिल	171.77	9	-	55.61	0	0
72	जांजगीर-चांपा	मेसर्स नया फूड्स, किरारी रोड, अकलतरा	फाटिफाईड राईस	76.70	5	-	26.84	0	0
73	सक्ती	मेसर्स जिंदल वेयर हाउस,सकरेली,सक्ती	वेयर हाउस	140.65	5	-	53.00	2.33	0
74	सक्ती	मेसर्स अन्नापूर्णा एगोटैक इण्डस्ट्रीज,नया बाराह्वार,सक्ती	राईस मिल	216.82	7	-	60.00	0	0
75	सक्ती	मेसर्स गोयल ब्रिक्स उद्योग, धुरकोट, डभरा	फलाई एश ब्रिक्स	55.18	6	-	18.59	0	0
76	सक्ती	मेसर्स श्री बैजनाथ राईस मिल,डूमरपारा, सक्ती	राईस मिल	174.30	8	-	57.23	0	0
77	सक्ती	मेसर्स छोटी देवी एग्रो, नंदेली, सक्ती	राईस मिल	204.55	7	-	66.00	0	0
78	जांजगीर-चांपा	मेसर्स अर्पित इन्टरप्राइजेस, मदनपुर, बलौदा	राईस मिल	182.75	7	-	59.79	0	0
79	जांजगीर-चांपा	मेसर्स खण्डेलिया राईस मिल, अकलतरा	राईस मिल	64.95	9	-	0	0	0
80	जांजगीर-चांपा	मेसर्स श्री श्याम राईस मिल, अडभार, मालखरौदा	राईस मिल	74.74	7	-	0	0	0
81	जांजगीर-चांपा	मेसर्स श्री जीण माता राईस मिल, रसेडा, अकलतरा	राईस मिल	92.56	9	-	0	0	0
82	जांजगीर-चांपा	मेसर्स आर.वी.एग्रो इण्डस्ट्रीज, किरारी, अकलतरा	राईस मिल	68.88	6	-	0	0	0
83	सक्ती	मेसर्स हरुमाझी हरिगुर्जर राईस मिल,सकरेली,मालखरौदा	राईस मिल	190.60	7	-	60.00	0	0
84	सक्ती	मेसर्स आर.के.कारपोरेशन,मांटा,मालखरौदा	राईस मिल	168.59	10	-	52.60	0	9.00
85	सक्ती	मेसर्स कृष्णा राईस मिल,नहर रोड,फगुराम,मालखरौदा	राईस मिल	150.74	9	-	61.17	0	0
86	जांजगीर-चांपा	मेसर्स आदित्य इण्डस्ट्रीज,बनारी,नवागढ़	पेपर ब्लाक,ब्रिक्स	36.96	7	-	0	0	0
87	सक्ती	मेसर्स परी फर्नीचर, छोटे सीपत, मालखरौदा	फर्नीचर निर्माण उद्योग	162.62	7	-	0	0	0
88	जांजगीर-चांपा	मेसर्स श्री मिनरल्स, ओराईकला, बलौदा	स्टोन चिप्स	185.88	6	-	60.00	0	0
89	सक्ती	मेसर्स खेतान राईस मिल, राममांठा,डभरा	राईस मिल	219.64	9	-	0	0	0

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	जिला का नाम	इकाई का नाम एवं पता	उत्पाद का नाम	पूजी निवेश (लाख रु. में)	रोजगार		इकाई को प्रदत्त अनुदान			मार्जिन मनी अनुदान (लाख रु. में)
					छठगो राज्य के	राज्य के बाहर	स्थायी पूजी निवेश अनुदान (लाख रु. में)	ब्याज अनुदान (लाख रु. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
90	सक्ती	मेसर्स कृष्णा राईस मिल, सपोस, डभरा	राईस मिल	176.57	8	-	66.00	0	0	
91	सक्ती	मेसर्स श्री श्याम राईस मिल, मांटा, मालखरौदा	राईस मिल	175.96	9	-	62.28	0	0	
92	सक्ती	मेसर्स एस.के.एम. इण्डस्ट्रीज, गोपालपुर, डभरा	राईस मिल	188.43	9	-	66.00	0	0	
93	जांजगीर-चांपा	मेसर्स पारस राईस मिल, खोखरा, नवागढ़	राईस मिल	103.55	8	-	43.20	3.63	0	
94	सक्ती	मेसर्स राधारमण अग्रवाल, युनिट-2, सौंठी, सक्ती	राईस मिल	179.14	8	-	66.00	0	0	
95	सक्ती	मेसर्स ओम फ्लोर मिल, नया बाशदा, सक्ती	फ्लोर मिल	152.38	8	-	56.69	0	0	
96	सक्ती	मेसर्स मां महाकाली एग्रो, मसानियाकला, सक्ती	राईस मिल	192.09	7	-	60.00	0	0	
97	जांजगीर-चांपा	मेसर्स मां सीता राईस मिल, बम्हनीडीह	राईस मिल	77.60	8	-	0	0	0	
98	जांजगीर-चांपा	मेसर्स ओम एश ब्रिक्स एण्ड ब्लॉक्स, तिलई, अकलतरा	ब्रिक्स एण्ड ब्लॉक्स	160.66	9	-	38.50	0	0	
99	सक्ती	मेसर्स श्री श्याम राईस मिल, सकरेली, सक्ती	राईस मिल	187.57	7	-	60.00	0	0	
100	सक्ती	मेसर्स नुपूर ब्लॉक, पोता, मालखरौदा	पेपर ब्लॉक, ब्रिक्स	35.32	7	-	12.26	0	0	
101	सक्ती	मेसर्स श्री लक्ष्मी निधि राईस मिल, डूसरपारा, सक्ती	राईस मिल	49.07	6	-	0	0	0	
102	सक्ती	मेसर्स अपेक्स इण्डस्ट्रीज, नन्दौरखूद, सक्ती	बारबेड वायर, चैन लिंक	61.99	7	-	22.35	0	0	
103	सक्ती	मेसर्स एम.एस.राईस उद्योग, सकरेली, सक्ती	राईस मिल	139.73	8	-	66.00	0	0	
104	जांजगीर-चांपा	मेसर्स के.टी.एस.संस इण्डस्ट्रीज, पामगढ़	राईस मिल	271.77	6	-	0	0	41.00	
105	जांजगीर-चांपा	मेसर्स महाराजा ट्रेडिंग कंपनी, अकलतरा	मिनी राईस मिल	11.39	9	-	0	0	0	
106	सक्ती	मेसर्स मां प्रभा देवी वेयर हाउस, बारदा, सक्ती	वेयर हाउस	64.94	4	-	24.04	0	0	
107	सक्ती	मेसर्स मां भगवती वेयर हाउस, बोडासागर, मालखरौदा	वेयर हाउस	55.21	4	-	20.48	0	0	
108	जांजगीर-चांपा	मेसर्स उषा अग्रवाल, खोखरा, नवागढ़	वेयर हाउस	47.01	3	-	0	0	0	
109	सक्ती	मेसर्स मीना ब्रिक्स, युनिट-2, सकरेली, बारदा	पलाई एश ब्रिक्स	148.99	8	-	0	12.77	0	
110	सक्ती	मेसर्स श्री रूकमणी चावल उद्योग, नवापाराकला, सक्ती	राईस मिल	60.74	7	-	0	0	0	
111	जांजगीर-चांपा	मेसर्स चंदशेखर मेटल प्रोडक्ट, औंक्षेत्र कापन, अकलतरा	फेब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट	56.22	7	-	0	0	0	
112	सक्ती	मेसर्स जय बाबा बैद्यनाथ राईस मिल, मालखरौदा	राईस मिल	86.68	9	-	0	0	0	
113	जांजगीर-चांपा	मेसर्स शारदा एग्रो इण्डस्ट्रीज, धुरकोट, नवागढ़	राईस मिल	155.26	9	-	0	0	0	

18/2/24

अनुभाग अधिष्ठाता
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
इंजीनियरिंग भवन, रायपुर

क्र.	जिला का नाम	इकाई का नाम एवं पता	उत्पाद का नाम	पूंजी निवेश (लाख रु. में)	रोजगार		इकाई को प्रदत्त अनुदान		
					छ0ग0 राज्य के	राज्य के बाहर	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान (लाख रु. में)	ब्याज अनुदान (लाख रु. में)	मार्जिन मनी अनुदान (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	सक्ती	मेसर्स श्री अष्टभुजी ट्रेडर्स, फगुराम,मालखरौदा	राईस मिल	163.09	6	-	0	0	0
115	जांजगीर-चांपा	मेसर्स बालाजी राईस मिल,चारपारा,बलौदा	राईस मिल	190.65	8	-	0	0	0
116	जांजगीर-चांपा	मेसर्स मधु इंटरप्राइजेस, तिलई, अकलतरा	राईस मिल	118.45	6	-	0	0	0
117	जांजगीर-चांपा	मेसर्स जय दुर्गा राईस मिल,बनाहिल,अकलतरा	राईस मिल	63.00	8	-	0	0	0
118	सक्ती	मेसर्स सरला ग्रेन्स, कुलबा, मालखरौदा	राईस मिल	189.53	8	-	0	0	0
119	जांजगीर-चांपा	मेसर्स प्रीति इण्डस्ट्रीज, कल्याणपुर,अकलतरा	केटल फीड	19.68	8	-	0	0	0
120	जांजगीर-चांपा	मेसर्स बंदीनारायण मोहनलाल, अकलतरा	राईस मिल	4.06	8	-	0	0	0
121	जांजगीर-चांपा	मेसर्स पवनसुत एग्रो इण्डस्ट्रीज,किरारी,अकलतरा	राईस मिल	520.24	9	-	0	0	0
122	जांजगीर-चांपा	मेसर्स पैराक्युका मेटाकेम इण्डस्ट्रीज,घुटिया,नवागढ़	रिफैक्ट्रीज प्रोडक्ट	226.42	7	-	37.80	0	0
123	जांजगीर-चांपा	मेसर्स शारदा राईस मिल, तिलई, अकलतरा	राईस मिल	149.15	6	-	0	0	0
124	सक्ती	मेसर्स श्री एम.एल.ए.फूड प्रोडक्ट,सकरेली, बाराहारा	फोर्टिफाईड राईस	430.49	8	-	0.00	0	50.00
125	जांजगीर-चांपा	मेसर्स कृष्ण कुमार कश्यप,बोरदा, नवागढ़	मिनी राईस मिल	25.00	4	-	0	0	0
126	जांजगीर-चांपा	मेसर्स ओंकार एग्रोटेक, नरियरा, अकलतरा	राईस मिल	56.65	7	-	0	0	0
127	सक्ती	मेसर्स मां शारदा एग्रो, भांला, मालखरौदा	राईस मिल	174.69	6	-	0	0	0
128	सक्ती	मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज, डिकसी,अडभार	राईस मिल	198.15	6	-	0	0	0
129	सक्ती	मेसर्स बांसुरी एग्रो, बाराहारा,सक्ती	राईस मिल	190.59	7	-	0	0	0
130	जांजगीर-चांपा	मेसर्स रोडियंट कोल बेनिफिकेशन प्रा.लिमि.,बलौदा	कोल वाशरी	1001.9	37	-	0	0	0
योग					1013		2918.42	123.97	255


 अनुभाग अधिकारी
 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
 छक्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

परोशेष्ट - दस

तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 950) की जानकारी

प्रपत्र

आबंटित इकाईयों की जानकारी

क्र.	आबंटी इकाई का नाम	प्रोपराईटर का नाम	भूखण्ड क्रमांक	भूमि का रकबा	आबंटन दिनांक
1	मेसर्स जान्हवी इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक संस्थान भिलाई	श्रीमती पूजा अग्रवाल	98 / एच-1	21780 वर्गफीट	29.06.2020
2	मेसर्स साहिल इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक संस्थान भिलाई	श्री नवीन कुमार अग्रवाल	98 / एच-2	21780 वर्गफीट	29.06.2020
3	मेसर्स बाबा ट्रेडर्स, औद्योगिक संस्थान भिलाई	श्री मनिंदर सिंह	98 / एच-3	10000 वर्गफीट	03.04.2021
4	मेसर्स सौभाग्य इंजीनियर्स, औद्योगिक संस्थान भिलाई	श्री स्वरूप नारायण मिश्रा	98 / एच-4	15000 वर्गफीट	10.06.2021
5	मेसर्स हेमंत इंजीनियरिंग, औद्योगिक संस्थान भिलाई	श्री हेमंत निषाद	98 / एच-5	15000 वर्गफीट	10.06.2021
6	मेसर्स गर्ग इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक संस्थान भिलाई	श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल	98 / एच-6	12500 वर्गफीट	08.06.2021


 अनुभाग अधिकारी
 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

औद्योगिक प्रयोजनार्थ (1200 मेगावॉट थर्मल प्लांट की स्थापना हेतु)
जिला जांजगीर-चांपा में आधिपत्य में प्राप्त निजी एवं शासकीय भूमि की जानकारी
(मेसर्स एथेना छत्तीसगढ़ पॉवर लिमिटेड की स्थापना हेतु)

क्रमांक	ग्राम का नाम	निजी भूमि (एकड़ में)
1.	निमोही ओडेकेरा बेनीपाली	117.44
		229.08
		20.94
		367.46 ए. (148.709 हे.)
2.	सिंघीतराई	339.85 एकड़ (137.535 हे.)
3.	सिंघीतराई	53.14 एकड़ (21.505 हे.)
4.	निमोही बेनीपाली	—
5.	सिंघीतराई	—
6.	सिंघीतराई	—
7.	ओडेकेरा	—
8.	कुलबा	7.48 एकड़ (3.031 हे.)
9.	सिंघीतराई निमोही	5.40
		-
		5.40 (2.185 हे.)
	योग—	773.34 एकड़ 312.965 हे.



अनुभाग अधिकारी
व्यगिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

पारिशेष - बारह

तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 1451) की जानकारी

प्रपत्र

रायगढ़ जिले में बनाये गए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क

क्र.	रीपा केन्द्र का नाम	उत्पादित सामग्री का नाम
1	सूपा, जनपद पंचायत पुसौर	मशरूम, लोहार सामग्री, फर्नीचर सामग्री, गोबर पेंट, स्टिम्पर, फेब्रिकेशन सामग्री।
2	तरडा, जनपद पंचायत पुसौर	फेब्रिकेशन सामग्री, मशरूम, सिलाई वस्त्र, बैग, बाती, सम्बलपुरी वस्त्र।
3	डोंगीतराई, जनपद पंचायत रायगढ़	आटा फिसाई, दाल पैकेजिंग, मुर्गी पालन, मशरूम, मिलेट प्रोसेसिंग, कृषि उपकरण, बढाई, लोहार, फेब्रिकेशन।
4	पंडरीपानी 40, जनपद पंचायत रायगढ़	आटा चक्की, एलईडी लाईट, बेकरी, तेल पेरार्ई, मसाला मशीन, चुड़ी निर्माण, बैग निर्माण, मुर्गी पालन, मशरूम, पोहा पैकेजिंग, सीएससी सेंटर, दोना पत्तल निर्माण।
5	बोतल्दा, जनपद पंचायत खरसियां	पलाई ऐश ब्रिक्स, मशरूम उत्पादन, सिमेंट मोल्ड क्राफ्ट-गमला, तुलसी चौरा, मंदिर, दोना पत्तल, पापड़, मुर्गी, वेल्डिंग/फेब्रिकेशन, कैंटिन/ढाबा, कारपेंटर
6	भूपदेवपुर, जनपद पंचायत खरसियां	दोना पत्तल, पापड़, मशरूम, वेल्डिंग/फेब्रिकेशन, पेवर ब्लाक, बांस शिल्प, बेकरी-कैक, समान बैग, कैंटरिंग।
7	कोड़ासियां, जनपद पंचायत लैलुंगा	लेथ मशीन, मिट्टी बर्तन, बढाई, लाई मुर्गी
8	मुकडेगा, जनपद पंचायत लैलुंगा	हल्दी, मिर्च पाउडर पैकेजिंग, बांस शिल्प, मिट्टी बर्तन
9	बरतापाली, जनपद पंचायत धरमजयगढ़	मुर्गी, डोरी तेल, लोहा ग्रिल जाली, मुर्गी पालन
10	दुर्गापुर, जनपद पंचायत धरमजयगढ़	मुर्गी, डोरी तेल, लोहा ग्रिल जाली, मुर्गी पालन
11	दोरम, जनपद पंचायत धरघोड़ा	दोना पत्तल, मुर्गी, आचार बड़ी पापड़, मशरूम, सर्फ, साबून, आटा, ईट।
12	बैहामुड़ा, जनपद पंचायत धरघोड़ा	तेल, राईस, कोसा धागा, मशरूम, झाड़ू, आटा।
13	तमनार, जनपद पंचायत तमनार	लोहे का दरवाजा, खिड़की, ग्रिल, चैनल गेट, वेन्टीलेटर, चैनलिवड फेंसिंग जाली, जूट बैग, मशरूम, टोस्ट, कैक, बिस्किट, लकड़ी दरवाजा, खिड़की, चौखट, सोफा, दीबान फ्लोर, एल्युमिनियम खिड़की दरवाजा, मिठाई।
14	मीलूपारा, जनपद पंचायत तमनार	मिनरल वाटर, मुर्गी, मशरूम।
15	कण्डोला, जनपद पंचायत बरमकेला	मसाला, दोना -पत्तल, गोबर पेंट, पलाई ऐश ईट
16	सहजपाली, जनपद पंचायत बरमकेला	दोना-पत्तल, लकड़ी का दरवाजा, सोफा सेट, मुर्गी, ब्रेड, कैरी बैग
17	छिंद, जनपद पंचायत सारंगढ़	बेकरी यूनिट, पलाई ऐश ब्रिक्स, मसाला उद्योग, दोना पत्तल, चेकर टाईल, सिलाई सेंटर
18	गोड़म, जनपद पंचायत सारंगढ़	पलाई ऐश ब्रिक्स, मुर्गी, आलू चिप्स एवं मिक्चर, सायकल फूल निर्माण, पाउचिंग एवं पैकेजिंग, आचार बड़ी पापड़, चप्पल निर्माण, पोल्ट्री यूनिट, सीमेंट पोल।

अनुभाग अधिकारी

छत्तीसगढ़ मंत्रालय

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मह. डी. भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

2

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारिशेष्य - तेरह


परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 166) की जानकारी

प्रपत्र - अ

श्रम विभाग के अधीन संचालित मण्डलों अंतर्गत वर्तमान में संचालित योजनाओं की मंडलवार जानकारी

(1) छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित योजनाये :-

क्र.	योजना का नाम
1	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना
2	मिनीमाता महतारी जतन योजना
3	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
4	मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना
5	मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
6	दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना
7	मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
8	मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना
9	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
10	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना
11	विशेष शिक्षा सहायता योजना
12	मोबाईल रजिस्ट्रेशन वैन योजना
13	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना
14	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना
15	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
16	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना
17	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
18	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
19	बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना
20	श्रम मित्र योजना
21	सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिये आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना
22	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना
23	मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र योजना
24	मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र योजना
25	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना
26	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना
27	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना
28	मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना
29	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना
30	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नया दिल्ली


(2) छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा असंगठित कर्मकारों हेतु संचालित योजनाये :-

क्र.	योजना का नाम
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना
3	असंगठित कर्मकार समाचार-पत्र हॉकर सायकल सहायता योजना
4	मुख्यमंत्री कोटवार, सायकल एवं टार्च सहायता योजना
5	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना
6	मुख्यमंत्री राउत, चरवाहा एवं दूध दूहने वाले सायकल सहायता योजना
7	असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
8	फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू, बाट एवं टोकरी सहायता योजना
9	ई-रिक्शा सहायता योजना
10	कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
11	धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
12	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
13	सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना
14	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना
15	नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
16	असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना
17	सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना
18	सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना
19	सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना
20	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना
21	सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना
22	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
23	सफाई कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना
24	हमाल हेतु जुता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना
25	महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना
26	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना
27	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना
26	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना
27	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना
28	घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना
29	ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना


 अनुपाम अधिकारी
 क्रम विभाग, संश्लेषण
 मंडल कार्यालय, नया राउतपुर

(3) छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल द्वारा संगठित श्रमिकों हेतु संचालित योजनाये :-

क्र.	योजना का नाम
1	श्रमिकों हेतु खेल-कूद प्रतियोगिता
2	श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन एवं सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण
3	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना
4	श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना
5	स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण
6	निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना
7	निःशुल्क सायकल वितरण योजना
8	मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
9	निःशुल्क सिलाई मशीन योजना
10	सिलोकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुर्नवास सहायता योजना
11	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
12	मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
13	खेल-कूद प्रोत्साहन योजना



 अनुभाग अधिकारी
 श्रम विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नया दिल्ली

प्रपत्र - ब

मानपुर-मोहला जिला में जिला निर्माण दिनांक 02.09.2022 से 31.01.2024 तक विभाग के अधीन संचालित मंडलों की योजना अंतर्गत लाभान्वित श्रमिकों की मंडलवार एवं योजनावार जानकारी

1. छ0ग0 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

क्र.	योजना का नाम	देय सविधाएं	लाभान्वित श्रमिक संख्या
1	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	1 नग सायकल निःशुल्क अथवा सायकल हेतु सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित सामग्री मूल्य के बराबर की राशि	246
2	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	01 नग औजार किट निःशुल्क अथवा औजार किट हेतु सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित सामग्री मूल्य के बराबर की राशि	101
3	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	01 नग सुरक्षा उपकरण किट निःशुल्क अथवा सुरक्षा उपकरण किट हेतु सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित सामग्री मूल्य के बराबर की राशि	21
4	मिनीमाता महतारी जतन योजना	राशि रू. 20,000/- एकमुश्त	919
5	मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	राशि रू. 1,000 से 10,000 तक सहायता राशि	424
6	मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना	राशि रू. 5,000 से 1,00,000 तक सहायता राशि	6
7	दीदी ई रिक्शा सहायता योजना	राशि रू. 1,00,000/- अनुदान सहायता राशि	4
8	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	सामान्य मृत्यु पर राशि रू. 1,00,000/-, कार्यस्थल में मृत्यु पर राशि रू. 5,00,000/- कार्यस्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता पर राशि रू. 2,50,000/- (सहायता राशि हितग्राही के उत्तराधिकारी को दिया जाता है)	22
9	मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना	राशि रू. 20,000/- एकमुश्त सहायता राशि	160
10	मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना	राशि रूपये 20,000/- एकमुश्त	66
11	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना	कक्षा 1 से 8 वीं तक राशि रूपये 1,000/- एवं कक्षा 9वीं से 12 वीं तक राशि रूपये 2,000/- शाला गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु	92
12	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना	राशि रूपये 1,00,000/- अनुदान सहायता राशि	5
13	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना	निःशुल्क श्रमिक पंजीयन/नवकरण	4514
		योग	6580


अनुमान अधिकारी
कर्म विभाग, मानपुर
कल्याण मंडल, नग छ0ग0

2. छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल -

क्र.	योजना का नाम	देय सविधाएं	लाभान्वित श्रमिक संख्या
1	असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	क्र पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर रू0 01 लाख। ख स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में रू0 50 हजार।	43
2	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	रुपये 20,000/- (केवल दो प्रसव हेतु)	260
3	असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	कक्षा 01 से स्नातकोत्तर स्तर तक रुपये 500/- से रुपये 5,000/- वार्षिक कक्षावार छात्रवृत्ति	43
4	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	रुपये 20,000/- (केवल दो प्रसव हेतु)	4
5	सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना	रुपये 1,000/- से रुपये 15,000/- तक की छात्रवृत्ति।	8
6	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना	रुपये 1,000/- तक की आवश्यक उपकरण गमबूट, दस्ताने, मास्क एवं एप्रेन सामग्री।	11
7	हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना	रुपये 500/-	1
8	महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	रुपये 20,000/- (केवल दो प्रसव हेतु)	56
9	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	कक्षा 01 से स्नातकोत्तर स्तर तक रुपये 500/- से रुपये 5,000/- वार्षिक कक्षावार छात्रवृत्ति	5
योग			431

3. छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल - श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत संचालित योजनाओं में पंजीकृत श्रमिकों को लाभान्वितों की जानकारी निरंक है।

(Signature)
 अनुमान अधिकारी
 श्रम विभाग, नगरपालिका
 काठमाडौं, काठमाडौं

परिशेष - चोदह
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 409) की जानकारी

प्रपत्र

सीएसआर अंतर्गत कराये गये कार्यों की जानकारी

क्र.	औद्योगिक इकाई का नाम	वर्ष	ग्राम/स्थल का नाम	कराये गये कार्यों का नाम	व्यय राशि (लाख में)	शेष कार्यों का नाम	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मेसर्स मिवान स्टील्स लिमि., ग्राम-कुरुद, चन्द्रखुरी मार्ग, मंदिर हसौद, रायपुर	2020-21	संयंत्र क्षेत्र के आसपास के ग्राम-मंदिर हसौद, कुरुद, नकटा, बड़गांव,	अधोसंरचना विकास, चिकित्सा, शिक्षा, खेलकूद, आर्थिक अनुदान, मनोरंजन, सामाजिक कार्य आदि	13.80	-	
2		2021-22	संयंत्र क्षेत्र के आसपास के ग्राम-मंदिर हसौद, कुरुद, नकटा, बड़गांव,	अधोसंरचना विकास, चिकित्सा, शिक्षा, खेलकूद, आर्थिक अनुदान, मनोरंजन, सामाजिक कार्य आदि	23.98	-	
3		2022-23	संयंत्र क्षेत्र के आसपास के ग्राम-मंदिर हसौद, कुरुद, नकटा, बड़गांव,	अधोसंरचना विकास, चिकित्सा, शिक्षा, खेलकूद, आर्थिक अनुदान, मनोरंजन, सामाजिक कार्य आदि	13.30	-	
4		2023-24	संयंत्र क्षेत्र के आसपास के ग्राम-मंदिर हसौद, कुरुद, नकटा, बड़गांव,	अधोसंरचना विकास, चिकित्सा, शिक्षा, खेलकूद, आर्थिक अनुदान, मनोरंजन, सामाजिक कार्य आदि	21.72	-	
5		2021-22	अपना घर आश्रम, ग्राम गोढी, तह. आरंग, जिला रायपुर	आश्रम निर्माण	2.34	-	
6	मेसर्स वंदना ग्लोबल लिमिटेड	2022-23	अपना घर आश्रम, ग्राम गोढी, तह. आरंग, जिला रायपुर	आश्रम निर्माण	81.56	-	
7		2023-24	अपना घर आश्रम, ग्राम गोढी, तह. आरंग, जिला रायपुर	आश्रम निर्माण	20.00	-	
8	मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमि.	2023-24	ग्राम पंचायत-रसोटा, जनपद पंचायत आरंग, जिला रायपुर	शासकीय प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कार्य	16.64	-	
9		2023-24	ग्राम पंचायत-पचेड़ा, जनपद पंचायत आरंग, जिला रायपुर	शासकीय प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कार्य	18.50	-	
10	मेसर्स वासवानी इण्ड. लिमि.	2020-21	ग्राम आरंग, जिला-रायपुर	स्वामी आत्मानंद अग्रेजी माध्यम स्कूल हेतु फर्नीचर एवं शिक्षकों पर व्यय	2.00	-	
				कुल योग:-	213.84		

अनुभाग अधिकारी
प्रशिक्षण एवं सेवा विभाग
उद्योगिक विकास रायपुर

परिशेष - पन्द्रह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 412) की जानकारी

प्रपत्र

बालिका तस्करी/गुमशुदा के अपराध में दर्ज प्रकरण की थानावार जानकारी वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक				
क्रं.	थाना	कुल पंजीबद्ध अपराध (भादवि में पंजीबद्ध)	बालिका तस्करी के अपराध	बालिका गुमशुदा के अपराध
1	जशपुर	1035	2	73
2	आस्ता	117	0	7
3	सन्ना	356	1	12
4	बगीचा	716	1	33
5	नारायणपुर	331	1	17
6	कुनकुरी	479	1	18
7	दुलदुला	239	1	12
8	कांसाबेल	427	4	39
9	पत्थलगांव	1046	1	45
10	बागबहार	413	0	27
11	फरसाबहार	176	2	7
12	तपकरा	282	4	11
13	तुमला	160	0	8
14	लोदाम	1	0	0
15	अजाक	2	0	0
योग		5780	18	309


अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - सोलह
परिवाहतेत अतारांकतेत प्रश्न संख्या 5 (क्र. 480) की जानकारी

प्रपत्र—“अ”

मापदंड :-

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति हेतु भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना में पात्रता हेतु निर्धारित मापदंड मुख्यतः निम्नानुसार हैं :-

1. हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण (बीएलसी) घटक :-

1. हितग्राही परिवार में पति, पत्नि, अविवाहित पुत्र/अविवाहित पुत्रियाँ शामिल होंगे। ऐसे हितग्राहियों का भारत के किसी भी भाग में अपने नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का आवास नहीं होना चाहिए।
2. योजना अन्तर्गत राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अंतिम तिथि निर्धारित की जावेगी, जिसमें हितग्राहियों को योजना अन्तर्गत लाभ लेने हेतु पात्रता के लिए उस शहरी क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक होगा। छ.ग. राज्य हेतु यह अंतिम तिथि दिनांक 31.08.2015 निर्धारित की गई है।
3. योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत आवास का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग/EWS श्रेणी (परिवार जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय अधिकतम 3.00 लाख हो) के हितग्राहियों को दिया जावेगा।
4. योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत आवास का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित हितग्राही के पास उनके स्वामित्वाधीन भूमि के पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।

2. भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (एएचपी) घटक :-

1. हितग्राही परिवार में पति, पत्नि, अविवाहित पुत्र/अविवाहित पुत्रियाँ शामिल होंगे। ऐसे हितग्राहियों का भारत के किसी भी भाग में अपने नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का आवास नहीं होना चाहिए।
2. योजना अन्तर्गत राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अंतिम तिथि निर्धारित की जावेगी, जिसमें हितग्राहियों को योजना अन्तर्गत लाभ लेने हेतु पात्रता के लिए उस शहरी क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक होगा। छ.ग. राज्य हेतु यह अंतिम तिथि दिनांक 31.08.2015 निर्धारित की गई है।
3. योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत आवास का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग/EWS श्रेणी (परिवार जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय अधिकतम 3.00 लाख हो) के हितग्राहियों को दिया जावेगा।


प्रोजेक्ट मैनेजर (PMAY-U)
सह अधीक्षण अभियंता
राज्य शहरी विकास अभिकरण
नवा रायपुर अटल नगर

लाभार्थियों का निर्धारण और चयन

लाभार्थियों का निर्धारण और चयन

4.0 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य की पूर्ति के लिए लाभार्थियों के निर्धारण और चयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता होना नितांत आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता का लक्ष्य वास्तव में वंचित लोग ही हों और चयन वस्तुपरक एवं सत्यापन योग्य हो, परिवारों का निर्धारण एसईसीसी 2011 के आंकड़ों में आवास अभाव को दर्शाने वाले पैरामीटरों के आधार पर किया जाएगा तत्पश्चात ग्राम सभा द्वारा मान्यीकरण किया जायेगा।

4.1 पात्र लाभार्थियों का दायरा

पीएमएवाई(जी) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के दायरे में बीपीएल सूची के स्थान पर एसईसीसी 2011 के आंकड़ों के अनुसार सभी बेघर परिवार और अनुबंध-। में दर्शाई गई बहिर्वेशन प्रक्रिया के अधीन शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और/या कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार शामिल होंगे।

4.2 लाभार्थियों के दायरे में प्राथमिकता का निर्धारण

4.2.1 पीएमएवाई(जी) के पात्र लाभार्थियों के दायरे में विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता का निर्धारण किया जाएगा। सबसे पहले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य जैसी प्रत्येक श्रेणी में आवास अभाव दर्शाने वाले पैरामीटरों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। आरंभ में बेघर परिवारों और उनके बाद कमरों की संख्या शून्य, एक और दो कमरों के आधार पर परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य जैसी विशिष्ट सामाजिक श्रेणी में बेघर परिवार या अपेक्षाकृत कम कमरों वाले मकानों में रहने वाले परिवारों को उनसे अधिक कमरे वाले मकानों में रहने वाले परिवारों से कम प्राथमिकता नहीं दी जा सकेगी।

4.2.2 उपर्युक्त प्राथमिकता प्राप्त समूहों में एसईसीसी 2011 में यथापरिभाषित (अनुबंध-। में दर्शाए गए मानदण्ड) 'अनिवार्य अंतर्वेशन' के मानदण्डों की पूर्ति करने वाले परिवारों को प्राथमिकता

लाभार्थियों का निर्धारण और चयन

के क्रम में आगे बढ़ाया जाएगा। स्वतः अंतर्वेशित परिवारों को प्राथमिकता प्राप्त समूह में शामिल अन्य परिवारों से कम प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। स्वतः अंतर्वेशित या अन्य स्थिति में दो उप-समूहों अर्थात् परिवारों के बीच प्राथमिकता का निर्धारण उनके सकल अपवर्जन संबंधी अंकों के आधार पर किया जाएगा। इन अंकों की गणना आगे दर्शाए गए सामाजिक-आर्थिक पैरामीटरों के आधार पर की जाएगी और इनमें से प्रत्येक पैरामीटर को समान भार (वेटेज) दी जाएगी:

- क. ऐसे परिवार, जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो।
- ख. महिला मुखियाओं वाले ऐसे परिवारों, जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो
- ग. ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य न हो
- घ. ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य निशक्त जन हो या जिनका कोई भी वयस्क सदस्य शारीरिक रूप से सक्षम न हो।
- ड. अपनी अधिकांश आय का अर्जन दिहाड़ी मजदूरी से करने वाले भूमिहीन परिवार।

4.2.3 अधिकतम अपवर्जन अंक वाले परिवारों को उस उप समूह में उच्च वरीयता दी जायेगी।

4.3 प्राथमिकता सूचियों की तैयारी

पैरा सं. 4.2 में उल्लिखित प्राथमिकता के सिद्धांतों की पूर्ति करने के पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायत/काउंसिल या संबंधित राज्य/सं.शा. क्षेत्र पंचायत अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्व-शासन की सबसे निम्नतम इकाई के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य और अल्पसंख्यक वर्गों की अलग-अलग प्राथमिकता सूचियां पात्र लाभार्थियों की उपलब्धता के आधार पर तैयार की जाएंगी। सिस्टम से तैयार होने वाली श्रेणी-वार प्राथमिकता सूची कार्यक्रम एमआईएस – आवाससॉफ्ट से डाउनलोड की जा सकती है। तत्पश्चात ये सूचियां ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाएंगी।

4.4 ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता सूचियों का सत्यापन

4.4.1 आवास सौफ्ट द्वारा श्रेणी-वार तैयार की गई प्राथमिकता सूचियां उपलब्ध कराए जाने और उपयुक्त रूप से प्रकाशित किए जाने के बाद ग्राम सभा/विलेज काउंसिल या संबंधित राज्य/सं.रा.क्षेत्र पंचायत अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्व-शासन की सबसे निम्नतम इकाई की बैठक आयोजित की जाएगी इसे आगे ग्राम सभा से संदर्भित किया जायेगा। ग्राम सभा उन तथ्यों का सत्यापन करेगी जिनके आधार पर परिवार का निर्धारण पात्र परिवार के रूप में किया गया है। यदि अंतर्वेशन गलत तथ्यों के आधार पर किया गया हो या यदि सर्वेक्षण के बाद परिवार ने पक्के आवास का निर्माण कर लिया हो या परिवार को किसी सरकारी योजना के अधीन आवास मकान आवंटित कर दिया गया हो या परिवार किसी अन्य स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बस गया हो या बिना किसी उत्तराधिकारी की उसकी मृत्यु हो गई हो तो ग्राम सभा ऐसे परिवारों के नाम सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची से हटा देगी। सूची से हटाए गए परिवारों की सूची और उन परिवारों को हटाए जाने के कारण ग्राम सभा के कार्यवृत्त में शामिल किए जाएंगे।

4.4.2 यदि किसी उप-समूह में एक से अधिक परिवारों के अपवर्जन संबंधी अंक बराबर हों तो ग्राम सभा आगे दर्शाए गए पैरामीटरों के आधार पर उनकी प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करेगी :-

- क. सशस्त्र कार्रवाई में मारे गए रक्षा/अर्द्ध-सैनिक/पुलिस बलों के कार्मिकों की विधवाओं और निकट संबंधियों के परिवार।
- ख. ऐसे परिवार, जिनका कोई सदस्य कुष्ठ या कैंसर से पीड़ित हो या जिन्हें एचआईवी (पीएलएचआईवी) संक्रमण हो गया हो।
- ग. इकलौती बेटी वाले परिवार
- घ. सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम के नाम से ज्ञात अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के लाभार्थी परिवार
- ड. किन्नर

4.4.3 यदि पैरा 4.4.2 में उल्लिखित उपर्युक्त में से कोई भी पैरामीटर लागू न होता हो तो ग्राम सभा प्राथमिकता का निर्धारण कर सकती है और उस निर्धारण का समुचित औचित्य भी दर्ज कर

लाभार्थियों का निर्धारण और चयन

सकती है। यह प्राथमिकता पूर्ण रूप से निर्धारित की जानी चाहिए और इसमें प्रत्येक परिवार को अलग वरीयता क्रम दिया जाना चाहिए।

- 4.4.4 पात्र होते हुए भी सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची में शामिल न किए गए परिवारों के विषय में ग्राम सभा कारणों सहित ग्राम सभा संकल्प में एक अलग सूची दर्ज कर सकती है। ग्राम सभा द्वारा इस सूची में उन परिवारों को भी शामिल किया जा सकता है जिनकी एसईसीसी 2011 सर्वे के दौरान गणना नहीं की गई थी या वे परिवार जिनकी एसईसीसी में गणना किए जाने के बावजूद उन्हें सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया गया है किंतु वे पैरा 4.1 में उल्लिखित मानदंड के अनुसार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सहायता पाने के लिए पात्र पाए गए थे।

ग्राम सभा के संकल्प के अनुसार तैयार की गई निम्नलिखित सूचियां खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) या इस प्रयोजनार्थ राज्य/सं.शा. क्षेत्र द्वारा पदनामित किसी अन्य अधिकारी को आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएंगी,

- क. ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता प्राप्त पात्र परिवारों की सूची
- ख. प्राथमिकता सूची से हटाए गए परिवारों की सूची
- ग. सहायता पाने का पात्र होने के बावजूद सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची में शामिल न किए गए परिवारों की सूची।

4.5 शिकायत निवारण

- 4.5.1 सत्यापन के बाद ये सूचियां ग्राम सभा द्वारा उपलब्ध कराए जाने के बाद ब्लॉक विकास अधिकारी या इस प्रयोजनार्थ राज्य/सं.रा. क्षेत्र द्वारा पदनामित किसी अन्य अधिकारी, जिसे इसके बाद 'सक्षम प्राधिकारी' कहा गया है, यह सुनिश्चित करेगा कि इन सूचियों का कम से कम 7 दिनों की अवधि में ग्राम पंचायत में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना भी उसी अधिकारी का दायित्व होगा कि विधिवत प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात ग्राम सभा द्वारा सत्यापित सूची को आवाससॉफ्ट पर दर्ज किया जाए।
- 4.5.2 सात दिनों तक इन सूचियों का उपयुक्त प्रचार किए जाने के बाद विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना प्राथमिकता सूची से गलती से हटाए जाने या वरीयता क्रम में बदलाव

अनुबंध-1

बहिर्वेशन प्रक्रिया

चरण-1: पक्के मकानों में रहने वालों का बहिर्वेशन – पक्की छत और/या पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और दो से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवारों को इस प्रक्रिया में बाहर कर दिया जाता है।

चरण-2: स्वतः बहिर्वेशन— अन्य प्रकार के शेष परिवारों में से नीचे सूची में दिए गए 13 पैरामीटरों में से किसी एक को भी पूरा करने वाला परिवार स्वतः ही बाहर हो जाता है:—

1. मोटरयुक्त दोपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मछली पकड़ने की नाव।
2. मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण।
3. 50,000 रु. अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड।
4. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
5. सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
6. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 10,000 रु. से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।
7. आयकर देने वाले परिवार।
8. व्यवसाय कर देने वाले परिवार।
9. वे परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो।
10. वे परिवार, जिनके पास लैंड लाइन फोन हो।
11. वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो।

अनुबंध-1

12. दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि।
13. वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो।

स्वतः अंतर्वेशन के लिए मानदंड

1. आश्रयविहीन परिवार।
2. बेसहारा/भीख मांग कर जीवनयापन करने वाले।
3. हाथ से मैला ढोने वाले।
4. आदिम जनजातीय समूह।
5. वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर।



परिशेष - सत्रह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1101) की जानकारी

प्रपत्र

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्यों की सूची।

क्र.	कार्य का नाम
1	2
1	व्यक्तियों के लिए पीएमएवाई-जी भवनों का निर्माण में केवल अकुशल श्रमिक 90/95 दिवस की मजदूरी
2	व्यक्तियों के लिए राज्य योजना के अंतर्गत भवन का निर्माण में केवल अकुशल श्रमिक 90/95 दिवस की मजदूरी
3	समुदाय के लिए आंगनवाड़ी भवन का निर्माण
4	समुदाय के लिए ग्राम पंचायत/पंचायत भवन का निर्माण
5	समुदाय के लिए खाद्यान्न भंडारण भवन का निर्माण
6	समुदाय के लिए किचन शेड का निर्माण
7	समुदाय के लिए आंगनवाड़ी भवन की मरम्मत और रखरखाव
8	समुदाय के लिए ग्राम पंचायत/पंचायत भवन की मरम्मत और रखरखाव
9	समुदाय के लिए खाद्यान्न भंडारण भवन की मरम्मत और रखरखाव
10	समुदाय के लिए रसोई शेड की मरम्मत और रखरखाव
11	समुदाय के लिए भारत निर्माण सेवा केंद्र भवन की मरम्मत और रखरखाव
12	समूह के लिए कृषि उत्पाद भंडारण भवन का निर्माण
13	समूह के लिए एसएचजी/संघ भवन का निर्माण
14	व्यक्तियों के लिए अर्दन पेरीफेरल/फार्म/फील्ड बंड का निर्माण
15	व्यक्तियों के लिए पेबल पेरीफेरल/फार्म/फील्ड बंड का निर्माण
16	व्यक्तियों के लिए स्टोन पेरीफेरल/फार्म/फील्ड बंड का निर्माण
17	व्यक्तियों के लिए अर्दन कंटूर बंड का निर्माण
18	व्यक्तियों के लिए पेबल कंटूर बंड का निर्माण
19	व्यक्तियों के लिए स्टोन कंटूर बंड का निर्माण
20	व्यक्तियों के लिए अर्दन ग्रेडेड बंड का निर्माण
21	व्यक्तियों के लिए पेबल ग्रेडेड बंड का निर्माण
22	व्यक्तियों के लिए स्टोन ग्रेडेड बंड का निर्माण
23	समुदाय के लिए अर्दन पेरीफेरल/फार्म/फील्ड बंड का निर्माण
24	समुदाय के लिए पेबल पेरीफेरल/फार्म/फील्ड बंड का निर्माण
25	समुदाय के लिए स्टोन पेरीफेरल/फार्म/फील्ड बंड का निर्माण
26	समुदाय के लिए अर्दन कंटूर बंड का निर्माण
27	समुदाय के लिए पेबल कंटूर बंड का निर्माण
28	समुदाय के लिए स्टोन कंटूर बंड का निर्माण
29	समुदाय के लिए अर्दन ग्रेडेड बंड का निर्माण
30	समुदाय के लिए पेबल ग्रेडेड बंड का निर्माण
31	समुदाय के लिए स्टोन ग्रेडेड बंड का निर्माण
32	समुदाय के लिए अर्दन ग्रेडेड बंड की मरम्मत एवं रखरखाव

अनुभाग

छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्र.	कार्य का नाम
33	समुदाय के लिए पेबल ग्रेडेड बंड की मरम्मत एवं रखरखाव
34	समुदाय के लिए स्टोन ग्रेडेड बंड की मरम्मत एवं रखरखाव
35	समुदाय के लिए सहायक नहर का निर्माण
36	समुदाय के लिए शाखा नहर का निर्माण
37	समुदाय के लिए छोटी नहर का निर्माण
38	समुदाय के लिए छोटी उप नहर का निर्माण
39	समुदाय के लिए वाटरकोर्स का निर्माण
40	समुदाय के लिए सहायक नहर की लाइनिंग
41	समुदाय के लिए शाखा नहर की लाइनिंग
42	समुदाय के लिए छोटी नहर की लाइनिंग
43	समुदाय के लिए छोटी उप नहर की लाइनिंग
44	समुदाय के लिए वाटर कोर्सज नहर की लाइनिंग
45	समुदाय के लिए सहायक नहर का पुनरुद्धार
46	समुदाय के लिए शाखा नहर का पुनरुद्धार
47	समुदाय के लिए छोटी नहर का पुनरुद्धार
48	समुदाय के लिए छोटी उप नहर का पुनरुद्धार
49	समुदाय के लिए सहायक नहर की मरम्मत और रखरखाव
50	समुदाय के लिए शाखा नहर की मरम्मत और रखरखाव
51	समुदाय के लिए छोटी नहर की मरम्मत और रखरखाव
52	समुदाय के लिए छोटी उप नहर की मरम्मत और रखरखाव
53	समुदाय के लिए वाटर कोर्स कैनल की मरम्मत और रखरखाव
54	समुदाय के लिए बाढ़/डाइवर्जन चैनल का निर्माण
55	समुदाय के लिए बाढ़/डाइवर्जन चैनल का पुनरुद्धार
56	समुदाय लिए बाढ़/डाइवर्जन चैनल की मरम्मत एवं रखरखाव
57	समुदाय के लिए सिल्विपास्चर घास के मैदानों का विकास
58	व्यक्तियों के लिए सिल्विपास्चर घास के मैदानों का विकास
59	व्यक्तियों के लिए बंजर भूमि/परती भूमि का समतलीकरण/सही आकार देना
60	व्यक्तियों के लिए चौर या जल भराव क्षेत्रों वाली भूमि की निकासी
61	समुदाय के लिए बंजर भूमि का समतलीकरण/सही आकार देना
62	समुदाय के लिए चौर भूमि का विकास
63	समुदाय के लिए परती भूमि का विकास
64	सामुदायिक जल भराव भूमि का सुधार
65	सामुदायिक जल भराव भूमि की निकासी
66	समूहों के लिए आजीविका कार्यकलाप के लिये वर्कशेड का निर्माण
67	व्यक्तियों के लिए ब्रशवुड चेक डेम का निर्माण
68	व्यक्तियों के लिए अर्दन एनीकट चेक डेम का निर्माण
69	व्यक्तियों के लिए बोल्टर चेक डेम का निर्माण

क्र.	कार्य का नाम
70	व्यक्तियों के लिए चिनाई/सीसी चेक डेम का निर्माण
71	व्यक्तियों के लिए गेबियन चेक डेम का निर्माण
72	समुदाय के लिए ब्रशबुड चेक डेम का निर्माण
73	समुदाय के लिए अर्दन चेक डेम का निर्माण
74	समुदाय के लिए बोल्टर चेक डेम का निर्माण
75	समुदाय के लिए चिनाई/सीसी चेक डेम का निर्माण
76	समुदाय के लिए गेबियन चेक डेम का निर्माण
77	समुदाय के लिए अर्दन चेक डेम की मरम्मत और रखरखाव
78	समुदाय के लिए बोल्टर चेक डेम की मरम्मत और रखरखाव
79	समुदाय के लिए मेसनरी/सीसी चेक डेम की मरम्मत और रखरखाव
80	समुदाय के लिए गेबियन चेक डेम की मरम्मत और रखरखाव
81	व्यक्तियों के लिए कम्पोस्ट पिट का निर्माण
82	व्यक्तियों के लिए वर्मी कंपोस्ट संरचना का निर्माण
83	व्यक्तियों के लिए नाडेप कंपोस्ट संरचना का निर्माण
84	व्यक्तियों के लिए बर्कले कंपोस्ट पिट संरचना का निर्माण
85	समुदाय के लिए वर्मी कंपोस्ट संरचना का निर्माण
86	समुदाय के लिए नाडेप कंपोस्ट संरचना का निर्माण
87	समुदाय के लिए बर्कले कंपोस्ट पिट का निर्माण
88	समुदाय के लिए कंपोस्ट पिट संरचना का निर्माण
89	समुदाय के लिए वर्मी कंपोस्ट संरचना की मरम्मत और रखरखाव
90	समुदाय के लिए नाडेप कंपोस्ट संरचना की मरम्मत और रखरखाव
91	समुदाय के लिए बर्कले कंपोस्ट पिट की मरम्मत और रखरखाव
92	समुदाय के लिए कंपोस्ट पिट संरचना की मरम्मत और रखरखाव
93	समूहों के लिए वर्मी कंपोस्ट संरचना का निर्माण
94	समूहों के लिए नाडेप कंपोस्ट संरचना का निर्माण
95	समूहों के लिए बर्कले कंपोस्ट पिट संरचना का निर्माण
96	समूहों के लिए कंपोस्ट पिट का निर्माण
97	समुदाय के लिए श्मशान घाट का निर्माण
98	श्मशान घाट की मरम्मत और रखरखाव
99	समुदाय के लिए पुलिया/आर-पार निकासी अवसंरचनाओं का निर्माण
100	समुदाय के लिए पुलिया/आर-पार निकासी अवसंरचनाओं की मरम्मत/रखरखाव
101	समुदाय के लिए तटीय सुरक्षा के लिए स्टोर्म वाटर ड्रेन का निर्माण
102	समुदाय के लिए मध्यवर्ती और लिंक स्टोर्म वाटर ड्रेन का निर्माण
103	समुदाय के लिए डाइवर्जन स्टोर्म वाटर ड्रेन का निर्माण
104	समुदाय के लिए तटीय सुरक्षा के लिए स्टोर्म वाटर ड्रेन की मरम्मत और रखरखाव

क्र.	कार्य का नाम
105	समुदाय के लिए मध्यवर्ती और लिंक स्टोर्म वाटर ड्रेन की मरम्मत एवं रखरखाव
106	समुदाय के लिए डाइवर्जन स्टोर्म वाटर ड्रेन की मरम्मत एवं रखरखाव
107	समुदाय के लिए ओपन/कवर्ड ग्रे वाटर/स्टोर्म ड्रेन का निर्माण
108	समुदाय के लिए ओपन/कवर्ड ग्रे वाटर/स्टोर्म ड्रेन की मरम्मत और रखरखाव
109	व्यक्तियों के लिए इरिगेशन ओपन वेल का निर्माण
110	समुदाय के लिए इरिगेशन ओपन वेल का निर्माण
111	समुदाय के लिए इरिगेशन ओपन वेल के पैरा पेट एवं प्लेटफार्म की मरम्मत और
112	समूहों के लिए इरिगेशन ओपन वेल का निर्माण
113	व्यक्तियों के लिए फिश ड्राइंग यार्ड का निर्माण
114	समुदाय के लिए फिश ड्राइंग यार्ड का निर्माण
115	समुदाय के लिए फिश ड्राइंग यार्ड की मरम्मत और रखरखाव
116	व्यक्तियों के लिए किनारों पर बागवानी वृक्षों को लगाना
117	व्यक्तियों के लिए तटीय किनारों पर बागवानी वृक्षों को लगाना
118	व्यक्तियों के लिए किनारों पर कृषि वानिकी वृक्षों को लगाना
119	व्यक्तियों के लिए समुद्र तट पर कृषि वानिकी वृक्षों को लगाना
120	व्यक्तियों के लिए बंजर भूमि के किनारों पर कृषि वानिकी वृक्षों को लगाना
121	व्यक्तियों के लिए किनारों पर कृषि वानिकी वृक्षों को लगाना
122	व्यक्तियों के लिए समुद्र तट पर वानिकी वृक्षों को लगाना
123	व्यक्तियों के लिए बंजर भूमि के किनारों पर वानिकी वृक्षों को लगाना
124	व्यक्तियों के लिए शेल्टर बेल्ट वृक्षों को एक सीध में लगाना
125	व्यक्तियों के लिए तटीय शेल्टर बेल्ट वृक्षों को एक सीध में लगाना
126	व्यक्तियों के लिए खेतों में बागवानी वृक्षों का ब्लॉक प्लांटेशन
127	व्यक्तियों के लिए बागवानी वृक्षों का वेस्टलैंड ब्लॉक प्लांटेशन
128	व्यक्तियों के लिए मैदान में कृषि वानिकी वृक्षों का ब्लॉक प्लांटेशन
129	व्यक्तियों के लिए कृषि वानिकी वृक्षों का वेस्टलैंड ब्लॉक प्लांटेशन
130	व्यक्तियों के लिए मैदान में वानिकी वृक्षों का ब्लॉक प्लांटेशन
131	व्यक्तियों के लिए वानिकी वृक्षों का वेस्टलैंड ब्लॉक प्लांटेशन
132	व्यक्तियों के लिए खेतों में सेरीकल्चर वृक्षों का ब्लॉक प्लांटेशन
133	व्यक्तियों के लिए सेरीकल्चर वृक्षों का वेस्टलैंड ब्लॉक प्लांटेशन
134	व्यक्तियों के लिए खेतों में बायो ड्रेनेज वृक्षों का ब्लॉक प्लांटेशन
135	व्यक्तियों के लिए बायो ड्रेनेज वृक्षों का वेस्टलैंड ब्लॉक प्लांटेशन
136	व्यक्तियों के लिए खेतों में शेल्टर बैल्ट वृक्षों का ब्लॉक प्लांटेशन
137	व्यक्तियों के लिए कोस्टल शेल्टर बैल्ट वृक्षों का बाउण्डरी ब्लॉक प्लांटेशन
138	समुदाय के लिए बागवानी वृक्षों को नहर के किनारे पर लगाना
139	समुदाय के लिए बागवानी वृक्षों का बाउण्डरी लाइन प्लांटेशन
140	समुदाय के लिए बागवानी वृक्षों को तटीय सीमाओं पर लगाना
141	समुदाय के लिए कृषि वानिकी वृक्षों का बाउण्डरी लाइन प्लांटेशन

क्र.	कार्य का नाम
142	समुदाय के लिए वानिकी वृक्षों को नहर के किनारों पर लगाना
143	समुदाय के लिए वानिकी वृक्षों का बाउण्डरी लाइन प्लांटेशन
144	समुदाय के लिए वानिकी वृक्षों को सड़क के किनारों पर लगाना
145	समुदाय के लिए वानिकी वृक्षों को तटीय सीमा पर लगाना
146	समुदाय के लिए शेल्टर बैल्ट वृक्षों का बाउण्डरी लाइन प्लांटेशन
147	समुदाय के लिए शेल्टर बैल्ट वृक्षों को सड़क के किनारों पर लगाना
148	समुदाय के लिए समुद्र तट के साथ तटीय बैल्ट वृक्षों का वृक्षारोपण
149	समुदाय के लिए सरकारी भवन परिसर में बागवानी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण
150	समुदाय के लिए समुद्र तट के साथ बागवानी ब्लॉक प्लांटेशन
151	समुदाय के लिए फिल्ड ब्लॉक में बागवानी वृक्षों का वृक्षारोपण
152	समुदाय के लिए बागवानी वृक्षों का वेस्टलैंड ब्लॉक वृक्षारोपण
153	समुदाय के लिए सरकारी भवन परिसर में कृषि वानिकी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण
154	समुदाय के लिए तट के साथ कृषि वानिकी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण
155	समुदाय के लिए खेतों में कृषि वानिकी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण
156	समुदाय के लिए कृषि वानिकी वृक्षों का वेस्टलैंड ब्लॉक वृक्षारोपण
157	समुदाय के लिए सरकारी भवन परिसर में वानिकी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण
158	समुदाय के लिए तट के साथ वानिकी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण
159	समुदाय के लिए मैदान में वानिकी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण
160	समुदाय के लिए वानिकी वृक्षों का वेस्टलैंड ब्लॉक वृक्षारोपण
161	समुदाय के लिए खेतों में रेशम उत्पादन वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण
162	समुदाय के लिए रेशम उत्पादन वृक्षों का वेस्टलैंड ब्लॉक वृक्षारोपण
163	समुदाय के लिए सरकारी भवन परिसर में जैव-निकासी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण
164	समुदाय के लिए खेतों में जैव-निकासी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण
165	समुदाय के लिए वेस्टलैंड में जैव-निकासी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण
166	समुदाय के लिए वानिकी वृक्षों का उपयोग करते हुए समुद्र तट के साथ वनीकरण
167	व्यक्तियों के लिए वानिकी वृक्षों का उपयोग कर वेस्टलैंड का वनीकरण
168	व्यक्तियों के लिए मिट्टी के गली प्लग का निर्माण
169	व्यक्तियों के लिए स्टोन बोल्डर गली प्लग का निर्माण
170	समुदाय के लिए मिट्टी गली प्लग का निर्माण
171	समुदाय के लिए स्टोन बोल्डर गली प्लग का निर्माण
172	समुदाय के लिए मिट्टी गली प्लग की मरम्मत और रखरखाव
173	समुदाय के लिए स्टोन बोल्डर गली प्लग की मरम्मत और रखरखाव
174	व्यक्तियों के लिए नर्सरी
175	समुदाय के लिए नर्सरी
176	समूहों के लिए नर्सरी

क्र.	कार्य का नाम
177	व्यक्तियों के लिए मिनी अन्तः स्त्रवण टैंक का निर्माण
178	समुदाय के लिए मिनी अन्तः स्त्रवण टैंक का निर्माण
179	समुदाय के लिए मिनी अन्तः स्त्रवण टैंक की मरम्मत और रखरखाव
180	व्यक्तियों के लिए कृषि तालाबों का निर्माण
181	समुदाय के लिए मत्स्यपालन तालाबों का निर्माण
182	सामुदायिक जल संचयन तालाबों का निर्माण
183	समुदाय के लिए मत्स्य पालन तालाबों की मरम्मत और रखरखाव
184	समुदाय के लिए सामुदायिक जल संचयन तालाबों की मरम्मत और रखरखाव
185	समुदाय के लिए मत्स्य पालन तालाबों का नवीनीकरण
186	समुदाय के लिए सामुदायिक जल संचयन तालाबों का नवीनीकरण
187	समुदाय के लिए स्थायीकरण तालाब का निर्माण
188	समुदाय के लिए स्थायीकरण तालाब की मरम्मत और रखरखाव
189	व्यक्तियों के लिए पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण
190	समुदाय के लिए पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण
191	समुदाय के लिए बिटुमिन टॉप रोड़ का निर्माण
192	समुदाय के लिए बजरी रोड़ का निर्माण
193	समुदाय के लिए इंटर-लॉकिंग सीमेंट ब्लॉक/टाइल्स रोड़ का निर्माण
194	समुदाय के लिए डब्ल्यूबीएम रोड़ का निर्माण
195	समुदाय के लिए मिट्टी मुरुम रोड़ का निर्माण
196	समुदाय के लिए खरंजा (ईट/पत्थर) रोड़ों का निर्माण
197	समुदाय के लिए सीमेंट कांक्रीट रोड़ का निर्माण
198	समुदाय के लिए बिटुमिन टॉप रोड़ की मरम्मत और रखरखाव
199	समुदाय के लिए बजरी रोड़ की मरम्मत और रखरखाव
200	समुदाय के लिए इंटर-लॉकिंग सीमेंट ब्लॉक/टाइल्स रोड़ की मरम्मत और रखरखाव
201	समुदाय के लिए डब्ल्यूबीएम रोड़ की मरम्मत और रखरखाव
202	समुदाय के लिए मिट्टी मुरुम रोड़ की मरम्मत और रखरखाव
203	समुदाय के लिए खरंजा (ईट/पत्थर) रोड़ की मरम्मत और रखरखाव
204	समुदाय के लिए सीमेंट काँक्रीट रोड़ की मरम्मत और रख-रखाव
205	व्यक्तियों के लिए बोरवेल पुनर्भरण के लिए रेत फिल्टर का निर्माण
206	व्यक्तियों के लिए खुले कुओं के पुनर्भरण के लिए रेत फिल्टर का निर्माण
207	समुदाय के लिए बोरवेल पुनर्भरण के लिए रेत फिल्टर का निर्माण
208	समुदाय के लिए खुले कुओं के पुनर्भरण के लिए रेत फिल्टर का निर्माण
209	समूहों के लिए खुले कुओं के पुनर्भरण के लिए रेत फिल्टर का निर्माण
210	व्यक्तियों के लिए पशु आश्रय का निर्माण
211	व्यक्तियों के लिए बकरी आश्रय का निर्माण
212	व्यक्तियों के लिए सूअर पालन आश्रय का निर्माण

क्र.	कार्य का नाम
213	व्यक्तियों के लिए कुक्कुट पशुधन आश्रय का निर्माण
214	समुदाय के लिए मवेशी आश्रय का निर्माण
215	समुदाय के लिए बकरी आश्रय का निर्माण
216	समुदाय के लिए सूअर पालन आश्रय का निर्माण
217	समुदाय के लिए कुक्कुट आश्रय का निर्माण
218	समुदाय के लिए मवेशी आश्रय की मरम्मत और रखरखाव
219	समुदाय के लिए बकरी आश्रय की मरम्मत और रखरखाव
220	समुदाय के लिए सूअर पालन आश्रय की मरम्मत और रखरखाव
221	समुदाय के लिए कुक्कुट आश्रय की मरम्मत और रखरखाव
222	समुदाय के लिए सोकेज चैनल का निर्माण
223	व्यक्ति के लिए सोखता गड्ढे का निर्माण
224	समुदाय के लिए सोखता गड्ढे का निर्माण
225	समुदाय के लिए वायर क्रेट (गैबियन) छोटे रास्ते का निर्माण
226	समुदाय के लिए पत्थर के छोटे रास्ते का निर्माण
227	समुदाय के लिए मिट्टी के छोटे रास्ते का निर्माण
228	समुदाय के लिए वायर क्रेट (गैबियन) के छोटे रास्ते की मरम्मत और रखरखाव
229	समुदाय के लिए पत्थर के छोटे रास्ते की मरम्मत और रखरखाव
230	समुदाय के लिए मिट्टी के छोटे रास्ते की मरम्मत और रखरखाव
231	व्यक्तियों के लिए लेवल बेंच टेरेस का निर्माण
232	व्यक्तियों के लिए अपलैंड बेंच टेरेस का निर्माण
233	समुदाय के लिए लेबल बेंच टेरेस का निर्माण
234	समुदाय के लिए अपलैंड बेंच टेरेस का निर्माण
235	व्यक्तियों के लिए एकल इकाई शौचालयों का निर्माण
236	समुदाय के लिए आंगनबाड़ी बहु इकाई शौचालयों का निर्माण
237	विद्यालय के लिए बहु इकाई शौचालयों का निर्माण
238	व्यक्तियों के लिए स्टैगर्ड ट्रेंच का निर्माण
239	समुदाय के लिए स्टैगर्ड ट्रेंच का निर्माण
240	समुदाय के लिए सतत कंटूर ट्रेंच का निर्माण
241	समुदाय के लिए जल अवशोषण ट्रेंच का निर्माण
242	व्यक्तियों के लिए अजोला की खेती के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण
243	समुदाय के लिए अजोला की खेती के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण
244	समुदाय के लिए अजोला की खेती के लिए बुनियादी ढांचे मरम्मत और रखरखाव
245	व्यक्तियों के लिए तरल बायोमेन्योर के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण
246	समूहों के लिए तरल बायोमेन्योर के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण
247	समुदाय के लिए तरल बायोमेन्योर के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण
248	समुदाय के लिए तरल बायोमेन्योर के लिए बुनियादी ढांचे की मरम्मत और रखरखाव

क्र.	कार्य का नाम
249	समुदाय के लिए भूमिगत डाइक का निर्माण
250	समुदाय के लिए तटबंध निर्माण
251	समुदाय के लिए गांव/ग्रामीण हाट का निर्माण
252	समुदाय के लिए गांव/ग्रामीण हाट की मरम्मत और रखरखाव
253	समुदाय के लिए चक्रवात आश्रय का निर्माण
254	समुदाय के लिए चक्रवात आश्रय की मरम्मत और रखरखाव
255	समुदाय के लिए खेल मैदान का निर्माण
256	समुदाय के लिए खेल मैदान की मरम्मत और रखरखाव
257	समुदाय के लिए सरकारी विद्यालयों के लिए चार दिवारी का निर्माण
258	समुदाय के लिए सरकारी विद्यालयों के लिए चार दिवारी की मरम्मत और रखरखाव
259	समुदाय के लिए भवन सामग्री का उत्पादन
260	शासकीय या पंचायत के भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संरचना
261	सामुदायिक स्वच्छता परिसर
262	व्यक्तिगत उपयोग के लिए बायोगैस प्लांट का निर्माण
263	समुदाय के लिए बायोगैस प्लांट का निर्माण के लिए अकुशल मजदूरी घटक
264	सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सुरंग का रखरखाव
265	सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित पुलों का रखरखाव
266	व्यक्तिगत उपयोग के लिए तरल अपशिष्ट चेंबर का निर्माण

अनुभाग आयुक्त
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - अट्टारह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1126) की जानकारी

प्रपत्र

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना द्वारा निर्मित सड़कों के मरम्मत की अद्यतन स्थिति की जानकारी (20 जनवरी 2024 की स्थिति में)

क्र.	विकासखण्ड का नाम	प्रश्नावधि में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत मरम्मत योग्य सड़कों की संख्या	उक्त सड़कों के मरम्मत हेतु कितनी राशि का प्रस्ताव विभागीय अधिकारियों को भेजा गया है	राशि कब तक स्वीकृत की जावेगी	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत सड़कों की संख्या जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है	प्रशासकीय स्वीकृति जारी राशि	रिमांक	(राशि रु. लाख में)	
								7	8
1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना									
1	धरमजयगढ़	48	4006.55	बजट आबंटन के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति की राशि प्रदान की जाती है	12	1411.72	48 सड़कों में से 12 सड़कों में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। शेष 36 सड़कें स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।		
2	घरघोड़ा	12	754.09	बजट आबंटन के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति की राशि प्रदान की जाती है	0	0.00	12 सड़कें स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।		
2. मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क एवं विकास योजना									
1	धरमजयगढ़	5	574.62	राशि बजट प्रावधान प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृत की जा सकेगी	2	345.23	04 सड़कों के नवीनीकरण हेतु वर्ष 2024-25 में राशि रु. 310.79 लाख प्रावधानित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।		
2	घरघोड़ा	2	173.03	राशि बजट प्रावधान प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृत की जा सकेगी	1	91.63			

अधिसूचना आधिकारी

उपसंचालक, मंत्रालय

पंचायतसर्वी ग्रामीण विकास विभाग

महानदी बेकन, मंत्रालय, नया रायपुर


परिशेष - उन्नीस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1145) की जानकारी

प्रपत्र - अ

श्रम विभाग के अधीन मण्डलों के अंतर्गत वर्तमान में संचालित योजनाओं की मंडलवार जानकारी

(1) छोगो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित योजनाये :-

क्र.	योजना का नाम
1	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना
2	मिनीमाता महतारी जतन योजना
3	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
4	मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना
5	मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
6	दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना
7	मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
8	मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना
9	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
10	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना
11	विशेष शिक्षा सहायता योजना
12	मोबाईल रजिस्ट्रेशन चैन योजना
13	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना
14	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना
15	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
16	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना
17	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
18	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
19	बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना
20	श्रम मित्र योजना
21	सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिये आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना
22	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना
23	मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र योजना
24	मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र योजना
25	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना
26	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना
27	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना
28	मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना
29	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना
30	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना


अनुशासक अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
नया रायपुर

(2) छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा असंगठित कर्मकारों हेतु संचालित योजनाये :-


क्र.	योजना का नाम
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना
3	असंगठित कर्मकार समाचार-पत्र हॉकर सायकल सहायता योजना
4	मुख्यमंत्री कोटवार, सायकल एवं टार्च सहायता योजना
5	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना
6	मुख्यमंत्री राउत, चरवाहा एवं दूध दूहने वाले सायकल सहायता योजना
7	असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
8	फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू, बाट एवं टोकरी सहायता योजना
9	ई-रिक्शा सहायता योजना
10	कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
11	धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
12	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
13	सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना
14	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना
15	नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
16	असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना
17	सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना
18	सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना
19	सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना
20	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना
21	सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना
22	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
23	सफाई कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना
24	हमाल हेतु जुता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना
25	महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना
26	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना
27	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना
26	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना
27	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना
28	घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना
29	ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना

Prathig

अनुभाव अधिकारी
 श्रम विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नया रायपुर

(3) छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल द्वारा संगठित श्रमिकों हेतु संचालित योजनाये :-

क्र.	योजना का नाम
1	श्रमिकों हेतु खेल-कूद प्रतियोगिता
2	श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन एवं सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण
3	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना
4	श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना
5	स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण
6	निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना
7	निःशुल्क सायकल वितरण योजना
8	मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
9	निःशुल्क सिलाई मशीन योजना
10	सिलोकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुर्नवास सहायता योजना
11	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
12	मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
13	खेल-कूद प्रोत्साहन योजना



अनुभाष अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नया रायपुर

प्रपत्र - ब

श्रमिकों के पंजीयन हेतु अर्हता एवं शर्तें तथा राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन व्यवस्था की मंडलवार जानकारी

क्र.	मंडल का नाम	अर्हता एवं शर्तें/दस्तावेज	पंजीयन हेतु व्यवस्था
1	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	<p>अर्हता -</p> <ol style="list-style-type: none"> निर्माण श्रमिक की आयु 18-60 वर्ष होनी चाहिए। पंजीयन आवेदन के पूर्व वर्ष में कम से कम 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो। छ0ग0 शासन, श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित निर्माण श्रमिक के 60 प्रवर्ग होना चाहिए। <p>शर्त/दस्तावेज -</p> <ol style="list-style-type: none"> निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करने का नियोजन प्रमाण पत्र जो कि, टेकेदार/नियोजक/श्रम निरीक्षक/पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा जारी हो। आयु के संबंध में दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड अथवा मतदाता कार्ड अथवा जन्म प्रमाण पत्र अथवा आयु के संबंध में कोई वैध अन्य दस्तावेज की स्कैन प्रति। बैंक पासबुक की स्कैन प्रति। निर्माण श्रमिक का लाईव फोटो। मोबाईल नंबर। प्रथम बार पंजीयन होने पर पंजीयन कार्ड 05 वर्ष एवं पंजीयन कार्ड का नवीनीकरण किया जाना है, जिसकी वैधता 05 वर्ष की होगी। पंजीयन अभिदाय शुल्क-50/- रुपये। 	<p>निर्माण श्रमिक पंजीयन हेतु श्रम विभागीय वेबपोर्टल https://cglabour.nic.in में पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था है।</p> <p>राजिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत गरियाबंद, जनपद पंचायत छुरा, नगर पंचायत फिंगेश्वर में संचालित मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र, लोक सेवा केन्द्र, मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन अथवा स्वयं श्रमेव जयते मोबाईल एप के माध्यम से श्रमिक पंजीयन हेतु आवेदन किया जा सकता है, आवेदन प्रस्तुत करने में सहयोग हेतु राजिम विधानसभा क्षेत्र में 05 श्रम मित्र मनोनीत किये गये हैं।</p> <p>श्रमिक द्वारा पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने पर श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक द्वारा पात्र श्रमिकों का ऑनलाईन पंजीयन की कार्यवाही की जाती है तथा श्रमिक को ऑनलाईन पंजीयन कार्ड भी प्राप्त करने की सुविधा है।</p>

Creethin

अनुभाष अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर

क्र.	मंडल का नाम	अर्हता एवं शर्तें/दस्तावेज	पंजीयन हेतु व्यवस्था
2	छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल	<p>अर्हता -</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ असंगठित कर्मकार (छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अधिसूचित असंगठित कर्मकार के 56 प्रवर्ग) होना चाहिए। ■ 14 वर्ष से अधिक आयु को हो। ■ शहरी क्षेत्र में मासिक आय 15 हजार एवं ग्रामीण क्षेत्र में 10 हजार से अधिक ना हो। <p>शर्त/दस्तावेज -</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ आय प्रमाण पत्र ■ असंगठित कर्मकार होने संबंधी स्व घोषणा पत्र। ■ आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रथम पेज के स्कैन प्रति। ■ लाईव फोटो ■ मोबाईल नंबर 	<p>असंगठित कर्मकार के पंजीयन हेतु श्रम विभागीय वेबपोर्टल https://cglabour.nic.in में पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था है। राजिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत गरियाबंद, जनपद पंचायत छुरा, नगर पंचायत फिंगेश्वर में संचालित मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र, लोक सेवा केन्द्र, मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन अथवा स्वयं श्रमेव जयते मोबाईल एप के माध्यम से श्रमिक पंजीयन हेतु आवेदन किया जा सकता है, आवेदन प्रस्तुत करने में सहयोग हेतु राजिम विधानसभा क्षेत्र में 05 श्रम मित्र मनोनीत किये गये हैं।</p> <p>श्रमिक द्वारा पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने पर श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक द्वारा पात्र श्रमिकों का ऑनलाईन पंजीयन की कार्यवाही की जाती है तथा श्रमिक को ऑनलाईन पंजीयन कार्ड भी प्राप्त करने की सुविधा है।</p>
3	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल	<p>छ0ग0 श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत आने वाले ऐसे संस्थान जिनमें 9 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत है जो कुशल/अर्द्धकुशल या अकशल, शारीरिक, लिपिकीय, पर्यवेक्षकीय या तकनीकी कार्य करने के लिए भाड़े या पारिश्रमिक पर नियुक्त है किन्तु जो प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित नहीं है, पंजीयन हेतु पात्र है।</p>	<p>मंडल में संगठित क्षेत्र के पंजीकृत स्थापना के नियोजता द्वारा श्रम विभागीय वेबपोर्टल https://cglabour.nic.in में नियोजित श्रमिकों के नाम एवं अन्य विवरण की प्रविष्टि की जाती है, जिससे श्रमिक स्वतः पंजीकृत हो जाते हैं। अतः पृथक-पृथक स्थानों पर श्रमिकों के पंजीयन की व्यवस्था नहीं है।</p>


 अनुभाग अधिकारी
 श्रम विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर

परिशेष - बीस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1156) की जानकारी

प्रपत्र-अ

श्रम विभाग के अधीन संचालित मंडलों अंतर्गत श्रमिकों को भोजन वितरण हेतु संचालित योजना संबंधी विवरण

क्र.	मंडल का नाम	योजना का नाम	प्रारंभ तिथि	योजना का विवरण
1	छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना	18.10.2017	पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, असंगठित कर्मकारों एवं संगठित श्रमिकों को संचालित भोजन केंद्रों में पौष्टिक गरम भोजन (चावल, दाल, सब्जी एवं अचार) उपलब्ध कराना।
2	छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल		17.01.2018	
3	छ.ग. श्रम कल्याण मंडल		28.12.2017	

Ranika

अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर

प्रपत्र-ब

योजनांतर्गत भोजन प्रदाता संस्थान का नाम एवं भोजन हेतु श्रमिकों द्वारा प्रति भोजन यूनिट (मील) देय दर, श्रमिकों को वितरित भोजन यूनिट (मील) संख्या तथा कुल भुगतान संबंधी मंडलवार जानकारी

क्रमांक	मंडल का नाम	योजना का नाम	अवधि	मजदूरों द्वारा देय राशि	श्रमिकों को वितरित भोजन यूनिट (मील)	भोजन प्रदाता संस्थान का नाम	भुगतान का विवरण		
							मजदूरों द्वारा किया गया भुगतान	मंडल द्वारा किया गया भुगतान	कुल भुगतान राशि
1	छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल		जनवरी 2021 से जून 2022 तक	रुपये-5/- (प्रति मील)	291186	मेसर्स टच स्टोन फाउण्डेशन, दुर्ग	1455930	4998352	6454282
			अगस्त 2022 से सितम्बर 2023 तक				206640	22923543	23130183
2	छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना	जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक	रुपये-5/- (प्रति मील)	216883	मेसर्स आर.के. एसोसिएट्स, भिलाई	1084415	13532849	14617264
			अगस्त 2022 से सितम्बर 2023 तक				2009725	14776675	16786400
3	छ.ग. श्रम कल्याण मंडल		जनवरी 2021 से जून 2022 तक	दिनांक-13.07.2023 के पूर्व तक रुपये- 10/- (प्रति मील) तथा 14.07.2023 से रुपये-5/- (प्रति मील)	174082	मेसर्स टच स्टोन फाउण्डेशन, दुर्ग	870410	1970799	2841209
			अगस्त 2022 से सितम्बर 2023 तक				3292205	14093112	17385317
महायोग							8919325	72295330	81214655

टीप- संबंधित अधिकृत संस्थानों को मंडल द्वारा देय भुगतान में जी.एस.टी. सम्मिलित कर भुगतान किया जाता है।


 अनुभाग अधिकारी
 श्रम विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर

प्रपत्र-स

नामित निरीक्षक/कर्मचारी द्वारा भोजन केन्द्र की जांच के दौरान पायी गयी कमियों की जानकारी

क्र०	जिले का नाम	केन्द्र का नाम	भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा के परीक्षण हेतु नियुक्त अधिकारी	परीक्षण उपरान्त पायी गयी कमियों का विवरण	की गयी कार्यवाही
1	महासमुंद	महासमुंद बस स्टैंड	श्रम निरीक्षक / श्रम उपनिरीक्षक	भोजन की मात्रा सही नहीं पायी गयी।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 7164 दिनांक 17.10.2023 के माध्यम से श्री आर. के. एसोसिएट एंड होटेलियर्स प्राइवेट लिमिटेड भिलाई को पत्र प्रेषित कर भोजन वितरण केन्द्र में व्याप्त अव्यवस्था को तत्काल सुधारते हुए पाई गयी कमियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। निर्देश उपरान्त शिकायत का निवारण किया गया है। कार्यवाही पूर्ण।
2	बिलासपुर	बृहस्पति बाजार	श्रम निरीक्षक / श्रम उपनिरीक्षक	1. निर्धारित मात्रा 400 ग्राम से कम चावल देना पाया गया। 2. हितग्राही द्वारा दुबारा भोजन लेने पर 5 रुपये की मांग की जाती है।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 7164 दिनांक 17.10.2023 के माध्यम से श्री आर. के. एसोसिएट एंड होटेलियर्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली को पत्र प्रेषित कर भोजन वितरण केन्द्र में व्याप्त अव्यवस्था को तत्काल सुधारते हुए पाई गयी कमियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। कार्यवाही पूर्ण।
		तिफरा	श्रम निरीक्षक / श्रम उपनिरीक्षक	1. निर्धारित मात्रा 400 ग्राम से कम चावल देना पाया गया। 2. श्रमिकों द्वारा हॉल में बैठ कर भोजन ग्रहण किया जाता है। 3. हितग्राही द्वारा दुबारा भोजन लेने पर 5 रुपये की मांग की जाती है। 4. भोजन में आचार नहीं दिया जाता है।	
3	रायगढ़	रायगढ़	श्रम निरीक्षक / श्रम उपनिरीक्षक	1. कुछ जगह पानी जमा होना पाया गया है। 2. दाल थोड़ी पतली पायी गयी।	
4	दुर्ग	सुपेला, भिलाई	श्रम निरीक्षक / श्रम उपनिरीक्षक	1. भोजन स्थल में स्वच्छता की आवश्यकता है। 2. बैठक हेतु उचित व्यवस्था नहीं है। 3. पेयजल शौचालय, मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है।	
		कुम्हारी	श्रम निरीक्षक / श्रम उपनिरीक्षक	1. भोजन स्थल में स्वच्छता की आवश्यकता है। 2. पेयजल शौचालय, मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है।	
		छावनी, भिलाई	श्रम निरीक्षक / श्रम उपनिरीक्षक	1. भोजन स्थल में स्वच्छता की आवश्यकता है। 2. भोजन की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 3. पेयजल शौचालय, मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है।	
		बीआरपी चौक, भिलाई	श्रम निरीक्षक / श्रम उपनिरीक्षक	1. भोजन स्थल की स्वच्छता ठीक नहीं है। 2. बैठक व्यवस्था ठीक नहीं है। 3. पेयजल शौचालय, मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है।	
		तहसील चौक, दुर्ग	श्रम निरीक्षक / श्रम उपनिरीक्षक	1. बैठने की उचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। 2. पेयजल एवं शौचालय की उचित व्यवस्था की आवश्यकता है।	



अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर

क्र०	5	जिले का नाम	राजनांदगांव	केन्द्र का नाम	औद्योगिक क्षेत्र टेडेसरा एबिस इंदामरा एबिस टोलागांव	भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा के परीक्षण हेतु नियुक्त अधिकारी	कल्याण अधिकारी / कल्याण निरीक्षक	परीक्षण उपरांत पायी गयी कमियों का विवरण	की गयी कार्यवाही
				कृषि उपज मंडी राजनांदगांव				परीक्षण उपरांत पाया गया कि भोजन वितरण स्थान की साफ सफाई नहीं की जाती, चावल, दाल, सब्जी अचार का स्वाद स्तरहीन है पानी की व्यवस्था नहीं है। थाली, की साफ-सफाई नहीं होती केन्द्र संचालनकर्ता को कमियों के बारे में जानकारी देने पर भी उचित व्यवस्था एवं सुधार नहीं किया जा रहा है। 1. भोजन वितरण स्थल की सफाई नहीं की जाती है। 2. चावल, दाल, सब्जी, अचार का स्वाद स्तरहीन है। 3. पानी की व्यवस्था नहीं है। 4. थाली की साफ सफाई नहीं की जाती है।	जिला श्रम कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरान्त भोजन की गुणवत्ता एवं अव्यवस्था के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3717 दिनांक 26/09/2023 द्वारा मुख्यालय को सूचित किया गया था। जिसके संदर्भ में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 7164 दिनांक 17.10.2023 के माध्यम से श्री आर. के. एसोसिएट एंड होटेलियर्स प्राइवेट लिमिटेड भिलाई को पत्र प्रेषित कर भोजन वितरण केन्द्र में व्याप्त अव्यवस्था को तत्काल सुधारते हुए पाई गयी कमियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए तथा माह-सितम्बर 2023 के पश्चात् से सस्थान को देय भुगतान लंबित रखा गया है।

Reetia
अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अजल नगर, नवा रायपुर

प्रपत्र-द

शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना योजनागत प्राप्त शिकायतों व उन पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

क्र०	जिले का नाम	केंद्र का नाम	प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त शिकायतें	शिकायत कर्ता का नाम	शिकायत तिथि	शिकायत का विवरण	शिकायत पर की गयी कार्यवाही	अद्यतन स्थिति
1	रायपुर	तेलीबाधा रायपुर	1	श्री सुशील सन्नी अग्रवाल	31.08.2021	खराब भोजन बनाने के संबंध में।	शिकायत के आधार पर नवीन निविदा की कार्यवाही श्रम विभाग द्वारा की गई।	निराकृत।
2	राजनांदगांव	कृषि उपज मंडी	1	श्रम पदाधिकारी, राजनांदगांव	30.05.2023	भरपेट भोजन नहीं दिये जाने के संबंध में।	सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पत्र क्रमांक 982, दिनांक 05.06.2023 द्वारा संस्थान को निराकरण हेतु निर्देशित किया गया है।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 7164 दिनांक 17.10.2023 के माध्यम से श्री आर. के. एसोसिएट एंड होटेलियर्स प्राइवेट लिमिटेड भिलाई को पत्र प्रेषित कर भोजन वितरण केन्द्र में व्याप्त अव्यवस्था को तत्काल सुधारते हुए पाई गयी कमियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए तथा माह- सितम्बर 2023 के पश्चात् से संस्थान को देय भुगतान लंबित रखा गया है।
3	रायपुर	गांधी मैदान चावडी रायपुर	1	श्री रविकांत मनहरे	22.09.2023	पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने संबंधी।	पानी की समुचित व्यवस्था एजेंसी द्वारा करा दी गयी है।	निराकृत।

Prasthiy
अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर

प्रपत्र - "अ"

(क) पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पुलिस तथा पुलिस परिवारों हेतु आत्मसात किये गये घोषणा पत्र के बिन्दु तथा बिन्दुओं पर शासन द्वारा किये गये कार्यों की अद्यतन जानकारी			
बिन्दु क्र.	घोषणा का विवरण	पूर्ण / अपूर्ण की जानकारी	की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी
10	महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा एवं अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रत्येक थाने में एक महिला सेल होगा और महिलाओं से संबंधित अपराधों की स्वतंत्र जांच की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों एवं यातायात के साधनों को महिलाओं के अनुकूल एवं सुरक्षित बनाया जाएगा।	पूर्ण	<ul style="list-style-type: none"> महिला थाना :- 04 (बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा) महिला सेल :- 464 थाना एवं 83 चौकी में महिला विरुद्ध अपराध अनुसंधान इकाई (IUCAW):- 06 रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा महिला प्रकोष्ठ :- 28 जिलों में मानव तस्करी निरोधक इकाई (AHTU) :- 27 जिलों (नवगटित जिलों को छोड़कर) में स्थापित किया गया है। वर्ष 2019 से मार्च 2023 तक सभी प्रकरणों में लगभग शतप्रतिशत पीड़ितों को रेस्क्यू किये जाने में सफलता प्राप्त की गई है। ऑपरेशन मुस्कान :- गुम बच्चों की दस्तयाबी हेतु सतत् रूप से यह अभियान चलाया जा रहा है। विगत तीन वर्षों में 10737 गुम बच्चों को दस्तयाब किया गया है। (दस्तयाबी दर 88.19%) सीसीटीवी कैमरा :- सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के अनुकूल व सुरक्षित बनाने की दिशा में शासकीय फण्ड एवं जन सहयोग से लगभग 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं। महिला पेट्रोलिंग :- संवेदनशील व महिलाओ एवं युवतियों के उपस्थिति वाली क्षेत्रों में इलाकों में पेट्रोलिंग की जा रही है।

	<p>• <u>जागरूकता अभियान</u> :- स्कूल एवं कॉलेजों की छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता अभियान के तहत पुलिस अधिकारी/कर्मचारी स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चों को गुडटच-वेडटच, सायबर, अपराध, सेल्फ डिफेंस, आदि की जानकारी दे रहे हैं।</p> <p>• <u>महिला सुरक्षा “अभिव्यक्ति ऐप”</u> :- महिलाओ/बालिकाओं की सुरक्षा एवं उनके द्वारा प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु “अभिव्यक्ति ऐप” लॉच किया गया है। वर्तमान इस ऐप के 02 लाख से भी अधिक पंजीकृत यूजर्स हैं।</p> <p>• <u>विवेचना</u> :- महिलाओ/बालिकाओं के साथ घटित अपराधों की विवेचना यथासंभव महिला अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।</p>
<p>22</p>	<p>पूर्ण</p> <p>नक्सल समस्या के समाधान के लिए नीति तैयार की जायेगी और वार्ता शुरू करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किये जाएंगे।</p>
<p>32</p>	<p>पूर्ण</p> <p>चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा वापस होगा एवं चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।</p>

• जागरूकता अभियान :- स्कूल एवं कॉलेजों की छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता अभियान के तहत पुलिस अधिकारी/कर्मचारी स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चों को गुडटच-वेडटच, सायबर, अपराध, सेल्फ डिफेंस, आदि की जानकारी दे रहे हैं।

• महिला सुरक्षा “अभिव्यक्ति ऐप” :- महिलाओ/बालिकाओं की सुरक्षा एवं उनके द्वारा प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु “अभिव्यक्ति ऐप” लॉच किया गया है। वर्तमान इस ऐप के 02 लाख से भी अधिक पंजीकृत यूजर्स हैं।

• विवेचना :- महिलाओ/बालिकाओं के साथ घटित अपराधों की विवेचना यथासंभव महिला अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

■ नक्सल समस्या से निपटने के लिये अंदरूनी क्षेत्रों में वर्ष 2013 से 2023 तक कुल 240 सुरक्षा कैम्प स्थापित किये गये हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों का विश्वास अर्जित करने में सुरक्षाबलों एवं प्रशासन को लगातार सफलता मिल रही है। मानव अधिकारों का सम्मान तथा आम जनता के प्रति संवेदना सुरक्षाबलों द्वारा संचालित नक्सल विरोधी अभियानों का प्रमुख हिस्सा है। सुरक्षाबलों द्वारा सुरक्षा का माहौल निर्मित करने के कारण नक्सली/नक्सली समर्थक समाज की मुखधारा से जुड़ रहे हैं। इन समग्र प्रयासों से आमजनो में पुलिस एवं सुरक्षा बलों पर विश्वास बढ़ा है।

■ माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित किये गये सुरक्षा कैम्पों को एकीकृत विकास केंद्र (Integrated Development Center) के रूप में तब्दील कर अंदरूनी क्षेत्रों में विकास कार्य संचालित किये जा रहे हैं। भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य कर नक्सल उन्मूलन किये जाने की योजना है।

■ राज्य में तैनात छत्तीसगढ़ पुलिस एवं केन्द्रीय सुरक्षा बलों द्वारा लगातार समन्वय के साथ कार्य करते हुये नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। शासन की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ-साथ विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिये सुरक्षा बलों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

अनियमित वित्तीय (चिटफंड) कंपनियों एवं उनके संचालकों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2015 से वर्ष 2024 (31 जनवरी) तक 214 अनियमित वित्तीय (चिटफंड) कंपनियों के विरुद्ध 468 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। दर्ज प्रकरणों में से 404 प्रकरणों में चालान तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 07 प्रकरण खात्मा, 03 प्रकरण खारिजी की गई है तथा 54 प्रकरणों में विवेचना जारी है।

• कुल 101 प्रकरणों में अनियमित वित्तीय कंपनी की चिन्हांकित संपत्ति का 171 करोड़ 24 लाख 80 हजार 125 रुपये की राशि का माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश तथा रजिनामा/वसूली की कार्यवाही की जा चुकी है।

			<ul style="list-style-type: none"> • 67 प्रकरणों में 45 अनियमित वित्तीय कंपनियों के 98 करोड़ 01 लाख 05 हजार 391 रुपये की नीलामी/ वसूली/राजीनामा की कार्यवाही पूर्ण की जाकर राशि शासन के खाते में प्राप्त हो चुकी है। • 34 प्रकरणों में 18 अनियमित वित्तीय कंपनियों के चिह्नित सम्पत्तियां जिसकी अनुमानित कीमत 73 करोड़ 23 लाख 74 हजार 734 रुपये की न्यायालय से अंतिम आदेश उपरांत नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। • अनियमित वित्तीय (चिटफण्ड) कंपनियों के विरुद्ध 468 दर्ज प्रकरण में 589 डायरेक्टर्स एवं 121 पदाधिकारियों कुल 710 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। • उक्त नीलामी से प्राप्त राशि 44 करोड़ 76 लाख 70 हजार 366 रुपये, कुल 73 हजार 608 निवेशकों को वापस लौटायी जा चुकी है, शेष 53 करोड़ 24 लाख 35 हजार 25 रुपये के वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। • कुल 132 प्रकरणों में चिह्नित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 677 करोड़ 05 लाख 95 हजार 766 रुपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 113 करोड़ 01 लाख 27 हजार 602 रुपये तथा राज्य के बाहर 564 करोड़ 04 लाख 68 हजार 164 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतरिम आदेश हेतु क्लेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है। • कुल 53 प्रकरणों में चिह्नित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 76 करोड़ 37 लाख 70 हजार 486 रुपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 60 करोड़ 76 लाख 89 हजार 86 रुपये तथा राज्य के बाहर 15 करोड़ 60 लाख 81 हजार 400 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतिम आदेश हेतु माननीय न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। • राज्य के निवेशकों से जिला दण्डाधिकारी कार्यालयों में 25 लाख 72 हजार 223 आवेदन पत्र प्राप्त हुये है, प्राप्त आवेदन पत्रों में से 05 लाख 16 हजार 34 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। शेष 20 लाख 38 हजार 233 आवेदन पत्रों का निराकरण की कार्यवाही जारी है। अनियमित वित्तीय कम्पनियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर निवेशकों के धनराशि की वापसी लगातार की जा रही है।
36	तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मचारियों के आवास एवं बच्चों की शिक्षा हेतु पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान समय-समय पर प्रदान कर सशक्त किया जायेगा।	पूर्ण	<p>राज्य में स्वीकृत कुल बल 82051 के विरुद्ध कुल 21754 आवासगृह उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सेक्टर-29 नवा रायपुर स्थित 320 नग आवासगृह की स्वीकृति उपरांत क्रय किया गया है एवं गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही, रायपुर, दुर्ग, कोरिया व बीजापुर में कुल 808 आवासगृह निर्माणाधीन है।</p> <p>पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान समय-समय पर प्रदान कर सशक्त करने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अध्ययनरत् बच्चों को शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदान में वृद्धि करते हुए राशि 1.75 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान कर राशि जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-2020 से छात्रवृत्ति अनुदान में वृद्धि करते हुए राशि 1.75 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान कर राशि रुपये 3.00 करोड़ किया गया है। इसके उपरांत वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राशि रुपये 3.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सहायक अनुदान की राशि को वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रु. 2.25 करोड़ से बढ़ाकर रु. 4 करोड़ प्रतिवर्ष किया गया है। इसके उपरांत वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राशि रुपये 4.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।</p>

प्रपत्र - "ब"

(ख) वर्तमान सरकार द्वारा पुलिस तथा पुलिस परिवारों हेतु की गई घोषणाओं के अनुसरण में की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी	
स.क्र.	घोषणा का विवरण
1	हम हर जिले में महिला (पिंक) थाने स्थापित कर महिला सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
2	हम प्रदेश में शिकायतों के दर्ज किये जाने एवं त्वरित जांच हेतु ADG स्तरीय अफसरों के देखरेख में ऑनलाईन FIR प्रणाली शुरू करेंगे एवं फर्जी मुकदमों को समाप्त कर ऐसे शिकायतकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
3	हम छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और संबंधित अपराधों के लिए न्यूनतम दस साल का कठोर कारावास (आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है) और कम से कम 5 लाख रुपये का जुर्माना सुनिश्चित करते हुए सख्त कानून लायेंगे।
4	हम तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस क्वार्टर के निर्माण हेतु पुलिस कल्याण कोष को सशक्त करेंगे।
5	हम छत्तीसगढ़ माफिया और अन्य संगठित अपराध (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम (CG-MOCCA) नाम एक विशेष कानून बना अपराधिक सिंडिकेट और संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने का काम करेंगे।

की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी

वर्तमान में राज्य के 5 जिलों में महिला थाना स्वीकृत है, शेष 28 जिलों में महिला पुलिस थाना हेतु कुल 1680 नवीन पदों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में प्रावधान हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी एवं संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए न्यूनतम 10 वर्ष का कठोर कारावास (आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है) एवं 5 लाख रुपये तक का जुर्माना के संबंध में, उक्त अधिनियम केन्द्रीय अधिनियम एवं केन्द्र सरकार की विषयवस्तु है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में कुल 5122 आवासगृह निर्माण कार्य का प्रावधान किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6	हम प्रदेशवासियों की जाली चिट फण्ड में फंसी राशि की 5 सालों के अंदर वापसी सुनिश्चित करेंगे।	निवेशकों के हितों को संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत निवेशकों की राशि वापस कराये जाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
7	हम हर जिले में इंटिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कर 24 X 7 सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
8	हम सरकार बनाते ही भ्रष्टाचार और गैर कानूनी रूप से हुई सरकारी भर्तियों की समयबद्ध रूप से जांच करवाकर अपराधियों पर कठोर कार्यवाही एवं दंड सुनिश्चित करेंगे। साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रणाली लागू करेंगे।	पुलिस विभाग की भर्तियों भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रकार से की जा रही है। भविष्य में भी इसे सुनिश्चित किया जावेगा।
9	हम दो वर्षों में प्रदेश के सभी रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती सुनिश्चित करेंगे।	छत्तीसगढ़ पुलिस के सीधी भर्ती के 7075 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।



अनुभाग ओपेनर
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 गृह विभाग
 रायपुर, जवा रायपुर

पारोशिए - बाईस
पारेवातेत अताराकेत प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1214) की जानकारी

प्रपत्र - अ

प्रदेश में एथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु निष्पादित एमओयू

क्र.	इकाई का नाम	एम.ओ.यू. का दिनांक	प्रस्तावित संयंत्र / उत्पाद एवं वार्षिक क्षमता	प्रस्तावित पूंजी निवेश करोड़ रु. में	प्रस्तावित रोजगार	प्रस्तावित स्थल	निवेशकों द्वारा सूचित भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मे. चिरंजीवनी रियलकॉम प्रायवेट लिमिटेड, बिलासपुर	07.09.2020	फ्यूल एथेनॉल- 1.8 करोड़ लीटर, ईएनए- 1.8 करोड़ लीटर, डीडीजीएस- 14400 टन	130.00	118	ग्राम म्यूना कछार, जिला मुंगेली	निर्माणाधीन।
2	मे. श्री श्याम एथेनॉल एंड स्पीरिट प्रायवेट लिमिटेड (श्री श्याम वेयरहाउसिंग एंड पावर प्रायवेट लिमिटेड), जांजगीर चांपा	07.09.2020	एथेनॉल- 30000 केएलपीए	98.00	93	ग्राम मुडपार, तह. अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा	निर्माणाधीन।
3	मे. क्यूबिको केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड, भिलाई	07.09.2020	एब्सलूट एल्कोहल/ फ्यूल एथेनॉल - 33000 केएलपीए	122.32	222	ग्राम चंदनू रवेली, जिला बेमेतरा	क्रियान्वयन प्रारंभ।
4	मे. छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, कुम्हारी	07.09.2020	एथेनॉल एवं ईएनए - 36500 केएलपीए, अशुद्ध स्पीरिट- 1825 केएलपीए	157.50	150	ग्राम खपरी, कुम्हारी, जिला दुर्ग	क्रियान्वयन प्रारंभ।
5	मेसर्स हयाती ब्रेवरेज प्रायवेट लिमिटेड, बेमेतरा	09.11.2020	एथेनॉल / ईएनए - 36,300,000 लीटर	140.00	100	ग्राम भैंसा, तह. विख. व जिला बेमेतरा	निर्माणाधीन।
6	मेसर्स कुसुम स्मेल्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, बिलासपुर	12.11.2020	स्पंज आयरन - 245000 टीपीए, एमएस बिलेट- 179550 टीपीए, रोल्ड प्रोडक्ट्स- 174163 टीपीए, फेरो एलायज- 75000 टीपीए एंड आर पिग आयरन- 150000 टीपीए, केप्टिव पावर प्लांट- 28 मेगावाट, फलाई एश ब्रिक्स- 150000 नग, बायो एथेनाल- 35000 केएलए	-	-	ग्राम धमनी, तह. पथरिया, जिला मुंगेली	निर्माणाधीन।
7	मेसर्स कृष्णव केमिकल एंड स्पीरिट प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	15.12.2020	एथेनॉल/ ईएनए - 3 करोड़ लीटर, डीडीजीएस- 16500 टन, सीओ ₂ - 10800 टन	110.00	43	छत्तीसगढ़ राज्य	स्थल चयन प्रक्रियाधीन है।
8	मेसर्स श्री बजरंग केमिकल डिस्टिलरी एलएलपी, रायपुर	15.12.2020	ग्रेन बेस्ड एथेनॉल/ आरएस/ ईएनए पेटेबल अल्कोहल/ इण्डस्ट्रीयल एल्कोहल - 360 केएलपीडी, केप्टिव पावर प्लांट- 12 मेगावाट	325.00	260	ग्राम आरंग, तह. आरंग, जिला रायपुर	निर्माणाधीन।

अनुमोदित अधिकारी
कृषि एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	इकाई का नाम	एम.ओ.यू. का दिनांक	प्रस्तावित संयंत्र / उत्पाद एवं वार्षिक क्षमता	प्रस्तावित पूंजी निवेश करोड़ रु. में	प्रस्तावित रोजगार	प्रस्तावित स्थल	निवेशकों द्वारा सूचित भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
9	मेसर्स जी.आर.इंटीग्रेटेड स्टील प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	24.07.2021	बेनीफिकेशन ऑफ आयरन ओर- 12,00,000 टीपीए, पैलेट- 18,00,000 टीपीए, स्पंज आयरन-2,00,000 टीपीए, , केप्टिव पावर प्लांट- 32 मेगावाट, एसएमएस विथ सीसीएम- 1,50,000 टीपीए, एसएएफ- 32,000 टीपीए, रोलिंग मिल- 1,50,000 टीपीए, सीमेंट ग्राइंडिंग (पीपीसी, सीएससी, ओपीसी) - 1,00,000 टीपीए, फ्लाई एश प्रोडक्ट्स- 36 मिलियन नग, एथानॉल (बायोफ्यूल)- 2,40,00,000 लीटर	-	-	ग्राम मुडपार, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा	निर्माणाधीन।
10	मेसर्स एमरैल यूवा जेवी, चेन्नई	24.07.2021	फ्यूल एथेनॉल - 16.5 करोड़ लीटर	500.00	125	जिला बेमेतरा	स्थल चयन प्रक्रियाधीन है।
11	मेसर्स डिशैल बायोटेक प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	24.07.2021	गन्ना आधारित- एथेनॉल प्लांट- 30000 केएलपीए, ईएनए- 16830 केएलपीए, डीडब्ल्यूजीएस - 11220 मेटन	141.88	100	ग्राम चंदनू रवेली, तहसील नवागाढ़, जिला बेमेतरा	क्रियान्वयन प्रारंभ।
12	मेसर्स ज्योत्सना ग्रीन प्रोडक्ट्स प्रा.लि., रायपुर	24.07.2021	मेज आधारित- स्टार्च- 19800 एमटीपीए, एथेनॉल- 49500 एमटीपीए, डिस्टीलर्स ड्राइड ग्रैन विथ साल्यूबल (डीडीजीएस)- 24750 एमटीपीए	187.95	220	ग्राम महुदा,, तह. पाटन, जिला दुर्ग	क्रियान्वयन प्रारंभ।
13	मेसर्स पिकाडिली एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, हरियाणा	06.08.2021	एथेनॉल / ईएनए - 210 किलोलीटर प्रतिदिन	290.00	125	जिला महासमुन्द	स्थल चयन प्रक्रियाधीन है।
14	मेसर्स रूटेज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रायवेट लिमिटेड, बंगलुरु	18.08.2021	एथेनॉल/ ईएनए - 110 केएलपीडी	442.55	163	छत्तीसगढ़	स्थल चयन प्रक्रियाधीन है।
15	मेसर्स न्यू लुक बायोफ्यूल प्रायवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	16.09.2021	कार्ब / मेज एंड राइस बेस्ड डेडीकेटेड एथेनॉल प्लांट- 56100 केएलपीए, हस्क बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट- 4 मेगावाट	135.00	104	ग्राम फुलझार, तहसील व जिला राजनांदगांव	निर्माणाधीन।
16	मेसर्स आरती सिनर्जी प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	13.10.2021	बायो-फ्यूल एथेनॉल - 100 केएलपीडी	117.00	-	ग्राम दोंदेकला, तह. धरसीवा व जिला रायपुर	क्रियान्वयन प्रारंभ।
17	मेसर्स मोदी बायोटेक प्रायवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	21.10.2021	एथेनॉल / ईएनए - 69300 केएलपीए	130.00	140	ग्राम भिलाई, तह. आरंग, जिला रायपुर	निर्माणाधीन।


 अनुभाग अधिकारी
 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	इकाई का नाम	एम.ओ.यू. का दिनांक	प्रस्तावित संयंत्र / उत्पाद एवं वार्षिक क्षमता	प्रस्तावित पूंजी निवेश करोड़ रु. में	प्रस्तावित रोजगार	प्रस्तावित स्थल	निवेशकों द्वारा सूचित भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
18	मेसर्स मॉ कुदरगढ़ी बायोफ्यूल्स प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	02.11.2021	एथेनॉल / ईएनए - 200 केएलपीडी	297.97	150	ग्राम जमीरा, तह. लुण्डा, जिला सरगुजा	क्रियान्वयन प्रारंभ।
19	मेसर्स पैरी फुड प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	15.11.2021	एथेनॉल- 132000 केएलपीए, डिस्टीलर्स ड्राइड ग्रैन विथ साल्यूबल (डीडीजीएस)- 59400 एमटीपीए, कार्बन डाइ ऑक्साइड- 25400 एमटीपीए	389.00	389	छत्तीसगढ़ राज्य	स्थल चयन प्रक्रियाधीन है।
20	मेसर्स वरदा इनर्जी एंड इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	15.11.2021	एथेनॉल- 33000 केएलपीए	122.00	105	ग्राम कंडरका, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा	क्रियान्वयन प्रारंभ।
21	मेसर्स क्लोरोफिल बायोफ्यूल प्रायवेट लिमिटेड, भिलाई, जिला दुर्ग	29.11.2021	एथेनॉल- 30000 केएलपीए, डिस्टलर्स ड्राइड गैन साल्यूबल- 50000 एमटीपीए, कार्बन डाइऑक्साइड	140.07	103	ग्राम नगपुरा, दुर्ग	क्रियान्वयन प्रारंभ।
22	मेसर्स सर्व मंगल स्टील एंड एग्रो प्रायवेट लिमिटेड, जयपुर (राजस्थान)	15.12.2021	डिहाइड्रेड एम्हीडियस केमिकल एथेनॉल - 6,60,00,000 लीटर वार्षिक (66000 केएलपीए / 200 केएलपीडी)	212.00	158	छत्तीसगढ़ राज्य	स्थल चयन प्रक्रियाधीन है।
23	मेसर्स बायोटेक फ्यूल्स प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	27.12.2021	एथेनॉल/ईवीए/ एब्सोल्युट एल्कोहल- 33000 केएलपीए	115.00	49	ग्राम पथर्रा, ब्लाक बसनी, तह. व जिला बेमेतरा	क्रियान्वयन प्रारंभ।
24	मेसर्स सुयश बायोफ्यूल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रायपुर	28.12.2021	एथेनॉल प्लांट - 495000 केएलपीए	172.00	75	ग्राम रांका, तह. बेरला, जिला बेमेतरा	क्रियान्वयन प्रारंभ।
25	मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स प्रायवेट लिमिटेड, कोलकाता	19.01.2022	एथेनॉल- 100 केएलपीडी, डीडीजीएस- 80 टीपीडी, कार्बन डाइ-ऑक्साइड- 60 टीपीडी, कोजनरेशन पावर प्लांट- 3 मेगावाट	129.46	120	ग्राम बरपाली, तह. तमनार, जिला रायगढ़	निर्माणाधीन।
26	मेसर्स रामा एग्रोकेम प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	19.01.2022	एथेनॉल- 120 केएलपीडी	175.00	300	ग्राम दसपाल, तह. बकावंड, जिला जगदलपुर	क्रियान्वयन प्रारंभ।
27	मेसर्स कालिंदी इस्पात प्रायवेट लिमिटेड, कोलकाता	24.01.2022	बायो एथेनॉल- 180 केएलपीडी (63000 केएलपीए), डीडीजीएस- 28140 एमटीपीए, कार्बन डाइ-ऑक्साइड- 28540 एमटीपीए, को-जनरेशन केप्टिव पावर प्लांट- 4.50 मेगावाट	195.09	200	ग्राम बेलपान, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर	क्रियान्वयन प्रारंभ।


अनुभाग अधिकारी
 कृषि एवं उद्योग विभाग
 छत्तीसगढ़ प्रदेश, रायपुर

क्र.	इकाई का नाम	एम.ओ.यू. का दिनांक	प्रस्तावित संयंत्र / उत्पाद एवं वार्षिक क्षमता	प्रस्तावित पूंजी निवेश करोड़ रु. में	प्रस्तावित रोजगार	प्रस्तावित स्थल	निवेशकों द्वारा सूचित भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
28	मेसर्स वर्षा बायोफ्यूल्स प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	20.09.2022	एथेनॉल- 39600000 लीटर, डीडीजीएस 17820 टन, कार्बन डाइऑक्साइड 19800 टन, केप्टिव पावर प्लांट 3-3.5 मेगावाट	160.00	200	ग्राम कठिया, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा	क्रियान्वयन प्रारंभ।
29	मेसर्स एनकेजे बायोफ्यूल्स प्रायवेट लिमिटेड, भिलाई, जिला दुर्ग	22.11.2022	एथेनॉल प्लांट - 10560-26400 केएलपीए, ईएनए- 14520 केएलपीए, इम्योर स्पिरिट- 1320 केएलपीए, केप्टिव पावर प्लांट- 3.2 मेगावाट	140.00	164	ग्राम रामहेपुर, तह. बोड़ला, जिला कबीरधाम	उत्पादन प्रारंभ।
30	मेसर्स इकोफोरा इनर्जी बायोफ्यूल्स प्रायवेट लिमिटेड, मुम्बई	21.12.2022	एथेनॉल - 396000 केएलपीए, डीडीजीएस- 12000 एकटीपीए, केप्टिव पावर प्लांट- 3.5 मेगावाट	125.00	100	छत्तीसगढ़ राज्य	स्थल चयन प्रक्रियाधीन।
31	मेसर्स अविन्या बायो इनर्जी प्रावेट लिमिटेड, रायपुर	21.12.2022	एथेनॉल - 300 केएलपीडी, ईएनए- 60 केएलपीडी, बायो सीएनजी- 12 एमटीपीडी, केप्टिव पावर प्लांट- 12 मेगावाट, डीडीजीएस- 160 टीपीडी, कार्बन डाइऑक्साइड- 150 टीपीडी	360.00	124	छत्तीसगढ़ राज्य	स्थल चयन प्रक्रियाधीन।
32	मेसर्स माँ दन्तेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित केएनजी, कोण्डागांव	27.12.2022	एथेनॉल प्लांट- 27200 केएलपीए, डीडीजीएस- 23388 एमटीपीए, कार्बन डाइऑक्साइड- 13600 एमटीपीए, केप्टिव पावर प्लांट- 2.5 मेगावाट	136.86	145	छत्तीसगढ़ राज्य	स्थल चयन प्रक्रियाधीन।
33	मेसर्स यूनिटी इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, दिल्ली	13.01.2023	एथेनॉल एक्ट्रेक्शन फ्राम मेज बेस्ड कार्न, स्टार्च एंड डेमेज्ड राइस - 120000 केएलपीए, केप्टिव पावर प्लांट- 1.5 मेगावाट	183.00	120	छत्तीसगढ़ राज्य	स्थल चयन प्रक्रियाधीन।
34	मेसर्स हेमलेट एंड सोलर प्रोजेक्ट कोलेबरेटर्स प्रायवेट लिमिटेड, पटना (बिहार)	08.09.2023	एथेनॉल प्लांट (ग्रैन बेस्ड)- 200 केएलपीडी	432.00	300	छत्तीसगढ़ राज्य	स्थल चयन प्रक्रियाधीन।
योग				6511.65	4765		


 अनुभान आधिकारी
 पर्यावरण एवं उद्योग विभाग
 छत्तीसगढ़ कंत्रालय रायपुर

MODEL DRAFT

**MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING**

BETWEEN

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

&

M/s.

.....

AT RAIPUR

DATED : / / 20----


अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This **Memorandum of Understanding** (MoU) is made on this - - - - day of -----
-----, 20----- at Raipur between **THE GOVERNMENT OF CHHATTISGARH**
(hereinafter referred to as "**STATE GOVERNMENT**") of the FIRST PART.

AND

M/s. ----- a company incorporated under the
Companies Act ----- and having its registered office at -----
----- (hereinafter referred to as "- - - - -")
which expression shall, unless repugnant to the context or the meaning thereof include its
successors and assigns) as the OTHER PART.

AND WHEREAS "- - - - -" is desirous of setting up the following manufacturing
facilities in the State of Chhattisgarh with proposed Investment of Rs. ----- Crore.

Sr.No	Plant / Facility	Annual Capacity / Unit	Project Cost (Rs. Crore)
1.			
2.			
3.			
Total			

AND WHEREAS, the **Government of Chhattisgarh** agrees to provide all help and facilitate
clearances necessary for the aforesaid projects in the State of Chhattisgarh through the
intervention of the **STATE INVESTMENT PROMOTION BOARD** constituted under the
Chhattisgarh Audyogik Nivesh Protsahan Adhiniyam 2002.

NOW THEREFORE, ----- and **Government of Chhattisgarh** have come together
to record their intentions through this Memorandum of Understanding (MoU), as set out
herein below :

- 2.1 ----- will set up the aforesaid projects in the State of Chhattisgarh and the
State Government and its agencies will extend all necessary assistance and
cooperation for successful implementation of the projects.
- 2.2 ----- will earmark separate funds for environmental upgradation and
activities under Corporate Social Responsibilities as per the policy (ies) of the State
Government.
- 2.3 ----- will facilitate setting up of ancillary industries promoted by the
Industries Department or any other State Government agency.
- 2.4 ----- will provide employment to local people as per the Industrial Policy
and Rehabilitation Policy of State Government *and will also initiate Campus
selection in the state for recruitment in the units.*
- 2.5 ----- will make provisions as per law for utilization and disposal of fly ash
generated in their power project and other industrial activity *and will also make
provisions of Energy Audit, Rain Water Harvesting, Water Recycling &
Recharging in the Plant & Colony Area.*


 अनुभाग अधिकारी
 सप्लाय एवं उद्योग विभाग
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

- 2.6 ----- will initiate all necessary steps to implement the projects mentioned herein above with a view to contribute to the industrial development and the economic growth of Chhattisgarh State within the time limit set out herein below.
- 2.7 ----- will commence implementation of the project as early as possible, but not later than 2 years from the date of signing of this MOU. If project implementation does not commence within two years, this MOU will be deemed to have expired.
- 3.1 The **State Government** will facilitate, through Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited (CSIDC) all necessary assistance in procuring optimum land free from all encumbrances as required for implementation of the projects mentioned herein above.
- 3.2 The **State Government** through the State Investment Promotion Board will facilitate expeditious grant of approvals under the purview of the State Government for speedy implementation of the projects.
- 3.3 The **State Government** will facilitate the company to obtain water allocation for the aforesaid project as per the norms, from the identified viable sources. Accordingly State Government through SIPB shall examine and recommend the application for quantum of water required for the said project. Water resources Department will then finally approve the water allocation as per prevailing policies, as amended from time to time.
- 3.4 The **State Government** will assist ----- in getting coal linkage and subject to statutory provisions and availability of coal, recommend coal linkage as per extant policy.
- 3.6 The **State Government** will make recommendations to the Ministries of ----- of the Government of India for necessary statutory and other approvals.
- 3.7 The **State Government** will provide all incentives available to Mega / Very Large Industrial Projects in the state as per the Industrial Policy and notifications of the Government applicable from time to time.
4. This MoU is an instrument of understanding. Formal agreements with the concerned agencies/departments will be signed in due course.

For witness where all the parties hereto have set their hand to this MoU on this ----- day of ----- 20.....

SIGNED AND DECLARED BY :

**For and on behalf of the
GOVT. OF CHHATTISGARH**

**For and on behalf of
M/s. -----**

WITNESSES

- 1.
- 2.

WITNESSES

- 1.
- 2.

RSay
अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
उत्तीसगढ़ संग्रहालय रायपुर

परिशेष - तेईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1232) की जानकारी

प्रपत्र-“अ”

स.कं.	चौकी का नाम	स्वीकृत बल				
		उप निरीक्षक	सउनि	प्र.आर.	आरक्षक	योग
1	आरा	1	2	4	20	27
2	मनोरा	1	2	4	20	27
3	सोनक्यारी	1	2	4	20	27
4	पाण्ड्रापाठ	1	2	4	20	27


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग का किया गया निरीक्षण

क्र.	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पद नाम	पाई गई स्थिति	की गयी कार्यवाही
1	08.09.2023	1. क्षेत्रीय अधिकारी 2. सहायक अभियंता	निरीक्षण के दौरान उद्योग में कोक ओवन प्लांट एवं स्टील मेल्टिंग शॉप में ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम संचालित नहीं पाया गया, साथ ही इसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के सर्वर से जोड़ा जाना नहीं पाया गया तथा निरीक्षण की दौरान परिसर के बाहर दूषित जल का निस्सारण नहीं किया जाना पाया गया।	कार्यालयीन पत्र दिनांक 13.09.2023 के माध्यम से उद्योग प्रबंधन को समाधानकारक कार्यवाही करने बाबत निर्देशित किया गया।
2	19.10.2023	1. क्षेत्रीय अधिकारी 2. सहायक अभियंता	निरीक्षण के दौरान आर.एम.एच.एस. प्लांट के पास आंतरिक मार्गों में अत्यधिक मात्रा में डस्ट जमा होना तथा परिवहन के दौरान फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होना पाया गया। बी.ओ.डी. प्लांट (बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन एण्ड डीफेनोलाईजेशन प्लांट) संतोषप्रद रूप से कार्यरत नहीं पाया गया। ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम एवं कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन संचालित नहीं पाया गया। साथ ही निरीक्षण की दौरान परिसर के बाहर	कार्यालयीन पत्र दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से उद्योग प्रबंधन को, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में उद्योग प्रबंधन द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.10.2023 के माध्यम से समाधानकारक कार्यवाही किये जाने एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की

SUPERINTENDING ENGINEER

Environment Conservation
C:\Users\ADMINISTRATOR\Desktop\Kam Dev.docx-3

अनुमानित अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

न्यायालय तहसीदार जगदलपुर जिला बस्तर छोगा

प्रपत्र - 6

क्रमांक/ क / प्रया0/ना0तह0/2024 जगदलपुर

दिनांक 05/02/2024

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

जगदलपुर छोगा

विषय:- नगरनार स्टील प्लांट के अपशिष्ट के डिस्पोजल के प्रावधान(तारांकित प्रश्न क्रमांक 1258) श्री किरण देव।

प्रश्न	उत्तर
(क) बस्तर के नगरनार में एनएमडीसी स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई तथा निर्माण/उत्पादन कब-प्रारंभ हुआ? शासन के प्रावधान अनुसार स्टील प्लांट को अपने अपशिष्ट आयरन और युक्त पानी (दूषित कालापानी) तथा अन्य केमिकल युक्त अयोग्य अपशिष्टों को डिस्पोजल करने के क्या प्रावधान हैं?	इस विभाग से संबंधित नहीं होने से जानकारी निरंक है?
(ख) नगरनार स्टील प्लांट द्वारा आयरन और युक्त दूषित जल की निकासी हेतु क्या व्यवस्था की गई है? दूषित जल निकासी की जांच, उद्योग विभाग द्वारा किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गई है? जांच में क्या पाया गया? यदि जांच नहीं गई तो इसके क्या कारण हैं?	इस विभाग से संबंधित नहीं होने से जानकारी निरंक है?
(ग) क्या आयरन और युक्त दूषित जल को कृषि भूमि में छोड़ने की शिकायतें प्राप्त हुईं या विभाग के संज्ञान में आया? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई यह नहीं तो क्यों?	प्रभावित किसानों द्वारा शिकायत किया गया था। के अनुसार राजस्व विभाग, कृषि विभाग एवं नगरनार स्टील प्लांट के कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त दल गठित कर जांच किया गया प्रभावित किसानों का फसल क्षति होने का गणना पत्रक तैयार कर अदिशासि निर्देशक नगरनार स्टील प्लांट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।
(घ) प्रशास ग अनुसार किसानों को मुआवजा/क्षति पूर्ति देने के क्या प्रावधान हैं? जनवरी 2021 से दिसम्बर 2023 की स्थिति में कितने किसानों को मुआवजा/ क्षतिपूर्ति कितनी राशि का दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों?	कुल 88 किसानों का 33.44 हे० प्रभावित रकबा का मुआवजा राशि 16,78,937.00 रुपये गणना पत्रक तैयार कर एनएमडीसी नगरनार को भेजा गया है मुआवजा राशि वितरण की जानकारी एनएमडीसी नगरनार से लिया जाना उचित होगा।

✓ AE/JS
AG II/Establishment
Regional Officer
05/02/2024



7
तहसीलदार
जगदलपुर

SUPERINTENDING ENGINEER
C.G. Environment Conservation
Raipur

अनुभाग अधिकारी
पर्यावरण एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर

प्रस्ताव - "सं"

एनएमडीसी एरियल सिस्टिम डिवीजन
जगदलपुर जिला बस्तर 731010
मुख्य कार्यालय
उत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

एनएमडीसी एनएमडीसी/मू-अजक/2024/88

दिनांक 15.02.2024

प्रति

अनुष्ठागीय अधिकारी (रा)
जगदलपुर जिला बस्तर 731010

विषय - नगरनार स्टील प्लांट से निकलने वाली दूषित पानी की प्रवाह से नगरनार क्षेत्र के कृषकों के फसल क्षति राशि प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भ - आपके कार्यालयन पत्र क्रमांक 1778/अविअ(रा)/स्टेनो/2023 जगदलपुर
दिनांक 20.12.2023

महोदय,

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन का कष्ट करें (प्रत्यक्ष सलमन)। संदर्भित पत्रानुर यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव को एनएमडीसी मुख्यालय, रायपुर का अनुमोदन प्रेषित किया गया है। सूचनार्थ सम्प्रेषित।

धन्यवाद

सलमन - उपरोक्तानुसार।

✓ AE/JS
AG II/Establishment
Regional Officer
05/02/2024



सहायक संचालक (विद्युत) मू-अजक
एनएमडीसी नगरनार

SUPERINTENDING ENGINEER
S.E. Environment Conservation
Raipur

अनुष्ठागी अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
उत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

परिशेष - पंचोस
परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 26 (क्र. 1272) की जानकारी

प्रपत्र

जिला खैरागढ़ के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों की जानकारी
(जनवरी 2021 से दिनांक 31.01.2024 तक)

स.क्र.	विधानसभा का नाम	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत वर्ष	सड़क का नाम	स्वी.लंबाई (कि.मी.में)	स्वीकृत राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	खैरागढ़	छुईखदान	2023-24	एल.056- दरवानटोला से शियारपारा	1.500	100.800
2	खैरागढ़	छुईखदान	2023-24	एल.119 डुमरिया-भेण्डा नवागांव से खर्वा वार्ड नं.-13	3.900	250.200
3	खैरागढ़	छुईखदान	2023-24	एल.117 बांधाटोला से बांधाटोला वार्ड नं.-17 रेंगाखार	1.300	89.090
4	खैरागढ़	छुईखदान	2023-24	एल.060 टाकुरटोला लावातरा रोड से बैगापारा	1.700	116.810
5	खैरागढ़	छुईखदान	2023-24	टी.08 बेन्नी से बैगापारा वार्ड नं.-15	1.000	67.780
6	खैरागढ़	छुईखदान	2023-24	एल.114 बगारझोला मरकाटोला से कल्लेपानी	4.400	314.790
7	खैरागढ़	छुईखदान	2023-24	एल.118 सुकतरा से बैगापारा	0.625	13.160
8	खैरागढ़	छुईखदान	2023-24	एल.108-समुंदपानी से झिलमिली वार्ड नं.-08	7.900	485.540
9	खैरागढ़	छुईखदान	2023-24	एल.116-सिंगबोरा से सिंगबोरा वार्ड नं.-14	2.150	163.680
10	खैरागढ़	छुईखदान	2023-24	एल.085-मुरुम से मुरुम वार्ड नं.-07	1.550	108.380
11	खैरागढ़	छुईखदान	2023-24	टी.07 ग्वागुण्डी से आमाटोला (ग्वालगुण्डी)	1.775	134.030
12	खैरागढ़	छुईखदान	2023-24	एल.062-गोलारडीह से दल्ली	3.550	257.330
13	खैरागढ़	छुईखदान	2023-24	टी.06 गेरुखदान से गेरुखदान वार्ड नं.-06	2.075	143.300
कुल योग :-					33.425	2274.89

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - छब्बीस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 1355) की जानकारी

प्रपत्र

साइबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रम/योजनाएँ

- साइबर क्राइम हेल्प लाइन नंबर 1930 एवं साइबर क्राइम पोर्टल— प्रदेश में साइबर क्राइम हेल्प लाइन नंबर 1930 एवं साइबर क्राइम पोर्टल की मदद से ठगी की राशि को साइबर अपराधियों के हाथों में जाने से पहले होल्ड कराये जाने एवं समस्त प्रकार के साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने हेतु नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल संचालित है।
- अधोसंरचना—राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय में साइबर थाना एवं पॉच रेंज मुख्यालयों क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर एवं सरगुजा में रेंज साइबर थाना का संचालन किया जा रहा है।
- क्षमता विकास —साइबर क्राइम अनुसंधान में पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को दक्ष बनाये जाने हेतु सतत रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कुल-2782 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों एवं डी.पी.आ. को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है।
- साइबर जागरूकता—साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु साइबर जनजागरूकता कार्यक्रम जैसे रायपुर पुलिस—“सुनो रायपुर”, बिलासपुर पुलिस—“साइबर मितान”, दुर्ग पुलिस—“सेल्फी विथ साइबर संगी” अभियान एवं बालोद पुलिस—“साइबर कवच” आदि आयोजित किया गया है।

साइबर अपराध की रोक थाम हेतु भावी योजना

- आगामी वर्षों में व्यापक स्तर पर आधुनिक तकनीक एवं टूल्स से युक्त साइबर थानों की स्थापना एवं बल संवर्धन की योजना है।
- साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हेल्प लाइन नंबर 1930 के प्रभावी संचालन हेतु आधुनिक कॉल सेंटर का सशक्तिकरण किया जायेगा।
- साइबर अपराध के विषय में व्यापक जन-जागरूकता हेतु विशेष टीम गठित कर हर जिले में रोड शो आयोजित करने की योजना है।
- आई.टी. सेक्टर से तकनीकी रूप से दक्ष आई.टी. प्रोफेशनल की नियुक्ति प्रस्तावित है।
- राष्ट्र की मानक और ख्यातिलब्ध संस्थानों के माध्यम से साइबर अनुसंधान विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन के साथ ही ऑनलाईन माध्यम से साइबर के क्षेत्र में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराये जाने की योजना है।


अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र

अनियमित वित्तीय कंपनी (चिटफंड) के विरुद्ध की गई कार्यवाही तथा निवेशको को धन वापसी की जानकारी
(जनवरी 2021 से दिनांक 20 जनवरी 2024 की स्थिति में)

क्रं.	अनियमित वित्तीय कंपनी की संख्या	पीड़ित निवेशको की संख्या	ठगी/ गबन की गई कुल रकम	दर्ज प्रकरण	कितने प्रकरण में आरोपी गिरफ्तार है	कितने प्रकरण में प्रस्तुत किया जा चुका है?	कितने प्रकरण में दोष सिद्ध / सजा हुआ है?	दोष मुक्ति		अपील प्रकरणों की संख्या कितनी है?
								सर्वेह का लाभ देकर	बाईज्जत बरी	
1	37	11315	656413773	44	47	18	0	1	0	0

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - अट्टाईस

परिचित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 1395) की जानकारी

प्रपत्र- अ

पामगाढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा एवं समग्र विकास योजना के लंबित भुगतान की जानकारी

(राशि रु. लाख में)

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत कार्य की संख्या	कुल स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पामगाढ़	2020-21	मनरेगा	489	2925.96	450	39	
2	नवागाढ़			153	869.94	145	8	
3	पामगाढ़	2021-22	मनरेगा	551	2762.98	465	86	
4	नवागाढ़			496	1083.40	365	131	
5	पामगाढ़	2022-23	मनरेगा	362	2262.87	295	67	
6	नवागाढ़			82	546.74	56	26	
7	पामगाढ़	2023-24	मनरेगा	337	1752.51	58	279	
8	नवागाढ़			89	465.69	20	69	
			योग	2559	12670.09	1854	705	
9	पामगाढ़	2021-22	मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना	19	49.40	6	8	05 यूनिट कार्य संख्या संशोधन हेतु प्रस्तावित
10	नवागाढ़			0	0.00	0	0	
11	पामगाढ़	2022-23	मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना	8	32.28	2	6	
12	नवागाढ़			9	23.70	2	7	
13	पामगाढ़	2023-24	मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना	0	0.00	0	0	
14	नवागाढ़			1	2.60	0	1	
			योग	37	107.98	10	22	
			महायोग	2596	12778.07	1864	727	

अनुभाग अधिकारी

कृष्णासिंह मंत्रालय

गकत एवं ग्रामीण विकास विभाग

नदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

9

प्रपत्र- ब

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा एवं समग्र विकास योजना के लंबित भुगतान की जानकारी

(राशि रू. लाख में)

क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	मजदूरी भुगतान	सामग्री क्रय का भुगतान	भुगतान हेतु लंबित कार्यों की संख्या	भुगतान हेतु लंबित रहने का कारण	लंबित भुगतान कब तक कर दिया जावेगा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पामगढ़	मनरेगा	5101.56	1059.48	132	आबंटन के अभाव में भुगतान लंबित है	आबंटन प्राप्त होते ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी	
2	नवागढ़		1176.02	119.21	20	आबंटन के अभाव में भुगतान लंबित है	आबंटन प्राप्त होते ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी	
3	पामगढ़	मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना	0.00	0.00	14	कार्य प्रगतिरत है	कार्य पूर्ण उपरांत शेष राशि का भुगतान किया जावेगा	
4	नवागढ़		0.00	0.00	8	कार्य प्रगतिरत है	कार्य पूर्ण उपरांत शेष राशि का भुगतान किया जावेगा	



अनुभाग अधिकारी

कृतीसगढ़ मंत्रालय

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र- स

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत महात्मा गांधी नरेंगा के तहत अनियमितता संबंधी प्राप्त शिकायतों की जानकारी

क्र.	शिकायत प्राप्ति वर्ष	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विकासखण्ड का नाम	निर्माण कार्य से संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी	कार्य का नाम जिसमें शिकायत प्राप्त हुई है	क्या शिकायत की जांच करायी गई हों/नहीं	जांच में शिकायत सही/निराधार र पायी गयी	यदि जांच में शिकायत सही पायी गयी तो अनियमितता का विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2020-21	12.06.2020	श्री नकुल बघेल एवं अन्य ग्रामवासी ग्रा.पं. भिलौनी	पामगढ़	भिलौनी	तालाब गहरीकरण कार्य	हों	निराधार	-	-
2	2020-21	25.06.2020	श्री तुलाराम कश्यप, ग्रा.पं. भंवतरा	पामगढ़	भंवतरा	तालाब गहरीकरण कार्य	हों	निराधार	-	-
3	2022-23	30.11.2022	अकाश सिन्हा विकासखंड-पामगढ़	पामगढ़	पेन्ड्री व पनगांव	नाली निर्माण कार्य	हों	निराधार	-	-
4	2023-24	06.04.2023	श्रीमती सुनिता निर्मलकर एवं अन्य ग्रामवासी ग्रा.पं. बारगांव	पामगढ़	बारगांव	बंधई तालाब गहरीकरण	हों	निराधार	-	-
5	2022-23	11.05.2022	श्री दूजे राम यादव, ग्राम पंचायत भदरा	पामगढ़	भदरा	मिट्टी पहुंच मार्ग	हों	सही	मजदूर रामप्रसाद को भुगतान की गई राशि 1056 रु., जागीर का 3328 रु., शैलेन्द्र 3328 रु. कुल 7712 फर्जी भुगतान की राशि वसूल किये जाने व रोजगार सहायक को 500 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की अनुशंसा की गई है।	संबंधितों से अनियमितता की राशि 7712 रु. एवं अर्थदण्ड की राशि 500 रु. वसूल की गई है।

अनुभाग अधिकारी

वृत्तीय गढ़ मंत्रालय

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पंचायती

D

क्र.	शिकायत प्राप्ति वर्ष	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विकासखण्ड का नाम	निर्माण कार्य से संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी	कार्य का नाम जिसमें शिकायत प्राप्त हुई है	क्या शिकायत की जांच करायी गई है/ नहीं	जांच में शिकायत सही/निराधर पायी र	यदि जांच में शिकायत सही पायी गयी तो अनियमितता का विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	2022-23	30.06.2022	श्री रोशन सूर्यवंशी, ग्राम पंचायत हिरी	पामगढ़	हिरी	निजी डबरी निर्माण	हों	निराधर	-	-
7	2021-22	07.06.2021	श्री लक्ष्मण प्रसाद कुरे, ग्रा.पं. बेल्हा	नवागढ़	बेल्हा	तालाब गहरीकरण कार्य	हों	निराधर	-	-
8	2022-23	02.05.2022	व्ही.एस. चंद्रा ग्रामवासी किरित	नवागढ़	किरित	तालाब गहरीकरण कार्य	हों	निराधर	-	-
9	2022-23	28.12.2022	सुभद्रा चन्द्रा एवं 10 अन्य ग्रामवासी ग्रा.पं. किरित	नवागढ़	किरित	तालाब गहरीकरण कार्य	हों	निराधर	-	-
10	2023-24	12.06.2023	श्री कृष्ण कुमार एवं अन्य ग्रामवासी ग्रा.पं. कुकदा	नवागढ़	कुकदा	तालाब गहरीकरण कार्य	हों	निराधर	-	-
11	2022-23	22.06.2021	श्री ओमप्रकाश कश्यप, ग्राम पंचायत बोरदा	नवागढ़	बोरदा	तालाब गहरीकरण कार्य	हों	निराधर	-	-




अनुभाग अधिकारी
 कृत्तिसिंह मंत्रालय
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - उन्तीस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 1396) की जानकारी

प्रपत्र

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पामगढ़ में शैक्षणिक (प्रशिक्षण अधिकारी) अमले का स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी (31 जनवरी 2024 की स्थिति में)

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त संख्या	रिक्त पद विरुद्ध कार्यरत संविदा / मेहमान प्रवक्ता	
					संविदा	आमंत्रित मेहमान प्रवक्ता
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रशिक्षण अधिकारी- कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	2	1	1	0	1
2	प्रशिक्षण अधिकारी- इलेक्ट्रिशियन	2	1	1	0	1
3	प्रशिक्षण अधिकारी- वर्कशॉप कैल्कुलेशन एंड साइंस / इंजीनियरिंग ड्राइंग	1	1	0	0	0
4	प्रशिक्षण अधिकारी- फिटर	2	0	2	0	1
5	प्रशिक्षण अधिकारी - स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी)	2	0	2	0	2
	योग :-	09	3	06	0	5

Prady

अनुभाग अधिकारी
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
पत्रालय, अटल नगर (छ.ब.)

पारिशेष्य - तीस
पारेवातेत अताराकेत प्रश्न संख्या 36 (क्र. 1418) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जनवरी 2021 से दिसम्बर 2023 तक वितरित अनुदान की जानकारी

ब्याज अनुदान

1	कवर्धा	में0 अरिहंत राईस मिल ग्राम-सिंघनपुरी	लघु उद्योग	राईस	111119
2	कवर्धा	में. मंगल राईस प्रोडक्ट ग्राम-सिंघनपुरी, तह0-कवर्धा, जिला-कबीरधाम	लघु उद्योग	राईस	569848
3	कवर्धा	में0 शारदा फलाई ऐश ब्रिक्स ग्राम-तालपुर, तह0-कवर्धा, जिला -कबीरधाम	सूक्ष्म उद्योग	ब्रिक्स	100167
4	कवर्धा	में0 वर्धमान राईस इण्डस्ट्रीज ग्राम-नेवारी, तह0-कवर्धा, जिला-कबीरधाम	लघु उद्योग	राईस	1020173
5	कवर्धा	में0 जयंता वेईंग इण्डस्ट्रीज कवर्धा, जिला-कबीरधाम	सूक्ष्म उद्योग	वेईंग मशीन	95394
6	कवर्धा	में0 आर.एस.जी. मशाला उद्योग ग्राम-भागूटोला, तह0-कवर्धा, जिला-कबीरधाम	सूक्ष्म उद्योग	मसाला निर्माण	79192
7	कवर्धा	में0 आर0 के0 उद्योग ग्राम-नेवारी, तह0-कवर्धा, जिला-कबीरधाम	लघु उद्योग	राईस	103574
8	कवर्धा	में. मंगल ब्रिक्स, ग्राम-सिंघनपुरी, तह. -कवर्धा	सूक्ष्म उद्योग	फलाईएस ब्रिक्स	387482
9	कवर्धा	में. माँ शक्ति राईस मिल ग्राम-सिंघनपुरी, तह0-कवर्धा	लघु उद्योग	परबायल्ड राईस	1484066
10	कवर्धा	में. अनिल इण्ड प्लाई फर्नीचर उद्योग	लघु उद्योग	प्लाईवुड	742471
11	कवर्धा	में0 माँ शक्ति राईस मिल ग्राम-सिंघनपुरी, तह0-कवर्धा	लघु उद्योग	फोर्टिफाईड राईस (शवलीकरण)	594405
12	बोड़ला	में0 रूद्र इण्डस्ट्रीज ग्राम-लालपुरकला, तह0-बोड़ला, जिला-कबीरधाम	सूक्ष्म उद्योग	फलश डोर	66167
13	बोड़ला	में0 हर्ष राईस मिल ग्राम-सारंगपुरकला, तह0-बोड़ला, जिला-कबीरधाम	लघु उद्योग	राईस	122819

अनुभाषी अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

14	बोड़ला	में0 श्री प्रभुजी राईस मिल ग्राम-खरहट्टा तह.-बोड़ला जिला-कबीरधाम	लघु उद्योग	राईस	251241
15	बोड़ला	में0 जायसवाल राईस मिल ग्राम-खैरबनाखुर्द, तह0-बोड़ला, जिला-कबीरधाम	लघु उद्योग	कोदो राईस	746699
16	बोड़ला	में0 जनता राईस मिल यूनिट-2 ग्राम-हरिनछपरा, तहसील-बोड़ला, जिला-कबीरधाम	लघु उद्योग	राईस	328160
17	बोड़ला	में. श्री सिद्धि विनायक राईस मिल, ग्राम-सारंगपुरकला, तह.-बोड़ला	लघु उद्योग	राईस	415747
18	बोड़ला	में. जी.एस.मसाला उद्योग, औ.क्षे. हरिनछपरा, तह.-बोड़ला	सूक्ष्म उद्योग	मसाला निर्माण	203948
19	बोड़ला	में. आदिशक्ति प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग	लघु उद्योग	पेपर बॉक्स	475236
20	बोड़ला	में. आदित्य पाईप इण्डस्ट्रीज औ0क्षे0 हरिनछपरा	लघु उद्योग	ह्यूम पाईप	340770
21	बोड़ला	में. इकोट्वीट एग्रीवेयर प्रा0लि0 औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, तह. बोड़ला, जिला कबीरधाम	लघु उद्योग	प्लेट निर्माण	4326999
22	बोड़ला	में. जायसवाल एग्रो प्रोडक्ट ग्राम मिनमिनिया मैदान, तह. बोड़ला	लघु उद्योग	कोदो राईस	682492
23	बोड़ला	में. जायसवाल ट्रेडिंग कंपनी ग्राम मिनमिनिया मैदान, तह. बोड़ला	लघु उद्योग	कोदो राईस	855937
24	पंडरिया	में. सिद्धार्थ राईस मिल गाम-मोहतराखुर्द, तह0-पंडरिया, जिला-कबीरधाम	लघु उद्योग	राईस	475404
25	पंडरिया	में0 कावेरी चॉवल उद्योग ग्राम-पांडातराई तह0-पंडरिया जिला-कबीरधाम	लघु उद्योग	राईस	215582
26	स.लोहारा	में0 शिवशंकर राईस मिल, ग्राम-सोनपुरी, तह.-स. लोहारा	लघु उद्योग	राईस	102504

अनुभवाधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

जनवरी 2021 से दिसम्बर 2023 तक वितरित अनुदान की जानकारी

स्थायी पूंजी निवेश अनुदान

क	विकासखण्ड	औद्योगिक इकाई का नाम व पता	उद्योग की श्रेणी (सूक्ष्म/ लघु/वृहद)	उत्पाद	वितरित राशि (राशि रू. लाख में)
1	कवर्धा	मे. अनिल इण्डस्ट्रीज प्लाई फर्नीचर उद्योग प्रो. श्री अनिल कुमार चन्द्रवंशी ग्राम इंदौरी, तहसील कवर्धा जिला कबीरधाम छ.ग.	लघु	फर्नीचर निर्माण	1974000
2	कवर्धा	मेसर्स मां शक्ति राईस मिल (शवलीकरण) ग्राम सिंघनपुरी, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	लघु	उसना चावल निर्माण	5839800
3	कवर्धा	मेसर्स आर.एस.जी मसाला उद्योग (विस्तार), प्रो. श्री संजय गुप्ता, ग्राम भागूटोला, तहसील कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.)	सूक्ष्म	मसाला निर्माण	666750
4	कवर्धा	मेसर्स मंगल ब्रिक्स प्रो. श्री बिरेन्द्र सिंह छाबड़ा ग्राम सिंघनपुरी,, तहसील कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.)	सूक्ष्म	पलाई एश ब्रिक्स निर्माण	1172850
5	कवर्धा	मेसर्स मां शक्ति राईस मिल (शवलीकरण) ग्राम सिंघनपुरी, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	लघु	फोर्टीफाईड राईस	4262800
6	बोड़ला	मे. रुद्र इण्डस्ट्रीज प्रो. श्री भोला प्रसाद तिवारी ग्राम लालपुरकला ,तह. बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	सूक्ष्म	पलश डोर निर्माण	1383300

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

7	बोड़ला	मेसर्स जायसवाल राईस मिल (शवलीकरण), प्रो. श्री दौलत जायवासल, ग्राम खैरबनाखुर्द, तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	लघु	कोदई निर्माण	7600000
8	बोड़ला	मेसर्स हर्ष राईस मिल (विस्तार), प्रो. श्री लवलेश चन्द्रवंशी, ग्राम सारंगपुरकला, तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम(छ.ग.)	लघु	राईस	230222
9	बोड़ला	मेसर्स जी.एस. मसाला उद्योग प्रो. श्रीमती कल्पना गुप्ता प्लाट नं. ए-27, औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	सूक्ष्म	मसाला मिर्माण	963565
10	बोड़ला	मेसर्स मौसमी गुड़ उद्योग प्रो. श्रीमती मौसमी साहू ग्राम खड़ौदाकला, तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	लघु	गुड़ निर्माण	2191775
11	बोड़ला	मे. श्री सिद्धी विनायक राईस मिल प्रो. श्री सूरज चन्द्रवंशी ग्राम सारंगपुरकला, तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	लघु	राईस	5068060
12	बोड़ला	मेसर्स आदिशक्ति प्रिंटिंग एण्ड पैकेजिंग इण्डस्ट्री प्रो. श्री शुभम गुप्ता पता औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	लघु	पेपर बॉक्स निर्माण	5000222
13	बोड़ला	मेसर्स आदित्य पाईप इण्डस्ट्रीज, प्रो. श्रीमती योगेश्वरी भट्ट पता औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	लघु	हयूम पाईप निर्माण	3737579

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

14	बोड़ला	मेसर्स चन्द्रवंशी राईस मिल (विस्तार) प्रो. श्री लोकचंद चन्द्रवंशी ग्राम पोंड़ी, तहसील बोड़ला जिला कबीरधाम (छ.ग.)	लघु	राईस	1481763
15	बोड़ला	मेसर्स जायसवाल एग्रो प्रोडक्ट्स, ग्राम मिनमिनिया मैदान, तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	लघु	कोदई निर्माण	7987844
16	बोड़ला	मेसर्स जायसवाल ट्रेडिंग कंपनी, ग्राम मिनमिनिया मैदान, तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	लघु	कोदई निर्माण	7959216
17	बोड़ला	मेसर्स महालक्ष्मी राईस फूड्स, प्रो. श्रीमती गिरिजा बाई चन्द्रवंशी, ग्राम खरहट्टा, तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम(छ.ग.)	लघु	राईस	2871010


 अनुभाग अधिकारी
 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

जनवरी 2021 से दिसम्बर 2023 तक वितरित अनुदान की जानकारी

मार्जिन मनी अनुदान

क	विकासखण्ड	औद्योगिक इकाई का नाम व पता	उद्योग की श्रेणी (सूक्ष्म/लघु/वृहद)	उत्पाद	वितरित राशि (राशि रू. लाख में)
1	बोड़ला	मेसर्स प्रेमनरेश पेपर बॉक्स इण्डस्ट्रीज, प्रो. श्री दीपक कुमार बंजारे, ग्राम लालपुरकला, तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ0ग0)	लघु	पेपर बॉक्स निर्माण	1500000

अनुभूति अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

प्रपत्र-ब

जनवरी 2021 से दिसम्बर 2023 तक वितरित अनुदान की जानकारी

लंबित ब्याज अनुदान

1	कवर्धा	में. ओम एग्रो प्रोडक्ट ग्राम-सिंघनपुरी, वि.खं. -कवर्धा	लघु उद्योग	राईस	143754	बजट आबंटन के अभाव में
2	कवर्धा	में. मंगल ब्रिक्स, ग्राम-सिंघनपुरी, तह. -कवर्धा	सूक्ष्म उद्योग	फलाई एस ब्रिक्स	44344	बजट आबंटन के अभाव में
3	कवर्धा	में0 मंगल राईस प्रोडक्ट ग्राम-सिंघनपुरी, तह0-कवर्धा, जिला-कबीरधाम	लघु उद्योग	राईस	56552	बजट आबंटन के अभाव में
4	कवर्धा	में. हीरा फुड प्रोडक्ट्स ग्राम-डबराभाठ, वि.खं. -कवर्धा,	लघु उद्योग	राईस	527684	बजट आबंटन के अभाव में
5	बोड़ला	में. महालक्ष्मी राईस फुड ग्राम-खरहट्टा, वि.खं. बोड़ला	लघु उद्योग	राईस	85789	बजट आबंटन के अभाव में
6	बोड़ला	में. जी.एस.मसाला, औ.क्षे. हरिनछपरा, वि.खं.-बोड़ला	सूक्ष्म उद्योग	मसाला निर्माण	14172	बजट आबंटन के अभाव में
7	बोड़ला	में. डी.कबीर फलाई एस ब्रिक्स ग्राम-हरिनछपरा, वि. खं.-बोड़ला	सूक्ष्म उद्योग	फलाई एस ब्रिक्स	77516	बजट आबंटन के अभाव में


अनुभाष अधिकारी
 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

जनवरी 2021 से दिसम्बर 2023 तक वितरित अनुदान की जानकारी
लंबित स्थायी पूंजी निवेश अनुदान

क	विकासखण्ड	औद्योगिक इकाई का नाम व पता	उद्योग की श्रेणी (सूक्ष्म/लघु/वृहद)	उत्पाद	वितरित हेतु लंबित (राशि रु. लाख में)	रिमार्क
1	कवर्धा	मेसर्स प्रेम नरेश पेपर बॉक्स इण्डस्ट्रीज प्रो. श्री दीपक कुमार बंजारे ग्राम लालपुरकला, तहसील बोड़ला जिला कबीरधाम (छ.ग.)	लघु	पेपर बॉक्स निर्माण	2871010	बजट आबंटन के अभाव में लंबित।
2	कवर्धा	मेसर्स हीरा फूड प्रोडक्ट्स प्रो. श्री हरदीप सिंग खनूजा ग्राम डबराभाठ, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम छ0ग0	लघु	राईस	5151300	बजट आबंटन के अभाव में लंबित।
3	बोड़ला	मेसर्स महालक्ष्मी राईस फूड्स, प्रो. श्रीमती गिरिजा बाई चन्द्रवंशी, ग्राम खरहट्टा, तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम(छ.ग.)	लघु	राईस	3293420	बजट आबंटन के अभाव में लंबित।
4	सहसपुर लोहारा	मेसर्स शिवशंकर राईस मिल प्रो. श्रीमती रश्मि वर्मा ग्राम सोनपुरी, तहसील सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम छ.ग.	लघु	राईस	3892200	बजट आबंटन के अभाव में लंबित।


अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत नवीनीकरण के तहत सड़क ग्राम खुबाटोला से पनियाजोब में स्वीकृत डब्ल्यू.बी.एम., बी.एम., बेस कोर्स, पी.एम. सी., प्राईम कोट, एम.एस.एस., पुलिया रिपेयरिंग एवं पटरी की मात्रा की जानकारी

स.क्र.	एस.ओ.आर. आयटम नं.	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा
1	2	3	4	5
1	11.5	डब्ल्यू.बी.एम. रोड का संधारण	स्कवेयर मीटर	0.00
3	5.6	बी.एम.	घन मीटर	1384.03
2	4.8	बेस कोर्स	घन मीटर	4547.53
4	5.3 (ii)	पी.एम.सी.	स्कवेयर मीटर	27956.25
5	5.1	प्राईम कोट	स्कवेयर मीटर	27680.63
6	5.7 Type-B (ii)	एम.एस.एस.	स्कवेयर मीटर	0.00
पुलिया मरम्मत कार्य				
7	7.1 (i)	मिट्टी खुदाई	घन मीटर	73.50
	7.10 (i)	पी.सी.सी. (एम-10)	घन मीटर	6.40
	7.18 (i)	पी.सी.सी. (एम-15)	घन मीटर	54.00
	11.13	पुलिया की पुताई	स्कवेयर मीटर	300.00
	11.7 (i)	पाईप पुलिया का संधारण	प्रति पुलिया	8.00
8	3.12 (a)	मिट्टीकृत पटरी निर्माण कार्य	घन मीटर	6480.25

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-ब

डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत नवीनीकरण के तहत सड़क ग्राम खुबाटोला से पनियाजोब में व्यय की गई राशि का कार्यवार विवरण

स. क्र.	एस.ओ.आर. आयटम नं.	कार्य का विवरण	व्यय राशि (लाख में)
1	2	3	4
1	9.14 (B)	सूचना एवं लोगो बोर्ड स्थापित करना	0.14
2	2.2	घास एवं कुड़ा सफाई	0.24
3	3.1	मौजूद डामरीकृत सतह को उखाड़ना	3.67
		कुल	4.05

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - बत्तीस

परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 1464) की जानकारी

प्रपत्र

वि.स. क्षेत्र अम्बिकापुर में तालाबों का गहरीकरण, विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण का विवरण

क्र.	वर्ष	तालाब गहरीकरण के विस्तार एवं सौंदर्यीकरण की स्वीकृति कहीं कहीं दी गयी (नाम)	कार्य की भौतिक स्थिति		रिमार्क
			पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6
1	2022-23	हराटिकरा तालाब गहरीकरण	पूर्ण	-	-
2	2022-23	झुरही तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	-	-
3	2022-23	तुरिया मुडां तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	-	-
4	2022-23	तालाब गहरीकरण कार्य मिडिल स्कूल के पास	पूर्ण	-	-
5	2022-23	तालाब गहरीकरण कार्य लगन साय खेत के पास	पूर्ण	-	-
6	2022-23	तालाब गहरीकरण कार्य रगड़ांड चम्पा खेत के पास	पूर्ण	-	-
7	2022-23	अमृत सरोवर मैना तालाब लटोरी	पूर्ण	-	-
8	2022-23	अमृत सरोवर लाली मुडा तालाब	-	अपूर्ण	-
9	2022-23	अमृत सरोवर झुरही तालाब	पूर्ण	-	-
10	2022-23	अमृत सरोवर छोटा तालाब	-	अपूर्ण	-
11	2022-23	अमृत सरोवर चुहरामुडा तालाब	पूर्ण	-	-
12	2022-23	अमृत सरोवर दर्री तालाब	-	अपूर्ण	-
13	2022-23	अमृत सरोवर देव तालाब	पूर्ण	-	-

अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय

प्यत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 स्त्री भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्र.	वर्ष	तालाब गहरीकरण के विस्तार एवं सौंदर्यीकरण की स्वीकृति कहीं कहीं दी गयी (नाम)	कार्य की भौतिक स्थिति		रिमार्क
			पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6
14	2022-23	अमृत सरोवर सरना तालाब	पूर्ण	-	-
15	2022-23	झुरही तालाब अमृत सरोवर	पूर्ण	-	-
16	2022-23	थाडा बहेरा अमृत सरोवर	पूर्ण	-	-
17	2022-23	शिवाही तालाब अमृत सरोवर	-	अपूर्ण	-
18	2022-23	अमृत सरोवर सती तालाब	-	अपूर्ण	-
19	2022-23	महादेव तालाब गहरीकरण कार्य	पूर्ण	-	-
20	2022-23	टोनाही तालाब गहरीकरण	पूर्ण	-	-
21	2022-23	पटेल बगीचा तालाब गहरीकरण	पूर्ण	-	-
22	2022-23	भोजसागर तालाब गहरीकरण	पूर्ण	-	-
23	2022-23	मांझी तालाब गहरीकरण अमृत सरोवर	पूर्ण	-	-
24	2022-23	बाड़ी ढोड़गा तालाब गहरीकरण	पूर्ण	-	-
25	2022-23	दुल्ही तालाब गहरीकरण अमृत सरोवर	पूर्ण	-	-
26	2022-23	सरहद तालाब गहरीकरण	पूर्ण	-	-
27	2023-24	स्कुल तालाब गहरीकरण कार्य	-	अपूर्ण	-
28	2023-24	महुआ तालाब गहरीकरण	-	अपूर्ण	-
29	2023-24	शासकीय तालाब गहरीकरण	-	अपूर्ण	-
30	2023-24	झुरी तालाब गहरीकरण	-	अपूर्ण	-

क्र.	वर्ष	तालाब गहरीकरण के विस्तार एवं सौंदर्यीकरण की स्वीकृति कहीं कहीं दी गयी (नाम)	कार्य की भौतिक स्थिति		रिमार्क
			पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6
31	2023-24	शासकीय भूमि में तालाब गहरीकरण कार्य चारपारा	पूर्ण	-	-
32	2023-24	सुखरीडबरी तालाब गहरीकरण अमृत सरोवर	पूर्ण	-	-
33	2023-24	डेडवा तालाब गहरीकरण अमृत सरोवर	पूर्ण	-	-
34	2023-24	झुरही तालाब गहरीकरण अमृत सरोवर	पूर्ण	-	-
35	2023-24	बैरडांड तालाब गहरीकरण अमृत सरोवर	पूर्ण	-	-
36	2023-24	छुहीमाटी तालाब गहरीकरण अमृत सरोवर	पूर्ण	-	-
37	2023-24	केवटा झोरिखा तालाब गहरीकरण अमृत सरोवर	पूर्ण	-	-
38	2023-24	सींगी तालाब गहरीकरण अमृत सरोवर	पूर्ण	-	-
39	2023-24	जोड़ा तालाब गहरीकरण अमृत सरोवर	-	अपूर्ण	-
40	2023-24	जोड़ा तालाब गहरीकरण	-	अपूर्ण	-
41	2023-24	तालाब गहरीकरण हरपारा में	-	अपूर्ण	-


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 मंडानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - तैतीस
परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 41 (क्र. 1478) की जानकारी

संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के ठेकेदारों को जारी अनुज्ञप्ति की अवधि, जारी अनुज्ञप्ति में श्रमिक संख्या एवं जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम की जानकारी

क्र०	वर्ष	जिला	ठेकेदार का नाम	अनुज्ञप्ति क्रमांक	श्रमिक संख्या	अनुज्ञप्ति की अवधि		जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम
						कब से	कब तक	
1	2021	रायपुर	कॉल मी सर्विस	RPR/2020/44020926	180	01-10-2020	30-09-2021	सहायक श्रमायुक्त
2	2021	रायपुर	ए02जेड इनफ्रा सर्विस लिमिटेड	RPR/2021/44021168	780	01-10-2020	30-09-2021	सहायक श्रमायुक्त
3	2021	दुर्ग	प्राइमवन वर्क फोर्स प्रा.लि.	43021283	405	01-10-2020	30-09-2021	श्रम पदाधिकारी
4	2021	कबीरघाम	सुमित फेसिलिटीस	57020987	113	10-01-2020	30-09-2021	श्रम पदाधिकारी
5	2021	गरियाबंद	मेमर्स सुमित फेसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड	51020975	78	01-10-2020	30-09-2021	सहायक श्रमायुक्त
6	2021	बलौदाबाजार	मेसर्स इगल हंटर सोल्युशन लिमिटेड	BBZ/2021/52021207	72	01-10-2020	30-09-2021	सहायक श्रमायुक्त
7	2021	बालोद	सुमित फेसिलिटीस लिमिटेड	BLD/2022/49027150	132	01-10-2021	30-09-2022	श्रम पदाधिकारी
8	2021	धमतरी	सुमित फेसिलिटीस लिमिटेड	DMT/2019/59019599	142	10-01-2019	31-12-2021	श्रम पदाधिकारी
9	2022	रायपुर	कॉल मी सर्विस	RPR/2020/44020926	381	01-01-2022	31-12-2022	सहायक श्रमायुक्त
10	2022	रायपुर	ए02जेड इनफ्रा सर्विस लिमिटेड	RPR/2021/44021168	780	01-10-2021	30-09-2022	सहायक श्रमायुक्त
11	2022	रायपुर	ए02जेड इनफ्रा सर्विस लिमिटेड	RPR/2021/44021168	780	01-10-2022	30-09-2023	सहायक श्रमायुक्त
12	2022	रायपुर	मेसर्स इगल हंटर सोल्युशन लिमिटेड	RPR/2023/44032313	760	01-10-2022	30-09-2023	सहायक श्रमायुक्त
13	2022	रायपुर	प्राइमवन वर्क फोर्स प्रा.लि.	RPR/2023/44032313	389	30-09-2022	30-09-2023	सहायक श्रमायुक्त
14	2022	दुर्ग	प्राइमवन वर्क फोर्स प्रा.लि. नवीनीकरण	43021283	405	01-01-2022	30-09-2022	श्रम पदाधिकारी

Aradhya
अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
राज्य नगर, नवा रायपुर

क्र०	वर्ष	जिला	ठेकेदार का नाम	अनुज्ञापि क्रमांक	श्रमिक संख्या	अनुज्ञापि की अवधि		जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम
						कब से	कब तक	
15	2022	गरियाबंद	मेमर्स सुमित फॅसिलिटीज प्राईवेट लिमिटेड	51027535	81	01-10-2021	30-09-2022	श्रम पदाधिकारी
16	2022	बालोद	सुमित फॅसिलिटीज लिमिटेड	BLD/2022/49027150	131	01-10-2022	30-09-2023	श्रम पदाधिकारी
17	2022	सूरजपुर	प्राईमवन वर्क फोर्स प्रा.लि.	SRJ/2022/37027589	44	01-01-2022	30-09-2022	श्रम पदाधिकारी
18	2023 (30 नवंबर तक)	रायपुर	ए02जेड इनफ्रा सर्विस लिमिटेड	RPR/2021/44021168	780	01-10-2023	30-09-2024	सहायक श्रमायुक्त
19	2023 (30 नवंबर तक)	दुर्ग	कॉल मी सर्विस	RPR/2020/44020926	381	01-01-2023	31-12-2023	सहायक श्रमायुक्त
20	2023 (30 नवंबर तक)	दुर्ग	प्राईमवन वर्क फोर्स प्रा.लि. नवीनीकरण	43021283	405	01-03-2023	30-09-2023	सहायक श्रमायुक्त
21	2023 (30 नवंबर तक)	महासमुंद	मेमर्स सुमित फॅसिलिटीज प्राईवेट लिमिटेड	MSD/2023/58031663	166	01-10-2022	30-09-2023	सहायक श्रमायुक्त
22	2023 (30 नवंबर तक)	गरियाबंद	मेमर्स सुमित फॅसिलिटीज प्राईवेट लिमिटेड	51027535	81	01-10-2022	30-09-2023	श्रम पदाधिकारी
23	2023 (30 नवंबर तक)	बलौदाबाजार	मेमर्स सुमित फॅसिलिटीज प्राईवेट लिमिटेड	BBZ/2020/52020972	183	01-10-2022	31-08-2023	श्रम पदाधिकारी
24	2023 (30 नवंबर तक)	सूरजपुर	एस0आई0एस0 लिमिटेड (सिक्वोरिटी एण्ड इन्फ्रस्ट्रक्चर्स सर्विस इंडिया)	SRJ/2023/37032415	26	01-07-2023	30-06-2024	श्रम पदाधिकारी
25	2023 (30 नवंबर तक)	बेमेतरा	सुमित फॅसिलिटीज लिमिटेड नवीनीकरण	BMT/2020/50020174	92	10-01-2022	30-09-2023	श्रम पदाधिकारी
26	2023 (30 नवंबर तक)	बालोद	सुमित फॅसिलिटीज लिमिटेड	BLD/2022/49027150	131	01-10-2022	30-09-2023	श्रम पदाधिकारी

Rathin
अनुभाग अधिकारी
 श्रम विभाग, मंत्रालय
 एन.ए. रोड, नवा रायपुर

पारोशेष्ट - चौतीस
पारोवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 1486) की जानकारी

प्रपत्र

रायपुर संभाग के जिला स्वरोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के द्वारा वर्ष 2021 से 2023 तक प्लेसमेंट कैंपों के माध्यम से कंपनियों/प्रतिष्ठानों में चयनित युवाओं की जानकारी

रायपुर संभाग के जिले	क्रमांक	कम्पनी का नाम	चयनित युवाओं की संख्या
रायपुर	1	मेस्को एंटरप्राइजेज शॉप नंबर 18, सुरजा देवी शुक्ला मार्केट, स्टेशन रोड, रायपुर श्री आर. रमन दुबे 93002 01771	3
	2	आईसीआईसीआई बैंक सेल्स अकादमी सत्यम प्लाजा, पंडरी, रायपुर श्री एमडी अशफाक 8454522262	4
	3	टाटा मोटर्स लिमिटेड में एनटीटीएफ, ग्राम उत्तरी कोटपुरा, साणंद, अहमदाबाद, गुजरात 382170 श्री बीके पांडा 8249962213	2
	4	ब्लूचिप जॉब्स प्राइवेट लिमिटेड पचपेड़ी नाका, रायपुर श्री जितेंद्र सांभरकर 98261 72570	12
	5	ए2जेड इंफ्रासर्विसेज लिमिटेड सुंदर नगर, रायपुर श्री हरजिंदर 907156495	467
	6	रेपिडो रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड दूसरी मंजिल, सुधा तोमन प्लेस, पानी टंकी के पास, मुकुट नगर, रायपुर, श्री रजत 93991 88600	11
	7	बुककार्गो (वीसीएआरटी व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड)।डी, तौसरी मंजिल, श्याम प्लाजा, पंडरी	5
	8	रिलियन निप्पॉन लाइफ इंस कॉम्प. लिमिटेड सिमरॉन टावर, एलआईसी ऑफिस के सामने, पंडरी, रायपुर श्री सुभाष 8770107625	3
	9	कैरियर ट्री एचआर सॉल्युथियंस प्राइवेट लिमिटेड श्री रजनीश जयसवाल मो. 7017686498	4
	10	रिलियन निप्पॉन लाइफ इंस कॉम्प. लिमिटेड सिमरॉन टावर, एलआईसी ऑफिस के सामने, पंडरी, रायपुर श्री सुभाष 8770107625	4
	11	एगोर्वाइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जगदाम्बा कॉलोनी, भाटागांव चौक, रायपुर श्री आशीष 9685039366	12
	12	टेक्नोटास्क बिजनेस सॉल्युशन (बीपीओ) 5वीं मंजिल, मल्टीलेवल पार्किंग घड़ी चौक, रायपुर नेहा साहू 9329931466	10
	13	अलर्ट एसजीएस प्राइवेट लिमिटेड 434, चौथी मंजिल, प्रोजेसिव पॉइंट, फ्रूट मार्केट, रायपुर, श्री अमित 8720005500	3
		योग	540

psdhy
अनुभाग अधिकारी
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, अटल नगर (छ.ग.)

रायपुर संभाग के जिला स्वरोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के द्वारा वर्ष 2021 से 2023 तक प्लेसमेंट केंपों के माध्यम से कंपनियों/प्रतिष्ठानों में चयनित युवाओं की जानकारी

बलौदाबाजार	1	नवकिसान बायो प्लाटक रायपुर	5
	2	संध्या फ्यूल्स बलौदाबाजार	2
	3	संध्या फ्यूल्स बलौदाबाजार	4
	4	भारतीय जीवन बीमा बलौदाबाजार	11
	5	टॉप कैरियर सर्विसेस रायपुर	6
	6	टॉप कैरियर सर्विसेस रायपुर	3
	7	सुमित सेल्फ प्रा.लि. रायपुर	9
	8	समुद्व किसान बायो प्लांकटेक बिलासपुर	9
	9	जनाधार कौशल विकास छत्तीसगढ़	29
	10	मोर्डन फर्निचर बलौदाबाजार	2
	11	मानव मोर्टस बलौदाबाजार	1
	12	सुमित बाजार बलौदाबाजार	5
	13	एसआर होस्पिटल दुर्ग	11
	14	बोम्बे इंटेलिजेंट	11
	15	न्यूट्रि क्राप केयर प्रा. लि. बिलासपुर	18
	16	अलर्ट सेक्यूरिटी रायपुर	6
	17	रालास मोटर्स बलौदाबाजार	4
		योग	136

psalm

अनुभाग अधिकारी
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, अटल नगर (छ.ग.)

रायपुर संभाग के जिला स्वरोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के द्वारा वर्ष 2021 से 2023 तक प्लेसमेंट कैंपों के माध्यम से कंपनियों/प्रतिष्ठानों में चयनित युवाओं की जानकारी

गरीयाबंद			
	1	टेकनोशीस ट्रेनिंग सर्विसेस, द्वारा सुजुकी मोटर्स, बेचराज जिला अहमदाबाद (गुजरात)	6
	2	ओमडाई मर्चेंडाईस एंड कंसल्टेंट, डीडीयू नगर, रायपुर	12
	3	टेकनोशीम ट्रेनिंग सर्विसेस द्वारा सुजुकी मोटर्स गुडगांव हरियाणा	15
	4	लार्सन टब्रो लिमिटेड कांचीपुरम तामिलनाडु	14
	5	प्रथम प्लबिंग केन्द्र, कुरुद धमतरी छ.ग	4
	6	टॉप कैरियर सर्विस रायपुर छ.ग.	7
	7	फायर, सेफ्टी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भिलाई दुर्ग (छ.ग.) भारतीय जीवन बीमा, निगम शाखा-महासमुंद, टैंगो सिक्युरिटी सर्विसेस प्रा. लिमि.रायपुर छ.ग.	19
	8	प्रगति होम केयर प्रा.लि. रायपुर एल.आई.सी. विकास अधिकारी, महासमुंद	23
	9	टैंगो सिक्युरिटी सर्विसेस प्रा. लिमि.रायपुर छ.ग.	12
	10	प्रगति होम केयर प्रा.लि. रायपुर फायर, सेफ्टी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भिलाई दुर्ग (छ.ग.)	17
	11	बॉम्बे इन्टेलिजेन्स सिक्युरिटी (इंडिया) लिमिटेड शंकर नगर रायपुर फायर, सेफ्टी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भिलाई दुर्ग (छ.ग.) प्रगति होम केयर प्रा.लि. रायपुर टैंगो सिक्युरिटी सर्विसेस प्रा. लिमि.रायपुर छ.ग.	64
	12	सेफ इन्टेलिजेन्ट सिक्युरिटी सर्विस भिलाई दुर्ग (छ.ग.) प्रगति होम केयर प्रा.लि. रायपुर	63
		योग	256

psdhy
अनुभाग अधिकारी
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, अटल नगर (छ.ग.)

रायपुर संभाग के जिला स्वरोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के द्वारा वर्ष 2021 से 2023 तक प्लेसमेंट कैंपों के माध्यम से कंपनियों/प्रतिष्ठानों में चयनित युवाओं की जानकारी

महासमुद	1	टॉप कैरियर सर्विस रायपुर	10
	2	आईसीआईसीआई बैंक रायपुर	
	3	टॉप कैरियर सर्विस रायपुर	7
	4	टॉप कैरियर सर्विस रायपुर	3
	5	टॉप कैरियर सर्विस रायपुर	5
	6	टैगो सिक्योरिटी सर्विस गार्ड रायपुर	20
	7	टॉप कैरियर सर्विस रायपुर	3
	8	एलआईसी महासमुन्द	6
	9	एलर्ट सिक्योरिटी सर्विसेस रायपुर	5
	10	बाम्बे इंटेलीजेन्टस रायपुर	5
	11	बाम्बे इंटेलीजेन्टस रायपुर	7
	12	जोमेटो एलटीडी रायपुर	4
	13	एनआईआईटी एलडी रायपुर	4
		योग	79



संभाग अधिकारी
 विद्यालय, तकनीकी शिक्षा
 एवं रोजगार विभाग
 रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

रायपुर संभाग के जिला स्वरोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के द्वारा वर्ष 2021 से 2023 तक प्लेसमेंट केंपों के माध्यम से कंपनियों/प्रतिष्ठानों में चयनित युवाओं की जानकारी

धमतरी	1	हनुमान एग्रो कुरुद लिमिटेड	11
		लायनेस एग्रो इंडिया लिमिटेड	
		एल आई सी धमतरी	
	2	टॉप कैरियर रायपुर	5
	3	एलर्ट सिक््यरिटी सर्विसेस	2
	4	एलर्ट एस जी एस प्रा. लिमिटेड	1
	5	फ्यूजन माइक्रोफायनेंस लिमिटेड	3
6	एस आई एस एस सेल्फ इंटेलिजेंस	10	
		योग	32
		महायोग	1043


अनुभाग अधिकारी
 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
 एवं रोजगार विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर (छ.ग.)

परिशेष - पेंतीस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 1503) की जानकारी

प्रपत्र

छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतर्गत केन्द्रीय जेल एवं जिला जेल में कैदी रखने की क्षमता एवं जेलवार परिरुद्ध कैदियों की विस्तृत जानकारी

(दिनांक 31.01.2024 की स्थिति में)

क्र	जेल का नाम	कैदियों को रखने की क्षमता	कैदियों की संख्या
1	केन्द्रीय जेल रायपुर	1586	3076
2	जिला जेल धमतरी	265	245
3	जिला जेल महासमुंद	170	459
4	जिला जेल बलौदाबाजार	410	297
5	जिला जेल गरियाबंद	110	204
6	केन्द्रीय जेल जगदलपुर	1451	1462
7	जिला जेल कांकेर	205	303
8	जिला जेल दंतेवाड़ा	350	405
9	जिला जेल सुकमा	160	138
10	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	2290	2870
11	जिला जेल रायगढ़	705	726
12	जिला जेल कोरबा	230	256
13	जिला जेल जांजगीर	280	366
14	जिला जेल पेण्ड्रारोड	110	79
15	जिला जेल मुंगेली	250	105
16	केन्द्रीय जेल अंबिकापुर	1320	2013
17	जिला जेल बैकुण्ठपुर	148	155
18	जिला जेल जशपुर	330	508
19	जिला जेल रामानुजगंज	313	395
20	जिला जेल सूरजपुर	180	374
21	केन्द्रीय जेल दुर्ग	2006	2031
22	जिला जेल राजनांदगांव	156	369
23	जिला जेल कबीरधाम	160	187
24	जिला जेल संजरीबालोद	160	246
25	जिला जेल बेमेतरा	150	90
	योग	13495	17359


अनुभाग अधिकारी
गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष्ट - छत्तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 1504) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला रायपुर में रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों का पंजीयन
प्रश्नांश (क) की जानकारी

क्र.	वर्ष 2021 से 2023 तक पंजीयन की जानकारी		
	2021	2022	2023
1	76598	78192	76299


अनुभाग अधिकारी
व्यवस्थापक, तकनीकी शिक्षा
रोजगार विभाग
रायपुर नगर (छ.ग.)

जिला रायपुर में रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों का पंजीयन
प्रश्नांश (ख) की जानकारी

प्रपत्र-ब

क्र.	रायपुर जिले में प्रदत्त बेरोजगारी भत्ता की माहवार जानकारी	
	माह	भत्ता प्राप्त आवेदकों की संख्या
1	अप्रैल-2023	2846
2	मई-2023	4497
3	जून-2023	5150
4	जुलाई-2023	5577
5	अगस्त-2023	3290
6	सितम्बर-2023	5882
7	अक्टूबर-2023	5881
8	नवंबर-2023	5881

peahy
अनुभाग अधिकारी
 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
 एवं रोजगार विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर (छ.ग.)

पारोशेष्ट - सैंतीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 1771) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	स्वीकृत हितग्राहीयों की संख्या	पूर्ण आवासों की संख्या	शेष आवासों की संख्या
1	2021-22	अ.चौकी	0	0	0	0
2	2022-23	अ.चौकी	39	330	232	98
3	2023-24	अ.चौकी	0	0	0	0
4	2021-22	छुरिया	0	0	0	0
5	2022-23	छुरिया	91	600	468	132
6	2023-24	छुरिया	0	0	0	0
		योग	130	930	700	230

अनुभाग अधिकारी
उत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
प्रधानमंत्री भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

(रुही टेम्पुरकर)

उपायुक्त

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
विकास भवन, नया रायपुर अटल नगर

प्रपत्र-ब

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त लक्ष्य	पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास	प्रथम किश्त			द्वितीय किश्त			तृतीय किश्त			चतुर्थ किश्त			भुगतान शेष होने का कारण
					प्राप्त हितग्राही	शेष हितग्राही	कुल जारी की गई राशि	प्राप्त हितग्राही	शेष हितग्राही	कुल जारी की गई राशि	प्राप्त हितग्राही	शेष हितग्राही	कुल जारी की गई राशि	प्राप्त हितग्राही	शेष हितग्राही	कुल जारी की गई राशि	
1	चौकी	330	232	98	330	0	825.00	314	16	141.30	250	80	112.50	227	103	34.05	भुगतान शेष होने का कारण
2	छुरिया	600	468	132	598	2	149.50	577	23	259.65	489	111	220.05	451	149	67.65	आवास की प्रगति एवं भौतिक स्थिति जियो टैग के आधार पर शेष राशि का भुगतान किया जाता है।
योग		930	700	230	928	2	974.50	891	39	400.95	739	191	332.55	678	252	101.70	

टिप - वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र को कोई भी आवास निर्माण लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
संभावित एवं ग्रामीण विकास विभाग
भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

(रुही टेम्पुरकर)
उपायुक्त

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
विकास भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परोशिष्ट - अड़तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 574) की जानकारी

प्रपत्र

सी.एस.आर योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में प्राप्त आबंटन विरुद्ध स्वीकृत कार्यों पर किये गए व्यय की विस्तृत जानकारी

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	कम्पनी का नाम	कुल प्राप्त आबंटन	स्वीकृत कार्य का नाम	क्रियान्वयन एंजिनी का नाम	कुल व्यय	कार्य की स्थिति	आय/व्यय का ऑडिट करवाया गया है या नहीं यदि नहीं तो क्यों?
1	2	3	4	5	9	7	8	9
1	2020-21	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	21110000	सडक एस.एच.05 से अंतागढ़ रेलवे स्टेशन लंबाई 1.80 कि.मी. सडक निर्माण हेतु	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सडक विकास अभिकरण रायपुर	21078400	पूर्ण	नहीं, प्रकरण के संबंध में आज दिनांक तक ऑडिट नहीं करवाया गया है
1	2021-22	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	5000000	अस्थायी कोविड अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरिजों से तत्कालिक उपचार सुविधा हेतु आवश्यक सामग्री	कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला निर्माण समिति कांकर	3596354	पूर्ण	मार्च 2022 तक ऑडिट पूर्ण
2	2021-22	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	800000	राज्य स्थापना दिवस का आयोजन एवं कौशल विकास उन्नयन कार्यक्रम में योगदान	निरंक	निरंक	---	
3	2021-22	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	300000	विकासखण्ड अंतागढ़ अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण केन्द्र तक पहुंचाने हेतु वाहन सुविधा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अंतागढ़	300000	पूर्ण	हों
4	2021-22	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	88144000	बैहासाल्लेमाट से पाण्डरगांव मार्ग में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला निर्माण समिति कांकर	88143758	पूर्ण	मार्च 2022 तक ऑडिट पूर्ण

5	2021-22	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	12027000	विकासखण्ड डगंगा अंतर्गत सैदरी बहार नाला में निर्मित व्यपवर्तन योजना में जिर्णोधार एवं मरम्मत कार्य हेतु	कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला निर्माण समिति कांकर	12027000	कार्य प्रगतिरत	हों
1	2022-23	जैसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	7538500	अंतागढ़ से सुरेवाही रोड में सी.सी.शोल्टर निर्माण कार्य आर.डी 1900 मी.से 2550 मी.ले 620 मी अंतागढ़ से सुरेवाही रोड में सी.सी.शोल्टर निर्माण कार्य आर.डी 2900 मी.से 3400 मी.ले 500 मी अंतागढ़ से सुरेवाही रोड में सी.सी.शोल्टर निर्माण कार्य आर.डी 3800 मी.से 4100 मी.ले 300 मी अंतागढ़ से सुरेवाही रोड में सी.सी.शोल्टर निर्माण कार्य आर.डी 10800 मी.से 11450 मी.ले 650 मी भाग -01 भैसासुर अंतागढ़ से सुरेवाही रोड में सी.सी.शोल्टर निर्माण कार्य आर.डी 11450 मी.से 12100 मी.ले 650 मी भाग -02 भैसासुर अंतागढ़ से सुरेवाही रोड में सी.सी.शोल्टर निर्माण कार्य आर.डी 12600 मी.से 13250 मी.ले 700 मी भाग -01 मटियाखार अंतागढ़ से सुरेवाही रोड में सी.सी.शोल्टर निर्माण कार्य आर.डी 13600 मी.से 13900 मी.ले 200 मी भाग -02 मटियाखार अंतागढ़ से सुरेवाही रोड में सी.सी.शोल्टर निर्माण कार्य आर.डी 15600 मी.से 16110 मी.ले 510 मी भाग -01 अंतागढ़ से सुरेवाही रोड में सी.सी.शोल्टर निर्माण कार्य आर.डी 16110 मी.से 16620 मी.ले 510 मी भाग -02	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अंतागढ़ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अंतागढ़	918500 740500 444500 866250 866250 721875 222000 377750 377750	पूर्ण पूर्ण पूर्ण प्रगतिरत प्रगतिरत प्रगतिरत प्रगतिरत प्रगतिरत प्रगतिरत प्रगतिरत	हों हों हों हों हों हों हों हों हों

									हों
2	2022-23	गोदावरी पॉवर एण्ड स्पात सिलतला रायपुर	3570000	अंतागढ़ से सुरेवाही रोड में सी.सी.शोल्डर निर्माण कार्य आर.डी 6700 मी.से 7200 मी.लें 500 मी भाग -02 डायनोस्टिक सेंटर की स्थापना में भुगतान	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अंतागढ़ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर	3498470	पूर्ण	नहीं,जिला पंचायत द्वारा ऑडिट कराया जाता है। आगामी तिथि में ऑडिट कराया जाना प्रस्तावित है।	हों
3	2022-23	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	8890000	सडक एस.एच 05 से अंतागढ़ रेलवे स्टेशन लंबाई 1.80 कि.मी. सडक निर्माण हेतु	मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सडक विकास अभिकरण रायपुर	8890000	पूर्ण	नहीं,प्रकरण के संबंध में आज दिनांक तक ऑडिट नहीं करवाया गया है	हों

परोक्ष - उन्तालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 714) की जानकारी

प्रपत्र

क्र	सामग्री/उपकरण का नाम	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय							शा कन्या उ.मा.वि. सारंगढ़	योग राशि (लाख रु.में)	पूर्ण/अपूर्ण	रिमार्क
		विकासखण्ड सारंगढ़		विकासखण्ड बरमकेला		विकासखण्ड बिलाईगढ़						
		गोड़म	छिन्द	डोंगरीपाली	दुंडरी	गाताडीह	पेण्ड्रावन					
1	पुस्तकें	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	0	18	अपूर्ण	उक्त कार्यों हेतु 80 प्रतिशत राशि जारी किया जा चुका है।	
2	स्मार्ट क्लासेंस	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	0	18	अपूर्ण		
3	कार्यालय, फर्नीचर एवं अलमीरा	2 लाख	2 लाख	2 लाख	2 लाख	2 लाख	2 लाख	0	12	अपूर्ण		
4	कम्प्यूटर लेब	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	0	18	अपूर्ण		
5	स्पोर्ट्स आउटडोर	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	0	18	अपूर्ण		
6	साईकल स्टेण्ड	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	0	18	अपूर्ण		
7	वाटर कुलर एंड आरो	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	0	18	अपूर्ण		
8	आडियों सिस्टम एंड पोडियम	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	3 लाख	0	18	अपूर्ण		
9	स्टूडेंट फर्नीचर	10 लाख	10 लाख	10 लाख	10 लाख	10 लाख	10 लाख	0	60	अपूर्ण		
10	फर्नीचर	0	0	0	0	0	0	2 लाख	2	अपूर्ण		
	कुल योग	33 लाख	33 लाख	33 लाख	33 लाख	33 लाख	33 लाख	2 लाख	200			

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

पारोक्ष - चालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 804) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में एथेनॉल प्लांट की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

क्र.	इकाई का नाम	एम.ओ.यू. का दिनांक	प्रस्तावित संयंत्र / उत्पाद एवं वार्षिक क्षमता	प्रस्तावित पूंजी निवेश करोड़ रु. में	प्रस्तावित रोजगार	प्रस्तावित स्थल	निवेशकों द्वारा सूचित किया गया पूंजी निवेश करोड़ रु. में	निवेशकों से प्राप्त जानकारी अनुसार भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मेसर्स चिरंजीवनी रियलकॉम प्रायवेट लिमिटेड, बिलासपुर	07.09.2020	फ्यूल एथेनॉल-1.8 करोड़ लीटर, ईएनए-1.8 करोड़ लीटर, डीडीजीएस-14400 टन	130.00	118	ग्राम म्यूना कछार, जिला मुंगेली	11.50	निर्माणाधीन।
2	मेसर्स श्री श्याम एथेनॉल एंड स्पीरिट प्रायवेट लिमिटेड (श्री श्याम वेयरहाउसिंग एंड पावर प्रायवेट लिमिटेड), जांजगीर चांपा	07.09.2020	एथेनॉल-30000 केएलपीए	98.00	93	ग्राम मुडपार, तह. अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा	2.59	निर्माणाधीन।
3	मेसर्स क्यूबिको केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड, भिलाई	07.09.2020	एब्सलूट एल्कोहल/फ्यूल एथेनॉल-33000 केएलपीए	122.32	222	ग्राम चंदनू रवेली, जिला बेमेतरा		क्रियान्वयन प्रारंभ।
4	मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज लिमिटेड, कुम्हारी	07.09.2020	एथेनॉल एवं ईएनए- 36500 केएलपीए, अशुद्ध स्पीरिट-1825 केएलपीए	157.50	150	ग्राम खपरी, कुम्हारी, जिला दुर्ग		क्रियान्वयन प्रारंभ।
5	मेसर्स हयाती ब्रेवरेज प्रायवेट लिमिटेड, बेमेतरा	09.11.2020	एथेनॉल / ईएनए - 36,300,000 लीटर	140.00	100	ग्राम भैंसा, तह. विख. व जिला बेमेतरा	101.00	निर्माणाधीन।
6	मेसर्स कुसुम स्मेल्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, बिलासपुर	12.11.2020	स्पंज आयरन - 245000 टीपीए, एमएस बिलेट- 179550 टीपीए, रोल्ड प्रोडक्ट्स- 174163 टीपीए, फेरो एलायज- 75000 टीपीए एंड आर पिग आयरन- 150000 टीपीए, केप्टिव पावर प्लांट- 28 मेगावाट, फलाई एश ब्रिक्स- 150000 नग, बायो एथेनाल- 35000 केएलए	-	-	ग्राम धमनी, तह. पथरिया, जिला मुंगेली	3.43	निर्माणाधीन।
7	मेसर्स कृष्णव केमिकल एंड स्पीरिट प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	15.12.2020	एथेनॉल/ ईएनए - 3 करोड़ लीटर, डीडीजीएस- 16500 टन, सीओ2- 10800 टन	110.00	43	छत्तीसगढ़ राज्य		स्थल चयन प्रक्रियाधीन है।

अनुभाग अधिकारी
 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	इकाई का नाम	एम.ओ.यू. का दिनांक	प्रस्तावित संयंत्र / उत्पाद एवं वार्षिक क्षमता	प्रस्तावित पूंजी निवेश करोड़ रु. में	प्रस्तावित रोजगार	प्रस्तावित स्थल	निवेशकों द्वारा सूचित किया गया पूंजी निवेश करोड़ रु. में	निवेशकों से प्राप्त जानकारी अनुसार भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	मेसर्स श्री बजरंग केमिकल डिस्टीलरी एलएलपी, रायपुर	15.12.2020	ग्रेन बेस्ड एथेनॉल/ आरएस/ ईएनए पेटेबल अल्कोहल/ इण्डस्ट्रीयल एल्कोहल - 360 केएलपीडी, केप्टिव पावर प्लांट- 12 मेगावाट	325.00	260	ग्राम आरंग, तह. आरंग, जिला रायपुर	259.00	निर्माणाधीन।
9	मेसर्स जी.आर.इंटीग्रेटेड स्टील प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	24.07.2021	बेनीफिकेशन ऑफ आयरन ओर- 12,00,000 टीपीए, पैलेट- 18,00,000 टीपीए, स्पंज आयरन-2,00,000 टीपीए, , केप्टिव पावर प्लांट- 32 मेगावाट, एसएमएस विथ सीसीएम- 1,50,000 टीपीए, एसएएफ- 32,000 टीपीए, रोलिंग मिल- 1,50,000 टीपीए, सीमेंट ग्राइंडिंग (पीपीसी, सीएससी, ओपीसी) - 1,00,000 टीपीए, फलाई एश प्रोडक्ट्स- 36 मिलियन नग, एथानॉल (बायोफ्यूल)- 2,40,00,000 लीटर	-	-	ग्राम मुड़पार, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा	28.19	निर्माणाधीन।
10	मेसर्स एमरैल यूवा जेवी, चेन्नई	24.07.2021	फ्यूल एथेनॉल - 16.5 करोड़ लीटर	500.00	125	जिला बेमेतरा		स्थल चयन प्रक्रियाधीन है।
11	मेसर्स डिशैल बायोटेक प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	24.07.2021	गन्ना आधारित- एथेनॉल प्लांट- 30000 केएलपीए, ईएनए- 16830 केएलपीए, डीडब्ल्यूजीएस - 11220 मे. टन	141.88	100	ग्राम चंदनू रवेली, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा	5.20	क्रियान्वयन प्रारंभ।
12	मेसर्स ज्योत्सना ग्रीन प्रोडक्ट्स प्रा.लि., रायपुर	24.07.2021	मेज आधारित- स्टार्च- 19800 एमटीपीए, एथेनॉल- 49500 एमटीपीए, डिस्टीलर्स झाइड ग्रेन विथ साल्यूबल (डीडीजीएस)- 24750 एमटीपीए	187.95	220	ग्राम महुदा,, तह. पाटन, जिला दुर्ग	2.10	क्रियान्वयन प्रारंभ।
13	मेसर्स पिकाडिली एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, हरियाणा	06.08.2021	एथेनॉल / ईएनए - 210 किलोलीटर प्रतिदिन	290.00	125	जिला महासमुन्द		स्थल चयन प्रक्रियाधीन है।
14	मेसर्स रूटेज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रायवेट लिमिटेड, बंगलुरु	18.08.2021	एथेनॉल/ ईएनए - 110 केएलपीडी	442.55	163	छत्तीसगढ़		स्थल चयन प्रक्रियाधीन है।

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	इकाई का नाम	एम.ओ.यू. का दिनांक	प्रस्तावित संयंत्र / उत्पाद एवं वार्षिक क्षमता	प्रस्तावित पूँजी निवेश करोड़ रु. में	प्रस्तावित रोजगार	प्रस्तावित स्थल	निवेशकों द्वारा सूचित किया गया पूँजी निवेश करोड़ रु. में	निवेशकों से प्राप्त जानकारी अनुसार भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	मेसर्स न्यू लुक बायोफ्यूल प्रायवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	16.09.2021	कार्बन / मेज एंड राइस बेस्ड डेडीकेटेड एथेनॉल प्लांट- 56100 केएलपीए, हस्क बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट- 4 मेगावाट	135.00	104	ग्राम फुलझर, तहसील व जिला राजनांदगांव	5.35	निर्माणाधीन।
16	मेसर्स आरती सिनर्जी प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	13.10.2021	बायो-फ्यूल एथेनॉल - 100 केएलपीडी	117.00	-	ग्राम दोंदेकला, तह. धरसीवा व जिला रायपुर		क्रियान्वयन प्रारंभ।
17	मेसर्स मोदी बायोटेक प्रायवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	21.10.2021	एथेनॉल / ईएनए - 69300 केएलपीए	130.00	140	ग्राम भिलाई, तह. आरंग, जिला रायपुर		निर्माणाधीन।
18	मेसर्स मॉ कुदरगढ़ी बायोफ्यूल्स प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	02.11.2021	एथेनॉल / ईएनए - 200 केएलपीडी	297.97	150	ग्राम जमीरा, तह. लुण्डा, जिला सरगुजा	8.00	क्रियान्वयन प्रारंभ।
19	मेसर्स पैरी फुड प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	15.11.2021	एथेनॉल- 132000 केएलपीए, डिस्टीलर्स ड्राइव ग्रैन विथ साल्यूबल (डीडीजीएस)- 59400 एमटीपीए, कार्बन डाइ ऑक्साइड- 25400 एमटीपीए	389.00	389	छत्तीसगढ़ राज्य		स्थल चयन प्रक्रियाधीन है।
20	मेसर्स वरदा इनर्जी एंड इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	15.11.2021	एथेनॉल- 33000 केएलपीए	122.00	105	ग्राम कंडरका, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा	1.14	क्रियान्वयन प्रारंभ।
21	मेसर्स क्लोरोफिल बायोफ्यूल प्रायवेट लिमिटेड, भिलाई, जिला दुर्ग	29.11.2021	एथेनॉल- 30000 केएलपीए, डिस्टलर्स ड्राइव ग्रेन साल्यूबल- 50000 एमटीपीए, कार्बन डाइऑक्साइड	140.07	103	ग्राम नगपुरा, दुर्ग	4.50	क्रियान्वयन प्रारंभ।
22	मेसर्स सर्व मंगल स्टील एंड एग्रो प्रायवेट लिमिटेड, जयपुर (राजस्थान)	15.12.2021	डिहाइड्रेड एम्हीडियस केमिकल एथेनॉल - 6,60,00,000 लीटर वार्षिक (66000 केएलपीए / 200 केएलपीडी)	212.00	158	छत्तीसगढ़ राज्य		स्थल चयन प्रक्रियाधीन है।
23	मेसर्स बायोटेक फ्यूल्स प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	27.12.2021	एथेनॉल/ईवीए/ एब्सोल्युट एल्कोहल- 33000 केएलपीए	115.00	49	ग्राम पथर्रा, ब्लाक बसनी, तह. व जिला बेमेतरा	0.81	क्रियान्वयन प्रारंभ।


अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	इकाई का नाम	एम.ओ.यू. का दिनांक	प्रस्तावित संयंत्र / उत्पाद एवं वार्षिक क्षमता	प्रस्तावित पूँजी निवेश करोड़ रु. में	प्रस्तावित रोजगार	प्रस्तावित स्थल	निवेशकों द्वारा सूचित किया गया पूँजी निवेश करोड़ रु. में	निवेशकों से प्राप्त जानकारी अनुसार भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	मेसस सुयश बायोफ्यूल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रायपुर	28.12.2021	एथेनॉल प्लांट - 495000 केएलपीए	172.00	75	ग्राम रांका, तह. बेरला, जिला बेमेतरा	10.00	क्रियान्वयन प्रारंभ।
25	मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स प्रायवेट लिमिटेड, कोलकाता	19.01.2022	एथेनॉल- 100 केएलपीडी, डीडीजीएस- 80 टीपीडी, कार्बन डाइ-ऑक्साइड- 60 टीपीडी, कोजनरेशन पावर प्लांट- 3 मेगावाट	129.46	120	ग्राम बरपाली, तह. तमनार, जिला रायगढ़	3.07	निर्माणाधीन।
26	मेसर्स रामा एग्रोकेम प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	19.01.2022	एथेनॉल- 120 केएलपीडी	175.00	300	ग्राम दसपाल, तह. बकावंड, जिला जगदलपुर	2.50	क्रियान्वयन प्रारंभ।
27	मेसर्स कालिंदी इस्पात प्रायवेट लिमिटेड, कोलकाता	24.01.2022	बायो एथेनॉल- 180 केएलपीडी (63000 केएलपीए), डीडीजीएस- 28140 एमटीपीए, कार्बन डाइ-ऑक्साइड- 28540 एमटीपीए, को-जनरेशन केप्टिव पावर प्लांट- 4.50 मेगावाट	195.09	200	ग्राम बेलपान, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर		क्रियान्वयन प्रारंभ।
28	मेसर्स वर्षा बायोफ्यूल्स प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	20.09.2022	एथेनॉल- 39600000 लीटर, डीडीजीएस 17820 टन, कार्बन डाइऑक्साइड 19800 टन, केप्टिव पावर प्लांट 3-3. 5 मेगावाट	160.00	200	ग्राम कठिया, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा		क्रियान्वयन प्रारंभ।
29	मेसर्स एनकेजे बायोफ्यूल प्रायवेट लिमिटेड, भिलाई, जिला दुर्ग	22.11.2022	एथेनॉल प्लांट - 10560-26400 केएलपीए, ईएनए- 14520 केएलपीए, इम्योर स्पिरिट- 1320 केएलपीए, केप्टिव पावर प्लांट- 3.2 मेगावाट	140.00	164	ग्राम रामहेपुर, तह. बोड़ला, जिला कबीरधाम	93.44	उत्पादन प्रारंभ
30	मेसर्स इकोफोरा इनर्जी बायोफ्यूल्स प्रायवेट लिमिटेड, मुम्बई	21.12.2022	एथेनॉल - 396000 केएलपीए, डीडीजीएस- 12000 एकटीपीए, केप्टिव पावर प्लांट- 3.5 मेगावाट	125.00	100	छत्तीसगढ़ राज्य		स्थल चयन प्रक्रियाधीन।
31	मेसर्स अविन्या बायो इनर्जी प्रावेट लिमिटेड, रायपुर	21.12.2022	एथेनॉल - 300 केएलपीडी, ईएनए- 60 केएलपीडी, बायो सीएनजी- 12 एमटीपीडी, केप्टिव पावर प्लांट- 12 मेगावाट, डीडीजीएस- 160 टीपीडी, कार्बन डाइऑक्साइड- 150 टीपीडी	360.00	124	छत्तीसगढ़ राज्य		स्थल चयन प्रक्रियाधीन।


अनुभाग अधिकारी
 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	इकाई का नाम	एम.ओ.यू. का दिनांक	प्रस्तावित संयंत्र / उत्पाद एवं वार्षिक क्षमता	प्रस्तावित पूंजी निवेश करोड़ रु. में	प्रस्तावित रोजगार	प्रस्तावित स्थल	निवेशकों द्वारा सूचित किया गया पूंजी निवेश करोड़ रु. में	निवेशकों से प्राप्त जानकारी अनुसार भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	मेसर्स मॉ दन्तेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित केएनजी, कोण्डागांव	27.12.2022	एथेनॉल प्लांट- 27200 केएलपीए, डीडीजीएस- 23388 एमटीपीए, कार्बन डाइऑक्साइड- 13600 एमटीपीए, केप्टिव पावर प्लांट- 2.5 मेगावाट	136.86	145	छत्तीसगढ़ राज्य		स्थल चयन प्रक्रियाधीन।
33	मेसर्स यूनैटी इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, दिल्ली	13.01.2023	एथेनॉल एक्ट्रेक्शन फ्राम मेज बेस्ड कार्न, स्टार्च एंड डेमेज्ड राइस - 120000 केएलपीए, केप्टिव पावर प्लांट- 1.5 मेगावाट	183.00	120	छत्तीसगढ़ राज्य		स्थल चयन प्रक्रियाधीन।
34	मेसर्स हेमलेट एंड सोलर प्रोजेक्ट कोलेबरेटर्स प्रायवेट लिमिटेड, पटना (बिहार)	08.09.2023	एथेनॉल प्लांट (ग्रेन बेस्ड)- 200 केएलपीडी	432.00	300	छत्तीसगढ़ राज्य		स्थल चयन प्रक्रियाधीन।
योग				6511.65	4765		541.82	


अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर

प्रपत्र

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 10.01.2024) तक संचालित योजनाओं से लाभान्वितों की मंडलवार, योजनावार एवं वर्षवार जानकारी।

01. छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

क्र.	योजना का नाम	वर्षवार लाभान्वित श्रमिकों की संख्या				योग
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (दिनांक 10.01.2024 तक)	
1	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	17	30	9	9	65
2	मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना	0	0	215	594	809
3	मिनीमाता महतारी जतन योजना	3	2	5	6	16
4	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्योष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना (योजना दिनांक 09.06.2023 को समाप्त कर दी गई है)	20	0	0	0	20
5	मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	26	82	21	34	163
6	मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना	0	25	5	3	33
7	मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना	0	0	1	58	59
8	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशी योजना	0	0	0	4	4
9	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना	0	0	0	12	12
10	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना	0	15	387	968	1370
	महायोग	66	154	643	1688	2551

Arastha
अनुभाष अधिकारी
अप विभाग, पंचायत
मंडल कक्ष, काठमांडू

02. छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

क्र.	योजना का नाम	वर्षवार लाभान्वित कर्मकारों की संख्या				योग
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (दिनांक 10.01.2024 तक)	
1	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	0	0	5	10	15
2	असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	0	2	1	0	3
3	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	0	0	3	1	4
	महायोग	0	2	9	11	22

03. छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल

क्र.	योजना का नाम	वर्षवार लाभान्वित श्रमिकों की संख्या				योग
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (दिनांक 10.01.2024 तक)	
1	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना	0	0	1	0	1
	महायोग	0	0	1	0	1

Pratibha
 अनुपास अधिअसे
 नम विभाग, मेवालय
 कल्याण मंडल, नवा रायपुर

पारोशेष्ट - बयालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1048) की जानकारी

प्रपत्र

जिला-सक्ती

वर्ष 09.09.2022 से दिनांक 31.12.2023 तक चोरी, डकैती, लूट, नकबजनी, एवं बलात्कार के दर्ज प्रकरण की जानकारी

क.	शीर्ष	अवधि	कुल	कुल	कुल	गिरफ्तार	चालान		सजा		दोषमुक्त		न्याया. लंबित		पुलिस लंबित		धारा 299 जाफौ.		मशरूका	बाजापा		
							प्रक.	आ.	प्रक.	आ.	प्रक.	आ.	प्रक.	आ.	प्रक.	आ.	प्रक.	आ.			प्रक.	आ.
1	चोरी	2022-23	154	154	109	1	36	69	33	62	0	0	0	33	62	11	7	0	0	9337149	1645878	
2	डकैती	2022-23	6	6	0	0	5	25	5	25	0	0	0	5	25	1	0	0	0	2530030	1055350	
3	लूट	2022-23	8	8	0	0	6	17	6	17	0	0	0	6	17	2	0	0	0	152970	76100	
4	नकबजनी	2022-23	107	107	65	0	34	83	33	78	0	0	0	33	78	9	5	0	0	13249625	4478937	
5	बलात्कार	2022-23	61	61	0	0	59	79	59	79	1	1	4	7	54	71	2	0	0	0	0	
कुल योग			336	336	174	1	140	273	136	261	1	1	4	7	131	253	25	12	0	0	25269774	7256265

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
जिला-सक्ती

पारोशेष्ट - तिरालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1062) की जानकारी

प्रपत्र

जिला-धमतरी दुर्घटना, मृतक की थानेवार जानकारी
(माह जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2023 तक की स्थिति में)

स.क्र.	थाना	दुर्घटना	मृतक
01	धमतरी	114	26
02	अर्जुनी	128	48
03	कुरुद	208	99
04	भखारा	52	29
05	सिहावा	27	21
06	मगरलोड	60	33
07	नगरी	45	25
08	रुद्री	16	9
09	केरेगांव	28	27
10	दुगली	20	14
11	मेचका	2	3
12	बोराई	3	3
13	अकलाडोंगरी	0	0
14	खल्लारी	0	0
योग		703	337

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारोशेष्ट - चवालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1063) की जानकारी

प्रपत्र—“अ”

छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत केन्द्रीय जेल, जिला जेल एवं उपजेल तथा उक्त जेलों में बंदी रखने की क्षमता एवं परिरुद्ध बंदियों की जिलेवार जानकारी

(दिनांक 31.01.2024 की स्थिति में)

क्र०	जिले का नाम	जेल का नाम	बंदी रखने की क्षमता	परिरुद्ध बंदियों की संख्या
1	जिला रायपुर	1. केन्द्रीय जेल रायपुर	1586	3076
2	जिला धमतरी	2. जिला जेल धमतरी	265	245
3	जिला महासमुंद	3. जिला जेल महासमुंद	170	459
4	जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	जिला जेल बलौदाबाजार	410	297
5	जिला गरियाबंद	जिला जेल गरियाबंद	110	204
6	जिला बस्तर	केन्द्रीय जेल जगदलपुर	1451	1462
7	जिला कांकेर	जिला जेल कांकेर	205	303
8	जिला दंतवाड़ा	जिला जेल दंतवाड़ा	350	405
9	जिला सुकमा	जिला जेल सुकमा	160	138
10	जिला बीजापुर	उप जेल बीजापुर	90	115
11	जिला नारायणपुर	उप जेल नारायणपुर	110	77
12	जिला बिलासपुर	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	2290	2870
13	जिला रायगढ़	जिला जेल रायगढ़	705	726
14	जिला कोरबा	जिला जेल कोरबा	230	256
		उप जेल कटघोरा	148	178
15	जिला जांजगीर	जिला जेल जांजगीर	280	366
16	जिला पेण्डारोड-मारवाही	जिला जेल पेण्डारोड	110	79
17	जिला मुंगेली	जिला जेल मुंगेली	250	105
18	जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़	उप जेल सारंगढ़	50	184
19	जिला सक्ती	उप जेल सक्ती	140	120
20	जिला अंबिकापुर	केन्द्रीय जेल अंबिकापुर	1320	2013
21	जिला कोरिया	जिला जेल बैकुण्ठपुर	148	155
22	जिला जशपुर	जिला जेल जशपुर	330	508
23	जिला रामानुजगंज-बलरामपुर	जिला जेल रामानुजगंज	313	395
24	जिला सूरजपुर	जिला जेल सूरजपुर	180	374
25	जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर	उप जेल मनेन्द्रगढ़	130	216
26	जिला दुर्ग	केन्द्रीय जेल दुर्ग	2006	2031
27	जिला राजनांदगांव	जिला जेल राजनांदगांव	156	369
		उप जेल डोंगरगढ़	110	60
28	जिला कबीरधाम	जिला जेल कबीरधाम	160	187
29	जिला संजरीबालोद	जिला जेल संजरीबालोद	160	246
30	जिला बेमेतरा	जिला जेल बेमेतरा	150	90
31	जिला खैरागढ़ छुईखदान गडाई	उप जेल खैरागढ़	110	133
		योग	14383	18442



अनुभाग अधिकारी
गृह (जेल) विभाग
संज्ञालय नया रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-“ब”

जेल का नाम एवं वित्तीय वर्ष 2022 – 2023 में कार्य स्वीकृति के राशि संबंधी जानकारी

(दिनांक 31.01.2024 की स्थिति में)

क्र0	जेल का नाम	बैरक्स संख्या	बैरक निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
1	केन्द्रीय जेल अंबिकापुर	4	रुपये 239.00 लाख
2	केन्द्रीय जेल जगदलपुर	3	रुपये 179.25 लाख
3	जिला जेल राजनांदगांव	3	रुपये 179.25 लाख
4	जिला जेल कबीरधाम	2	रुपये 119.50 लाख
5	उप जेल मनेन्द्रगढ़	3	रुपये 179.25 लाख
6	उप जेल नारायणपुर	1	रुपये 59.75 लाख
7	जिला जेल सूरजपुर	1	रुपये 59.75 लाख
8	जिला जेल जशपुर	2	रुपये 119.50 लाख
9	जिला जेल गरियाबंद	1	रुपये 59.75 लाख
			कुल रुपये 1195.00 लाख


 अनुभाग अधिकारी
 गृह (जेल) विभाग
 संचालक, जयपुर (छ.ग.)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के स्वीकृत आवासों की ग्राम पंचायतवार जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल स्वीकृत आवास	कुल पूर्ण आवास	कुल अपूर्ण आवास
1	MASTURI	AAMGAON	33	19	14
2	MASTURI	AANKDEEH	5	4	1
3	MASTURI	AKOLA	31	21	10
4	MASTURI	AMALDIHA	64	36	28
5	MASTURI	BAHTARA	57	36	21
6	MASTURI	BAKARKUDA	57	34	23
7	MASTURI	BANIYADIH	44	29	15
8	MASTURI	Bareli	0	0	0
9	MASTURI	BASANTPUR	17	14	3
10	MASTURI	BASHA	20	19	1
11	MASTURI	BELTUKARI	56	33	23
12	MASTURI	BHADAURA	18	7	11
13	MASTURI	BHANESAR	56	41	15
14	MASTURI	BHARARI	45	33	12
15	MASTURI	BHATCHAORA	68	48	20
16	MASTURI	BHILAI	33	16	17
17	MASTURI	BHILAUNI	29	22	7
18	MASTURI	BHURKUNDA	29	25	4
19	MASTURI	BINAURI	76	48	28
20	MASTURI	BITKULA	82	22	60
21	MASTURI	BOHARDIH	47	36	11
22	MASTURI	BUDIKHAR	60	50	10
23	MASTURI	CHAKARBEDHA	7	5	2
24	MASTURI	CHILHAATI	70	44	26
25	MASTURI	CHISDA	12	6	6
26	MASTURI	COUHA	6	5	1
27	MASTURI	DANGANIIYA	51	18	33
28	MASTURI	DARRABHATHA	94	61	33
29	MASTURI	DARRIGHAT	80	53	27
30	MASTURI	DEVGAON	8	0	8
31	MASTURI	DEWRE	81	58	23
32	MASTURI	DHANGAVA	28	26	2
33	MASTURI	DHANIYA	8	1	7
34	MASTURI	DHURVAKARI	64	42	22
35	MASTURI	DONDKI	45	26	19
36	MASTURI	ERAMSAHI	82	56	26
37	MASTURI	GATORA	116	65	51
38	MASTURI	GIDHPURI	78	62	16
39	MASTURI	GODADIH	43	28	15

अनुष्ठा अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्र.	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल स्वीकृत आवास	कुल पूर्ण आवास	कुल अपूर्ण आवास
40	MASTURI	GOPALPUR	5	4	1
41	MASTURI	GUDI	34	18	16
42	MASTURI	HARDADIH	18	12	6
43	MASTURI	HARDI (AMGAON)	33	21	12
44	MASTURI	HINDADIH	74	57	17
45	MASTURI	HIRRI	86	78	8
46	MASTURI	ITWA	17	13	4
47	MASTURI	JAANJI	35	22	13
48	MASTURI	JAIRAM NAGAR	18	12	6
49	MASTURI	JAIPUR	61	28	33
50	MASTURI	JAIPURI	15	11	4
51	MASTURI	JALSO	2	0	2
52	MASTURI	JEVRA	33	14	19
53	MASTURI	JHALMLA	33	18	15
54	MASTURI	JONDHRA	41	29	12
55	MASTURI	JUHALI	38	18	20
56	MASTURI	JUNWANI	39	10	29
57	MASTURI	KACHAR	60	45	15
58	MASTURI	KARRA	21	5	16
59	MASTURI	Karra Hi	0	0	0
60	MASTURI	KAUDIYA	13	10	3
61	MASTURI	KAWATAAL	29	17	12
62	MASTURI	KENWTARA	42	37	5
63	MASTURI	KEWATADIH(BHU)	59	51	8
64	MASTURI	KEWTADIH (TA)	22	21	1
65	MASTURI	KHAMARIA	19	11	8
66	MASTURI	KHANDA	38	17	21
67	MASTURI	KHAPRI	4	4	0
68	MASTURI	KHONDHRA	22	11	11
69	MASTURI	KHUDUBHATA	16	12	4
70	MASTURI	KIRARI	62	35	27
71	MASTURI	Kohrauda	0	0	0
72	MASTURI	KOKADI	26	17	9
73	MASTURI	KONI	4	1	3
74	MASTURI	KOSAMDIH	22	12	10
75	MASTURI	KUKDA	80	57	23
76	MASTURI	KUKURDIKALA	1	0	1
77	MASTURI	KUKURDIKERA	14	12	2
78	MASTURI	KULI	7	2	5
79	MASTURI	KUTELA	4	1	3
80	MASTURI	LAWER	40	27	13
81	MASTURI	LIMTARA	56	40	16
82	MASTURI	LOHARSHI	113	94	19
83	MASTURI	LUTRA	26	20	6
84	MASTURI	MACHA	7	6	1
85	MASTURI	MACHKHANDA	85	55	30

क्र.	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल स्वीकृत आवास	कुल पूर्ण आवास	कुल अपूर्ण आवास
86	MASTURI	MADAI	8	6	2
87	MASTURI	MALHAR	0	0	0
88	MASTURI	MANIKCHAURI	29	17	12
89	MASTURI	MANWA	24	20	4
90	MASTURI	MASTURI	65	17	48
91	MASTURI	MATIYA	45	30	15
92	MASTURI	MOHTARA	15	6	9
93	MASTURI	MUDPAR	0	0	0
94	MASTURI	MUDPAR(KHORSI)	40	32	8
95	MASTURI	NARGODA	36	2	34
96	MASTURI	NAWAGAON	57	31	26
97	MASTURI	NAWAGAON(H)	41	21	20
98	MASTURI	Nevari	0	0	0
99	MASTURI	NIRTU	45	34	11
100	MASTURI	OKHAR	21	7	14
101	MASTURI	OONI	66	52	14
102	MASTURI	PACHPEDI	41	34	7
103	MASTURI	PALI	4	3	1
104	MASTURI	PANDHI	25	9	16
105	MASTURI	PARAGHAT	34	22	12
106	MASTURI	PARASADA KISAN	23	11	12
107	MASTURI	PARSAHI	9	8	1
108	MASTURI	PARSHADABED	40	17	23
109	MASTURI	PARSODY	6	4	2
110	MASTURI	PATAIDIH	16	10	6
111	MASTURI	PENDRI	92	88	4
112	MASTURI	PONDI	22	15	7
113	MASTURI	RAANK	52	36	16
114	MASTURI	RAILHA	50	41	9
115	MASTURI	RALIYA	27	14	13
116	MASTURI	REHATATOR	30	20	10
117	MASTURI	RISDA	29	23	6
118	MASTURI	SARGAWA	40	20	20
119	MASTURI	SARSENI	32	29	3
120	MASTURI	SEEPAT	69	50	19
121	MASTURI	SHIVTIKARI	16	8	8
122	MASTURI	SODHI	103	55	48
123	MASTURI	SON	20	17	3
124	MASTURI	SONSARI	8	7	1
125	MASTURI	SUKULKARI	40	26	14
126	MASTURI	SULAUNI	39	26	13
127	MASTURI	THAKURDEVA	13	6	7
128	MASTURI	THARAKPUR	53	30	23
129	MASTURI	TIKARI	27	20	7
130	MASTURI	UDANGI	65	48	17
131	MASTURI	VIDYADIH	40	24	16

क्र.	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल स्वीकृत आवास	कुल पूर्ण आवास	कुल अपूर्ण आवास
132	MASTURI	Vidyadih Tanger	0	0	0
133	BELHA	DEWRIKHURDA	0	0	0
134	BELHA	DHEKA	50	31	19
135	BELHA	DHOOMA	45	24	21
136	BELHA	DOMUHANI	0	0	0
137	BELHA	MAHMAND	51	25	26
138	BELHA	MANIKPUR	6	3	3
Total			4983	3213	1770

(रुही टेम्पुरकर)

उपायुक्त

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
विकास भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर

1- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (अधिनियम 2005 के अध्याय :2-निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की धारा 7 (4) के कंडिका (ज)के अनुसार निजी विश्वविद्यालय यह परिवचन देगा कि

"प्रवेश प्रक्रिया तथा शुल्क निर्धारण नियामक निकायों द्वारा विहित मापदंडों/दिशा-निर्देशों , यदि कोई है ,के अनुरूप होंगे "।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा धारा 7(4) के अंतर्गत पालन प्रतिवेदन के साथ परिवचन प्रस्तुत किया गया है।

2- छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008 के अध्याय 1-प्रारंभिक कंडिका 2 के अनुसार यह अधिनियम निम्न पर लागू होगा-
(क) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा सम्प्रवर्तित तथा पोषित संस्थाओं से भिन्न विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं या उनकी संघटक इकाइयाँ जो व्यावसायिक शिक्षा दे रही हैं , और
(ख) किसी केन्द्रीय या छत्तीसगढ़ अधिनियम के अधीन स्थापित किये गए किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं

3- छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008 के अध्याय 3-की कंडिका 6 में सामान्य प्रवेश प्रक्रिया में उल्लेखित है कि-

"सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में स्वीकृत अन्तःग्रहण में प्रवेश, सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर , ऐसी रीति में होगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए "

4- कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग , मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर के अधिसूचना दिनांक 11 मई 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ के संस्थाओं के विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियम 2023 सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे । इन प्रवेश नियमों में तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कॉमन एंट्रेस टेस्ट का प्रावधान है।

5- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा अधिनियम- 2005 की धारा 28 के अंतर्गत निर्मित अध्यादेशों में निहित प्रावधानों के अंतर्गत तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। निजी विश्वविद्यालय स्वतंत्र इकाई है। तथापि निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन निजी विश्वविद्यालय यथा-1 डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर, 2 मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर, 3 भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा तकनीकी पाठ्यक्रमों में कॉमन एंट्रेस टेस्ट के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है।



8.2.2024

अनुभाग अधिकारी
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, अटल नगर (छ.ग.)

पारोशेष्ट - सैतालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1208) की जानकारी

प्रपत्र

जनपद पंचायत के विभिन्न खातों में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज की जानकारी

क.	जनपद पंचायत का नाम	वर्ष	खातों का विवरण			ब्याज की राशि के व्यय का विवरण			रिमार्क
			खाता का नाम	खातों में जमा राशि	खातों में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज	किन किन पद पर व्यय (मद का नाम)	कार्य का नाम	व्यय राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गुण्डरदेही	2022-23	छ.ग.रा.ग्रा.एवं अपिव क्षे.वि.प्रा.	145460.00	22064.00	-	-	-	-
2	गुण्डरदेही	2023-24	छ.ग.रा.ग्रा.एवं अपिव क्षे.वि.प्रा.	594497.00	10306.00	-	-	-	-
3	गुण्डरदेही	2022-23	अनुसूचित जाति विकास प्रा.	8262881.00	124370.00	-	-	-	-
4	गुण्डरदेही	2023-24	अनुसूचित जाति विकास प्रा.	4020493.00	110941.00	-	-	-	-
5	गुण्डरदेही	2022-23	मध्यक्षेत्र विकास प्राधिकरण	0.00	0.00	-	-	-	-
6	गुण्डरदेही	2023-24	मध्यक्षेत्र विकास प्राधिकरण	842479.00	9198.00	-	-	-	-
7	गुण्डरदेही	2022-23	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मद	2000000.00	21195.00	-	-	-	-
8	गुण्डरदेही	2023-24	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मद	450000.00	3799.00	-	-	-	-
9	गुण्डरदेही	2022-23	जनपद विकास निधि	343272.00	39605.00	-	मुरमीकरण (ईतवारी निषाद मार्ग) बिरेतरा	39605.00	-
10	गुण्डरदेही	2023-24	जनपद विकास निधि	4052031.00	48036.00	-	मुख्य मार्ग से फूलझर खार मनरेगा मार्ग में मुरमीकरण पैरी	48036.00	-
11	गुण्डरदेही	2022-23	मुख्यमंत्री घोषणा मद	0.00	0.00	-	-	-	-
12	गुण्डरदेही	2023-24	मुख्यमंत्री घोषणा मद	8800000.00	50724.00	कम्प्यूटर स्थापना	कम्प्यूटर स्थापना	49950.00	योजना के संचालन हेतु
13	गुण्डरदेही	2022-23	प्रधानमंत्री ग्रामोदय मद	266027.00	0.00	-	-	-	-

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मन्नालदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क.	जनपद पंचायत का नाम	वर्ष	खातों का विवरण			ब्याज की राशि के व्यय का विवरण			रिमार्क
			खाता का नाम	खातों में जमा राशि	खातों में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज	किन किन पद पर व्यय (मद का नाम)	कार्य का नाम	व्यय राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	गुण्डरदेही	2023-24	प्रधानमंत्री ग्रामोदय मद	0.00	0.00	-	-	-	-
15	गुण्डरदेही	2022-23	विधायक मद	18551061.00	0.00	-	-	-	-
16	गुण्डरदेही	2023-24	विधायक मद	7619174.00	0.00	-	-	-	-
17	गुण्डरदेही	2022-23	सांसद मद	339933.36	0.00	-	-	-	-
18	गुण्डरदेही	2023-24	सांसद मद	339931.70	0.00	-	-	-	-
योग :-				29777140.00	440238.00	-	-	-	-

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

पॉरीशेए - अइतलौस
अतरांकैत प्रश्न संख्या 27 (क्र. 1261) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला जगदलपुर में पंजीकृत बेरोजगार
प्रश्नांश (क) की जानकारी

स.क.	वर्ष				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	65229	66926	75388	77683	79488

Prady
अनुभाग अधिकारी
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, अटल नगर (म.ग.)

प्रपत्र- ब

रोजगार मिशन पोर्टल में जिला प्रशासन के माध्यम से दर्ज की गई रोजगार की जानकारी
प्रश्नांश 'ख' की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	छत्तीसगढ़ शासन		भारत सरकार		निजी क्षेत्र
		शासकीय	सार्वजनिक उपक्रम	शासकीय	सार्वजनिक उपक्रम	
1	जगदलपुर	340	52	39	6	114



अनुभाग अधिकारी
कृषि विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, अटल नगर (छ.ग.)

जिला प्रशासन, जगदलपुर
मुख्यालय, अटल नगर (छ.ग.)
जिला प्रशासन, जगदलपुर
मुख्यालय, अटल नगर (छ.ग.)

पारोक्ष - उन्नास


अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 1271) की जानकारी

प्रपत्र


छत्तीसगढ़, कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी

इंद्रावती भवन, ब्लॉक-सी, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
सेकेण्डरी केयर चिकित्सा उपचार हेतु अधिकृत (टाई-अप) चिकित्सालयों की सूची

क्र.	कैशलेस उपचार हेतु सहमति प्रदानकर्ता चिकित्सालय का नाम एवं पता
1	ए.एस.जी. आई हॉस्पिटल, द्वितीय एवं तृतीय तल, मदन कॉम्प्लेक्स, शक्ति नगर रोड, रायपुर।
2	आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड-2, बिलासपुर।
3	आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, भिलाई, जिला-दुर्ग।
4	अग्रसेन हॉस्पिटल, कृष्णा टॉकीज के सामने, समता कॉलानी, रायपुर।
5	अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड आई.वी.एफ. सेंटर, आर.के. मल्टीप्लेक्स के बाजू, अटल चौक के पास, छातामुड़ा बायपास रोड, रायगढ़, (छ.ग.)
6	अरपा मेडिसिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टेट बैंक के पास, व्यापार विहार, बिलासपुर (छ.ग.)
7	अशीर्वाद लेजर फेको आई हॉस्पिटल, आई.जी. ऑफिस रोड, अपेक्स बैंक के पास, नेहरू चौक, बिलासपुर (छ.ग.)
8	बी.एम.शाह हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई।
9	भीमसरिया आई एण्ड मैटरनिटी सेंटर, विधानसभा रोड, आमासिवनी, रायपुर (छ.ग.)
10	केयर एण्ड क्योर हॉस्पिटल, बिलासपुर।
11	चन्दादेवी तिवारी हॉस्पिटल, सिटी कोतवाली के सामने, भाटापारा रोड, बलौदाबाजार छ.ग.।
12	चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सालाय, नेहरू नगर चौक, जी.ई. रोड, भिलाई (छ.ग.)
13	धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल रायपुर रोड धमतरी छ.ग.।
14	डॉ. आर.एल. हॉस्पिटल, गौशाला रोड, रायगढ़ छ.ग.
15	फोर्टिस ओ.पी. जिंदल हॉस्पिटल, पतरापाली, रायगढ़।
16	गुप्ता हॉस्पिटल मल्टीस्पेशलिटी रिसर्च एण्ड मैटरनिटी सेंटर, रत्नाबांधा रोड धमतरी छ.ग.।
17	हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्रा.लि., वार्ड-2, स्मृति नगर, जुनवानी रोड, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
18	कॉलडा बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, पचपेढी नाका, रायपुर।
19	कॉलडा कॉस्मेटिक सर्जरी इंस्टीट्यूट एण्ड बर्न सेंटर, राजकुमार कॉलेज के सामने, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)
20	किम्स सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, अग्रसेन चौक, बिलासपुर।


अनुभा अधिकारी
अप विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर

क्र.	कैशलेस उपचार हेतु सहमति प्रदानकर्ता चिकित्सालय का नाम एवं पता
21	कृष्णा नेत्रालय, बिलासपुर (छ.ग.)
22	लाईफवर्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेन रोड, समता कॉलोनी, रायपुर।
23	महादेव सुपर स्पेशलिटी, महिमा काम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर।
24	ममता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोवा, रायपुर।
25	मार्क हॉस्पिटल, ब्रिलियंट स्कूल कैम्पस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।
26	मित्तल हॉस्पिटल, न्यू सूर्या मॉल के पास, स्मृति नगर भिलाई जिला दुर्ग।
27	मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, होलीक्रास स्कूल के सामने, लोधीपारा चौक, रायपुर।
28	मोर हॉस्पिटल, टिम्बर भवन के बाजू से.-2, देवेन्द्र नगर, रायपुर, (छ.ग.) 492004
29	मूंदड़ा हॉस्पिटल, मंगला चौक, बिलासपुर।
30	नमन हॉस्पिटल प्लॉट नं. 24, फुट एण्ड फुट शॉप के आगे टर्निंग पाईट चौक शंकर नगर रायपुर
31	न्यू कोरबा हॉस्पिटल, कोरबा (छ.ग.)
32	ओम हॉस्पिटल, एच.पी. पेट्रोल पंप के पास, महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001
33	पेटल्स न्यू बॉर्न एण्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, भीमसेन भवन मार्ग, समता कालोनी, रायपुर।
34	पूजा नर्सिंग होम एण्ड हॉस्पिटल, हाईकोर्ट के सामने, बिलासपुर (छ.ग.)
35	प्रथम हॉस्पिटल, सरकंडा पुलिस स्टेशन के पास, बहतलाई रोड, बिलासपुर।
36	आर. एस. पॉलीक्लिनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, पोस्ट ऑफिस के पास, एम्स, गेट नं.-5 के सामने टाटीबंध, रायपुर।
37	रेडियेंट सुपर स्पेशलिटी एण्ड कैंसर हॉस्पिटल, पुराना टोल प्लाजा के पास, रिंग रोड नं.-1, कुशालपुर, रायपुर 492001
38	एस.आर. हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, चिखली, पो-जेवरा-सिरसा, धमधा रोड, दुर्ग (छ.ग.)
39	साईकृपा हॉस्पिटल, बिलासपुर रोड, सिलतरा, रायपुर, छ.ग.।
40	संजीवनी सीबीसीसी यूएसए कैंसर हॉस्पिटल दावड़ा कॉलोनी, पचपेड़ी नाका रायपुर।
41	संजीवनी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, वेयर हाउस रोड, सिंधी कॉलोनी, बिलासपुर।
42	श्री रेटिना केयर सुपरस्पेशलिटी आई हॉस्पिटल लक्ष्मी मेडिकल हॉल के उपर मेन रोड, शंकर नगर रायपुर।
43	श्री अनंत साई हॉस्पिटल, किंग्सवे होटल के बाजू रिंग रोड नं.-1, तेलीबांधा, रायपुर
44	श्री अरविंदो नेत्रालय, दावड़ा कॉलोनी, पचपेड़ी नाका, रायपुर।
45	श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस प्रा.लि. एकता चौक, दुबे कॉलोनी, मोवा, रायपुर, 492007, (छ.ग.)
46	श्री बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल, पहाड़ मंदिर के पास, कौहाकुड़ा, रायगढ़ (छ.ग.) 496001
47	श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, पचपेड़ी नाका, रायपुर
48	श्रीकृष्णा हॉस्पिटल, मेन रोड, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)


 अनुभाग अध्यक्ष
 अप विभाग, नेत्रालय
 कक्षा नं. 1, नवा रायपुर

क्र.	कैशलेस उपचार हेतु सहमति प्रदानकर्ता चिकित्सालय का नाम एवं पता
49	श्री मेडिशार्इन हॉस्पिटल, न्यूराजेन्द्र नगर रायपुर।
50	श्री नारायणा हॉस्पिटल, गंज मंडी के पास, से.-5 के पीछे, देवेन्द्र नगर, पण्डरी, रायपुर।
51	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जुनवानी, भिलाई, जिला-दुर्ग।
52	श्री शिशु भवन, ईदगाह चौक, बिलासपुर।
53	श्रीराम केयर हॉस्पिटल, नेहरू नगर, अमेरी रोड, बिलासपुर।
54	श्रीराम हॉस्टिल, ग्रीन सिटी के सामने, डोंगरगाँव रोड, बसंतपुर राजनांदगाँव (छ.ग.)
55	शुभकामना हॉस्पिटल, दुबे कॉलोनी, मोवा, रायपुर (छ.ग.)
56	एस.एम.सी. हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड आई.वी.एफ. रिसर्च सेंटर, वी.आई.पी. इस्टेट विधानसभा रोड, रायपुर (छ.ग.)
57	सोनी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड मैटरनिटी होम बड़े उरला रोड, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)
58	स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्रीराम मार्केट, सिरसा रोड रामनगर भिलाई (छ.ग.)
59	स्पाईन एण्ड स्कीन क्लीनिक, एच-21, टी.व्ही. टॉवर रोड मेन रोड शंकरनगर रायपुर (छ.ग.)
60	सुंदरा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज कैम्पस, सुंदरा एन.एच.-6 राजनांदगाँव (छ.ग.)
61	सनशार्इन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वसुंधरा नगर, भिलाई-03, चरोदा, जिला-दुर्ग।
62	सुयश हॉस्पिटल कोटा, गुढ़ियारी रोड, रायपुर।
63	श्वेता हॉस्पिटल, कोरबा।
64	उपाध्याय हॉस्पिटल, अर्जुन विहार, हीरापुर रोड, मोहबा बाजार, रायपुर।
65	उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल, नहर रोड, भाटागाँव, रायपुर (छ.ग.)
66	वी.वाय. इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल, साइंसेस रायपुर।
67	विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक, लिंक रोड, बिलासपुर, (छ.ग.)
68	वी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तेलीबांधा, रायपुर।
69	नवजीवन हॉस्पिटल, करहीडीह चौक, धमधा रोड, दुर्ग (छ.ग.)
70	श्री विनायक हॉस्पिटल, प्रसूति एवं ट्रामा सेंटर, कैनरा बैंक के पास, बिलासपुर रोड, सिमगा (छ.ग.)
71	बाजपेयी नर्सिंग होम, अंबेडकर चौक, बलौदाबाजार (छ.ग.)
72	वेगस हॉस्पिटल, पुराना बस स्टैण्ड के पास, इमलीपारा रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
73	डॉ. रूपरेला, एन.एम.एस. डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग, 908, फाफाडीह चौक, ओवरब्रिज के पास, जागृति नगर, रूपरेला मार्ग, बिलासपुर रोड, रायपुर (छ.ग.)
74	अरिहंत हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन के पीछे, मोवा, रायपुर (छ.ग.)

Prathig
 अनुभव आदिवासी
 एवं विभाग, भिलाई
 अरुण नगर, नवा रायपुर

क्र.	कैशलेस उपचार हेतु सहमति प्रदानकर्ता चिकित्सालय का नाम एवं पता
75	जय तुलसी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, कौरिनभाटा रोड, महामाया चौक, राजनांदगांव (छ.ग.)
76	हेरिटेज हॉस्पिटल, सिटी ऑफ ड्रीम्स सोसायटी के सामने, ब्रम्हकुमारी शांति सरोवर के पीछे, कचना रायपुर (छ.ग.)
77	भवाना डायग्नोस्टिक सेंटर, वालफोर्ट ओजोन के पास, फाफाडीह चौक, रायपुर(छ.ग.)
78	श्रीराम हॉस्पिटल, रायपुर रोड, मारुति शोरूम के पास, लिमाही, बलौदाबाजार (छ.ग.)
79	एम.पी.एम. हॉस्पिटल, अघनपुर, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)
80	संकल्प लाईफ मेडिकल साल्यूशन प्रा.लि., जिला चिकित्सालय के पीछे, बिलासपुर रोड, मनीपुर, अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)
81	श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, भालेराव स्टेडियम के पीछे, परशुराम चौक, चांपा (छ.ग.)
82	अराध्या हॉस्पिटल (अ यूनिट ऑफ अराध्या हेल्थ केयर) महामाया चौक, रतनपुर रोड, सरकंडा, (छ.ग.)
83	संकल्प आई हॉस्पिटल, श्रीकांत वर्मा मार्ग, रामा मैग्नेटो मॉल रोड, वैशाली नगर, बिलासपुर (छ.ग.)
84	शिव हॉस्पिटल एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर, जूट मिल रोड, रायगढ़ (छ.ग.)
85	श्रेयांश हॉस्पिटल, दुर्गा विहार कॉलोनी, खरोरा रोड, आरंग पिन-493441
86	आरोग्य हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, प्रा.लि. ऑपोजिट कुबेर अपार्टमेंट, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
87	जुनेजा आई हॉस्पिटल, तृतीय तल, अपोलो सिटी सेंटर, सीएमडी चौक, बिलासपुर (छ.ग.)
88	श्रीराम मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रेल्वे अंडर ब्रिज के पास, बसंत विहार गेट नं.-1, गोंदवारा चौक, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.)
89	एस. के केअर, हॉस्पिटल, रिंग रोड नं.-1, लक्ष्मी नगर, पचपेड़ी नाका, रायपुर (छ.ग.)
90	श्री मंगला हॉस्पिटल, बेलोजियो सेलून के सामने, नेहरू नगर, मेन रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
91	शुभ हॉस्पिटल, सफायर ग्रीन के सामने, विधानसभा रोड, आमासिवनी, रायपुर (छ.ग.)
92	जीवनरेखा हॉस्पिटल, सिंग रेस्टारेंट के सामने, बागेश्वर बिल्डिंग, बसंतपुर रोड, कौरिन भाटा, राजनांदगांव (छ.ग.)
93	पटेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नया बस स्टेण्ड के सामने, खरोरा जिला-रायपुर (छ.ग.)
94	श्री राम शांति मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, संध्या पेट्रोल पंप, श्री नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)
95	डी.एन.ए. क्रिटीकल केयर हॉस्पिटल, सहदेव नगर, जी.ई. रोड, राजनांदगांव (छ.ग.)
96	एकता हॉस्पिटल एवं पैथोलॉजी सेंटर, बिजली आफिस के सामने, बठेना, मुजगहन कैनल रोड, धमतरी (छ.ग.)
97	गिंदौड़ी देवी मेमोरियल चेरिटेबल हॉस्पिटल, जी.ई. रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई (छ.ग.)
98	वयम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 4/1, प्रियदर्शिनी परिसर, पुलिस स्टेशन के सामने, भिलाई (छ.ग.)

Arathi
 अनुभव अधिकांश
 नमो विष्णवे, नमो ब्रह्मणे
 नमो शंकरे, नमो शंकरे

क्र.	कैशलेस उपचार हेतु सहमति प्रदानकर्ता चिकित्सालय का नाम एवं पता
99	श्री कल्याण मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेन रोड, न्यू वाल्टैयर रेल्वे लाईन, फाफाडीह, रायपुर (छ.ग.)
100	माहेर हॉस्पिटल, ग्राम-कुर्रा, रायपुर रोड, पो.-पटेवा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
101	नंदिनी हॉस्पिटल, राजेन्द्र प्रसाद चौक, बिजली ऑफिस के सामने, तिल्दा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
102	लालमती मल्टीस्पेशलिटी एवं डेंटल केयर, एमआईजी, फेस-2, कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)
103	सप्तगिरी हॉस्पिटल, मंदिर हसौद चौक, रायपुर (छ.ग.)

Prathibha
 अनुभव अधिकारी
 जन विभाग, रायपुर
 जिला-रायपुर, छ.ग.

पारिशेष्य - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 1273) की जानकारी

प्रपत्र

खैरागढ़ व राजनांदगांव जिलान्तर्गत ब्याज की राशि से कृत कार्य की जानकारी

(राशि रुपये में)

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	जमा ब्याज की राशि	ब्याज की राशि से स्वीकृत कार्यों का नाम	फर्म / एजेंसी जिसके माध्यम से कार्य कराया गया	क्या दिशा-निर्देश व मापदण्ड के तहत राशि का उपयोग किया गया है (हां/नहीं)	यदि हां तो दिशा-निर्देश व मापदण्ड का विवरण	क्या राशि का उपयोग स्वेच्छापूर्वक किया गया है (हां/नहीं)	यदि हां तो इसके लिये अधिकारी/कर्मचारी का नाम	दोषी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन												
1	राजनांदगांव / खैरागढ़ - छुईखदान- गण्डई	-	2021-22	1403602.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	राजनांदगांव / खैरागढ़ - छुईखदान- गण्डई	-	2022-23	28324.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	राजनांदगांव / खैरागढ़ - छुईखदान- गण्डई	-	2023-24	2226.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. सांसद आदर्श ग्राम योजना												
1	राजनांदगांव / खैरागढ़ - छुईखदान- गण्डई	-	2021-22	13028.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	राजनांदगांव / खैरागढ़ - छुईखदान- गण्डई	-	2022-23	9249.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	राजनांदगांव / खैरागढ़ - छुईखदान- गण्डई	-	2023-24	58299.00	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुसार अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 आ एवं ग्रामीण विकास विभाग
 27/02/2024

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	जमा ब्याज की राशि	ब्याज की राशि से स्वीकृत कार्यों का नाम	फर्म/ एजेंसी जिसके माध्यम से कार्य कराया गया	क्या दिशा-निर्देश व मापदण्ड के तहत राशि का उपयोग किया गया है (हां/ नहीं)	यदि हां तो दिशा-निर्देश व मापदण्ड का विवरण	क्या राशि का उपयुक्त उपयोग स्वच्छापूर्वक किया गया है (हां/ नहीं)	यदि हां तो इसके लिये दोषी अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	दोषी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणियाँ
3. विधायक आदर्श ग्राम योजना												
1	राजनांदगांव/ खैरागढ़ -छुईखदान- गण्डई	-	2021-22	85355.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	राजनांदगांव/ खैरागढ़ -छुईखदान- गण्डई	-	2022-23	93219.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	राजनांदगांव/ खैरागढ़ -छुईखदान- गण्डई	-	2023-24	164798.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4. महात्मा गांधी नरेगा												
1	राजनांदगांव	छुरिया	2021-22	27421.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2		डोंगरगांव		22245.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3		डोंगरगढ़		28187.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4		राजनांदगांव		69850.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	खैरागढ़-छुईखदान- गण्डई	खैरागढ़	2021-22	22373.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6		छुईखदान		36148.00	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुमानित आधिकारी
 अनुमानित मंत्रालय
 अनुमानित विकास विभाग
 अनुमानित स्व ग्रामीण विकास नया रायपुर
 अनुमानित मंत्रालय, नया रायपुर

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	जमा ब्याज की राशि	ब्याज की राशि से स्वीकृत कार्यों का नाम	फर्म / एजेंसी जिसके माध्यम से कार्य कराया गया	क्या दिशा-निर्देश व मापदण्ड के तहत राशि का उपयोग किया गया है (हां/नहीं)	यदि हां तो दिशा-निर्देश व मापदण्ड का विवरण	क्या राशि का उपयोग स्वेच्छापूर्वक किया गया है (हां/नहीं)	यदि हां तो इसके लिए अधिकारी/कर्मचारी का नाम	दोषी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणियाँ	
5. पंचायत संचालनालय													
1	राजनांदगांव	छुरिया	2021-22	460811.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		डोंगरगांव		416518.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		डोंगरगाढ़		513749.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		राजनांदगांव		6734686.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	2021-22	465229.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6		छुईखदान		17173.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	राजनांदगांव	छुरिया	2022-23	314799.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		डोंगरगांव		386895.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		डोंगरगाढ़		604579.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		राजनांदगांव		9416750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	2022-23	875053.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6		छुईखदान		16621.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	राजनांदगांव	छुरिया	2023-24	309807.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		डोंगरगांव		249132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		डोंगरगाढ़		503461.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		राजनांदगांव		7301564.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	2023-24	656157.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6		छुईखदान		27197.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुभाग आंधकास
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 महानदी भवन, इलाहाबाद, नया रायपुर

परोशेष्ट - इन्क्यावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 1282) की जानकारी

प्रपत्र -अ

श्रमिकों का पलायन एवं बंधुआ मजदूरी की रोकथाम के संबंध में जानकारी

क्र.	वर्ष	विधानसभा का नाम	पलायन किये गये श्रमिकों की संख्या	क्या पलायन श्रमिकों की गणना हेतु कोई सर्वेक्षण भी किया जाता है? (हाँ/नहीं)	यदि हाँ तो कब-कब सर्वेक्षण कराया गया है
1	2	3	4	5	6
1	2021	लैलूंगा	0	नहीं	प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
2	2021	रायगढ़	0	नहीं	—
3	2021	खरसियां	0	नहीं	—
4	2021	धरमजयगढ़	841	नहीं	—
5	2021	पामगढ़	12426	नहीं	—
6	2021	अकलतरा	4291	नहीं	—
7	2021	जांजगीर-चांपा	12890	नहीं	—
8	2021	बेलतरा	667	नहीं	—
9	2021	बिल्हा	4494	नहीं	—
10	2021	मस्तूरी	18260	नहीं	—
11	2021	तखतपुर	426	नहीं	—
12	2021	कोटा	1631	नहीं	—
13	2021	कटघोरा	203	नहीं	—
14	2021	रामपुर	0	नहीं	—
15	2021	पाली तानाखार	379	नहीं	—
16	2021	मरवाही	860	नहीं	—
17	2021	मुंगेली	2078	नहीं	—
18	2021	लोरमी	1085	नहीं	—
19	2022	लैलूंगा	0	नहीं	—
20	2022	रायगढ़	0	नहीं	—
21	2022	खरसियां	0	नहीं	—
22	2022	धरमजयगढ़	51	नहीं	—
23	2022	पामगढ़	13156	नहीं	—
24	2022	अकलतरा	4621	नहीं	—
25	2022	जांजगीर-चांपा	7629	नहीं	—
26	2022	बेलतरा	1084	नहीं	—
27	2022	बिल्हा	4527	नहीं	—
28	2022	मस्तूरी	17721	नहीं	—
29	2022	तखतपुर	536	नहीं	—
30	2022	कोटा	1540	नहीं	—
31	2022	कटघोरा	145	नहीं	—
32	2022	रामपुर	285	नहीं	—

अनुमान अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायगढ़, नया रामपुर

क.	वर्ष	विधानसभा का नाम	पलायन किये गये श्रमिकों की संख्या	क्या पलायन श्रमिकों की गणना हेतु कोई सर्वेक्षण भी किया जाता है? (हाँ/नहीं)	यदि हाँ तो कब-कब सर्वेक्षण कराया गया है
1	2	3	4	5	6
33	2022	पाली तानाखार	176	नहीं	—
34	2022	मरवाही	89	नहीं	—
35	2022	मुंगेली	2193	नहीं	—
36	2022	लोरमी	1339	नहीं	—
37	2023	लैलूंगा	0	नहीं	—
38	2023	रायगढ़	0	नहीं	—
39	2023	खरसियां	0	नहीं	—
40	2023	धरमजयगढ़	27	नहीं	—
41	2023	पामगढ़	12586	नहीं	—
42	2023	अकलतरा	3431	नहीं	—
43	2023	जांजगीर-चांपा	3856	नहीं	—
44	2023	बेलतरा	1347	नहीं	—
45	2023	बिल्हा	4900	नहीं	—
46	2023	मस्तूरी	14702	नहीं	—
47	2023	तखतपुर	496	नहीं	—
48	2023	कोटा	1560	नहीं	—
49	2023	कटघोरा	0	नहीं	—
50	2023	रामपुर	265	नहीं	—
51	2023	पाली तानाखार	583	नहीं	—
52	2023	मरवाही	157	नहीं	—
53	2023	मुंगेली	1974	नहीं	—
54	2023	लोरमी	1070	नहीं	—

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

श्रमिकों का पलायन एवं बंधुआ मजदूरी की रोकथाम के संबंध में जानकारी

श्रमिकों के पलायन एवं बंधुआ मजदूरी अथवा अन्य शोषण की रोकथाम हेतु कार्ययोजना का विवरण	
क.	
1	2
1	<p>(अ) छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक नीति, 2020 - छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्यों में बेहतर रोजगार हेतु जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को बंधक बनाये जाने की शिकायत को देखते हुये छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित प्रवास एवं हित संरक्षित हेतु छत्तीसगढ़ प्रवास नीति, 2020 दिनांक 19-07-2021 को प्रभावशील की गई है। उक्त नीति के अन्तर्गत निम्न कार्यवाही की जा रही है :-</p> <p>(i) ऑनलाईन पलायन पंजी :- प्रवासी श्रमिक के डाटा संरक्षित हेतु मोबाईल एप का निर्माण किया गया है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड मोहरीर के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की जानकारी इंद्राज के निर्देश दिये गये हैं।</p> <p>(ii) मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र :- राज्य स्तर पर 24x7 हेल्प लाईन (0771-3505050) स्थापित किया गया है, जो माह सितंबर 2022 से संचालित है। श्रमिक सहायता केन्द्र के माध्यम से प्रवासी/बंधक श्रमिकों की शिकायत प्राप्त होने पर उनका त्वरित निराकरण किया जा रहा है।</p> <p>(iii) श्रम संसाधन केन्द्र (LRC) :- प्रवासी श्रमिकों की सहायता एवं शिकायत निवारण हेतु राज्य के 146 विकासखंड स्तर एवं 28 जिला स्तर पर श्रम संसाधन केन्द्र (LRC) प्रारंभ किया गया है। उक्त श्रम संसाधन केन्द्र अन्य राज्यों में जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को जागरूक करेंगे, जिससे उन्हें बंधक बनने की स्थिति का सामना न करना पड़े।</p> <p>(ब) बंधक श्रमिकों के संबंध में की गयी कार्यवाही।</p> <p>(i) बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन हेतु बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 प्रभावशील है। उक्त अधिनियम अंतर्गत 28 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित है। जिला सतर्कता समिति द्वारा जिले में बंधक श्रम पद्धति उन्मूलन हेतु सतत निगरानी एवं पर्यवेक्षण तथा बंधक श्रम पाये जाने पर उनके पुनर्वास संबंधी कार्यवाही की जाती है।</p> <p>(ii) छ.ग. राज्य के श्रमिकों को अन्य राज्यों में बंधक बनाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित अन्य राज्यों के कलेक्टरों को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जाता है, तथा शिकायत की गंभीरता की स्थिति में आवश्यक होने पर कलेक्टर द्वारा राजस्व, पुलिस एवं श्रम विभाग के अधिकारियों का दल गठित कर संबंधित राज्य के श्रमिकों के अवमुक्ति में सहयोग हेतु भेजा जाता है।</p> <p>(iii) बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्र क्षेत्रीय बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता योजना, 2016 एवं संशोधित योजना 2021 प्रभावशील है। इस योजना के अंतर्गत बंधुआ मजदूर पाये जाने पर अवमुक्त बंधक श्रमिकों को तत्काल सहायता राशि 30,000/- रुपये तक दिये जाने का प्रावधान है।</p>


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 ग्राम्य एवं ग्रामीण विकास विभाग
 गंधी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

श्रमिकों के पलायन एवं बंधुआ मजदूरी अथवा अन्य शोषण की रोकथाम हेतु कार्ययोजना का विवरण	
क.	2
1	<p>(iv) बंधक श्रम नियोजक के दोषसिद्धि उपरांत अवमुक्त बंधक श्रमिक को निम्नानुसार पुनर्वास सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अवमुक्त पुरुष बंधक श्रमिक - 01 लाख रुपये पुनर्वास राशि 2. अवमुक्त महिला एवं बच्चे बंधक श्रमिक- 02 रुपये लाख पुनर्वास राशि 3. वेश्यावृत्ति/मानव तस्करी के दौरान उत्पीड़ित ट्रांसजेंडर, महिला एवं बच्चे बंधक श्रमिक - 03 लाख रुपये पुनर्वास राशि <p>(v) विमुक्त बंधक श्रमिकों को राज्य शासन की विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं जैसे :- श्रमिकों को आवास, छत्तीसगढ़ राज्य असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल तथा छत्तीसगढ़ भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत श्रमिक पंजीयन कार्ड से, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत राशन कार्ड, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड एवं मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड से प्राथमिकता से लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है।</p>


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-स

श्रमिकों का पलायन एवं बंधुआ मजदूरी की रोकथाम के संबंध में जानकारी

क्र.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	श्रमिकों का पलायन एवं बंधुआ मजदूरी की रोकथाम हेतु किये गये प्रयास									
			जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 तक		अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक		अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक		अप्रैल, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक			
			रोजगार प्रदाय परिवारों की संख्या	सृजित मानव दिवस	रोजगार प्रदाय परिवारों की संख्या	सृजित मानव दिवस	रोजगार प्रदाय परिवारों की संख्या	सृजित मानव दिवस	रोजगार प्रदाय परिवारों की संख्या	सृजित मानव दिवस		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			7741	380569	15983	988634	13062	729609	9853	406374		
			6664	355441	16040	942509	13850	697925	10848	385379		
1	बिलासपुर		39949	2403843	35833	2223269	31731	1745325	26603	1067810		
			19792	760777	28913	1946983	24324	1428421	19553	819442		
			33123	722057	29973	1865455	24507	1377637	18330	711185		
			13744	407175	14403	664401	11118	509416	11438	372746		
			21126	440302	26523	1319568	21662	864727	30099	886298		
2	जांजगीर-चांपा		17820	308608	26140	1236112	20245	789969	17278	592108		
			5002	70312	7181	270384	6407	186479	9920	170918		
			6687	97224	7885	347800	6689	233419	11815	192268		
			8786	305123	25148	1520399	21815	1114650	14468	555817		
3	रायगढ़		16393	263996	50764	1684732	51667	1512941	48043	670733		
			9695	239437	26253	1336560	24805	1090865	13602	528889		
			7715	90923	46775	683307	33967	546708	15591	263284		

क्र.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	श्रमिकों का पलायन एवं बंधुआ मजदूरी की रोकथाम हेतु किये गये प्रयास										
			जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 तक		अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक		अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक		अप्रैल, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक				
			रोजगार प्रदाय परिवारों की संख्या	सृजित मानव दिवस	रोजगार प्रदाय परिवारों की संख्या	सृजित मानव दिवस	रोजगार प्रदाय परिवारों की संख्या	सृजित मानव दिवस	रोजगार प्रदाय परिवारों की संख्या	सृजित मानव दिवस			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	सक्ती	चन्द्रपुर	15145	456005	32794	1316915	28137	1000900	21403	813972			
		जैजेपुर	22977	942758	23547	985644	42603	787951	38912	599080			
		सक्ती	19667	854962	16230	712195	14345	603781	11927	406128			
		लोरमी	17135	476458	32874	1624025	24736	1173196	22431	934903			
5	मुंगेरी	मुंगेरी	25018	1057748	38785	2352048	29847	1683909	27038	1170497			
		बिल्हा	10313	435960	16236	1173348	13036	806474	11746	562382			
		कोरबा	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	कोरबा	कटघोरा	2864	313841	16177	1092453	6378	914207	9639	561133			
		पाली तनाखार	8894	992013	67562	3105427	74715	2778738	42415	1826245			
		रामपुर	3317	546872	11419	1518252	10023	1532137	12212	809486			
7	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	मरवाही	31156	1536509	51108	3660868	48265	2904343	28209	1736841			
		कोटा	2587	129256	5179	374099	4766	289756	3157	198912			
8	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	11355	188000	18274	1185000	16332	896000	14088	664000			
		सारंगढ़	13379	382000	71913	2426000	63357	1650000	43183	1179000			

टीप :- वर्ष 2021 से दिसम्बर 2023 की अवधि में बिलासपुर संभाग के 168 श्रमिक अन्य राज्यों से अवमुक्त होकर गृहग्राम वापस आये हैं जिनमें से 127 श्रमिकों को तात्कालिक सहायता राशि प्रदाय किया गया है।


अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 महानदी बवन, मंत्रालय, नया रायपुर

वर्षवार पलायन किये गये श्रमिकों की संख्या एवं पलायन में दर्ज की गई कमी की जानकारी

क.	विधानसभा का नाम	पलायन किये गये श्रमिकों की संख्या			पलायन में दर्ज की गई कमी की संख्या (5-6)
		2021	2022	2023	
1	3	4	5	6	7
1	लैलूंगा	0	0	0	0
2	रायगढ़	0	0	0	0
3	खरसियां	0	0	0	0
4	धरमजयगढ़	841	51	27	24
5	पामगढ़	12426	13156	12586	570
6	अकलतरा	4291	4621	3431	1190
7	जांजगीर-चांपा	12890	7629	3856	3773
8	बेलतरा	667	1084	1347	-
9	बिल्हा	4494	4527	4900	-
10	मस्तूरी	18260	17721	14702	3019
11	तखतपुर	426	536	496	40
12	कोटा	1631	1540	1560	-
13	कटघोरा	203	145	0	145
14	रामपुर	0	285	265	20
15	पाली तानाखार	379	176	583	-
16	मरवाही	860	89	157	-
17	मुंगेली	2078	2193	1974	219
18	लोरमी	1085	1339	1070	269

अनुभाग अधिकारी

शुद्धीगढ़ मंत्रालय

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

Per

प्रपत्र -इ

श्रमिकों का पलायन एवं बंधुआ मजदूरी की रोकथाम के संबंध में जानकारी

क.	वर्ष	जिला का नाम	पलायन किये गये श्रमिकों की संख्या	पलायन किये गये कितने श्रमिकों को वापस लाया गया है	पलायन किये श्रमिकों को किन-किन राज्यों से वापस लाया गया है
1	2	3	4	5	6
1	2021	रायगढ़	841	853	ओड़िसा, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, गुजरात, पं. बंगाल, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पंजाब तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, हरियाणा
2	2021	जांजगीर-चाम्पा	29607	0	-
3	2021	बिलासपुर	21602	0	-
4	2021	कोरबा	582	0	-
5	2021	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	980	980	जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, गोवा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश,
6	2021	मुंगेली	6914	0	-
7	2022	रायगढ़	51	19	ओड़िसा, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, गुजरात, पं. बंगाल, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पंजाब तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, हरियाणा
8	2022	बिलासपुर	21582	0	-
9	2022	जांजगीर-चाम्पा	25406	0	-
10	2022	कोरबा	606	0	-
11	2022	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	0	0	-

अनुभाग अधिकारी

छत्तीसगढ़ मंत्रालय

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क.	वर्ष	जिला का नाम	पलायन किये गये श्रमिकों की संख्या	पलायन किये गये कितने श्रमिकों को वापस लाया गया है	पलायन किये श्रमिकों को किन-किन राज्यों से वापस लाया गया है
1	2	3	4	5	6
12	2022	मुंगेली	7358	0	-
13	2023	रायगढ़	27	10	अड़िसा, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडू, उत्तरप्रदेश, गुजरात, पं. बंगाल, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पंजाब तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, हरियाणा
14	2023	जांजगीर-चाम्पा	19873	0	-
15	2023	बिलासपुर	19323	0	-
16	2023	कोरबा	848	0	-
17	2023	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	0	0	-
18	2023	मुंगेली	6726	0	-

परिशेष - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 1354) की जानकारी

प्रपत्र

बस्तर संभाग में (पं.ग्रा.वि.) विभाग के द्वारा बनाये गये शासकीय भवनों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी (वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में पूर्ण एवं हैण्डओवर शेष कार्यों की जानकारी)

क्र	जिला	वि.ख. का नमा	भवन का नाम ग्राम सहित	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	हस्तांतरित किये जाने वाले विभाग का नाम	पूर्ण भवनों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति			अद्यतन स्थिति
							बिजली	पानी	शौचालय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वर्ष 2022-23										
1	कोण्डागांव	कोण्डागांव	नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण किबईबालेंगा, ग्राम किबईबालेंगा	नीति आयोग टी. ए.डी.पी.	30.00	सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किबईबालेंगा	हां	हां (पूर्व से पानी की व्यवस्था थी)	हों	संबंधित विभाग को अनुविभागीय अधिकारी के पत्र क्र. 215 दिनांक 12.08.23 हस्तांतरण प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। लेकिन विभाग द्वारा हस्तांतरण नहीं लिया गया है।
2	कोण्डागांव	केशकाल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्री बर्थ वेटिंग रूम भवन निर्माण केशकाल, ग्राम केशकाल	नीति आयोग टी.ए. डी.पी.	15.00	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक केन्द्र केशकाल	हां	प्राक्कलन में प्रावधान नहीं था।	प्राक्कलन में प्रावधान नहीं था।	संबंधित विभाग को अनुविभागीय अधिकारी के पत्र क्र. 16 दिनांक 06.05.23 द्वारा हस्तांतरण प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। लेकिन विभाग द्वारा हस्तांतरण नहीं लिया गया है।
3	कोण्डागांव	कोण्डागांव	जिला कोण्डागांव अंतर्गत मुख्यालय कोण्डागांव के संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में एकीकृत जन सुविधा हेतु कैंटिन निर्माण कार्य, ग्राम कोण्डागांव	एल.डब्ल्यू.ई.	21.35	अपर कलेक्टर, जिला कोण्डागांव	हों	हों	हों	संबंधित विभाग को अनुविभागीय अधिकारी के पत्र क्र. 285 दिनांक 05.11.23 द्वारा हस्तांतरण प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। लेकिन विभाग द्वारा हस्तांतरण नहीं लिया गया है।
योग :-										
4	दत्तेवाड़ा	गीदम	कंसद्रक्शन ऑफ कलेक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर एट सेटलाइट युनिट फार फारेस्ट प्रोडक्ट / हब्स एट हाउरनार ग्राम -हाउरनार	स्फुर्ति योजना	4.41	लावलीहुड कॉलेज	हों	प्राक्कलन में प्रावधान नहीं था।	प्राक्कलन में प्रावधान नहीं था।	स्फुर्ति योजना अंतर्गत 40 प्रतिशत राशि प्राप्त हुआ है एवं शेष राशि प्राप्त न होने की वजह से संबंधित ठेकेदार को पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण हैडओवर नहीं किया गया है।
5	दत्तेवाड़ा	गीदम	सी.एफ.सी. एट हिरानार, सोनारपारा, कम्पसिंग रॉ मटेरियल, स्टोरेज, प्रोसेसिंग हाल, फिनिशिंग प्रोडक्ट गोडाउन, लेबोरेटरी, लेबर ड्रेसिंग रूम, सेक्योरिटी रूम आफिस एंड युटिलाईटिस ग्राम -हिरानार.	स्फुर्ति योजना	45.93	लावलीहुड कॉलेज	हों	हों	हों	स्फुर्ति योजना अंतर्गत 40 प्रतिशत राशि प्राप्त हुआ है एवं शेष राशि प्राप्त न होने की वजह से संबंधित ठेकेदार को पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण हैडओवर नहीं किया गया है।
योग :-										

भन्नुभाग अधिकारी
उपस्थित, मुकेश
न्यायक एव प्रमुख विभाग
कंसद्रक्शन, बटल नगर, नया बस्तर

क	जिला	वि.खं. का नमा	भवन का नाम ग्राम सहित	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	हस्ताक्षरित किये जाने वाले विभाग का नाम	पूर्ण भवनों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति			अद्यतन स्थिति	
							बिजली	पानी	शौचालय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
वर्ष 2023-24											
6	सुकमा	सुकमा	जिला मुख्यालय में कलार समाज हेतु सामाजिक भवन निर्माण कार्य	मुख्यमंत्री घोषणा मद	20.00	संबंधित समाज	हों	हों	हों	माह दिसम्बर 2023 में कार्य पूर्ण किया गया है, संबंधित समाज को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।	
7	सुकमा	सुकमा	जिला मुख्यालय में मंगन समाज हेतु सामाजिक भवन निर्माण कार्य	मुख्यमंत्री घोषणा मद	10.00	संबंधित समाज	हों	हों	हों	माह दिसम्बर 2023 में कार्य पूर्ण किया गया है, संबंधित समाज को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।	
8	सुकमा	सुकमा	जिला मुख्यालय में कैंवट समाज हेतु सामाजिक भवन निर्माण कार्य	मुख्यमंत्री घोषणा मद	10.00	संबंधित समाज	हों	हों	हों	माह दिसम्बर 2023 में कार्य पूर्ण किया गया है, संबंधित समाज को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।	
9	सुकमा	सुकमा	जिला मुख्यालय में हल्बा समाज हेतु सामाजिक भवन निर्माण कार्य	मुख्यमंत्री घोषणा मद	20.00	संबंधित समाज	हों	हों	हों	माह दिसम्बर 2023 में कार्य पूर्ण किया गया है, संबंधित समाज को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।	
10	सुकमा	सुकमा	जिला मुख्यालय में यादव समाज हेतु सामाजिक भवन निर्माण कार्य	मुख्यमंत्री घोषणा मद	20.00	संबंधित समाज	हों	हों	हों	माह दिसम्बर 2023 में कार्य पूर्ण किया गया है, संबंधित समाज को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।	
11	सुकमा	सुकमा	जिला मुख्यालय में मसीह समाज हेतु सामाजिक भवन निर्माण कार्य	मुख्यमंत्री घोषणा मद	20.00	संबंधित समाज	हों	हों	हों	माह दिसम्बर 2023 में कार्य पूर्ण किया गया है, संबंधित समाज को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।	
12	सुकमा	छिन्दगढ़	हायर सेकण्डरी स्कूल तोंगपाल का नवीनीकरण कार्य भाग-1	डी.एम.एफ.	49.11	शिक्षा विभाग	हों	हों	हों	माह नवम्बर 2023 में कार्य पूर्ण किया गया है, संबंधित विभाग को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।	
13	सुकमा	छिन्दगढ़	हायर सेकण्डरी स्कूल तोंगपाल का नवीनीकरण कार्य भाग-2	डी.एम.एफ.	44.78	शिक्षा विभाग	हों	हों	हों	माह जनवरी 2024 में कार्य पूर्ण किया गया है, संबंधित विभाग को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।	
योग :-							193.89				
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बस्तर मण्डल अंतर्गत वर्ष 2022-23											05 कार्य
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बस्तर मण्डल अंतर्गत वर्ष 2023-24											08 कार्य
महायोग :-											13 कार्य


 जिला मुख्यालय अतिरिक्तारी
 छिन्दगढ़, सुकमा
 विकास एवं ग्रामीण विकास विभाग
 हायर सेकण्डरी स्कूल, तोंगपाल, नया जयपुर
 छिन्दगढ़, मण्डल, बस्तर

पारिशेष - तिरपन
अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 1373) की जानकारी

प्रपत्र - 'अ'

प्रदेश में घटित नक्सली घटना एवं नक्सली-पुलिस मुठभेड़ की जानकारी
(01 दिसम्बर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक)

क्र.	घटना दिनांक	घटना स्थल	थाना	अपराध का प्रकार
सुकमा				
1.	03.12.2023	डोंडेवागू नाला टोंडामारका	चिंतागुफा	हत्या का प्रयास (आईईडी विस्फोट)
2.	11.12.2023	न्यू कैम्प सलातोंग जंगल पहाड़ी टेकरी	किस्टाराम	हत्या का प्रयास (आईईडी विस्फोट)
3.	12.12.2023	तिम्मापुरम के जंगल	चिंतलनार	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)
4.	12.12.2023	न्यू कैम्प सलातोंग जंगल पहाड़ी टेकरी	किस्टाराम	हत्या का प्रयास (आईईडी विस्फोट)
5.	13.12.2023	सिलगेर बाजार स्थल के पास पुलिया में	जरगगुण्डा	आगजनी
6.	17.12.2023	ग्राम बेदरे का जंगल	जगरगुण्डा	हत्या (मुठभेड़)
7.	20.12.2023	नागाराम डोंगिनपारा व आस-पास जंगल पहाड़ी	चिंतलनार	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)
8.	20.12.2023	कमारगुड़ा मरघट के पास मेन रोड पर	जगरगुण्डा	आगजनी
9.	20.12.2023	ग्राम आसिरगुड़ा के पास एन.एच.30	एरबोर	आगजनी
10.	21.12.2023	ग्राम कोसागुड़ा में स्थित जिओ टावर	दोरनापाल	आगजनी
11.	28.12.2023	ग्राम बुरदापारा(गंधारपारा) जंगल के पास	फुलबगड़ी	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)
12.	29.12.2023	ग्राम बड़े मोरपल्ली के पास	चिंतलनार	अन्य (नक्सली साहित्य बरामद)
13.	10.01.2024	कोरमागोंदी जंगल के पास	कुकानार	अन्य (नक्सली साहित्य बरामद)
14.	20.01.2024	गोरखा कोत्ताचेरू पुल के पास रोड़ किनारे जंगल	भेजी	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)
15.	30.01.2024	नवीन कैम्प टेकलगुडेम	जगरगुण्डा	हत्या (मुठभेड़)
बीजापुर				
16.	24.11.2023 कायमी दिनांक 02.12.2023	मुरुम खदान टेकरी चिन्नागेलूर मोड़ के पास	तर्रम	हत्या का प्रयास (आईईडी विस्फोट)
17.	21.12.2023	ग्राम दुगाईगुड़ा एवं चेरामंगी के बीच जंगल मोड़ मेन रोड	आवापल्ली	आगजनी
18.	21.12.2023	आवापल्ली से बासागुड़ा रोड़ दुर्गा मंदिर छोटा पुलिया के पास तिमापुर	बासागुड़ा	आगजनी
19.	22.12.2023	ग्राम बेलचर कोटमेटा रोड़ तलाब के पास	जांगला	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)
20.	22.12.2023	पोटेनार जंगल पहाड़ी एवं तालाब के पास	जांगला	हत्या का प्रयास (मुठभेड़/आईईडी विस्फोट)
21.	23.12.2023	गोरना, मनकेली मेन रोड़ पड़ियार पारा के पास	बीजापुर	हत्या
22.	24.12.2023	गोरना मनकेली के जंगल	बीजापुर	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)
23.	25.12.2023	ग्राम पालनार न्यू कैम्प सीआरपीएफ	गंगालूर	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय

क्र.	घटना दिनांक	घटना स्थल	थाना	अपराध का प्रकार
24.	28.12.2023	ग्राम ईचवाड़ा पारा पाटेनार के टेकरी जंगल के पास खेत के पगडण्डी रास्ता	जांगला	हत्या का प्रयास (मुठभेड़/आईईडी विस्फोट)
25.	29.12.2023	कावड़गांव जंगल पहाड़	गंगालूर	हत्या का प्रयास (मुठभेड़/आईईडी विस्फोट)
26.	01.01.2024	मुतवेण्डी जंगल के पास रोड किनारे	गंगालूर	हत्या (मुठभेड़)
27.	02.01.2024	कुम्हारपारा चौक कुटरु	कुटरु	अन्य (नक्सली पर्चा बरामद)
28.	02.01.2024	कावड़गांव, मुतवेण्डी के जंगल पहाड़	गंगालूर	हत्या का प्रयास (आईईडी विस्फोट)
29.	04.01.2024	ग्राम कुरुष जंगल	गंगालूर	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)
30.	10.01.2024	ग्राम कड़ेर व दुरधा जंगल पहाड़	नैमेड़	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)
31.	12.01.2024	पुसनार मेटापालपारा जंगल पहाड़ी	गंगालूर	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)
32.	12.01.2024	पुसनार-मेटापाल के मध्य जंगल	गंगालूर	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)
33.	13.01.2024	पुसनार, मेटापाल जंगल	गंगालूर	अन्य (नक्सली पर्चा बरामद)
34.	13.01.2024	पुसनार बंडीपारा रोड किनारे	गंगालूर	हत्या
35.	16.01.2024	केरिपु कैम्प धरमावरम, केरिपु कैम्प चिन्तावागू, केरिपु कैम्प पामेड़	पामेड़	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)
36.	20.01.2024	गुट्टुम के बेल्लमगुट्टा पहाड़ के पास	बासागुडा	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)
37.	20.01.2024	तोयनाला के आगे गुण्डम रोड़ जाने वाली रास्ता	तर्रम	हत्या का प्रयास (आईडी विस्फोट)
38.	21.01.2024	ग्राम तिमापुर जीडीपारा एवं नेण्झा के जंगल	बासागुडा	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)
39.	24.01.2024	सारकेगुडा एवं कोरसागुडा के मध्य जंगल रोड	बासागुडा	अन्य (नक्सली बैनर बरामद)
40.	30.01.2024	उसपरी इंद्रावती नदी घाट	भैरमगढ़	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)
दंतेवाड़ा				
41.	02.12.2023	ग्राम बोदली नयापारा मेन रोड	मालेवाही	हत्या का प्रयास (आईईडी विस्फोट)
42.	02.12.2023	ग्राम मंगनार मोड़ इन्द्रावती नदी के उस पार	बारसूर	हत्या का प्रयास (आईईडी विस्फोट)
43.	24.12.2023	ग्राम आदवाल के जंगल पहाड़	कटेकल्याण	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)
44.	16.01.2024	मंगनार एवं कोहकाबेड़ा के बीच जंगल पहाड़ी	बारसूर	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)
45.	20.01.2024	ग्राम छोटेकरका एवं चेरपाल के मध्य जंगल	बारसूर	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)
46.	30.01.2024	ग्राम हिरोली दोक्कापारा मलांगेर नाला के पास	किरन्दुल	हत्या का प्रयास (आईईडी विस्फोट)
नारायणपुर				
47.	07.12.2023	ग्राम गोंगला पिड़ंदीलपर का जंगल	सोनपुर	हत्या
48.	09.12.2023	छोटेडोंगर तारभाठा पारा स्थित विदेसिंह मांझी का खेत।	छोटेडोंगर	हत्या
49.	13.12.2023	छोटेडोंगर अमदईघाटी स्थित बोर पाईट के पास	छोटेडोंगर	हत्या (मुठभेड़/आईईडी विस्फोट)
50.	14.01.2024	ग्राम टेकमेटा पहाड़ी	सोनपुर	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)
कांकेर				
51.	14.12.2023	ग्राम परतापुर सड़कटोला मंदिर टेकरी	परतापुर	हत्या
52.	16.01.2024	ग्राम कोंगे और तकिलकोट के मध्य पहाड़ी हाईट 513	छोटेबेठिया	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)
कबीरधाम				
53.	30.11.2023 कायमी दिनांक 04.12.2023	ग्राम बहनाखोदरा	चिल्फी	डकैती


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
जन विभाग

क्र.	घटना दिनांक	घटना स्थल	थाना	अपराध का प्रकार
गरियाबंद				
54.	25.01.2024	ग्राम सिकासेर झरझरा घनघोर जंगल।	मैनपुर	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग

प्रपत्र - 'ब'

६

नक्सली घटनाओं एवं नक्सली पुलिस मुठभेड़ में सुरक्षाबल के शहीद जवान,
घायल जवान
एवं मारे गये नक्सलियों की जानकारी
(01 दिसम्बर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक)

क्र.	घटना दिनांक	घटना स्थल	थाना	अपराध का प्रकार	शहीद जवान	घायल जवान	मारे गये नक्सली
सुकमा							
1.	03.12.2023	डोंडेवागू नाला टोंडामारका	चिंतागुफा	हत्या का प्रयास (आईईडी विस्फोट)	—	01	—
2.	11.12.2023	न्यू कैम्प सलातोंग जंगल पहाड़ी टेकरी	किस्टाराम	हत्या का प्रयास (आईईडी विस्फोट)	—	05	—
3.	12.12.2023	तिम्मापुरम के जंगल	चिंतलनार	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)	—	—	—
4.	12.12.2023	न्यू कैम्प सलातोंग जंगल पहाड़ी टेकरी	किस्टाराम	हत्या का प्रयास (आईईडी विस्फोट)	—	01	—
5.	13.12.2023	सिलगेर बाजार स्थल के पास पुलिया	जगरगुण्डा	आगजनी	—	—	—
6.	17.12.2023	ग्राम बेदरे का जंगल	जगरगुण्डा	हत्या (मुठभेड़)	01	01	—
7.	20.12.2023	नागाराम डोंगिनपारा व आस-पास जंगल पहाड़ी	चिंतलनार	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)	—	—	—
8.	20.12.2023	कमारगुड़ा मरघट के पास मेन रोड पर	जगरगुण्डा	आगजनी	—	—	—
9.	20.12.2023	ग्राम आसिरगुड़ा के पास एन.एच.30	एराबोर	आगजनी	—	—	—
10.	21.12.2023	ग्राम कोसागुड़ा में स्थित जिओ टावर कोन्टा	दोरनापाल	आगजनी	—	—	—
11.	28.12.2023	ग्राम बुरदापारा (गंधारपारा) जंगल के पास	फुलबगड़ी	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)	—	—	—
12.	29.12.2023	ग्राम बड़े मोरपल्ली के पास	चिंतलनार	अन्य (नक्सली साहित्य बरामद)	—	—	—
13.	10.01.2024	कोरमागोंदी जंगल के पास	कुकानार	अन्य (नक्सली साहित्य बरामद)	—	—	—
14.	20.01.2024	गोरखा कोत्ताचेरू पुल के पास रोड़ किनारे जंगल	भेजी	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)	—	—	—
15.	30.01.2024	नवीन कैम्प टेकलगुडेम	जगरगुण्डा	हत्या (मुठभेड़)	03	17	—


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग

क्र.	घटना दिनांक	घटना स्थल	थाना	अपराध का प्रकार	शहीद जवान	घायल जवान	मारे गये नक्सली
बीजापुर							
16.	24.11.2023 कायमी दिनांक 02. 12.2023	मुरुम खदान टेकरी चिन्नागेलूर मोड़ के पास	तर्रम	हत्या का प्रयास(आईईडी विस्फोट)	—	01	—
17.	21.12.2023	ग्राम दुगाईगुड़ा एवं चेरामंगी के बीच जंगल मोड़ मेन रोड	आवापल्ली	आगजनी	—	—	—
18.	21.12.2023	आवापल्ली से बासागुड़ा रोड दुर्गा मंदिर छोटा पुलिया के पास तिमापुर	बासागुड़ा	आगजनी	—	—	—
19.	22.12.2023	ग्राम बेलचर कोटमेटा रोड तलाब के पास	जांगला	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)	—	—	—
20.	22.12.2023	पोटेनार जंगल पहाड़ी एवं तालाब के पास	जांगला	हत्या का प्रयास (मुठभेड़/आईईडी विस्फोट)	—	01	—
21.	23.12.2023	गोरना, मनकेली मेन रोड पड़ियार पारा के पास	बीजापुर	अहपरण कर हत्या	01 (गौपनी य सैनिक)	—	—
22.	24.12.2023	गोरना मनकेली के जंगल	बीजापुर	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)	—	01	—
23.	25.12.2023	ग्राम पालनार न्यू कैम्प सीआरपीएफ	गंगालूर	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)	—	—	—
24.	28.12.2023	ग्राम ईचवाड़ा पारा पाटेनार के टेकरी जंगल के पास खेत के पगडण्डी रास्ता	जांगला	हत्या का प्रयास (मुठभेड़/आईईडी विस्फोट)	—	01	—
25.	29.12.2023	कावडगांव जंगल पहाड़	गंगालूर	हत्या का प्रयास (मुठभेड़/आईईडी विस्फोट)	01	—	—
26.	01.01.2024	मुतवेण्डी जंगल के पास रोड किनारे	गंगालूर	हत्या (मुठभेड़)	—	02	—
27.	02.01.2024	कुम्हारपारा चौक कुटरू	कुटरू	अन्य (नक्सली पर्चा बरामद)	—	—	—
28.	02.01.2024	कावडगांव, मुतवेण्डी के जंगल पहाड़	गंगालूर	हत्या का प्रयास (आईईडी विस्फोट)	—	01	—
29.	04.01.2024	ग्राम कुरुष जंगल	गंगालूर	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)	—	—	—
30.	10.01.2024	ग्राम कड़ेर व दुरधा जंगल पहाड़	नैमेड़	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)	—	—	—
31.	12.01.2024	पुसनार मेटापालपारा जंगल पहाड़ी	गंगालूर	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)	—	—	—
32.	12.01.2024	पुसनार—मेटापाल के मध्य जंगल	गंगालूर	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)	—	—	01
33.	13.01.2024	पुसनार, मेटापाल जंगल	गंगालूर	अन्य (नक्सली पर्चा बरामद)	—	—	—
34.	13.01.2024	पुसनार बंडीपारा रोड किनारे	गंगालूर	हत्या	—	—	—


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 गृह विभाग

क्र.	घटना दिनांक	घटना स्थल	थाना	अपराध का प्रकार	शहीद जवान	घायल जवान	मारे गये नक्सली
35.	16.01.2024	केरिपु कैम्प धरमावरम, केरिपु कैम्प चिन्तावागू, केरिपु कैम्प पामेड़	पामेड़	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)	—	12	—
36.	20.01.2024	गुट्टुम के बेल्लमगुट्टा पहाड़ के पास	बासागुडा	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)	—	01	03
37.	20.01.2024	तोयनाला के आगे गुण्डम रोड़ जाने वाली रास्ता	तर्रेम	हत्या का प्रयास (आईईडी विस्फोट)	—	01	—
38.	21.01.2024	ग्राम तिमापुर जीडीपारा एवं नेण्ड्रा के जंगल	बासागुडा	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)	—	—	—
39.	24.01.2024	सारकेगुडा एवं कोरसागुडा के मध्य जंगल रोड़	बासागुडा	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)	—	—	—
40.	30.01.2024	उसपरी इंद्रावती नदी घाट	भैरमगढ़	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)	—	—	—
दंतेवाड़ा							
41.	02.12.2023	ग्राम बोदली नयापारा मेन रोड़	मालेवाही	हत्या का प्रयास (आईईडी विस्फोट)	—	02	—
42.	02.12.2023	ग्राम मंगनार मोड़ इन्द्रावती नदी के उस पार	बारसूर	हत्या का प्रयास (आईईडी विस्फोट)	—	02	—
43.	24.12.2023	ग्राम आदवाल के जंगल पहाड़	कटेकल्याण	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)	—	—	03
44.	16.01.2024	मंगनार एवं कोहकाबेड़ा के बीच जंगल पहाड़ी	बारसूर	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)	—	—	01
45.	20.01.2024	ग्राम छोटेकरका एवं चेरपाल के मध्य जंगल	बारसूर	अन्य (विस्फोटक पदार्थ बरामद)	—	—	—
46.	30.01.2024	ग्राम हिरोली दोक्कापारा मलांगेर नाला के पास	किरन्दुल	हत्या का प्रयास (आईईडी विस्फोट)	—	02	—
नारायणपुर							
47.	07.12.2023	ग्राम गोंगला पिड़ंदीलपर का जंगल	सोनपुर	हत्या	—	—	—
48.	09.12.2023	छोटेडोंगर तारभाठा पारा स्थित विदेसिंह मांझी का खेत।	छोटेडोंगर	हत्या	—	—	—
49.	13.12.2023	छोटेडोंगर अमदईघाटी स्थित बोर पाईट के पास	छोटेडोंगर	हत्या (मुठभेड़/आईईडी विस्फोट)	01	01	—
50.	14.01.2024 कायमी दिनांक 17.01.2024	ग्राम टेकमेटा पहाड़ी	सोनपुर	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)	—	—	—
कांकेर							
51.	14.12.2023	ग्राम परतापुर सड़कटोला मंदिर टेकरी	परतापुर	हत्या	01	—	—
52.	16.01.2024	ग्राम कोंगे और तकिलकोट के मध्य पहाड़ी हाईट 513	छोटेबेटिया	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)	—	—	—


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 गृह विभाग

क्र.	घटना दिनांक	घटना स्थल	थाना	अपराध का प्रकार	शहीद जवान	घायल जवान	मारे गये नक्सली
कबीरधाम							
53.	30.11.2023 कायमी दिनांक 04. 12.2023	ग्राम बहनाखोदरा	चिल्फी	डकैती	—	—	—
गरियाबंद							
54.	25.01.2024	ग्राम सिकासेर झरझरा घनघोर जंगल।	मैनपुर	हत्या का प्रयास (मुठभेड़)	—	—	—
कुल					08	53	08


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 गृह विभाग

पारिशेष्य - चीवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 1384) की जानकारी

प्रपत्र

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में गौण खनिज मद एवं ब्याज मद से प्राप्त राशि व प्रदत्त स्वीकृति के संबंध में जानकारी

राशि लाख में

01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022

क्र	जनपद पंचायत का नाम	गौण खनिज से कितनी राशि प्राप्त हुई है	प्राप्त राशि में अर्जित ब्याज	प्राप्त ब्याज राशि से निर्माण कार्यों की स्वीकृति		शेष ब्याज की राशि
				कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1	अकलतरा	184.82	22.62	-	-	22.62
2	बलौदा	43.72	1.13	-	-	1.13
योग :-			228.54	23.75		23.75

अनुभाग अधिकारी
 कृतीसगढ़ मंत्रालय
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 पंचायत भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
 महानदी

प्रपत्र

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में गौण खनिज मद एवं ब्याज मद से प्राप्त राशि व प्रदत्त स्वीकृति के संबंध में जानकारी

राशि लाख में

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023

क्र	जनपद पंचायत का नाम	गौण खनिज से कितनी राशि प्राप्त हुई है	प्राप्त राशि में अर्जित ब्याज	प्राप्त ब्याज राशि से निर्माण कार्यो की स्वीकृति		शेष ब्याज की राशि
				कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1	अकलतरा	349.55	40.58	-	-	40.58
2	बलौदा	83.89	4.88	-	-	4.88
योग :-		433.44	45.46			45.46

अनुपमा ओझरी
 प्राप्त एवं स्वीकृत राशि
 राशि एवं स्वीकृत राशि
 राशि एवं स्वीकृत राशि

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में गौण खनिज मद एवं ब्याज मद से प्राप्त राशि व प्रदत्त स्वीकृति के संबंध में जानकारी

राशि लाख में

01 अप्रैल 2023 से 31 दिसम्बर 2023

क्र	जनपद पंचायत का नाम	गौण खनिज से कितनी राशि प्राप्त हुई है	प्राप्त राशि में अर्जित ब्याज	प्राप्त ब्याज राशि से निर्माण कार्यो की स्वीकृति		शेष ब्याज की राशि
				कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1	अकलतरा	0.00	31.78	—	—	31.78
2	बलौदा	0.00	3.75	—	—	3.75
योग :-			35.53			35.53

कतुपगं अध्यक्ष (गौण खनिज)
 प्रकाश चंद्र मंडावत
 कतुपगं एवं शांति बिकास विभाग
 मंडावत, मंडावत, मंडावत, मंडावत

पारिशेष - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 1397) की जानकारी

प्रपत्र

प्रश्नांश-‘क’ छत्तीसगढ़ प्रदेश में हत्या व लूट तथा बलात्कार के दर्ज प्रकरण एवं अद्धपर्यंत तक नहीं पकड़े गये प्रकरण की संख्या

वर्ष 2021 से 2023 तक											प्रश्नांश-ख की जानकारी	
क्र०	जिला	हत्या			लूट			बलात्कार				पकड़ से बाहर प्रकरण संख्या
		वर्ष			वर्ष			वर्ष				
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
1	रायपुर	65	75	63	78	110	87	95	114	221	46	
2	बलौदाबाजार	27	28	17	29	30	18	33	21	123	40	
3	महासमुंद	25	22	17	12	17	8	30	22	65	17	
4	धमतरी	16	27	27	10	10	8	23	17	76	17	
5	गरियाबंद	19	19	20	3	5	3	21	28	59	10	
6	दुर्ग	42	39	47	93	61	48	59	76	141	41	
7	बालोद	10	16	13	12	2	4	18	22	58	14	
8	बेमेतरा	22	31	11	5	2	3	25	10	37	3	
9	राजनांदगांव	53	32	21	25	13	3	54	22	44	19	
10	कबीरधाम	19	22	21	12	14	13	26	23	63	25	
11	मोहला-मानपुर	0	12	11	0	2	0	0	9	14	5	
12	खैरागढ़-छुईखदान	0	4	10	0	8	2	0	9	27	3	
13	बिलासपुर	56	54	31	79	37	42	89	218	168	20	
14	रायगढ़	71	68	65	32	33	14	49	75	130	34	
15	कोरबा	41	45	36	22	14	17	52	37	99	30	
16	जांजगीर-चांपा	61	27	30	32	15	21	53	36	94	26	
17	मुंगेली	16	19	9	3	3	4	17	10	67	3	
18	गौरैला-पेण्ड्रा	13	13	12	10	3	3	8	8	39	3	
19	सक्ती	0	21	20	0	3	7	0	30	38	8	
20	सारंगढ़-बिलाईगढ़	0	19	17	0	7	6	0	26	53	9	
21	सरगुजा	69	48	58	33	25	15	67	78	122	13	
22	जशपुर	55	64	71	20	14	8	66	65	118	33	
23	कोरिया	40	13	22	5	5	3	42	19	40	4	
24	बलरामपुर	50	56	49	9	12	7	76	61	157	11	
25	सूरजपुर	41	48	57	7	9	4	63	52	96	9	
26	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी	0	12	17	0	9	9	0	35	83	8	
27	जगदलपुर	31	27	24	2	14	10	44	47	94	15	
28	दन्तेवाड़ा	27	43	25	5	3	1	10	4	25	18	
29	कांकेर	28	27	40	7	6	2	9	9	87	35	
30	बीजापुर	36	36	34	0	2	1	9	9	25	37	
31	नारायणपुर	24	9	22	2	2	1	36	38	21	28	
32	सुकमा	29	19	21	0	0	1	9	10	22	23	
33	कोण्डागांव	19	18	9	3	1	0	9	6	55	17	
34	रेल रायपुर	2	0	0	3	4	4	1	0	3	3	
कुल योग		1007	1013	947	553	495	377	1093	1246	2564	627	

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग

पारोशेष्ट - छप्पन

अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 1407) की जानकारी

प्रपत्र

जिला-बलौदाबाजार भाटापारा में सी.एस.आर. अंतर्गत किये गये कार्यों की जानकारी

क्र.	इकाई का नाम व पता	वर्ष	मदवार/कार्य का नाम	प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)	ब्यय राशि (रु. लाख में)	विकासखण्ड का नाम	वर्तमान स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			जल संसाधन विकास/जल सुविधाएं और पेयजल	41.18	41.18	बलौदाबाजार	पूर्ण	-
			शिक्षा विकास	18.47	18.47		पूर्ण	-
			एकीकृत ग्रामीण विकास व्यय	79.15	79.15	पूर्ण	-	-
			स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विकास	87.45	87.45	पूर्ण	-	-
		2021-22	व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यय	57.36	57.36	भाटापारा	पूर्ण	-
			कृषि विकास	58.01	58.01		पूर्ण	-
			महिला विकास	15.99	15.99	बलौदाबाजार	पूर्ण	-
			सामुदायिक विकास एवं कल्याण व्यय	19.43	19.43		पूर्ण	-
			योग	377.04	377.04			
			जल संसाधन विकास/जल सुविधाएं और पेयजल	106.53	106.53	बलौदाबाजार	पूर्ण	-
			शिक्षा विकास	9.08	9.08		पूर्ण	-
			एकीकृत ग्रामीण विकास व्यय	81.09	81.09	पूर्ण	-	-
			स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विकास	30.34	30.34	पूर्ण	-	-
		2022-23	व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यय	55.09	55.09	भाटापारा	पूर्ण	-
			कृषि विकास	41.99	41.99		पूर्ण	-
			महिला विकास	12.18	12.18	बलौदाबाजार	पूर्ण	-
			सामुदायिक विकास एवं कल्याण व्यय	7.57	7.57		पूर्ण	-
			योग	343.87	343.87			
1	मे. अंबुजा सीमेंट लि. ग्राम-स्वान, बलौदाबाजार							

अनुभाग अधिकारी
बाणिलय एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	इकाई का नाम व पता	वर्ष	मदवार/कार्य का नाम	प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)	व्यय राशि (रु. लाख में)	विकासखण्ड का नाम	वर्तमान स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2023-24	जल संसाधन विकास/जल सुविधाएं और पेयजल शिक्षा विकास	66.04	41.33		अपूर्ण	-
			एकीकृत ग्रामीण विकास व्यय	14.33	13.34	बलौदाबाजार	अपूर्ण	-
			स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विकास	270.00	164.10		अपूर्ण	-
			व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यय	49.52	35.57		अपूर्ण	-
			कृषि विकास	75.00	53.89	भाटापारा	अपूर्ण	-
			महिला विकास	41.73	30.94		अपूर्ण	-
			सामुदायिक विकास एवं कल्याण व्यय	21.24	14.23	बलौदाबाजार	अपूर्ण	-
			योग	10.00	7.23		अपूर्ण	-
				547.86	360.63			
		2021-22	शिक्षा	6.39	6.39		पूर्ण	-
			स्वास्थ्य	31.54	31.54		पूर्ण	-
			आजीविका संवर्धन	47.51	47.51	सिमगा पलारी	पूर्ण	-
			आधारभूत संरचना	142.63	142.63		पूर्ण	-
			समाजिक मुद्दे	11.83	11.83		पूर्ण	-
			योग	239.90	239.90			
			शिक्षा	7.18	7.18		पूर्ण	-
			स्वास्थ्य	26.51	26.51		पूर्ण	-
			आजीविका संवर्धन	41.63	41.63	सिमगा पलारी	पूर्ण	-
			आधारभूत संरचना	96.56	96.56		पूर्ण	-
			समाजिक मुद्दे	21.26	21.26		पूर्ण	-
			योग	193.14	193.14			
			शिक्षा	13.30	13.30			
			स्वास्थ्य	51.50	51.50			
			आजीविका संवर्धन	33.34	33.34	सिमगा पलारी		
			आधारभूत संरचना	117.34	117.34			
			समाजिक मुद्दे	7.90	7.90			
			योग	223.38	223.38			
		2023-24	शिक्षा				पूर्ण	120
			स्वास्थ्य				07 अपूर्ण	प्रगति पर
			आजीविका संवर्धन				59.64	
			आधारभूत संरचना					
			समाजिक मुद्दे					
			योग					

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	इकाई का नाम व पता	वर्ष	मदवार/कार्य का नाम	प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)	ब्यय राशि (रु. लाख में)	विकासखण्ड का नाम	वर्तमान स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (हिरनी सीमेंट वर्क्स) ग्राम-हिरनी, तह. सिमगा	2021-22	शिक्षा	13.00	9.88	सिमगा	पूर्ण	-
			स्वास्थ्य	12.20	24.54		पूर्ण	-
			आजीविका संवर्धन	63.70	60.36		पूर्ण	-
			आधारभूत संरचना	48.00	53.48		पूर्ण	-
			सामाजिक मुद्दे	30.72	14.66		पूर्ण	-
			अन्य (दस्तावेजीकरण एवं फिल्ड मैनुपावर)	23.50	20.02		पूर्ण	-
			योग	191.12	182.94			
		2022-23	शिक्षा	22.00	19.23	सिमगा	पूर्ण	-
			स्वास्थ्य	41.01	36.60		पूर्ण	-
			आजीविका संवर्धन	43.00	42.07		पूर्ण	-
			आधारभूत संरचना	65.00	61.31		पूर्ण	-
			सामाजिक मुद्दे	10.08	9.61		पूर्ण	-
			अन्य (दस्तावेजीकरण एवं फिल्ड मैनुपावर)	31.50	30.45		पूर्ण	-
			योग	212.59	199.27			
	2023-24	शिक्षा	22.60	20.55	सिमगा	पूर्ण, 68.82 अपूर्ण 59.24	प्रगति पर	
		स्वास्थ्य	19.00	10.13				
		आजीविका संवर्धन	47.50	32.92				
		आधारभूत संरचना	70.00	40.11				
		सामाजिक मुद्दे	10.00	8.95				
		अन्य (दस्तावेजीकरण एवं फिल्ड मैनुपावर)	30.90	15.40				
		योग	200.00	128.06				

3

क्र.	इकाई का नाम व पता	वर्ष	मदवार/कार्य का नाम	प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)	व्यय राशि (रु. लाख में)	विकासखण्ड का नाम	वर्तमान स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण का कारण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	मेसर्स श्री सीमेंट लि. ग्राम-खपराडीह, तह.सिमगा,	2021-22	स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पेयजल नाली निर्माण, शौचालय का निर्माण, COVID-19 के अंतर्गत कार्य पर्यावरण संरक्षण - तालाब गहरीकरण महिला सशक्तिकरण-गरीब बच्चियों की शादी कराना, सिलाई का कार्यक्रम। अधोसंरचना - सी सी रोड का निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण, रंगमंच का निर्माण, शीतला मंदिर का निर्माण आदि। सामाजिक एवं संस्कृतिक कार्यों के लिये योगदान - गणेश पूजा, माँ दुर्गा पूजा, दिपावली, पोला, मंडाई मेला, विश्वकर्मा पूजा आदि जिला प्रशासन (कलेक्टर) द्वारा निर्देशित कार्य / राज्य शासन द्वारा निर्देशित कार्य-जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार को COVID-19 के अंतर्गत वेंटीलेटर उपलब्ध करवाए गए, ESI जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार को पेशेंट कुर्सी उपलब्ध करवाए गए, छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिला चिकित्सालयों को नये 200 नग ऑक्सीजन सिलेंडर उपिब्ध करवाये गए। जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार को 14381 नग ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाये गए	23.61 16.54 6.62 38.68 5.84	23.61 16.54 6.62 38.68 5.84	बलौदाबाजार, सिमगा, भाटापारा, कसडोल	पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण	- - - - -	
योग				179.44	179.44				
				शिक्षा - आंगनबाड़ी का जीर्णोधार, स्कूल बिल्डिंग का जीर्णोधार, टॉयलेट बिल्डिंग का निर्माण	9.95	9.95		पूर्ण	-
				स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पेयजल- हेल्थ केंद्र, हॉस्पिटल का रखरखाव, आदि	12.52	12.52		पूर्ण	-
				पर्यावरण संरक्षण - विशव पर्यावरण डे कार्यक्रम, वृक्षा रोपण आदि	2.50	2.50		पूर्ण	-
				महिला सशक्तिकरण गरीब बच्चियों की शादी कराना, सिलाई का कार्यक्रम	5.80	5.80	बलौदाबाजार, सिमगा, भाटापारा, कसडोल	पूर्ण	-
				अधोसंरचना-सी सी रोड का निर्माण, रंगमंच का निर्माण, अहाता निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण, नाली निर्माण, कांजी हाउस	40.35	40.35		पूर्ण	-
2022-23									


 अनुभाग अधिकारी
 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	इकाई का नाम व पता	वर्ष	मदवार/कार्य का नाम	प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)	ब्यय राशि (रु. लाख में)	विकासखण्ड का नाम	वर्तमान स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			सामाजिक एवं संस्कृतिक कार्यों के लिये योगदान - गणेश पूजा, माँ दुर्गा पूजा, दिपावली, पोला, मंडाई मेला, विश्वकर्मा पूजा आदि जिला प्रशासन (कलेक्टर) द्वारा निर्देशित कार्य / राज्य शासन द्वारा निर्देशित कार्य-सामुदायिक भवन का निर्माण, तालाब गहरीकरण, टॉयलेट बिल्डिंग का निर्माण आदि	8.81	8.81		पूर्ण	-
			योग	72.85	72.85		पूर्ण	-
			शिक्षा - आंगनबाड़ी का जीर्णोधार, का जीर्णोधार, स्कूल बिल्डिंग	152.78	152.78			-
			स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पेयजल- हेल्थ केम्प, जागरूकता कार्यम	0.95	0.95		पूर्ण	-
			पर्यावरण संरक्षण - विशव पर्यावरण डे कार्यक्रम,	0.88	0.88		पूर्ण	-
			वृक्षा रोपण महिला सशक्तिकरण-गरीब बच्चियों की शादी कराना, सिलाई का कार्यक्रम	19.08	19.08		पूर्ण	-
			अधोसंरचना सीसी रोड का निर्माण, रंगमंच का निर्माण, अहाता निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण, नाली निर्माण, काजी हाउस का निर्माण आदि	3.43	3.43	बलौदाबाजार, सिमगा, भाटापारा, कसडोल	पूर्ण	-
		2023-24	सामाजिक एवं संस्कृतिक कार्यों के लिये योगदान - गणेश पूजा, माँ दुर्गा पूजा, दिपावली, पोला, मंडाई मेला, विश्वकर्मा पूजा आदि जिला प्रशासन (कलेक्टर) द्वारा निर्देशित कार्य / राज्य शासन द्वारा निर्देशित कार्य 9 सामुदायिक भवन का निर्माण, गार्डन का निर्माण आदि	21.19	21.19		पूर्ण	-
			योग	3.42	3.42		पूर्ण	-
			योग	10.88	10.88		पूर्ण	-
			योग	59.83	59.83			
	मेसर्स न्यू विस्टा लि.ग्राम-रिसदा, तह.बलौदाबाजार,		स्वास्थ्य	43.24	43.24		पूर्ण	-
			शिक्षा	8.16	8.16		पूर्ण	-
			जल एवं स्वच्छता	27.34	27.34		पूर्ण	-
		2021-22	कौशल विकास एवं आजीविका	12.40	12.40	बलौदाबाजार	पूर्ण	-
			खेल एवं संस्कृति	13.43	13.43		पूर्ण	-
			अधोसंरचना विकास	135.24	135.24		पूर्ण	-
			पौधारोपण एवं मेटेनेस	35.67	35.67		पूर्ण	-
			योग	275.48	275.48			

अंशुभा
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	इकाई का नाम व पता	वर्ष	मदवार/कार्य का नाम	प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)	व्यय राशि (रु. लाख में)	विकासखण्ड का नाम	वर्तमान स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		2022-23	स्वास्थ्य	9.34	9.34	बलौदाबाजार	पूर्ण	-
			शिक्षा	15.40	15.40		पूर्ण	-
			जल एवं स्वच्छता	98.38	98.38		पूर्ण	-
			कौशल विकास एवं आजीविका	14.41	14.41		पूर्ण	-
			अधोसंरचना विकास	126.36	126.36		पूर्ण	-
			योग	263.89	263.89			
		2023-24	स्वास्थ्य	2.11	2.11	बलौदाबाजार	पूर्ण	-
			शिक्षा	7.65	7.65		पूर्ण	-
			जल एवं स्वच्छता	69.89	69.89		पूर्ण	-
			कौशल विकास एवं आजीविका	16.74	16.74		पूर्ण	-
			अधोसंरचना विकास	59.88	59.88		पूर्ण	-
			खेल एवं संस्कृति	24.70	24.70		पूर्ण	-
			योग	180.97	180.97			
6	मे0 न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन (मि0) ग्राम-सोनाडीह, तह0बलौदाबाजार,	2021-22	कौशल एवं आजीविका	84.00	7.80	बलौदाबाजार	पूर्ण	-
			शिक्षा		1.74		पूर्ण	-
			जल संचय एवं ग्रामीण अवसंरचना		30.58		पूर्ण	-
			स्वास्थ्य		43.88		पूर्ण	-
			योग		84.00			
			2022-23		कौशल एवं आजीविका		80.00	13.67
		शिक्षा		13.11	पूर्ण	-		
		जल संचय एवं ग्रामीण अवसंरचना		46.42	पूर्ण	-		
		योग		73.20				
					कौशल एवं आजीविका	11.01	11.01	बलौदाबाजार


 अनुभाग अधिकारी
 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	इकाई का नाम व पता	वर्ष	मदवार/कार्य का नाम	प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)	ब्यय राशि (रु. लाख में)	विकासखण्ड का नाम	वर्तमान स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2023-24	शिक्षा	51.00	5.85	बलौदाबाजार, भाटापारा	पूर्ण	-
			जल संचय एवं ग्रामीण अवसंरचना	51.00	25.37	बलौदाबाजार, भाटापारा	पूर्ण	-
			स्वास्थ्य		0.00	बलौदाबाजार	पूर्ण	
			योग	51.00	42.23			2 माह का कार्य शेष
			महायोग	3856.29	3560.05			


 अनुभाग अधिकारी
 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

पारोक्ष - सनतावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 1420) की जानकारी

प्रपत्र

द्वितीय वर्ष 2022-23 में जिला कबीरधाम में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत पंचायतों में स्वीकृत कार्य

क्र. सं.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (राशि लाख रु. में)	कार्य की भौतिक स्थिति		अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा	रिमार्क
						पूर्ण	अपूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कवर्धा	मड़मड़ा	मड़मड़ा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
2	कवर्धा	बंदौरा	बंदौरा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	अपूर्ण	शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा	
3	कवर्धा	नेवारीगुड़ा	दुल्लापुर	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
4	कवर्धा	कान्हाभैरा	कान्हाभैरा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20		-	कार्य स्थल में पानी भराव। तथापि शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा	अप्रारंभ
5	कवर्धा	लखनपुरकला	लखनपुरकला	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
6	कवर्धा	लालपुरकला	लालपुरकला	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
7	कवर्धा	सूखाताल	सूखाताल	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
8	कवर्धा	जरती	जरती	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
9	कवर्धा	खडौदाखुर्द	खडौदाखुर्द	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (भाग-1)	2.60	पूर्ण			
10	कवर्धा	खडौदाखुर्द	खडौदाखुर्द	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (भाग-2)	2.60	पूर्ण			
11	कवर्धा	मानिकचौरी	मानिकचौरी	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
12	कवर्धा	कोको	कोको	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	2.60		अपूर्ण	शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा	
	योग				54.60				
13	बोड़ला	दुर्जनपुर	दुर्जनपुर	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
14	बोड़ला	बांटीपथरा	बांटीपथरा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20		-	कार्य संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन होने के कारण समय बताया जाना संभव नहीं है।	
15	बोड़ला	लब्दा	लब्दा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			

अनुभाग अधिकारी

उत्तरीसख मंत्रालय
संव्यक्त एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

कं.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (राशि लाख रु. में)	कार्य की भौतिक स्थिति		अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा	रिमार्क
						पूर्ण	अपूर्ण		
16	बोड़ला	अंधरीकछार	अंधरीकछार	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20		-	कार्य संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन होने के कारण समय बताया जाना संभव नहीं है।	
17	बोड़ला	कामाडबरी	कामाडबरी	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
18	बोड़ला	मुडघुसरी मैदान	मुडघुसरी मैदान	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
19	बोड़ला	गण्डईखुर्द	गण्डईखुर्द	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
20	बोड़ला	चेन्द्रादादर	चेन्द्रादादर	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20		-	कार्य संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन होने के कारण समय बताया जाना संभव नहीं है।	
21	बोड़ला	भुरसीपकरी	भुरसीपकरी	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
22	बोड़ला	दलदली	दलदली	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
23	बोड़ला	केसमर्दा	केसमर्दा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20		-	कार्य संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन होने के कारण समय बताया जाना संभव नहीं है।	
24	बोड़ला	लरबक्की	लरबक्की	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
25	बोड़ला	आमानार	आमानार	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
26	बोड़ला	कुकरापानी	कुकरापानी	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
27	बोड़ला	छुही	छुही	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
28	बोड़ला	मगरवाडा	मगरवाडा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20		-	कार्य संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन होने के कारण समय बताया जाना संभव नहीं है।	
29	बोड़ला	मुडघुसरी जंगल	मुडघुसरी जंगल	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20		-	कार्य संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन होने के कारण समय बताया जाना संभव नहीं है।	
30	बोड़ला	बोदा 03	बोदा 03	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			

कं.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (राशि लाख रु. में)	कार्य की भौतिक स्थिति		अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा	रिमार्क
						पूर्ण	अपूर्ण		
31	बोड़ला	सिंघारी	सिंघारी	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
32	बोड़ला	खडौदाखुर्द	खडौदाखुर्द	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
33	बोड़ला	बोरिया	बोरिया	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
34	बोड़ला	खण्डसरा	खण्डसरा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
35	बोड़ला	मड़मड़ा	मड़मड़ा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
36	बोड़ला	कबराटोला	कबराटोला	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
37	बोड़ला	महली	महली	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
38	बोड़ला	खरिया	खरिया	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
39	बोड़ला	बैरख	बैरख	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
40	बोड़ला	चोरमट्टी	चोरमट्टी	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
41	बोड़ला	भीरा	भीरा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
42	बोड़ला	ढोलबज्जा	ढोलबज्जा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
43	बोड़ला	बोदलाकला	बोदलाकला	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
44	बोड़ला	तरेगांव मैदान	तरेगांव मैदान	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
45	बोड़ला	बोककरखार	बोककरखार	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
46	बोड़ला	गण्डईकला	गण्डईकला	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
47	बोड़ला	खडौदाकला	खडौदाकला	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
48	बोड़ला	सारंगपुरकला	सारंगपुरकला	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
49	बोड़ला	भरेली	भरेली	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
50	बोड़ला	बैहरसरी	बैहरसरी	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
51	बोड़ला	मानिकपुर	मानिकपुर	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		
52	बोड़ला	घोंघा	घोंघा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण	पूर्ण		

क्र. सं.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (राशि लाख रु. में)	कार्य की भौतिक स्थिति		अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा	टिप्पणियाँ
						पूर्ण	अपूर्ण		
53	बोड़ला	मिनमिनिया मैदान	मिनमिनिया मैदान	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
54	बोड़ला	बाघूटोला	बाघूटोला	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
55	बोड़ला	चिखली	चिखली	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
56	बोड़ला	जेवडनकला	जेवडनकला	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
57	बोड़ला	तारो	तारो	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
58	बोड़ला	बहनाखेदरा	बहनाखेदरा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण		शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा	
59	बोड़ला	शंभूपीपर	महलीघाट	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.20	पूर्ण			
	योग				244.40				
60	पण्डरिया	डोंगरिया कला	डोंगरिया कला	सी.सी.रोड निर्माण	5.20	पूर्ण			
61	पण्डरिया	महली	महली	सी.सी.रोड निर्माण	5.20	पूर्ण			
62	पण्डरिया	दमगढ़	दमगढ़	सी.सी.रोड निर्माण (मोहल्ला उपका में सोनसिंह के घर से पनकू घर तक)	5.20	पूर्ण			
63	पण्डरिया	डबरी	डबरी	सी.सी.रोड निर्माण (माखन घर से राजकूमर निर्मलकर घर तक)	5.20	पूर्ण			
64	पण्डरिया	रेंगाबोड़	बनियाकूबा	सी.सी.रोड निर्माण (मैन रोड से लक्ष्मण चंद्राकर घर तक)	5.20	पूर्ण			
65	पण्डरिया	डोमसरा	डोमसरा	सी.सी.रोड निर्माण (मैन रोड से प्रतिमा पटेल घर तक)	5.20	पूर्ण			
66	पण्डरिया	नारौली	नारौली	सी.सी.रोड निर्माण (मैन रोड से तालाब तक)	5.20	पूर्ण			
67	पण्डरिया	किशुनगढ़	किशुनगढ़	सी.सी.रोड निर्माण (मैन रोड से थानू चंद्राकर घर तक)	5.20	पूर्ण			
68	पण्डरिया	नानापुरी	नानापुरी	सी.सी.रोड निर्माण (मुख्य मार्ग से खगेश घर तक)	5.20	पूर्ण			
	योग				46.80				
	कुलयोग				345.80				

अनुभाग अधिकारी

छत्तीसगढ़ संकल्प

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

पारिशेष्य - अनठावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 1421) की जानकारी

प्रपत्र

राजनांदगांव जिले में औद्योगिक इकाइयों द्वारा सी.एस.आर. मद में किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण

क्र.	इकाई का नाम व पता	कार्य का विवरण	कार्य स्थल	वर्षवार व्यय की गयी राशि (लाख में)		
				2021-22	2022-23	2023-24 (15 जनवरी 2024 तक)
1	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट (इंडिया) प्रा. लि., ग्राम- इंदामारा पो. पण्डी तह. व जिला - राजनांदगांव	3	4	5	6	7
1	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट (इंडिया) प्रा. लि., ग्राम- इंदामारा पो. पण्डी तह. व जिला - राजनांदगांव	प्राथमिक शिक्षा का प्रोत्साहन, ग्रामीण विकास स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान	छत्तीसगढ़ राज्य- इंदमारा, रामाटोला, रायपुर, मिलार्ड, बिडोरा, गंडई, चौकी, कवर्धा, राजनांदगांव, अर्जुनी, डोंगरगांव अन्य राज्य- राजपुरा, अमेठी	510.00	640.94	738.59
2	मेसर्स क्रेस्ट स्टील एवं पावर प्रा.लि. ग्राम- जोरातराई पो. मनगटा तह. व जिला - राजनांदगांव	1/ शिक्षा 2/ स्वास्थ्य 3/ धार्मिक कार्य 4/ खेलकूद 5/ जन सामान्य हेतु कार्य 6/ पर्यावरण	मनगटा जोरातराई, मनगटा, रसमड़ा, गनियारी, खपरी अंजोरा, जोरातराई, मनगटा, रसमड़ा गनियारी, खपरी खपरी रसमड़ा मनगटा, जोरातराई, राजनांदगांव	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.20 0.50 0.69 0.26 3.25 0.88	1.37 0.00 0.35 0.21 0.00 0.25
			योग :-	510.00	647.72	740.77

दिनांक

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर

परिशेष - उन्सठ

अतरांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 1422) की जानकारी

प्रपत्र

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों/उद्योगों को लाभान्वित जानकारी

क्र.	जिले का नाम	वर्ष	औद्योगिक इकाई/हितग्राहियों का नाम व पता	वर्ग	उत्पाद का नाम	नीति/योजना का नाम	अनुदान का नाम	वितरित राशि (रु. लाख में)
1	राजनांदगांव	2021-22	मेसर्स श्री साई कृपा लघु उद्योग, तिलई, तह0 व जिला-राजनांदगांव प्रो. शशिबाई देवांगन	अन्य पिछड़ा वर्ग	पेपर कप	औ.नीति 2014-19	ब्याज अनुदान	26.89
2			मेसर्स आनन्दम इन्टरप्राइजेस, ग्राम- बनभेड़ी, तह0 व जिला-राजनांदगांव प्रो. आनन्द देवांगन	अन्य पिछड़ा वर्ग	फलाई एश ब्रिक्स	औ.नीति 2014-19	ब्याज अनुदान	27.19
3			मेसर्स हर्ष इन्टरप्राइजेस, ग्राम-बरगांव, तह0-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव प्रो. हर्ष साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग	पेपर कप	औ.नीति 2014-19	ब्याज अनुदान	5.50
4			मेसर्स सत्यनारायण पोहा उद्योग ग्राम-भेड़ीकला, तह0 व जिला- राजनांदगांव प्रो. सत्यनारायण साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग	पोहा मिल	औ.नीति 2014-19	ब्याज अनुदान	3.68
5			मेसर्स उमंग पोहा उद्योग, ग्राम-मलपुरी, तह0 व जिला-राजनांदगांव प्रो. सोहन लाल देवांगन	अन्य पिछड़ा वर्ग	पोहा मिल	औ.नीति 2014-19	ब्याज अनुदान	2.89
6			मेसर्स मां परमेश्वरी राईस मिल, ग्राम- चारमांठा, तह0-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव प्रो. जितेन्द्र देवांगन	अन्य पिछड़ा वर्ग	राईस मिल	औ.नीति 2014-19	ब्याज अनुदान	3.85
7			मेसर्स मां वैष्णव ब्रिक्स, ग्राम-धर्मापुर, तह0 व जिला- राजनांदगांव प्रो. आराधना साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग	फलाई एश ब्रिक्स	औ.नीति 2014-19	ब्याज अनुदान	2.24
8			मेसर्स डीकॉन्स कॉप साईस प्रा0लिमि0, ग्राम-घोरदा, तह0-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव डाय. नेहरू सोनकर एवं अन्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	फर्टिलाइजर	औ.नीति 2014-19	ब्याज अनुदान	2.99

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	जिले का नाम	वर्ष	औद्योगिक इकाई/हितग्राहियों का नाम व पता	वर्ग	उत्पाद का नाम	नीति/योजना का नाम	अनुदान का नाम	वितरित राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9			मेसर्स सत्यमवायर इण्डस्ट्रीज, तुमडीबोड़ तह0-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव प्रो. प्रेमशीला यादव	अन्य पिछड़ा वर्ग	वायर प्रोडक्ट	औ.नीति 2014-19	ब्याज अनुदान	4.33
10			मेसर्स कमल राईस मिल, ग्राम-महराजपुर, तह0-छुरिया, जिला-राजनांदगांव प्रो. कमल साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग	राईस मिल	औ.नीति 2014-19	ब्याज अनुदान	1.26
11			मेसर्स श्री मोती राईस मिल, ग्राम-सिंगारपुर, तह0-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव प्रो. सुनीता सिन्हा	अन्य पिछड़ा वर्ग	राईस मिल	औ.नीति 2014-19	ब्याज अनुदान	2.17
12			योगेश कुमार पता- बगदिपारा गांव -अचोली, डोंगरगाड़ जिला राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	मसाला उद्योग	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	1.05
13			कुलेश कुमार देवांगन पता- रामतोला तह- डोंगरगाड़ जिला- राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	स्टील बर्तन उत्पादन	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	1.47
14			बालवान साहू पता- मकान नं. 350, वार्ड नं. 30 मठपारा, राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	फेब्रिकेशन कार्य	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	2.50
15			भागवंदिन साहू पता- ग्राम-अछोली, तह- डोंगरगाड़, जिला-राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	सीमेंट ब्लॉक	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	3.50
16			भगवान चौधरी पता- वार्ड नं.-14, तह- डोंगरगाड़, जिला-राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	डेयरी प्रोडक्ट्स	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	1.75
17			निर्मल कुमार चंद्रवंशी पता- ग्राम-कनेरी, कोठिटोला, तह-छुरिया, जिला -राजनांदगांव	अनुसूचित जनजाति	बारबेड वायर	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	1.75
18			शांक नशिने पता- ग्राम-कर्वी, तह-डोंगरगाड़, जिला-राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	डेयरी प्रोडक्ट्स	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	3.50

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	जिले का नाम	वर्ष	औद्योगिक इकाई/हितग्राहियों का नाम व पता	वर्ग	उत्पाद का नाम	नीति/योजना का नाम	अनुदान का नाम	वित्तस्थिति राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19			भीषम चक्रधारी पता- मकान नं.-03, वार्ड नं.45, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	पलाई ऐश ब्रिक्स	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	8.75
20			खेमिन बाई पता- मकान नं.-191, वार्ड नं.-09, ग्राम-बिजेतला, जिला-राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	राईस मिल	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	8.75
21			नारायण सिन्हा पता- ग्राम-बेलगांव, जटकन्हार, जिला-राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	सीमेंट ब्लॉक	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	2.50
22			प्रतिक देवांगन पता- मकान नं.-27, वार्ड नं. 38, दुर्गा चौक, राजनांदगांव, जिला- राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	एल.ईडी. बल्ब निर्माण	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	2.50
23			जितेंद्र कुमार देवांगन पता- ग्राम-मेधा, तह-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	फर्नीचर निर्माण	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	1.93
24			गजेंद्र कुमार कोरम पता- ग्राम-मक्काटोला, तह-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव	अनुसूचित जनजाति	अगरबत्ती निर्माण	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	1.23
25			भानुप्रताप साहू पता- मकान नं.-52, वार्ड नं.-03, बड़भुम राजा खुज्जी, तह-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	फेब्रिकेशन कार्य	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	8.75
26			भीजेश्वर प्रसाद महोबिया पता- मकान नं 63/2, ग्राम- खपरीखुर्द, जिला-राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	चूना पत्थर निर्माण	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	4.24
27			जिवन लाल साहू पता- मकान नं-84, ग्राम-जरही, जिला-राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	फेब्रिकेशन कार्य	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	0.74
28			कोमल चंद वर्मा पता- मकान नं.-56 वार्ड नं-14, ग्राम-कन्हारपुरी, तह व जिला-राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	केटल फीड	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	8.75
29			छत्रपाल वर्मा पता- ग्राम-पेलान्दुर, पो-मोहरा, तह-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	मसाला उद्योग	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	3.50

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	जिले का नाम	वर्ष	औद्योगिक इकाई/हितग्राहियों का नाम व पता	वर्ग	उत्पाद का नाम	नीति/योजना का नाम	अनुदान का नाम	वितरित राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	राजनांदगांव	2022-23	मेसर्स साई कृपा लघु उद्योग, ग्राम-तिलई, तह. व जिला-राजनांदगांव, प्रो0 श्रीमती शशी बाई देवांगन	अन्य पिछड़ा वर्ग	पेपर कप, पेपर नेपकीन	औ. नीति 2014-19	स्थाई पूंजी निवेश अनुदान	9.00
31			मेसर्स मोती राईस मिल, ग्राम-सिंगारपुर, अजुनी, जिला-राजनांदगांव, प्रो. श्रीमती सुनीता सिन्हा	अन्य पिछड़ा वर्ग	राईस मिल	औ. नीति 2014-19	स्थाई पूंजी निवेश अनुदान	37.87
32			मेसर्स हर्ष इंटरप्राईजेस, गाम-बरगाव, तह. डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव, प्रो0 हर्ष कुमार साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग	पेपर प्लेट	औ. नीति 2019-24	स्थाई पूंजी निवेश अनुदान	10.33
33			मेसर्स माइक्रोटेक्नोकम इक्यूपमेंट प्रा. लि., ग्राम-जोरातराई, तह. व जिला-राजनांदगांव, डायरेक्टर श्री रमेश कुमार एवं अन्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	लिपिंग इक्विपमेंट	औ. नीति 2019-24	स्थाई पूंजी निवेश अनुदान	60.00
34			मेसर्स साई कृपा इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जोरातराई, तह. व जिला-राजनांदगांव, पार्टनर-श्री प्रदीप कुमार धुव एवं अन्य	अनुसूचित जनजाति	इलेक्ट्रिक रेल विलप	औ. नीति 2019-24	स्थाई पूंजी निवेश अनुदान	35.00
35			मेसर्स कमल राईस मिल, ग्राम-महाराजपुर, तह. छुरिया, जिला-राजनांदगांव, प्रो0 श्री कमल कुमार साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग	राईस मिल	औ. नीति 2019-24	स्थाई पूंजी निवेश अनुदान	25.40
36			मेसर्स साई कृपा इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जोरातराई, तह0 व जिला राजनांदगांव प्रो. प्रदीप कुमार धुव व अन्य	अनुसूचित जनजाति	फ्लाई एश ब्रिक्स	औ. नीति 2019-24	ब्याज अनुदान	3.86
37			मेसर्स माइक्रो टेक्नोकैम इक्विपमेंट, प्रा0लिमि0, ग्राम-जोरातराई, तह0 व जिला-राजनांदगांव डायरेक्टर रमेश कुमार एवं अन्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	लिपिंग इक्विपमेंट	औ. नीति 2019-24	ब्याज अनुदान	1.12
38			मेसर्स मां वैष्णव ब्रिक्स, ग्राम-धर्मापुर, तह0 व जिला-, राजनांदगांव प्रो. आराधना साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग	फ्लाई एश ब्रिक्स	औ. नीति 2014-19	ब्याज अनुदान	0.51

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	जिले का नाम	वर्ष	औद्योगिक इकाई/हितग्राहियों का नाम व पता	वर्ग	उत्पाद का नाम	नीति/योजना का नाम	अनुदान का नाम	वितरित राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39			मेसर्स मां परमेश्वरी राईस मिल, ग्राम-चारभांठा, तह0-डोंगरगढ़, राजनांदगांव प्रो. जितेन्द्र देवांगन	अन्य पिछड़ा वर्ग	राईस मिल	औ. नीति 2014-19	ब्याज अनुदान	1.79
40			मेसर्स हर्ष इन्टरप्राइजेस, ग्राम-बरगांव, तह0-डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगांव प्रो. हर्ष साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग	पेपर कप	औ. नीति 2014-19	ब्याज अनुदान	0.17
41			सनी देवांगन पता- ग्राम-लाल बहादुर नगर, तह-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	खाद्य उद्योग	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	3.50
42			सावित्री महिपाल पता- ग्राम-धारा, तह-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव	अनुसूचित जाति	मसाला उद्योग	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	3.50
43			रामेंद्र उइके पता- ग्राम-भालुकोन्हा, बागरेकसा, तह-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव	अनुसूचित जनजाति	अगरबत्ती निर्माण	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	1.05
44			तोशन साहू पता- ग्राम-मुरमंदा, तह-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	फैब्रिकेशन कार्य	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	1.73
45			लोमस कुमार देवांगन पता- ग्राम-भेड़ीकला, तह व जिला-राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	राईस मिल	पीएमईजीपी	मार्जिन मनी अनुदान	9.08
46			श्रीमती हेमा साहू, पति श्री मनोज साहू, ग्राम बिरेंझर, पो. मनगटा जिला राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	फेंसिंग तार जाली निर्माण	एमएमवायएसव	मार्जिन मनी अनुदान	0.50
47			रूपेन्द्र वर्मा पता ग्राम बोदला, तह. व जिला राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	पशु चारा	पीएमएफएमई	क्रेडिट लिंकड सॉल्यूडी	10.00

अनुभाग राधिकारी
 वाणिज्य एवं सहयोग विभाग
 ए.पी.सी.ए. मंत्रालय रायपुर

क्र.	जिले का नाम	वर्ष	औद्योगिक इकाई/हितग्राहियों का नाम व पता	वर्ग	उत्पाद का नाम	नीति/योजना का नाम	अनुदान का नाम	वितरित राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48			दीपीका साहू पता ग्राम दीवानभेडी, तह. डोंगरगांव जिला राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	गुड़	पीएमएफएमई	केडिट लिंकड सब्सिडी	2.80
49			सोहनलाल देवांगन पता ग्राम मलपुरी तह. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	चावल उत्पाद पापड़	पीएमएफएमई	केडिट लिंकड सब्सिडी	10.00
50	राजनांदगांव	2023-24 (1 अप्रैल 2023 से 30.01.2024 तक)	मेसर्स मों वैष्णव फलाई ऐश ब्रिक्स, ग्राम-धर्मापुर, तह. व जिला-राजनांदगांव, प्रो. श्रीमती आराधना साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग	फलाई ऐश ब्रिक्स	औ.नीति 2019-24	स्थाई पूंजी निवेश अनुदान	5.30
51			मेसर्स मनोहर इण्डस्ट्रीज, ममता नगर, औद्योगिक क्षेत्र, प्लॉट नं. 31, राजनांदगांव, प्रो. श्री नवीन कुमार जायसवाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	फेब्रिकेशन वर्क	औ.नीति 2019-24	स्थाई पूंजी निवेश अनुदान	18.53
52			मेसर्स मनोहर इण्डस्ट्रीज, औ0सं0- राजनांदगांव व जिला-राजनांदगांव प्रो. नवीन जायसवाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	फेब्रिकेशन वर्क	औ.नीति 2019-24	ब्याज अनुदान	0.76
53			मेसर्स भगवती लछु उद्योग ग्राम-तिलई तह व जिला- राजनांदगांव प्रो. मंजू देवांगन	अन्य पिछड़ा वर्ग	पेपर कप	औ.नीति 2019-24	ब्याज अनुदान	0.57
54			मेसर्स मां वैष्णव ब्रिक्स धर्मापुर, तह0-व जिला-राजनांदगांव प्रो. आराधना साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग	फलाई ऐश ब्रिक्स	औ.नीति 2014-19	ब्याज अनुदान	0.14
55			मेसर्स मां परमेश्वरी राईस मिल, ग्राम- चारभाठा, तह0- डोंगरगढ़ व जिला- राजनांदगांव प्रो. जितेन्द्र देवांगन	अन्य पिछड़ा वर्ग	राईस मिल	औ.नीति 2014-19	ब्याज अनुदान	0.57
56			मेसर्स शंकरा फलाई ऐश ब्रिक्स ग्राम-डीलापहरी तह व जिला-राजनांदगांव प्रो. राजू राम	अनुसूचित जाति	फलाई ऐश ब्रिक्स	औ.नीति 2019-24	ब्याज अनुदान	0.29

अनुभाग आधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर

क्र.	जिले का नाम	वर्ष	औद्योगिक इकाई / हितग्राहियों का नाम व पता	वर्ग	उत्पाद का नाम	नीति / योजना का नाम	अनुदान का नाम	वितरित राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57			मेसर्स अदविका क्रियेटर्स ग्राम-डुमरडीह खुर्द तह व जिला-राजनांदगांव प्रो. सुधा वर्मा	अन्य पिछड़ा वर्ग	सेनेटरी पैड	औ. नीति 2019-24	ब्याज अनुदान	2.32
58			मेसर्स सानवी एग्रो एंड इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ग्राम-बरगांव, तह. डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव प्रो. दीपीका साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग	एग्रीकल्चर इक्वूपमेंट	औ. नीति 2019-24	ब्याज अनुदान	0.59
59			मेसर्स कमल राईस मिल, ग्राम-महाराजपुर, तह0-छुरिया व जिला-राजनांदगांव प्रो. कमल साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग	राईस मिल	औ. नीति 2019-24	ब्याज अनुदान	0.50
योग :-								406.89


 अनुभागीय अधिकारी
 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
 छत्तीसगढ़ न्यायालय रायपुर

पारिशेष - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 1430) की जानकारी

प्रपत्र-अ

(राजनांदगांव जिले को अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण मद से प्राप्त राशि)

01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक

जिला राजनांदगांव, जिले को अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण मद से प्राप्त राशि

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	प्राधिकरण मद से प्रदाय राशि (लाख में)	प्राप्त राशि का उपयोग कितने कार्यों के लिए किया गया	कितने कार्य पूर्ण है	कितने कार्य अपूर्ण है
1	2	3	4	5	6	7
जिला-राजनांदगांव						
1	2021-2022	राजनांदगांव	184.950	27	27	0
2	2021-2022	डोंगरगांव	168.880	41	41	0
3	2021-2022	डोंगरगढ़	79.250	21	21	0
4	2021-2022	छुरिया	103.700	16	16	0
योग:-			536.780	105	105	0
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई						
1	2021-2022	छुईखदान	19.500	4	4	0
2	2021-2022	खैरागढ़	20.000	3	3	0
योग:-			39.500	7	7	0
जिला-मानपुर-मोहला-अं.चौकी						
1	2021-2022	अं.चौकी	11.500	2	2	0
2	2021-2022	मोहला	11.500	2	2	0
3	2021-2022	मानपुर	13.000	1	1	0
योग:-			36.000	5	5	0
महायोग:-			612.280	117	117	0

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

संचालक

पंचायत संचालनालय,
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटलनगर

प्रपत्र-ब

(राजनांदगांव जिले को अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण मद से प्राप्त राशि)

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक

जिला राजनांदगांव, जिले को अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण मद से प्राप्त राशि

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	प्राधिकरण मद से प्रदाय राशि (लाख में)	प्राप्त राशि का उपयोग कितने कार्यों के लिए किया गया	कितने कार्य पूर्ण है	कितने कार्य अपूर्ण है
1	2	3	4	5	6	7
जिला-राजनांदगांव						
1	2022-2023	राजनांदगांव	267.930	52	2	50
2	2022-2023	डोंगरगांव	461.950	98	14	84
3	2022-2023	डोंगरगढ़	470.000	97	6	91
4	2022-2023	छुरिया	136.500	24	3	21
योग:-			1336.380	271	25	246
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई						
1	2022-2023	छुईखदान	270.200	103	30	73
2	2022-2023	खैरागढ़	264.848	90	26	64
योग:-			535.048	193	56	137
जिला-मानपुर-मोहला-अं.चौकी						
1	2022-2023	अं.चौकी	65.500	12	3	9
2	2022-2023	मोहला	60.000	25	25	0
3	2022-2023	मानपुर	46.000	9	8	1
योग:-			171.500	46	36	10
महायोग:-			2042.928	510	117	393

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
राज्य भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

संचालक

पंचायत संचालनालय,
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटलनगर

प्रपत्र-स

(राजनांदगांव जिले को अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण मद से प्राप्त राशि)

01 अप्रैल 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक

जिला राजनांदगांव, जिले को अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण मद से प्राप्त राशि

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	प्राधिकरण मद से प्रदाय राशि (लाख में)	प्राप्त राशि का उपयोग कितने कार्यों के लिए किया गया	कितने कार्य पूर्ण है	कितने कार्य अपूर्ण है
1	2	3	4	5	6	7
जिला-राजनांदगांव						
1	2023-2024	राजनांदगांव	138.000	21	0	21
2	2023-2024	डोंगरगांव	300.200	83	9	74
3	2023-2024	डोंगरगढ़	353.450	78	2	76
4	2023-2024	छुरिया	148.100	24	0	24
योग:-			939.750	206	11	195
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई						
1	2023-2024	छुईखदान	129.000	17	0	17
2	2023-2024	खैरागढ़	37.500	25	0	25
योग:-			166.500	42	0	42
जिला-मानपुर-मोहला-अं.चौकी						
1	2023-2024	अं.चौकी	0.000	0	0	0
2	2023-2024	मोहला	103.500	6	0	6
3	2023-2024	मानपुर	10.500	2	0	2
योग:-			114.000	8	0	8
महायोग:-			1220.250	256	11	245


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - इकसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 1446) की जानकारी

ii =&V

प्रश्नांक "क" के अनुसार वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वार्षिक संधारण / नवीनीकरण कार्य के तहत स्वीकृत राशि एवं ग्राम वार विवरण :-

सं.क्र.	विकासखंड	वर्ष	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत राशि लाख में	सड़क में आने वाले ग्राम का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	मालखरौदा	2021-22	पोता से बड़ेपरमुड़ा	2.00	28.22	पोता बड़ेपरमुड़ा
2	मालखरौदा	2021-22	सेरो से अण्डा	5.50	79.71	सेरो अण्डा
3	डमरा	2021-22	छुईपाली से कटेकोनी बड़े	5.10	76.97	कलमी नवागांव
4	मालखरौदा	2022-23	कलमी से नवागांव	4.86	102.91	पुरेनाबुधा
5	मालखरौदा	2022-23	सारसडोल से मठोरा	1.65	36.67	सारसडोल मठोरा
6	मालखरौदा	2022-23	चरौदा से लिमगांव	2.50	54.75	चरौदा लिमगांव
7	मालखरौदा	2022-23	मेन रोड से चारपारा	1.56	34.13	चारपारा
8	मालखरौदा	2022-23	मेन रोड से बरपाली	1.50	67.46	बरपाली
9	मालखरौदा	2022-23	मेन रोड से सपिया	3.10	95.36	सपिया
10	मालखरौदा	2022-23	टी 01 से बोकरेल	3.30	94.07	बोकरेल

अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

सं.क्र.	विकासखंड	वर्ष	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत राशि लाख में	सड़क में आने वाले ग्राम का नाम
1	2	3	4	5	6	7
11	मालखरौदा	2022-23	हरदी से बसंतपुर	3.30	100.68	हरदी बसंतपुर
12	डभरा	2022-23	एल 044 से पुरेनाबुधा	2.40	56.87	सुखदा
13	डभरा	2022-23	मुक्ता से बिनोधा	2.00	47.19	मुक्ता बिनोधा
14	डभरा	2022-23	पुटीडीह से भेडीकोना	4.10	95.87	पुटीडीह भेडीकोना
15	डभरा	2022-23	टी 03 से राधापुर	2.63	57.39	राधापुर
16	डभरा	2022-23	नवापारा से केनामांठा	0.66	14.75	नवापारा केनामांठा
17	डभरा	2022-23	टी 03 से कोमो	1.81	40.95	कोमो
18	डभरा	2022-23	टी 03 से खोरसिया	1.90	41.39	खोरसिया
19	डभरा	2022-23	कांसा से कटौद	6.40	137.68	कांसा कटौद
20	डभरा	2022-23	टी 02 से शंकरपाली	1.47	33.37	शंकरपाली
21	डभरा	2022-23	टी 02 से पुरेनातेली	1.53	34.73	पुरेनातेली
22	डभरा	2022-23	टी 03 से बिलाईगढ़	1.67	39.86	बिलाईगढ़

सं.क्र.	विकासखंड	वर्ष	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत राशि लाख में	सड़क में आने वाले ग्राम का नाम
1	2	3	4	5	6	7
23	डमरा	2022-23	बिलाईगढ़ से बरमांठा	5.05	110.17	बिलाईग बरमांठा
24	डमरा	2022-23	मड़वा से सिरौली	2.63	49.23	मड़वा सिरौली
25	डमरा	2022-23	मेड़ापाली से भजपुर	2.20	45.22	मेड़ापाली भजपुर
26	डमरा	2022-23	टी 02 से डूमरपाली	2.30	50.49	डूमरपाली
27	डमरा	2022-23	टी 04 से नवापारा	2.50	59.82	नवापारा
28	डमरा	2022-23	टी 05 से धौरामांठा	2.80	60.72	धौरामांठा
29	डमरा	2022-23	टी 05 से ठाकुरपाली	2.10	51.55	ठाकुरपाली
30	डमरा	2022-23	डमरा साराडीह रोड से उपनी	2.50	72.85	साराडीह उपनी
31	डमरा	2022-23	मेन रोड से अमलीपाली	1.40	41.15	अमलीपाली
32	डमरा	2022-23	टी 05 से बिजनी	2.20	66.25	बिजनी
33	डमरा	2022-23	मेन रोड से खैरमुड़ा	3.50	93.39	खैरमुड़ा
34	डमरा	2022-23	मेन रोड से साल्हे	8.50	245.82	साल्हे

सं.क्र.	विकासखंड	वर्ष	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत राशि लाख में	सड़क में आने वाले ग्राम का नाम
1	2	3	4	5	6	7
35	डभरा	2023-24	मेन रोड से गाड़ामोर	2.55	44.12	गाड़ामोर
36	डभरा	2023-24	मेन रोड से खैरा	3.93	80.04	खैरा
37	डभरा	2023-24	सुखापाली से केवलाझार	2.05	38.66	सुखापाली केवलाझार
38	डभरा	2023-24	मेन रोड से बोरसी	2.89	57.58	बोरसी
39	मालखरौदा	2023-24	मेन रोड से बुन्देली	3.14	59.70	बुन्देली
योग :-				113.18	2597.75	


अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 मन्नानवी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना की सड़कों में स्वीकृत नवीनीकरण कार्य की ग्राम एवं सड़कवार जानकारी

(राशि लाख रु. में)

स.क्र.	ग्राम का नाम	सड़क का नाम	स्वीकृत राशि			
			निर्माण	संधारण	कंटेन्जेंसी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	किरकार, चरौदी	किरकारी (किरकार) से चरौदी	22.31	6.83	0.19	29.32
2	सिंधरा, बेल्हाडीह	सिंधरा से बेल्हाडीह सड़क निर्माण	53.53	9.95	0.45	63.93
3	घुघरी, बिलाईगढ़	घुघरी से बिलाईगढ़	39.39	13.07	0.33	52.79
4	लटसेरा, परसापाली	लटसेरा से परसापाली	15.74	5.68	0.13	21.55
5	गिरगिरा, बघनीपाली	गिरगिरा से बघनीपाली	21.28	6.76	0.18	28.22
		योग	152.25	42.29	1.28	195.81

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

पारिशेष्ट - बेंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 1453) की जानकारी

प्रपत्र-“अ”

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राही

क्र.	वित्तीय वर्ष	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	निकाय का नाम	पात्र हितग्राहियों की संख्या
1	2020-21 (01.01.2021 से 31.03.2021 तक)	रायगढ़	रायगढ़	नगर पालिक निगम, रायगढ़	0
2	2021-22				296
3	2022-23				221
4	2023-24 (31 जनवरी, 2024 तक)				78
	योग				595
1	2020-21 (01.01.2021 से 31.03.2021 तक)			नगर पंचायत, किरोड़ीमलनगर	0
2	2021-22				162
3	2022-23				152
4	2023-24 (31 जनवरी, 2024 तक)				67
	योग				381
1	2020-21 (01.01.2021 से 31.03.2021 तक)		खरसिया	नगर पालिका परिषद, खरसिया	0
2	2021-22				226
3	2022-23				419
4	2023-24 (31 जनवरी, 2024 तक)				81
	योग				726
1	2020-21 (01.01.2021 से 31.03.2021 तक)		पुसौर	नगर पंचायत पुसौर	0
2	2021-22				31
3	2022-23				202
4	2023-24 (31 जनवरी, 2024 तक)				40
	योग				273
1	2020-21 (01.01.2021 से 31.03.2021 तक)	घरघोड़ा	नगर पंचायत घरघोड़ा	0	
2	2021-22			215	
3	2022-23			228	
4	2023-24 (31 जनवरी, 2024 तक)			112	
	योग			555	

h

क्र.	वित्तीय वर्ष	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	निकाय का नाम	पात्र हितग्राहियों की संख्या
1	2020-21 (01.01.2021 से 31.03.2021 तक)	रायगढ़	लैलूंगा	नगर पंचायत, लैलूंगा	0
2	2021-22				41
3	2022-23				62
4	2023-24 (31 जनवरी, 2024 तक)				36
	योग				139
1	2020-21 (01.01.2021 से 31.03.2021 तक)	रायगढ़	धरमजयगढ़	नगर पंचायत, धरमजयगढ़	0
2	2021-22				95
3	2022-23				757
4	2023-24 (31 जनवरी, 2024 तक)				419
	योग				1271
महायोग					3940


 प्रोजेक्ट मैनेजर (PMAY-U)
 सह अधीक्षण अभियंता,
 राज्य शहरी विकास अभिकरण
 नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र-ब

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1453, माननीय श्री उमेश पटेल, सदस्य विधानसभा

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड	2020-21 से प्रश्नांकित अवधि तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास सॉफ्ट के अनुसार पात्र हितग्राहियों की संख्या
1	रायगढ़	धरमजयगढ़	18488
2		घरघोड़ा	5643
3		खरसिया	11999
4		लैलूंगा	14072
5		पुसौर	15146
6		रायगढ़	15566
7		तमनार	4938
कुल			85852

(सुधीर कुमार तिवारी)
 कार्यपालन अभियंता
 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
 विकास भवन, नवा रायपुर अटल नगर

परिशेष - तेरसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 58 (क्र. 1458) की जानकारी

प्रपत्र -अ

संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2021-22 से दिनांक 20 जनवरी 2024 तक सड़कों के संधारण अवधि में रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के लिये दी गई राशि की वर्षवार जानकारी

स.क्र.	विधानसभा का नाम	विकास खण्ड	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	मरम्मत / संधारण हेतु प्राप्त आबंटन राशि (लाख में)	एजेंसियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7
वित्तीय वर्ष 2021 - 22						
निर्माण पश्चात् नियमित संधारण अंतर्गत (Under 05 Years)						
1	संजारी बालोद	गुरुर	बोहारडीह दर्रा से फागुनदाह मार्ग	8.60	4.80	मेसर्स मित्तल कंसट्रक्सन दुर्ग
2	संजारी बालोद	गुरुर	धनेली से अरमरीकला	10.94	3.99	मेसर्स मित्तल कंसट्रक्सन दुर्ग
3	संजारी बालोद	बालोद	लाटाबोड़ से चारवाही मार्ग	10.55	6.17	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
कुल योग :-				30.09	14.96	
नवीनीकरण पश्चात् नियमित संधारण अंतर्गत (Post 05 Years)						
3	संजारी बालोद	बालोद	लाटाबोड़ से देवीनवागांव	3.10	3.02	मेसर्स मित्तल कंसट्रक्सन
4	संजारी बालोद	बालोद	मेन रोड एस.एच. 5 से नेवारीकला	2.55	2.68	मेसर्स मित्तल कंसट्रक्सन
5	संजारी बालोद	गुरुर	बोडरा से भानपुरी	4.80	4.93	मेसर्स मित्तल कंसट्रक्सन
6	संजारी बालोद	गुरुर	मेनरोड से साल्हेमाट	4.05	4.13	मेसर्स मित्तल कंसट्रक्सन
7	संजारी बालोद	गुरुर	मेनरोड से खर्सा	0.90	0.74	मेसर्स मित्तल कंसट्रक्सन
8	संजारी बालोद	गुरुर	मेनरोड से संगनी	1.07	0.86	मेसर्स मित्तल कंसट्रक्सन
9	संजारी बालोद	गुरुर	मेनरोड से देवकोट	1.21	0.69	मेसर्स मित्तल कंसट्रक्सन
10	संजारी बालोद	गुरुर	मेनरोड (कोलिहामर) से टेकवाडीह	2.68	2.73	मेसर्स मित्तल कंसट्रक्सन
11	संजारी बालोद	गुरुर	मेन रोड से कोथरा	0.74	0.75	मेसर्स मित्तल कंसट्रक्सन
कुल योग :-				21.09	20.53	

स.क.	विधानसभा का नाम	विकास खण्ड	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	मरम्मत / संधारण हेतु प्राप्त आबंटन राशि (लाख में)	एजेंसियों का नाम
वित्तीय वर्ष 2022 - 23						
निर्माण पश्चात् नियमित संधारण अंतर्गत (Under 05 Years)						
1	संजारी बालोद	गुरुर	बोहारडीह दर्रा से फागुनदाह मार्ग	8.60	6.28	मेसर्स मित्तल कंस्ट्रक्सन दुर्ग
2	संजारी बालोद	गुरुर	धनेली से अरमरीकला	10.94	8.10	मेसर्स मित्तल कंस्ट्रक्सन दुर्ग
3	संजारी बालोद	बालोद	लाटाबोड से चारवाही मार्ग	10.55	9.29	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
4	संजारी बालोद	बालोद	झलमला से जामगांव-करहीभदर	8.02	2.66	मेसर्स अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर दुर्ग
5	संजारी बालोद	बालोद	झलमला से भेड़िया नवागांव-बिरेतरा	11.60	3.87	मेसर्स अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर दुर्ग
6	संजारी बालोद	गुरुर	NH930 से बगदई-सोहपुर	4.53	1.47	मेसर्स अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर दुर्ग
7	संजारी बालोद	गुरुर	मुजगहन-सौरर से सोहपुर-निपानी	7.60	2.43	मेसर्स अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर दुर्ग
8	संजारी बालोद	गुरुर	NH930 से टेंगना बरपारा-सोनईडोंगरी	8.02	2.54	मेसर्स अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर दुर्ग
9	संजारी बालोद	गुरुर	मरकाटोला से बड़भूम	6.52	2.03	मेसर्स अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर दुर्ग
कुल योग :-				76.38	38.67	
नवीनीकरण पश्चात् नियमित संधारण अंतर्गत (Post 05 Years)						
10	संजारी बालोद	बालोद	मेन रोड से नर्रा	7.70	2.08	मेसर्स बॉफना कंस्ट्रक्सन दुर्ग
11	संजारी बालोद	बालोद	मेनरोड से देवतराई	2.54	0.68	मेसर्स बॉफना कंस्ट्रक्सन दुर्ग
12	संजारी बालोद	गुरुर	मेन रोड से खैरडिंगी	3.40	0.46	मेसर्स बॉफना कंस्ट्रक्सन दुर्ग
13	संजारी बालोद	गुरुर	गुरुर से मोखा	1.70	0.23	मेसर्स बॉफना कंस्ट्रक्सन दुर्ग
14	संजारी बालोद	बालोद	पाकुरमांट से देवारमांट (गस्तीटोला)	3.39	0.46	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
15	संजारी बालोद	बालोद	कन्नेवाड़ा से हथौद	1.22	0.17	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
16	संजारी बालोद	बालोद	मेढ़की से बघमरा	0.89	0.12	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
17	संजारी बालोद	बालोद	जुंगेरा से रानीतराई	1.54	0.21	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
18	संजारी बालोद	बालोद	मेन रोड टी.05 से मुल्लेगुड़ा	2.15	0.29	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
19	संजारी बालोद	बालोद	झलमला परसदा रोड से सोहतरा	2.30	0.32	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
20	संजारी बालोद	बालोद	जमरूवा से सेमरकोना	2.30	0.31	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
21	संजारी बालोद	बालोद	मड़वापथरा से मालगांव	2.90	0.39	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
22	संजारी बालोद	बालोद	(SH-5) पारागांव से चरोटा	1.53	0.21	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
23	संजारी बालोद	बालोद	पाररास से खैरतराई	0.85	0.12	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग

स.क्र.	विधानसभा का नाम	विकास खण्ड	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	मरम्मत / संधारण हेतु प्राप्त आबंटन राशि (लाख में)	एजेंसियों का नाम
कुल योग :-				34.41	6.05	
वित्तीय वर्ष 2023 - 20-01-24						
निर्माण पश्चात् नियमित संधारण अंतर्गत (Under 05 Years)						
1	संजारी बालोद	बालोद	लाटाबोड़ से चारवाही मार्ग	10.55	5.75	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
2	संजारी बालोद	बालोद	बालोद-ओरमा से सुंदरा-जगन्नाथपुर	10.40	1.12	मेसर्स बॉफना कंस्ट्रक्सन दुर्ग
3	संजारी बालोद	बालोद	लाटाबोड़ से परसाही-खपरी	6.00	1.04	मेसर्स बॉफना कंस्ट्रक्सन दुर्ग
4	संजारी बालोद	बालोद	तरौद धौराभाठा से घुमका	5.53	0.94	मेसर्स बॉफना कंस्ट्रक्सन दुर्ग
5	संजारी बालोद	बालोद	पिपरछेड़ी से लिमोरा-मुजगहन	6.20	0.64	मेसर्स बॉफना कंस्ट्रक्सन दुर्ग
6	संजारी बालोद	बालोद	झलमला से जामगांव-करहीभदर	8.02	3.61	मेसर्स अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर दुर्ग
7	संजारी बालोद	बालोद	झलमला से भैड़िया नवागांव-बिरेतरा	11.60	5.26	मेसर्स अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर दुर्ग
8	संजारी बालोद	गुरुर	NH930 से बगदई-सोहपुर	4.53	1.92	मेसर्स अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर दुर्ग
9	संजारी बालोद	गुरुर	मुजगहन-सोरर से सोहपुर-निपानी	7.60	3.18	मेसर्स अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर दुर्ग
10	संजारी बालोद	गुरुर	NH930 से टेंगना बरपारा-सोनईडोंगरी	8.02	3.34	मेसर्स अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर दुर्ग
11	संजारी बालोद	गुरुर	मरकाटोला से बड़भूम	6.52	2.66	मेसर्स अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर दुर्ग
कुल योग :-				84.97	29.46	

स.क.	विधानसभा का नाम	विकास खण्ड	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	मरम्मत /संधारण हेतु प्राप्त आबंटन राशि (लाख में)	एजेंसियों का नाम
नवीनीकरण पश्चात् नियमित संधारण अंतर्गत (Post 05 Years)						
12	संजारी बालोद	बालोद	पाकुरभाट से देवारभाट (गस्तीटोला)	3.39	0.46	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
13	संजारी बालोद	बालोद	कन्नेवाड़ा से हथौद	1.22	0.16	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
14	संजारी बालोद	बालोद	मेढकी से बधमरा	0.89	0.12	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
15	संजारी बालोद	बालोद	जुंगी से रानीतराई	1.54	0.21	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
16	संजारी बालोद	बालोद	मेन रोड टी.05 से मुल्लेगुड़ा	2.15	0.29	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
17	संजारी बालोद	बालोद	झलमला परसदा रोड से सोहतरा	2.30	0.31	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
18	संजारी बालोद	बालोद	जमरूवा से सेमरकोना	2.30	0.31	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
19	संजारी बालोद	बालोद	मडवापथरा से मालगांव	2.90	0.40	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
20	संजारी बालोद	बालोद	(SH-5) पारागांव से चरोटा	1.53	0.20	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
21	संजारी बालोद	बालोद	पाररास से खैरतराई	0.85	0.11	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग
22	संजारी बालोद	गुरुर	मिरीटोला गंगरेल से बोरिदकला	2.60	0.33	मेसर्स हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,
23	संजारी बालोद	गुरुर	दर्रा से सरबदा	2.00	0.26	मेसर्स हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,
24	संजारी बालोद	गुरुर	मुख्य मार्ग से दधारी	2.00	0.25	मेसर्स हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,
25	संजारी बालोद	गुरुर	डोटोपार पहुंच मार्ग	0.60	0.08	मेसर्स हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,
26	संजारी बालोद	गुरुर	बालोद गहन पहुंच मार्ग	0.70	0.09	मेसर्स हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,
27	संजारी बालोद	गुरुर	सुर्रा से भोथली मार्ग	4.00	0.51	मेसर्स हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,
28	संजारी बालोद	गुरुर	गुरुर से दरगहन	3.63	0.47	मेसर्स हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,
29	संजारी बालोद	गुरुर	बालोद-धमतरी मार्ग से धनोरा मार्ग	1.15	0.15	मेसर्स हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,
30	संजारी बालोद	गुरुर	मेन रोड से डोकला	3.93	0.49	मेसर्स हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,
31	संजारी बालोद	गुरुर	मेन रोड से दुबचेरा	2.10	0.27	मेसर्स हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,
32	संजारी बालोद	गुरुर	मेन रोड टी01 से ओझागहन-तिपुरगहन	5.10	0.67	मेसर्स हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,
33	संजारी बालोद	गुरुर	मेन रोड से कपरमेटा	1.65	0.22	मेसर्स हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,
34	संजारी बालोद	गुरुर	मेन रोड एन.एच. 43 कर्रेंजर	2.00	0.26	मेसर्स हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,
35	संजारी बालोद	गुरुर	मिरीटोला-बोरिदकला से मुडखुसरा मार्ग	1.05	0.13	मेसर्स हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,
36	संजारी बालोद	गुरुर	बालोद धमतरी रोड से खैरवाही	1.85	0.23	मेसर्स हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,
कुल योग :-				53.43	6.98	

प्रपत्र -ब

बालोद विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत वर्ष 2021-22 से दिनांक 20 जनवरी 2024 तक सड़कों के संधारण अवधि में रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के लिये दी गई राशि की वर्षवार जानकारी

स.क्र.	सड़क का नाम	मरम्मत / रखरखाव हेतु आबंटन राशि	व्यय राशि	नियुक्त एजेंसी का नाम
1	2	3	4	5
वित्तीय वर्ष 2021-22 में				
1	निरंक			
वित्तीय वर्ष 2022-23 में				
1	कनेरी से नवागांव रोड	4.10	4.10	मेसर्स उपाध्याय कंस्ट्रक्शन
2	मेनरोड से करकाभाट (शक्कर कारखाना)	3.87	3.87	
3	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 30 से	1.17	1.17	
4	गुरुर बड़भूम मार्ग से हितेकसा नगाझर रोड	8.79	8.79	
वित्तीय वर्ष 2023-24 (20 जनवरी 2024 तक) में				
1	निरंक			

पारोशष्ट - चॉसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्र. 1479) की जानकारी

प्रपत्र-'अ'

रायपुर जिला

वर्ष 2020

क्र.	शस्त्र लायसेंसी का नाम	शस्त्र लायसेंस किनके द्वारा जारी किया गया है	शस्त्र का प्रकार
1.	श्री विकास शर्मा	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
2.	श्री एजाज खान	गृह विभाग	पिस्टल/रिवाल्वर
3.	श्री विनित नंदवार(आई.ए.एस.)	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
4.	श्री विक्रांत भुल्लर	गृह विभाग	पिस्टल/रिवाल्वर
5.	श्री स्ययद फराज रिजवी	गृह विभाग	पिस्टल/रिवाल्वर/रायफल
6.	श्री प्रफुल्ल कुमार विश्वकर्मा (आई.ए.एस.)	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
7.	श्री नसीमुद्दीन	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
8.	श्री बृजेश कुमार सोनी	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
9.	श्री सुभास शर्मा	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
10.	श्री गजेन्द्र प्रसाद बैरागी	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
11.	श्री अजय कुमार सिंह (आई.पी.एस.)	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर

वर्ष 2021

क्र.	शस्त्र लायसेंसी का नाम	शस्त्र लायसेंस किनके द्वारा जारी किया गया है	शस्त्र का प्रकार
1.	श्री रौनक सिंह सैनी	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
2.	श्री प्रवीण सोनी	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
3.	श्री सुप्रीयो बनर्जी (शूटिंग प्रतियोगिता हेतु)	कलेक्टर, रायपुर	रायफल
4.	श्री शौर्य सिंह सियोदिया (शूटिंग प्रतियोगिता हेतु)	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
5.	श्री अभिजीत सिंह भदोरिया	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
6.	श्री अनिल कुमार शुक्ला	कलेक्टर, रायपुर	रायफल
7.	श्री हरमन सिंह शेण्डो (शूटिंग प्रतियोगिता हेतु)	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
8.	श्री सैययद इरशाद अहमद	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
9.	श्री मनोज कुमार त्रिवेदी	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
10.	सुश्री विनिता पटेल	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर/पिस्टल/रिवाल्वर
11.	श्री विक्रांत शुक्ला	कलेक्टर, रायपुर	रायफल
12.	श्री शशांक विश्वकर्मा	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
13.	चाहत गिल	गृह विभाग	पिस्टल/रिवाल्वर
14.	श्री निलेश कुमार राठौर	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
15.	श्री जितेन्द्र सोनी	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
16.	श्री चंद्रभूषण वर्मा	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
17.	श्री लवन कुमार साहू	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
18.	श्री चिन्मय दावडा	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
19.	श्री रवि कुमार यादव	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
20.	श्री ईशानवर्धन मोदी	कलेक्टर, रायपुर	रायफल
21.	श्री अनिरुद्ध मिश्रा	कलेक्टर, रायपुर	रायफल

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग

22.	श्री यशवर्धन सिंह बिष्ट	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
-----	-------------------------	-----------------	--------

वर्ष 2022

क्र.	शस्त्र लायसेंसी का नाम	शस्त्र लायसेंस किनके द्वारा जारी किया गया है	शस्त्र का प्रकार
1.	श्री परमेश्वर यदु	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
2.	श्री अनिल कुमार गुप्ता	कलेक्टर, रायपुर	रायफल
3.	श्री प्रदीप कुमार वर्मा	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
4.	श्री अनुराग राठी	गृह विभाग	पिस्टल / रिवाल्वर
5.	श्री धीरज दुबे	गृह विभाग	पिस्टल / रिवाल्वर
6.	श्री इकबाल हयात खान	कलेक्टर, रायपुर	रायफल
7.	श्री सैयद जिशान	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल / रिवाल्वर
8.	श्री नमित जैन	गृह विभाग	पिस्टल / रिवाल्वर
9.	श्री दीपक मिश्रा	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
10.	श्री अनिरुद्ध जुवेकर	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल / रिवाल्वर
11.	श्री अरुण देव गौतम (आई.पी.एस.)	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल / रिवाल्वर
12.	श्री संतोष गुप्ता	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल / रिवाल्वर
13.	श्री विकास सिंह ठाकुर	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल / रिवाल्वर
14.	श्री अश्वनी कुमार मिश्रा	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल / रिवाल्वर
15.	श्री मोहम्मद ईमरान	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
16.	श्री रमेश कुमार त्रिपाठी	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल / रिवाल्वर
17.	श्रीमती शकुन्तला खलखो	कलेक्टर, रायपुर	रायफल
18.	श्री प्रसाद राव बोपन्ना	गृह विभाग	पिस्टल / रिवाल्वर
19.	श्री विवेक पाण्डे	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
20.	श्री राजीव गिरी गोस्वामी	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
21.	श्री सतीश कुमार दीक्षित	कलेक्टर, रायपुर	रायफल
22.	श्री दिनेश सिंह परिहार	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
23.	डॉ. रमेश सुखदेवे	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
24.	श्री हर्षित सिंघानिया	गृह विभाग	पिस्टल / रिवाल्वर
25.	श्री अतुल शुक्ला	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
26.	श्री अनंत तिवारी	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
27.	श्री रणधीर कुमार सिंह	गृह विभाग	पिस्टल / रिवाल्वर
28.	श्री जनार्दन सिंह कौरव	गृह विभाग	पिस्टल / रिवाल्वर
29.	श्री हरजीत सिंह रिहल	गृह विभाग	पिस्टल / रिवाल्वर
30.	श्री निखिल शुक्ला	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल / रिवाल्वर
31.	श्री विजेन्द्र सिंह यादव	कलेक्टर, रायपुर	रायफल
32.	श्री विजय कुमार सिंह (आई.पी.एस.)	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल / रिवाल्वर / 12 बोर
33.	श्री रविन्द्र सिंह (आई.पी.एस.)	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल / रिवाल्वर
34.	श्री अंकित शुक्ला	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल / रिवाल्वर
35.	श्री हरिशंकर मढरिया	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल / रिवाल्वर
36.	श्री विकास कुमार शर्मा	गृह विभाग	पिस्टल / रिवाल्वर / रायफल
37.	श्री धनंजय शर्मा	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल / रिवाल्वर
38.	श्री रोहित शुक्ला	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल / रिवाल्वर
39.	श्री संजीव पाण्डेय	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल / रिवाल्वर
40.	श्री आनंद गोयल (शूटिंग प्रतियोगिता हेतु)	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल / रिवाल्वर

41.	श्री विजेन्द्र सिंह भदोरिया	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
42.	श्री ईशान शर्मा	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
43.	श्री पृथ्वी महाडिक (शूटिंग प्रतियोगिता हेतु)	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
44.	श्री रमेश कुमार सिंह	कलेक्टर, रायपुर	रायफल
45.	करुणा यादव	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर

वर्ष 2023

क्र.	शस्त्र लायसेंसी का नाम	शस्त्र लायसेंस किनके द्वारा जारी किया गया है	शस्त्र का प्रकार
1.	श्री ओमप्रकाश भारती	कलेक्टर, रायपुर	रायफल
2.	श्री अजय सिंह राजपूत	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
3.	श्री पोखराज साहू	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
4.	श्वेता सिन्हा	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
5.	श्री सरफराज खान (शूटिंग प्रतियोगिता हेतु)	कलेक्टर, रायपुर	रायफल
6.	श्री सोमनाथ शर्मा	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
7.	श्री नरेश अग्रवाल	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
8.	श्री बृजनारायण मिश्रा	कलेक्टर, रायपुर	रायफल
9.	श्री जनक राम नायक (आई.एफ.एस.)	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
10.	श्री वैभव अग्रवाल (शूटिंग प्रतियोगिता हेतु)	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
11.	श्री दीपक जयसवाल	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
12.	श्री राजा धुरधर	गृह विभाग	रायफल
13.	श्री पंकज ठाकुर	कलेक्टर, रायपुर	रायफल
14.	श्री परमजीत सिंह सिद्धू	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
15.	श्री रविन्द्र कुमार तिवारी	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
16.	श्री ओमप्रकाश नेताम	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
17.	श्री संदीप पटेल	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
18.	श्री मुकेश कुमार पाण्डेय	कलेक्टर, रायपुर	रायफल
19.	श्री शेषमणि तिवारी	कलेक्टर, रायपुर	रायफल
20.	श्री अमनदीप सिंह (शूटिंग प्रतियोगिता हेतु)	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
21.	श्री तारकेश्वर मिश्रा	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
22.	श्री अनुराग दुबे	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
23.	श्री यशवंत साहू	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
24.	श्री बलविंदर सिंह पनेसर (शूटिंग प्रतियोगिता हेतु)	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
25.	श्री धनेन्द्र राय त्रिपाठी	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
26.	इंडियन बैंक	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
27.	श्री शिवम तिवारी	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
28.	श्री कमलकांत सिरमौर	कलेक्टर, रायपुर	12 बोर
29.	श्री रामबोध शर्मा (शूटिंग प्रतियोगिता हेतु)	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
30.	श्री हिमांशु गुप्ता (आई.पी.एस.)	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
31.	श्री कमलचंद जैन	कलेक्टर, रायपुर	पिस्टल/रिवाल्वर
32.	सुश्री प्रियंका गुरु	गृह विभाग	पिस्टल/रिवाल्वर
33.	श्री विनोद तिवारी	गृह विभाग	पिस्टल/रिवाल्वर


 अनुभाग अधिकारी
 उत्तीसगढ़ मंत्रालय
 गृह विभाग

धमतरी जिला

वर्ष 2020

क्र.	शस्त्र लायसेंसी का नाम	शस्त्र लायसेंस किनके द्वारा जारी किया गया है	शस्त्र का प्रकार
1.	श्री पोखराज यादव पिता श्री अक्तुराम यादव	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल

वर्ष 2021

क्र.	शस्त्र लायसेंसी का नाम	शस्त्र लायसेंस किनके द्वारा जारी किया गया है	शस्त्र का प्रकार
1.	श्री प्रमोद कुमार साहू पिता श्री दानी कुमार	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
2.	श्री रामखिलावन पिता श्री नकछेड़ा	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
3.	श्री पोखन लाल पिता श्री गौकरण	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
4.	श्री नीलाम्बर कुमार साहू पिता श्री कोमल राम साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
5.	श्री गोपश्वर पिता श्री गौकरण	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
6.	श्री नीरज कुमार पिता श्री टोमन लाल	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
7.	श्री वरुण कुमार साहू पिता श्री तोषण लाल साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
8.	श्री नागेश्वर पिता टोमन लाल	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
9.	श्री असलम अली पिता स्व. श्री युसुफ खान	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
10.	श्री दानीराम यादव पिता श्री महेश राम यादव	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
11.	श्री वेदप्रकाश पिता श्री यानराम	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
12.	श्री महेन्द्र कुमार सिन्हा पिता श्री गिरधर सिन्हा	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
13.	श्री यशवंत कुमार पिता श्री जयराम साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
14.	शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिहावा चौक, धमतरी	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग

वर्ष 2022

क्र.	शस्त्र लायसेंसी का नाम	शस्त्र लायसेंस किनके द्वारा जारी किया गया है	शस्त्र का प्रकार
1.	शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक(सी.ए.सी.) धमतरी	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
2.	श्री किरण कुमार पिता श्री राम सिंग साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
3.	श्री हरिश पाण्डेय, उप वनमण्डालाधिकारी, बिरगुड़ी	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	.32 बोर पिस्टल/रिवाल्वर
4.	श्री गिरधारी लाल पिता श्री चंवल लाल	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
5.	श्री भोज कुमार साहू पिता श्री गौतम राम साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
6.	श्री मिथिलेश साहू पिता श्री थानसिंह साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
7.	श्री जीवन लाल पाल पिता श्री थानसिंह साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
8.	श्री बिरेन्द्र कुमार साहू पिता श्री परसराम साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
9.	श्री रोशन चन्द्राकर पिता श्री होमेन्द्र चन्द्राकर	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	.32 बोर पिस्टल
10.	श्री भूपेन्द्र चन्द्राकर पिता श्री गिरधारी चन्द्राकर	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	.32 बोर पिस्टल
11.	श्री सत्यम चन्द्राकर पिता श्री सुरेन्द्र चन्द्राकर	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	.32 बोर पिस्टल
12.	श्री गजेन्द्र पिता श्री रामनाथ	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
13.	श्री टिकेश कुमार साहू पिता श्री भीखम साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
14.	श्री रामानंद साहू पिता श्री दयालुराम साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
15.	श्री परमेश्वर कुमार साहू पिता श्री रेखलाल साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
16.	श्री भपेन्द्र कुमार साहू पिता श्री सुखित राम साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
17.	श्री आसिफ इकबाल पिता श्री अब्दुल जब्बार खान	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	.32 बोर पिस्टल
18.	श्री टकेश्वर यादव पिता श्री सोनसाय यादव	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
19.	श्री रूपेश कुमार पिता श्री श्रवण कुमार साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
20.	रीदा अनवर पिता स्व. श्री परवेज अनवर	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग

21.	श्री सदानंद साहू पिता श्री राम जी साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
22.	श्री सुरेश कुमार देवांगन पिता श्री पियाराम देवांगन	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
23.	श्री हुलाश राम साहू पिता श्री छबिलाल साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
24.	श्रीमती बुधनबाई पति स्व. श्री राजेश साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
25.	श्री राम खिलावन सिन्हा पिता श्री लिकेश्वरी सिन्हा	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
26.	श्री पारसमणी साहू पिता श्री बिहारी लाल साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल

वर्ष 2023

क्र.	शस्त्र लायसेंसी का नाम	शस्त्र लायसेंस किनके द्वारा जारी किया गया है	शस्त्र का प्रकार
1.	श्री खेमन लाल मरकाम पिता श्री अंजोरुराम	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
2.	श्री अमरदास पिता श्री नीलकंठ	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
3.	श्री याज्ञवल्क्य पिता रामाधीन	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
4.	श्री दुर्गेश कुमार साहू पिता श्री समारु राम साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
5.	श्रीमती प्रति लाल पति श्री राबिनलाल	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
6.	श्री गजेन्द्र कुमार साहू पिता श्री नीलकंठ साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
7.	श्री विजेश वाणी पिता श्री जितेश वाणी	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
8.	श्री तेकेश कुमार पिता श्री हृदय राम	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
9.	श्री गजराज साहू पिता श्री चित्रसेन साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	12 बोर डीबीबीएल
10.	श्री अजरुद्दीन रिजवी पिता श्री इकरामुद्दीन कुजदा	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-धमतरी	.22 बोर रायफल


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 गृह विभाग

महासमुंद जिला

वर्ष 2021

क्र.	शस्त्र लायसेंसी का नाम	शस्त्र लायसेंस किनके द्वारा जारी किया गया है	शस्त्र का प्रकार
1.	श्री अक्कीरेड्डी बालाजी नायडु पिता स्व. श्री ए.डी. रंगा	जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द	12 बोर डीबीबीएल

वर्ष 2022

क्र.	शस्त्र लायसेंसी का नाम	शस्त्र लायसेंस किनके द्वारा जारी किया गया है	शस्त्र का प्रकार
1.	शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, कैश एडमिनिस्ट्रेशन स्टेशन/सेल, महासमुद	जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द	12 बोर डीबीबीएल 12 बोर डीबीबीएल
2.	श्री प्रखर अग्रवाल पिता श्री प्रवीण अग्रवाल	जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द	0.45 बोर पिस्टल
3.	श्री मनोज अग्रवाल पिता श्री भरतलाल अग्रवाल	जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द	0.45 बोर पिस्टल

वर्ष 2023

क्र.	शस्त्र लायसेंसी का नाम	शस्त्र लायसेंस किनके द्वारा जारी किया गया है	शस्त्र का प्रकार
1.	श्री मनीष दास मानिकपुरी पिता श्री निर्मल दास मानिकपुरी	जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द	12 बोर शॉटगन(डीबीबीएल/ एसबीबीएल)
2.	श्री किशन लाल साहू पिता स्व. श्री लेड़गा राम साहू	जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द	12 बोर शॉटगन(डीबीबीएल/ एसबीबीएल)
3.	श्री पुरुषोत्तम भोई पिता स्व. श्री रविनारायण भोई	जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द	12 बोर डीबीबीएल
4.	श्री यश्वेन्द्र बहादुर सिंह पिता श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह	जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द	12 बोर शॉटगन(डीबीबीएल/ एसबीबीएल)


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 गृह विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा जिला

वर्ष 2021

क्र.	शस्त्र लायसेंसी का नाम	शस्त्र लायसेंस किनके द्वारा जारी किया गया है	शस्त्र का प्रकार
1.	श्री युवराज शरण सिंह पिता श्री ओंकारेश्वर शरण सिंह	जिला दण्डाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा	रायफल

वर्ष 2022

क्र.	शस्त्र लायसेंसी का नाम	शस्त्र लायसेंस किनके द्वारा जारी किया गया है	शस्त्र का प्रकार
1.	श्री प्रतीक जायसवाल पिता श्री राजेश जायसवाल	जिला दण्डाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा	12 बोर
2.	भारतीय स्टेट बैंक(सी.ए.सी.) शाखा	जिला दण्डाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा	12 बोर

वर्ष 2023

क्र.	शस्त्र लायसेंसी का नाम	शस्त्र लायसेंस किनके द्वारा जारी किया गया है	शस्त्र का प्रकार
1.	श्री सतीश अग्रवाल पिता भूपेन्द्रनाथ अग्रवाल	जिला दण्डाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा	12 बोर
2.	श्री ओमप्रकाश खुंटे पिता पुनीतराम खुंटे	जिला दण्डाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा	रिवाल्वर
3.	श्री धीरज सोनी पिता रामकुमार सोनी	जिला दण्डाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा	12 बोर
4.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	जिला दण्डाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा	12 बोर
5.	श्री विद्याभूषण शुक्ला पिता स्व. श्री चक्रपाणि शुक्ला	जिला दण्डाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा	रिवाल्वर/पिस्टल


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 गृह विभाग

गरियाबंद जिला

वर्ष 2020

क्र.	शस्त्र लायसेंसी का नाम	शस्त्र लायसेंस किनके द्वारा जारी किया गया है	शस्त्र का प्रकार
1.	श्री मिलाराम आहिरे पिता श्री दशरू राम अहिरे	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर एवं पिस्टल
2.	श्री मिलन कुमार ध्रुव पिता श्री लाला राम ध्रुव	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
3.	श्री टंकेश्वर कुमार ध्रुव पिता श्री सालिक राम ध्रुव	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
4.	श्री घनश्याम साहू पिता श्री याद राम साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
5.	श्री धर्मेन्द्र कुमार साहू पिता श्री चुम्पन लाल साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर

वर्ष 2021

क्र.	शस्त्र लायसेंसी का नाम	शस्त्र लायसेंस किनके द्वारा जारी किया गया है	शस्त्र का प्रकार
1.	श्री नरेन्द्र विश्वकर्मा पिता श्री अशोक विश्वकर्मा	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
2.	श्री मोहित कुमार साहू पिता श्री जीवन लाल साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
3.	श्री टंकेश्वर यादव पिता श्री छबिलाल यादव	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
4.	श्री नागेश कुमार साहू पिता श्री अंजनी कुमार	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
5.	श्री मोहन लाल साहू पिता श्री लाखन लाल साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
6.	श्री घनश्याम यादव पिता गैदूराम यादव	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
7.	श्री अजय कुमार कुर्रे पिता श्री दिनेश कुर्रे	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
8.	श्री लोकेश कुमार साहू पिता श्री आनंद राम	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
9.	श्री तोरण लाल सतनामी पिता बाबूलाल सतनामी	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर

वर्ष 2022

क्र.	शस्त्र लायसेंसी का नाम	शस्त्र लायसेंस किनके द्वारा जारी किया गया है	शस्त्र का प्रकार
1.	श्री मेघनाथ साहू पिता श्री माधूराम साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
2.	श्री मनोज कुमार साहू पिता यादराम साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
3.	श्री चन्द्रशेखर साहू पिता भूषण लाल साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 गृह विभाग

4.	श्री ईश्वर कुमार बंजारे पिता श्री रामप्रसाद बंजारे	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
5.	श्री भीमसेन साहू पिता श्री माखन लाल	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
6.	श्री ताराचंद साहू पिता श्री गणेश राम साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
7.	श्री जैदीप सिंग कुकरेजा पिता श्री सुरजीत सिंग कुकरेजा	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
8.	श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया पिता जिलेदार सिंग गरियाबंद	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
9.	श्री शिशुपाल सिंह राजपूत पिता श्री जगदीश सिंह राजपूत	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	पिस्टल
10.	श्री मुकेश कुमार साहू पिता श्री ओमप्रकाश साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
11.	श्री हुमेश कुमार साहू पिता श्री बलीराम साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
12.	श्री रेवत कुमार साहू पिता महेश कुमार साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
13.	श्री लेखन साहू पिता श्री दौलत राम साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
14.	श्री पनमेश्वर पिता पीलूराम	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
15.	श्री पुरोत्तम कुमार पिता श्री मेघनाथ	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर

वर्ष 2023

क्र.	शस्त्र लायसेंसी का नाम	शस्त्र लायसेंस किनके द्वारा जारी किया गया है	शस्त्र का प्रकार
1.	श्री रूपनारायण निषाद पिता श्री छोटू राम निषाद	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
2.	श्री रोशन लाल पिता श्री जीवनलाल	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
3.	श्री शोभाराम पिता श्री खेलावन	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
4.	श्री ठाकुर राम पिता श्री कृष्ण कुमार	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
5.	श्री संतोष राम यादव पिता स्व. श्री बलराम यादव	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
6.	श्री कुलदीप साहू पिता श्री रामलाल साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
7.	श्री कुबेर राम साहू पिता श्री विश्वनाथ साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
8.	श्री छम्मन लाल साहू पिता श्री तोमन सिंह साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
9.	श्री अजय कुमार वर्मा पिता श्री रमेश कुमार वर्मा	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर
10.	श्री दौलत कुमार साहू पिता श्री शंकर लाल साहू	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गरियाबंद	12 बोर


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 गृह विभाग

पारिशेष्ट - पेंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्र. 1487) की जानकारी

प्रपत्र - अ

श्रम विभाग के अधीन संचालित मण्डलों अंतर्गत वर्तमान में श्रमिक कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की मंडलवार जानकारी

(1) छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित योजनाये :-


क्र.	योजना का नाम
1	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना
2	मिनीमाता महतारी जतन योजना
3	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
4	मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना
5	मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
6	दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना
7	मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
8	मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना
9	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
10	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना
11	विशेष शिक्षा सहायता योजना
12	मोबाईल रजिस्ट्रेशन वैन योजना
13	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना
14	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना
15	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
16	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना
17	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
18	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
19	बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना
20	श्रम मित्र योजना
21	सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिये आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना
22	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना
23	मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र योजना
24	मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र योजना
25	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना
26	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना
27	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना
28	मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना
29	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना
30	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना

Prathina

अनुभाष अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नया रायपुर


(2) छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा असंगठित कर्मकारों हेतु संचालित योजनाये :-

क्र.	योजना का नाम
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना
3	असंगठित कर्मकार समाचार-पत्र हॉकर सायकल सहायता योजना
4	मुख्यमंत्री कोटवार, सायकल एवं टार्च सहायता योजना
5	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना
6	मुख्यमंत्री राउत, चरवाहा एवं दूध दूहने वाले सायकल सहायता योजना
7	असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
8	फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू, बाट एवं टोकरी सहायता योजना
9	ई-रिक्शा सहायता योजना
10	कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
11	धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
12	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
13	सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना
14	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना
15	नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
16	असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना
17	सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना
18	सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना
19	सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना
20	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना
21	सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना
22	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
23	सफाई कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना
24	हमाल हेतु जुता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना
25	महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना
26	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना
27	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना
26	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना
27	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना
28	घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना
29	ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना


 अनुभाष अधिकारी
 नम विभाग, मेडास
 कटल नर, नर कटल

(3) छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल द्वारा संगठित श्रमिकों हेतु संचालित योजनाये :-

क्र.	योजना का नाम
1	श्रमिकों हेतु खेल-कूद प्रतियोगिता
2	श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन एवं सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण
3	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना
4	श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना
5	स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण
6	निःशुल्क बैसाखी/ कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना
7	निःशुल्क सायकल वितरण योजना
8	मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
9	निःशुल्क सिलाई मशीन योजना
10	सिलोकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुर्नवास सहायता योजना
11	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
12	मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
13	खेल-कूद प्रोत्साहन योजना




अनुभाष अधिकारी
श्रम विभाग, मंडल
कल्याण जिल्हा, नवी मुंबई

प्रपत्र - 'ब'

जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में वर्ष 2021-22 से 2023-24 (31 दिसम्बर 2023 तक) मण्डलवार, योजनावार प्राप्त एवं लंबित आवेदनों की जानकारी

01. छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल -			
क्र.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन	लंबित आवेदन
1	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना	138	41
2	मिनीमाता महतारी जतन योजना	2670	293
3	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	6	6
4	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	1281	1217
5	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	401	11
6	मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना	256	33
7	मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना	1910	466
8	मुख्यमंत्री नौमीहाल छात्रवृत्ति योजना	3079	1142
9	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	1710	1144
10	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	1409	1026
11	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	17	16
12	मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना	135	27
13	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना	1	1
योग		13013	5423
02. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल-			
क्र.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन	लंबित आवेदन
1	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	2272	199
2	असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	211	13
3	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना	394	220
4	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना	337	186
5	असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	22	4
6	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	18	2
7	घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं टेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना	10	10
8	महिला टेका श्रमिक, महिला घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	2884	102
9	टेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना	32	7
10	हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना	12	4
11	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना	92	42
योग		6284	789


 अनुसार अधिकांश
 नम विभाग, मंत्रालय
 कर्मल नगर, नका रायपुर

पारिशद - छैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 66 (क्र. 1496) की जानकारी

प्रपत्र - "अ"

मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021 से दिसम्बर, 2023 तक विभिन्न थानों में लिखित शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर वर्षवार, थानावार दर्ज प्रकरणों की जानकारी

अंबागढ़ चौकी			
क्रमांक	थाना	अवधि	लिखित शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर दर्ज प्रकरण की संख्या
1	2	3	4
1	अंबागढ़ चौकी	वर्ष 2021	1
		वर्ष 2022	3
		वर्ष 2023	0
योग			4
चिल्हाटी			
क्रमांक	थाना	अवधि	लिखित शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर दर्ज प्रकरण की संख्या
1	2	3	4
1	चिल्हाटी	वर्ष 2021	0
		वर्ष 2022	0
		वर्ष 2023	0
योग			0
मोहला			
क्रमांक	थाना	अवधि	लिखित शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर दर्ज प्रकरण की संख्या
1	2	3	4
1	मोहला	वर्ष 2021	1
		वर्ष 2022	
		वर्ष 2023	2
योग			3
खड़गांव			
क्रमांक	थाना	अवधि	लिखित शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर दर्ज प्रकरण की संख्या
1	2	3	4
1	खड़गांव	वर्ष 2021	1
		वर्ष 2022	1
		वर्ष 2023	0
योग			2
मानपुर			
क्रमांक	थाना	अवधि	लिखित शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर दर्ज प्रकरण की संख्या
1	2	3	4
1	मानपुर	वर्ष 2021	0
		वर्ष 2022	4
		वर्ष 2023	3
योग			7

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय

प्रपत्र - "ब"

मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021 से दिसम्बर, 2023 तक विभिन्न थानों में लिखित शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर वर्षवार, थानावार दर्ज प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

अंबागढ़-चौकी								
क्रमांक	थाना	अवधि	प्राप्त शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर की गयी कार्यवाही					
			कुल	FIR	155 जा.फौ.	प्रतिबंधात्मक कार्यवाही	राजीनामा	अप्रमाणित/नस्तीबद्ध जांच
1	अंबागढ़-चौकी	वर्ष 2021	48	1	12	6	2	27
		वर्ष 2022	71	3	12	5	3	48
		वर्ष 2023	41		2	9	6	24
योग			160	4	26	20	11	99
चिल्हाटी								
क्रमांक	थाना	अवधि	प्राप्त शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर की गयी कार्यवाही					
			कुल	FIR	155 जा.फौ.	प्रतिबंधात्मक कार्यवाही	राजीनामा	अप्रमाणित/नस्तीबद्ध जांच
1	चिल्हाटी	वर्ष 2021	6		2		1	3
		वर्ष 2022	7			1	3	3
		वर्ष 2023	11			6	2	3
योग			24	0	2	7	6	9
मोहला								
क्रमांक	थाना	अवधि	प्राप्त शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर की गयी कार्यवाही					
			कुल	FIR	155 जा.फौ.	प्रतिबंधात्मक कार्यवाही	राजीनामा	अप्रमाणित/नस्तीबद्ध जांच
1	मोहला	वर्ष 2021	21	1	1	2	7	10
		वर्ष 2022	32		6	4	7	15
		वर्ष 2023	31	2	1	5	8	15
योग			84	3	8	11	22	40
खड़गांव								
क्रमांक	थाना	अवधि	प्राप्त शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर की गयी कार्यवाही					
			कुल	FIR	155 जा.फौ.	प्रतिबंधात्मक कार्यवाही	राजीनामा	अप्रमाणित/नस्तीबद्ध जांच
1	खड़गांव	वर्ष 2021		1		3	3	9
		वर्ष 2022		1	1	7	1	5
		वर्ष 2023			1	3	2	13
योग				2	2	13	6	27
मानपुर								
क्रमांक	थाना	अवधि	प्राप्त शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर की गयी कार्यवाही					
			कुल	FIR	155 जा.फौ.	प्रतिबंधात्मक कार्यवाही	राजीनामा	अप्रमाणित/नस्तीबद्ध जांच
1	मानपुर	वर्ष 2021	0					
		वर्ष 2022	9	4	3	1	1	
		वर्ष 2023	20	3	5	5	7	
योग			29	7	8	6	8	0

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
संभालय, सयपर

कोहका								
क्रमांक	थाना	अवधि	प्राप्त शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर की गयी कार्यवाही					
			कुल	FIR	155 जा.फौ.	प्रतिबंधात्मक कार्यवाही	राजीनामा	अप्रमाणित/नस्तीबद्ध जांच
1	कोहका	वर्ष 2021	0					
		वर्ष 2022	0					
		वर्ष 2023	0					
योग			0	0	0	0	0	0
सीतागांव								
क्रमांक	थाना	अवधि	प्राप्त शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर की गयी कार्यवाही					
			कुल	FIR	155 जा.फौ.	प्रतिबंधात्मक कार्यवाही	राजीनामा	अप्रमाणित/नस्तीबद्ध जांच
1	सीतागांव	वर्ष 2021	0					
		वर्ष 2022	0					
		वर्ष 2023	0					
योग			0	0	0	0	0	0
मदनवाड़ा								
क्रमांक	थाना	अवधि	प्राप्त शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर की गयी कार्यवाही					
			कुल	FIR	155 जा.फौ.	प्रतिबंधात्मक कार्यवाही	राजीनामा	अप्रमाणित/नस्तीबद्ध जांच
1	मदनवाड़ा	वर्ष 2021	0					
		वर्ष 2022	0					
		वर्ष 2023	0					
योग			0	0	0	0	0	0
औंधी								
क्रमांक	थाना	अवधि	प्राप्त शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर की गयी कार्यवाही					
			कुल	FIR	155 जा.फौ.	प्रतिबंधात्मक कार्यवाही	राजीनामा	अप्रमाणित/नस्तीबद्ध जांच
1	औंधी	वर्ष 2021	0					
		वर्ष 2022	31	2	2	17	10	
		वर्ष 2023	26	2		19	5	
योग			57	4	2	36	15	0


 अनुभाग अधिकारी
 गृह विभाग
 मंत्रालय, रासपुर

कोहका			
क्रमांक	थाना	अवधि	लिखित शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर दर्ज प्रकरण की संख्या
1	2	3	4
1	कोहका	वर्ष 2021	0
		वर्ष 2022	0
		वर्ष 2023	0
योग			0
सीतागांव			
क्रमांक	थाना	अवधि	लिखित शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर दर्ज प्रकरण की संख्या
1	2	3	4
1	सीतागांव	वर्ष 2021	0
		वर्ष 2022	0
		वर्ष 2023	0
योग			0
मदनवाड़ा			
क्रमांक	थाना	अवधि	लिखित शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर दर्ज प्रकरण की संख्या
1	2	3	4
1	मदनवाड़ा	वर्ष 2021	0
		वर्ष 2022	0
		वर्ष 2023	0
योग			0
औंधी			
क्रमांक	थाना	अवधि	लिखित शिकायत/अभ्यावेदन के आधार पर दर्ज प्रकरण की संख्या
1	2	3	4
1	औंधी	वर्ष 2021	0
		वर्ष 2022	2
		वर्ष 2023	2
योग			4


 अनुभाग अधिकारी
 गृह विभाग
 मंत्रालय, रायपुर